SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य राजस्व प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 4

(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा - राजस्व)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए
राज्य राजस्व प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 4

(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा - राजस्व)

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	v
	अध्याय-I	
	विहंगावलोकन	
1.1	परिचय	1
1.2	प्राप्तियों की प्रवृति	1
1.3	बकाये राजस्व का विश्लेषण	6
1.4	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति	7
1.5	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	8
1.6	लेखापरीक्षा के परिणाम	9
1.7	इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	10
	अध्याय-II	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	
	वाणिज्य कर विभाग	
2.1	जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा	21
	अध्याय-III	
	अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं	
	वाणिज्य कर विभाग	
3.1	जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रकट किए गए आवर्त का अन्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना के साथ तिर्यक जाँच	55
3.2	जी.एस.टी. भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी	98
	परिवहन विभाग	
3.3	कर प्रशासन	150
3.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	151
3.5	परिवहन वाहनों से करों का गैर संग्रहण	152
3.6	परिवहन वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली न होना	154

कंडिका		पृष्ठ सं.
3.7	पारस्परिक समझौते के तहत चलने वाले वाहनों के मालिकों से कर की वसूली न होना	156
3.8	हरित कर का उद्ग्रहण न होना	158
3.9	निर्माण उपकरण वाहनों से एकमुश्त कर का कम उद्ग्रहण	159
3.10	अस्थायी पंजीकरण के लिए शुल्क का कम उद्ग्रहण	161
3.11	परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड का गैर/कम उद्ग्रहण	163
3.12	कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग	165
3.13	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के लिए प्राधिकार का नवीकरण	167
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
3.14	कर प्रशासन	168
3.15	लेखापरीक्षा के परिणाम	168
3.16	उत्पाद कर का अंतर शुल्क की वसूली न होना	169
3.17	शराब का कम उठाव और विलंब शुल्क का गैर उद्ग्रहण	170
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग		
भू-राजस्व		
3.18	कर प्रशासन	172
3.19	लेखापरीक्षा के परिणाम	173
3.20	स्थापना लागत का कम उद्ग्रहण	174
परिशिष्ट		
	परिशिष्ट	177-194

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
I	2.1.8	मुख्य समस्या क्षेत्र	177
II	2.1.11.1	शून्य दाखिलकर्ता के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान	178
III	2.1.11.2	दाखिल नहीं किये जाने के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान	179

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
IV	2.1.11.3	पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान	180
V	3.1.8.2	आयकर विवरणियों और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल	184
VI	3.1.8.4	आई.टी.डी. की तुलना में जी.एस.टी. के अधीन अस्वीकार्य छूट का लाभ उठाना	187
VII	3.1.9.3	जी.एस.टी. की त्रुटिपूर्ण दर पर कर का भुगतान	188
VIII	3.2.6.1 (द्वितीय बुलेट)	जी.एस.टी. विवरणी को विलंब से दाखिल करने वालों पर ब्याज की कम वसूली	190
IX	3.2.8.4 (प्रथम बुलेट)	जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच कर देयता बेमेल	191

प्रस्तावना

प्रस्तावना

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के चयनित विभागों के अंतर्गत परिवहन; उत्पाद एवं मद्य निषेध; वाणिज्य कर और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन के उल्लिखित मामलों में वैसे मामले जो 2022-23 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे, परंतु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों और लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभागों के निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा में पाये गये मामलों को शामिल करती है। इस प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य विधायिका के संज्ञान में लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उद्देश्य कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने में समर्थ करना है, साथ ही ऐसी नीतियाँ और निर्देश तैयार करने में भी जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर अग्रसर करेंगे और बेहतर शासन में योगदान है।

यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जो निम्नवत हैः

- **अध्याय 1** में सरकार द्वारा सृजित राजस्व की प्रवृत्ति की समीक्षा, लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में करों की बकाया राशि जो संग्रहण के लिए लंबित है, अनुपालन लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।
- **अध्याय 2** में 'जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं.
- **अध्याय 3** में 'जी.एस.टी. भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' और 'जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रकट किए गए आवर्त का अन्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना के साथ तिर्यक जाँच" पर अनुपालन लेखापरीक्षाएं और परिवहन विभाग; उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग; और राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग से संबंधित कंडिकाएं शामिल हैं।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 वर्ष 2023-24 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर और गैर-कर राजस्व, राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों और शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़े **तालिका-1.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका - 1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	14,752.04	16,771.45	16,880.08	21,289.61	25,117.51
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**19.42**	**13.69**	**0.65**	**26.12**	**17.98**
	• गैर कर राजस्व	8,257.98	8,749.98	7,564.01	10,030.75	12,830.05
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**5.24**	**5.96**	**(-) 13.55**	**32.61**	**27.91**
	कुल	**23,010.02**	**25,521.43**	**24,444.09**	**31,320.36**	**37,947.56**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं ड्यूटी में राज्य का अंश	23,906.16	20,593.04	19,712.23	27,734.64	31,404.12
	• सहायता अनुदान	9,235.52	12,302.67	11,993.41	10,666.86	10,893.54
	कुल	**33,141.68**	**32,895.71**	**31,705.64**	**38,401.50**	**42,297.66**
3	**राज्य सरकार का कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**56,151.70**	**58,417.14**	**56,149.73**	**69,721.86**	**80,245.22**
4	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**41**	**44**	**44**	**45**	**47**

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹37,947.56 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 47 प्रतिशत था। 2022-23 के दौरान प्राप्तियों का शेष 53 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों में क्रमशः 17.98 प्रतिशत और 27.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विभाजन **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1

राज्य का राजस्व प्राप्तियों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

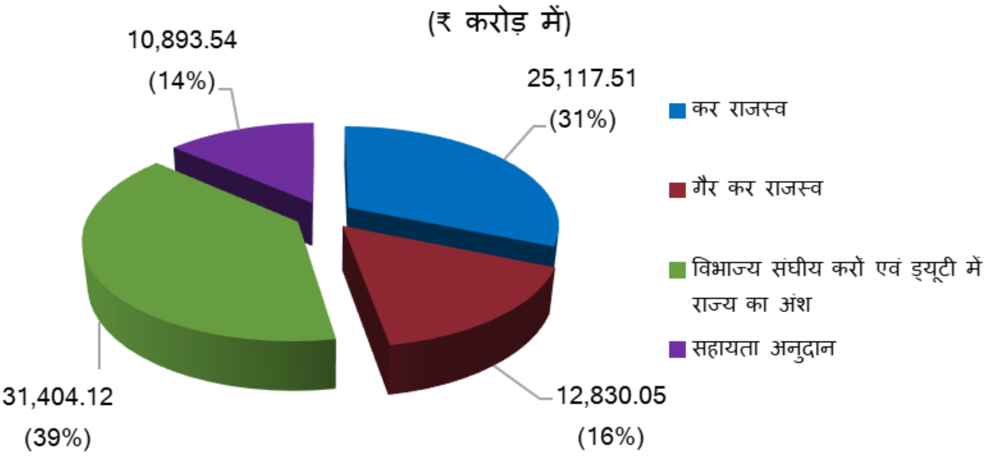

1.2.2 वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्राप्त कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका - 1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,474.96	3,996.33	4,300.89	5,213.40	6,270.53	20.28
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,200.84	8,417.72	7,930.56	9,557.40	11,374.02	19.01
3	राज्य उत्पाद शुल्क	1,082.82	2,009.27	1,821.09	1,806.61	2,056.88	13.85
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	451.04	560.33	708.14	987.24	1,107.64	12.19
5	वाहनों पर कर	863.94	1,128.98	976.35	1,262.78	1,573.77	24.63
6	विद्युत पर कर एवं ड्यूटी	209.07	236.24	195.26	791.72	1,131.82	42.96
7	भू राजस्व	389.38	337.98	872.93	1,621.21	1,557.26	(-) 3.94
8	आय एवं व्यय पर अन्य कर	78.61	83.93	74.77	46.15	45.09	(-) 2.42
9	अन्य	1.38	0.67	0.09	3.10	0.50	(-) 83.87
कुल		**14,752.04**	**16,771.45**	**16,880.08**	**21,289.61**	**25,117.51**	**17.98**

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

चार्ट-1.2 में वर्ष 2023-24 के लिए कर राजस्व का विभाजन दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2
2022-23 के लिए कर राजस्व का विभाजन
(₹ करोड़ में)

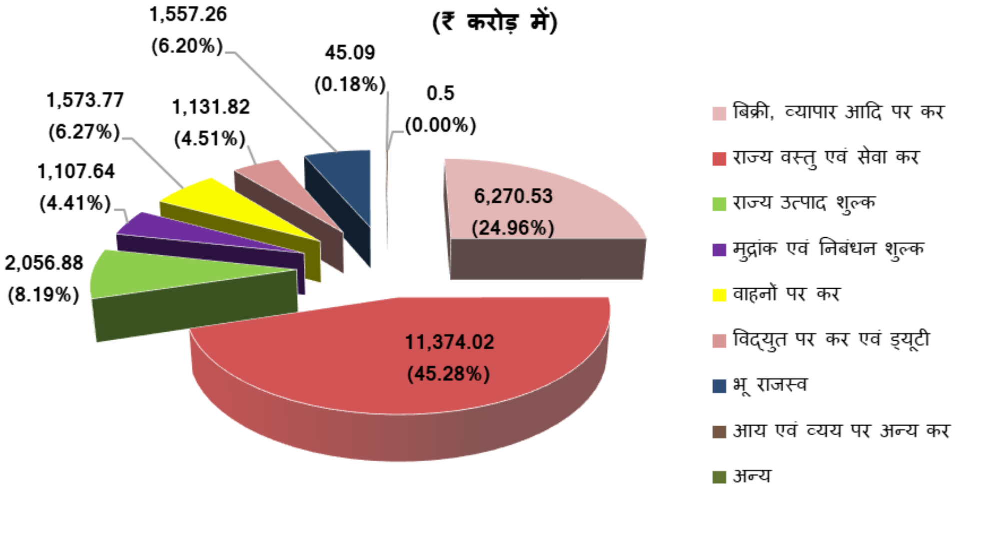

कर राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में, 2021-22 की तुलना में, 2022-23 में प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण, निम्नानुसार थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: इस शीर्ष में 20.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी है। 2022-23 के दौरान, '102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ' नामक

लघु शीर्ष के तहत प्राप्तियाँ 2021-22 में ₹ 5,188.95 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,263.12 करोड़ हो गईं।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संग्रहित राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत 19.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2022-23 के दौरान, '106-आई.जी.एस.टी. का बंटबारा-यू.टी.जी.एस.टी. का कर भाग का अंत: स्थानांतरण' जैसे लघु शीर्ष से प्राप्तियाँ ₹ 818.32 करोड़ से बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹ 1,527.90 करोड़ हो गईं।

राज्य उत्पाद शुल्क: विभाग ने 13.85 प्रतिशत की वृद्धि का कारण नई उत्पाद नीति के कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी के बाद बाजार अर्थव्यवस्था में सुधार बताया (अक्टूबर 2023)।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: वर्ष 2022-23 में 'मुद्रांक और निबंधन शुल्क' में 12.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2022-23 के दौरान, '101-स्टाम्प से उगाहा गया न्यायालय शुल्क' लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2021-22 में ₹7.35 करोड़ से बढ़कर ₹ 17.08 करोड़ हो गईं। उप-शीर्ष '01-स्टाम्प-न्यायिक' के अंतर्गत '102-स्टाम्पों की बिक्री' लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ भी वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 5.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 11.66 करोड़ हो गईं।

वाहनों पर कर: विभाग द्वारा 24.63 प्रतिशत की वृद्धि का कारण झा.मो.वा. नियमावली, 2001 के नियम 74 और कें.मो.वा. नियमावली और 1989 के नियम 81 के तहत संशोधित शुल्क का क्रियान्वयन बताया गया है (सितंबर 2023)।

विद्युत पर कर एवं ड्यूटी: वाणिज्यिक कर विभाग ने 42.96 प्रतिशत की वृद्धि का कारण 2022-23 के दौरान विद्युत शुल्क उद्ग्रहण के लिए नीति/दरों में परिवर्तन को बताया (मई 2024)।

भू-राजस्व: इस शीर्ष के अंतर्गत, 2022-23 में 3.94 प्रतिशत की कमी हुई, लेकिन विभाग द्वारा इसके कारण नहीं बताए गए थे।

आय एवं व्यय पर अन्य कर: वाणिज्यिक कर विभाग ने 2022-23 के दौरान 2.42 प्रतिशत की कमी के संबंध में कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

1.2.3 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अर्जित गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका - 1.3

गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5,934.64	5,461.36	5,012.47	7,535.03	10,035.96	33.19
2	फसल कृषि व्यवस्था	15.23	160.40	555.55	5.34	1.27	(-) 76.13
3	वानिकी और वन्य जीवन	14.79	17.59	328.17	655.76	637.86	(-) 2.73
4	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	25.58	8.75	270.71	8.78	91.53	942.61
5	ब्याज प्राप्तियाँ	47.20	309.51	81.36	95.54	282.02	195.21
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8.46	84.61	18.05	3.21	81.11	2,428.54
7	अन्य[1]	2,212.08	2,707.76	1,297.70	1,727.09	1,700.30	(-) 1.51
	कुल	**8,257.98**	**8,749.98**	**7,564.01**	**10,030.75**	**12,830.05**	**27.91**

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2023-24 के लिए गैर-कर राजस्व का विभाजन **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

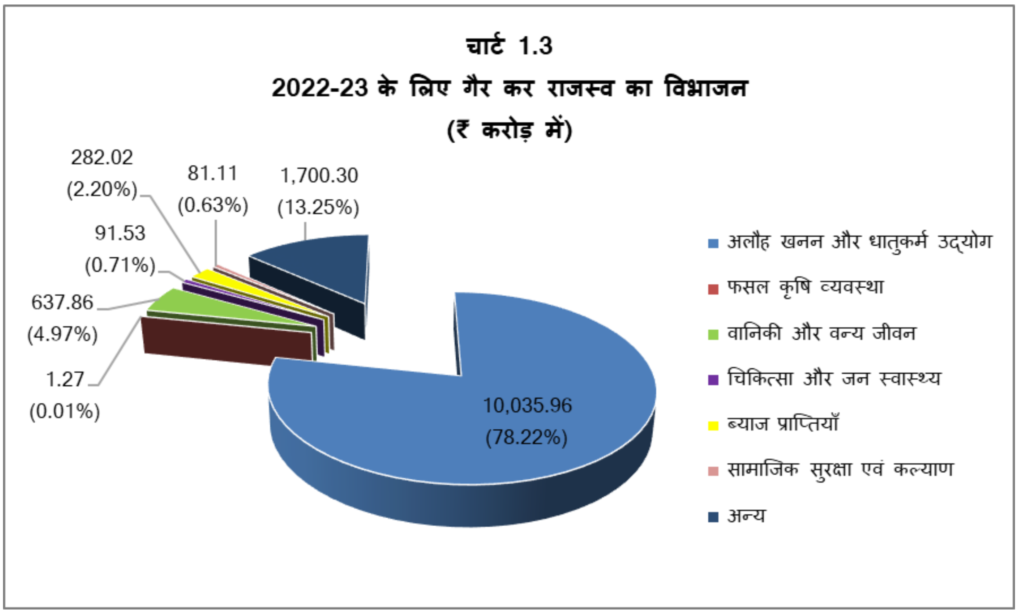

संबंधित विभागों ने कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भिन्नताओं के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अंतर्गत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 33.19 प्रतिशत बढ़ीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2022-23 के दौरान, लघु शीर्ष '102- खनिज रियायत शुल्क, किराया और

[1] अन्य सेवाओं में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

स्वत्व शुल्क' के तहत प्राप्तियाँ 2021-22 में ₹ 7,463.43 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 9,965.02 करोड़ हो गईं।

वानिकी और वन्य जीवन: 'वानिकी और वन्य जीवन' के अंतर्गत प्राप्तियाँ में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 2.73 प्रतिशत कम हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2022-23 के दौरान, उप-शीर्ष **'**02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन**'** के तहत लघु शीर्ष **'**112-सार्वजनिक उद्यान**'** के तहत प्राप्तियां 2021-22 में ₹ 493.42 करोड़ से घटकर ₹ 379.15 करोड़ हो गईं।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: 2022-23 में **'**चिकित्सा और जन स्वास्थ्य**'** के अंतर्गत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 942.61 प्रतिशत बढ़ गईं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2022-23 के दौरान उप-शीर्षक '01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं**'** के अंतर्गत लघु शीर्ष '101- कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियाँ 2021-22 में ₹ 1.47 लाख से बढ़कर ₹ 85.56 करोड़ हो गईं।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण: 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' शीर्षक के अंतर्गत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 2,428.54 प्रतिशत बढ़ गईं। लेखापरीक्षा ने पाया कि उप शीर्ष **'**60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम**'** के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वसूली 2021-22 में ₹ 1.89 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 81.04 करोड़ हो गई।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक चार प्रमुख राजस्व शीर्षों के संबंध में बकाया ₹ 7,767.37 करोड़ था, जिसमें से ₹ 6,467.08 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में विस्तार से वर्णित है।

तालिका - 1.4

राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया	31 मार्च 2023 को पाँच वर्षों से अधिक	लंबित बकाये की स्थिति						
				निर्गत माँग	न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित	सरकार द्वारा स्थगित	सुधार/ समीक्षा	विक्रेता/ पार्टी दिवालिया	बट्टे खाते में डाला गया	विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गयी
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,739.66	5,690.32	1,188.23	1,616.46	624.42	27.39	74.48	0	3,208.68
2.	वाहनों पर कर	639.99	435.91	242.15	4.90	---	---	---	---	392.94
3.	राज्य उत्पाद	81.54	38.91	53.43	7.65	0.07	0.11	---	0.16	20.12
4.	भू-राजस्व	306.18[2]	301.94	बकाया के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है (मार्च 2026)						
कुल		**7,767.37**	**6,467.08**							

लेखापरीक्षा के सक्रिय अनुसरण के बावजूद अन्य राजस्व शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 तक के बकाया राजस्व, लंबित संग्रहण की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2026)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकलाप हेतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं पर स्वतः कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने इन्हें जाँच हेतु चयनित किया हो या नहीं। विभागों को पी.ए.सी. को, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षित, विस्तृत की गई कार्रवाई टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करनी थी, जिसमें उनके द्वारा की गई या प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई इंगित की गयी हो।

वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक के राजस्व पर लेखापरीक्षा कंडिकाओं में 287 लेखापरीक्षा कंडिकाएं हैं। इनमें से, पी.ए.सी. ने 89 कंडिकाओं पर चर्चा की है और तीन कंडिकाओं और 16 उप-कंडकाओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। पुनः, एक ए.टी.एन. प्राप्त हुआ है और एक कंडिका के मामले में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है।

---

2 वर्ष 2021-22 तक के आँकड़े प्रस्तुत।

पुनः, 2000-01 से 2007-08 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभागों पर छोड़े गए थे, इनमें 270 लंबित कंडिकाएं थे, जिनमें से 90 कंडिकाओं पर पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु चयनित किया गया था। इसके विरूद्ध, पी.ए.सी. ने पाँच कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की थीं, दो कंडिकाओं के संबंध में ए.टी.एन. प्राप्त हुए थे और दो कंडिकाओं के संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जैसा कि **तालिका 1.5** में विस्तार से वर्णित है।

तालिका-1.5: पी.ए.सी. चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष 2008-09 से 2019-20 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	270	287
पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु चयनित	90	89
पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु नहीं ली गयी	180	198
पी.ए.सी. के द्वारा अनुशंसा की गयी	5 कंडिकाएं	3 कंडिकाएं एवं 16 उप-कंडिकाएं
ए.टी.एन. प्राप्त	2	1[3]
विभागों के द्वारा की गयी कार्रवाई	2	1[3]

1.5 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपन्न होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिए निर्गत करता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

वर्ष 2008-09 से 2022-23 तक जारी की गई नि.प्र. की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2024 तक 1,167 नि.प्र. से संबंधित 10,982 कंडिकाएँ बकाया थे। इन नि.प्र. में बताई गई संभावित वसूल की जा सकने वाली राजस्व ₹ 18,471.16 करोड़ थी, जबकि 2022-23 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 37,947.56 करोड़ थी। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया हैं।

[3] पी.ए.सी. प्रतिवेदन संख्याः 18, कंडिका 7.6.1/ले.प.प्र. 2009-10, रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर ब्याज का गैर-उदग्रहण, खनन विभाग, झा.स.।

तालिका - 1.6

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	313	5,729	8,938.52
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	55	93.65
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	185	1,132	1,155.30
3	राजस्व निबंधन एवं	भू-राजस्व	128	954	4,571.41
4	भूमि सुधार	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	157	779	37.27
5	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	188	1,449	877.84
6	खनन एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	179	879	2,787.63
कुल			**1,167**	**10,982**	**18,471.16**

2008-09 से निर्गत किए गए 286 नि.प्र. के प्रथम जवाब भी, जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के चार विभागों[4] को शामिल किया गया था और 2022-23 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू राजस्व और मुद्रांक और निबंधन शुल्क से संबंधित 650 लेखापरीक्षायोग्य इकाइयों में से 85 (13 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना-जाँच की गई। इन चार विभागों में, 2021-22 के दौरान ₹ 10,891.25 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया, जिसमें से 85 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 7,748.59 करोड़ (71.15 प्रतिशत) संग्रहित किया। 85 लेखापरीक्षित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने परिवहन वाहनों से कर का गैर-संग्रहण, एकमुश्त कर की गैर-वसूली, हरित कर का गैर-उद्ग्रहण, निर्माण उपकरण वाहनों से एकमुश्त कर का कम उद्ग्रहण, विभेदक उत्पाद शुल्क की गैर-वसूली, स्थापना लागत का कम-उद्ग्रहण, मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क की छूट का त्रुटिपूर्ण अनुमति, आदि पाया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने 'जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और दो अनुपालन लेखापरीक्षाएं 'जी.एस.टी. भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' और 'जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रकट किए गए आवर्त का अन्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना के साथ तिर्यक जाँच' की।

[4] वाणिज्यिक कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग।

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं का वित्तीय निहितार्थ ₹ 4,707.22 करोड़ था, जिसमें से संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 1,57,185 मामलों में ₹ 1,074.98 करोड़ की कम-आकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया और 2,165 मामलों में ₹ 23.56 करोड़ की वसूली की।

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा, दो विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं और वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा से चयनित 12 कंडिकाएं शामिल हैं, जिनमें पिछले वर्षों के कंडिकाएं भी शामिल हैं जिन्हें पिछली प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था। प्रतिवेदन में शामिल अनियमितताओं का वित्तीय प्रभाव ₹ 4,324.44 करोड़ है, जिसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 859.43 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और ₹ 23.56 करोड़ की वसूली की है।

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूक परीक्षण लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिए, विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और ऐसी ही त्रुटियां/चूक हुई है या नहीं, और, यदि ऐसा हो, तो उन्हें सुधारें और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें ताकि ऐसी त्रुटियों/चूक को रोका जा सके।

1.7 इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनें शामिल

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण अवलोकनों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में संक्षेप में चर्चा की गई है।

"जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या ई-वे बिल तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में प्रभावी था; और क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी थीं।

नीचे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं:

₹39.13 करोड़ (2018-22) के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले 41 ई-वे बिल के लिए, जी.एस.टी.आर.-1 में केवल अभिलेखों की कुल संख्या और बीजक मूल्य शामिल था और नियमों के अनुसार आवश्यक बीजक-वार विवरण प्रदान नहीं किया गया था, जिससे लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने में असमर्थ रही कि इन ई-वे बिल पर करों की सही प्रतिवेदन और भुगतान किया गया था या नहीं। तदनुसार, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ई-वे बिल में उल्लिखित बीजक संबंधित

जी.एस.टी.आर.-1 में शामिल थे और इन ई-वे बिल के लिए करों का भुगतान किया गया था।

(कंडिका 2.1.10)

दो मामलों में, धनबाद नागरीय और जमशेदपुर अंचलों के अंतर्गत आने वाले करदाताओं ने अप्रैल और जुलाई 2018 के बीच 2.20 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य की जावक आपूर्ति के लिए 15 ई-वे बिल (ई.डब्ल्यू.बी.) सृजित किए, जबकि उन्होंने शून्य विवरणियों को दाखिल किया था, जी.एस.टी.एन. और ई-वे बिल पोर्टलों के बीच प्रणाली के सम्बन्ध न होने के कारण ₹ 64.53 लाख रुपये (ब्याज और अर्थदंड सहित) की कर देयता से बचा गया।

(कंडिका 2.1.11.1)

बकाया कर देयता का पता लगाने और उसी पैन पर नए पंजीकरण को स्वतः अस्वीकृति करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी जहां देयता बकाया थी, परिणामस्वरूप ₹ 5.02 लाख की बकाया देयता वाले करदाताओं को समान पैन पर अन्य राज्यों में पुनः पंजीकरण की अनुमति मिली।

(कंडिका 2.1.11.2)

दो अंचलों (धनबाद नागरीय और रामगढ़) के अंतर्गत आने वाले दो करदाताओं ने जी.एस.टी. पंजीकरण रद्द होने की प्रभावी तिथि के बाद ₹ 73.67 लाख के कर योग्य मूल्य से संबंधित 84 ई-वे बिल सृजित किए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.41 लाख (ब्याज और अर्थदंड सहित) के कर का भुगतान नहीं हुआ।

(कंडिका 2.1.11.3)

तीन अंचलों (धनबाद, जमशेदपुर और राँची पश्चिमी) से संबंधित चार करदाताओं ने ₹ 16.63 लाख की कर राशि से जुड़े समान बीजक की सहायता से कई ई-वे बिल सृजित किए थे, यह ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में सत्यापन नियंत्रणों की कमी को दर्शाता है, जो समान बीजक का उपयोग करके एकाधिक ई-वे बिल तैयार करने पर रोक लगा सकती है।

(कंडिका 2.1.11.4)

चयनित 23 करदाताओं में से 19 के आंकड़ा विश्लेषण दर्शाता है कि चार करदाताओं ने ई.डब्ल्यू.बी. सृजित करने की तुलना में जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्तियों की प्रतिवेदित नहीं किया था, छः करदाताओं ने जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्तियों को प्रतिवेदित किया था लेकिन अपने कर देयताओं का भुगतान नहीं किया था और सात करदाताओं के मामले में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. और वास्तविक उपलब्ध आई.टी.सी.

के बीच विसंगति थी। इन मामलों में कर देयता का भुगतान न करने/आई.टी.सी. के गलत दावे के कारण ₹ 343.58 करोड़ (ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 34.90 करोड़) की राशि प्राप्त हुई।

(कंडिका 2.1.11.6)

सात अंचलों (हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पाकुड, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी और साहिबगंज) में समान पैन के अंतर्गत एकाधिक पंजीकरण रखने वाले नौ करदाताओं के अभिलेखों की जांच से छः करदाताओं के संबंध में कर अनुपालन में कमियां पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 2.19 करोड़ की कर देयता बनी, जिसमें ₹ 1.69 लाख का ब्याज और अर्थदंड शामिल है।

(कंडिका 2.1.11.9)

नमूना जांच किए गए चार आई.बी. प्रमंडलों में से तीन में ई.डब्ल्यू.बी. के सत्यापन के लिए समर्पित इकाइयों और गश्ती वाहनों का कोई प्रावधान नहीं था, और सहायक कर्मचारियों की भारी कमी थी।

(कंडिका 2.1.12)

अनुशंसाएँ:

- ***विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जी.एस.टी.आर.-1 में बीजक-वार विवरणों को दर्ज करने के लिए जी.एस.टी.एन. को संबोधित कर सकता है।***
- ***विभाग जी.एस.टी.एन. और एन.आई.सी. से अनुरोध कर सकता है कि वे दोनों पोर्टलों को आपस में जोड़े, ताकि शून्य दाखिलकर्ताओं द्वारा ई-वे बिल सृजित करने के सम्बन्ध मे ई-वे बिल प्रणाली में अधिसूचनाएं/अलर्ट सृजित की जा सके।***
- ***विभाग जी.एस.टी.एन. और एन.आई.सी. को दोनों पोर्टल को आपस में जोड़ने के लिए कह सकता है ताकि विवरणी दाखिल नहीं करने वाले ई-वे बिल बनाने की स्थिति में ई-वे प्रणाली में सूचनाएं/अलर्ट जारी किए जा सकें और जी.एस.टी.एन. प्रणाली को मजबूत किया जा सके ताकि बकाया कर देयता का पता लगाया जा सके और उसी पैन पर नए पंजीकरण को स्वत: अस्वीकार किया जा सके जहाँ पहले के पंजीकरण के विरूद्ध कर देयता बकाया है।***

- ***विभाग उन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल के सृजन को रोकने के लिए सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एन.आई.सी. को संबोधित कर सकता है, जिनका जी.एस.टी. पंजीकरण पहले ही रद्द हो चुका है।***
- ***विभाग समान बीजक के साथ एकाधिक ई-वे बिल सृजन को रोकने के लिए ई-वे बिल पोर्टल को संशोधित करने के लिए एन.आई.सी. से अनुरोध कर सकता है।***
- ***विभाग समुचित अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है कि वे उन करदाताओं के विवरणियों की जांच को प्राथमिकता दें जिनके विवरणियों में आई.टी.सी. का बेमेल दिखाया गया है।***
- ***विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रमुख समस्या क्षेत्रों को आच्छादित करने वाली विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन समय-समय पर तैयार की जाए तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारियों के साथ साझा की जाएं।***
- ***विभाग निवारक कार्य की दक्षता में सुधार के लिए ई-वे बिल विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन के सत्यापन के लिए एक समर्पित दल गठित कर सकता है।***
- ***विभाग यह सुनिश्चित करे कि समुचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कर और अर्थदंड की मांग समय पर करें।***

"जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रकट किए गए आवर्त का अन्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना के साथ तिर्यक जांच" पर लेखापरीक्षा

जाँच ब्यूरो (आई.बी.) द्वारा बाह्य/आंतरिक स्रोतों से सूचना एकत्र करने की निगरानी के लिए विभाग ने कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। आई.बी. के पांच विभागों में से चार विभागों ने 2018-21 के दौरान अन्य बाह्य/आंतरिक स्रोतों से आंकड़ा/सूचना एकत्र करने के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया था।

(कंडिका 3.1.7)

विभाग ने उन 23 करदाताओं की पहचान नहीं की, जिन्होंने अपने आई.टी.आर. में ₹ 95.43 करोड़ रुपये के वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री का खुलासा किया था और इसलिए, वे जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी थे। पंजीकरण न होने के कारण, उनसे लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 31.10 करोड़ तक का कर वसूल नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1.8.1)

10 सी.टी.सी. में 15 करदाताओं के मामले में, जी.एस.टी. विवरणियों की तुलना में आई.टी.आर. के अनुसार ₹ 315.42 करोड़ के कर योग्य आवर्त्त में अंतर था। सी.टी.डी. द्वारा इन करदाताओं का पता नहीं लगाया गया, जिसके कारण लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 103.85 करोड़ का संभावित कर निहितार्थ था।

(कंडिका 3.1.8.2)

तीन करदाताओं को आई.टी.आर. में उनके द्वारा घोषित व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार 12 और 28 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. का भुगतान करना आवश्यक था; हालांकि, इन करदाताओं ने 5, 12 और 18 प्रतिशत की गलत दर पर जी.एस.टी. का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 19.62 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.1.8.3)

तीन सी.टी.सी. में पंजीकृत तीन करदाताओं ने जी.एस.टी.एन. और आई.टी.डी. आंकड़ाकोष के बीच एकीकरण के अभाव के कारण कर योग्य आपूर्तियों को छूट प्राप्त आपूर्तियों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया, जिससे दावा की गई छूटों का संबंधित जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-जांच नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 7.38 करोड़ की कर वसूली में कमी आई।

(कंडिका 3.1.8.4)

अंतर-विभागीय आदान-प्रदान या आंकड़ा के पहुंच और किसी सूचना तंत्र के अभाव में, सी.टी.डी. ने नौ अपंजीकृत करदाताओं की पहचान नहीं की, जो जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी थे, और दो करदाताओं, जिन्हें कार्य संविदा के निष्पादन के बाद पंजीकरण प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.85 करोड़ के जी.एस.टी. का संभावित प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 3.1.9.1)

23 सी.टी.सी. में 96 करदाताओं के मामले में, अन्य केंद्र/राज्य जी.डी. के किए गए कार्य अनुबंधों के निष्पादन से प्राप्त भुगतान की तुलना में जी,एस,टी, विवरणियों में घोषित कर योग्य आवर्त्त के बीच ₹ 355.94 करोड़ का बेमेल था और इसके परिणामस्वरूप उनसे लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 139.15 करोड़ तक का कर संगृहीत नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.1.9.2)

नौ सी.टी.सी. में, 13 करदाताओं ने कार्य संविदा के निष्पादन, खनन सहायता सेवाओं, कोयले के परिवहन, मरम्मत और रखरखाव कार्य आदि में शामिल थे और जे.टी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार 12 और 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। हांलाकि, इन करदाताओं ने 5 और 12 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. को गलत तरीके से लागू करके ₹ 38.46 करोड़ का कर कम चुकाया।

(कंडिका 3.1.9.3)

चार सी.टी.सी. में पंजीकृत चार करदाता कर छूट के पात्र नहीं थे क्योंकि वे कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति में शामिल थे, जिस पर जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के अधीन टी.डी.एस. काटा गया था। हालांकि, इन करदाताओं ने ₹ 27.08 करोड़ की कर योग्य आपूर्तियों पर जी.एस.टी. से गलत छूट का लाभ उठाया था और परिणामस्वरूप लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 9.80 करोड़ के कर का कम भुगतान किया था।

(कंडिका 3.1.9.4)

आई.बी.एम. और सी.टी.डी. के बीच आंकड़ा और सूचना के आदान-प्रदान या पहुंच के लिए प्रणाली के अभाव में, तीन पट्टेदारों ने प्रेषण मात्रा समान होने के बावजूद अलग-अलग आवर्त पर रॉयल्टी और जी.एस.टी. का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप इन करदाताओं द्वारा ₹ 64.53 करोड़ के जी.एस.टी. का कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.1.10)

तीन सी.टी.सी. में पंजीकृत तीन करदाताओं ने ₹ 27.17 करोड़ के आयातित वस्तुओं का कम लेखांकन किया था और परिणामस्वरूप, लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 8.48 करोड़ का आई.जी.एस.टी. भुगतान कम किया गया था।

(कंडिका 3.1.11)

अनुशंसाएँ:

- ***विभाग सूचना विवरणी दाखिल करने के लिए प्रपत्र, तरीके और आवधिकता और बाह्य/आंतरिक स्रोतों से आंकड़ों/सूचना के संग्रहण का अनुश्रवण और उनका जी.एस.टी. विवरणियों के साथ इसके सत्यापन करने के संबंध में तंत्र निर्धारित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।***
- ***विभाग आवर्त, छूट का लाभ उठाने और जी.एस.टी. की सही दर के अनुप्रयोग को सत्यापित करने के लिए आई.टी.डी. और सी.टी.डी. के बीच आंकड़ा/सूचना के***

निर्बाध आदान-प्रदान/पहुंच के लिए एक प्रणाली लागू करने पर विचार कर सकता है।

- ***विभाग फॉर्म जी.एस.टी.आर.-7 में आपूर्ति की गई सेवाओं/वस्तुओं की प्रकृति के संबंध में अतिरिक्त विवरणों को शामिल करने पर विचार कर सकता है ताकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जी.एस.टी. विवरणी में सही जी.एस.टी. दर के अनुप्रयोग का तिर्यक जाँच किया जा सके।***
- ***विभाग राज्य में वृहत खनिज भंडारों को देखते हुए जी.एस.टी. के अधीन कर योग्य आवर्त के सत्यापन के लिए आई.बी.एम. द्वारा घोषित खनिजों के औसत बिक्री मूल्य का लाभ उठाने पर विचार कर सकता है।***

"जी.एस.टी. भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी" पर लेखापरीक्षा

2020-21 के दौरान 10 अंचलों में पहचान की गई 3,675 विवरणी को दाखिल नहीं करने वाले में से केवल 1,698 का पंजीकरण निरस्त किया गया, जिसमें छः से लेकर 1,907 दिनों तक का विलंब हुआ।

चयनित 10 सी.टी.सी. में, समुचित अधिकारियों ने 2020-21 के दौरान 2,066 विलंबित दाखिलकर्ताओं की पहचान की और उन पर ₹ 0.26 करोड़ का ब्याज वसूला गया। हालांकि, विभाग के बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि के दौरान चयनित सी.टी.सी. में कुल 14,047 विलंबित दाखिलकर्ता थे, जिन पर ₹ 21.34 करोड़ का ब्याज देय था। परिणामस्वरूप, ₹ 21.08 करोड़ का ब्याज वसूल नहीं किया गया।

(कंडिका 3.2.6.1)

वर्ष 2020-21 की अवधि में दाखिल किए गए (5,00,785 में से 6,109) विवरणियों में से दो प्रतिशत से भी कम की जांच की गई और ₹ 590.29 करोड़ की बकाया राशि के लिए वसूली कार्यवाही शुरू नहीं की गई। वर्ष 2018-23 के दौरान, विभाग ने 19,421 विवरणियों की जांच की और चयनित 10 सीटीसी में 3,330 मांग आदेश निर्गत किए, जिनमें ₹ 705.01 करोड़ की अतिरिक्त मांग उठाई गई। इसमें से केवल ₹ 114.72 करोड़ की वसूली की गई। हालांकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शेष ₹ 590.29 करोड़ की मांग के संबंध में वसूली कार्यवाही शुरू की जानी आवश्यक थी, लेकिन इन्हें शुरू नहीं किया गया।

(कंडिका 3.2.6.2)

5,140 निरस्त किए गए पंजीकरणों में से 92.67 प्रतिशत करदाताओं ने अंतिम विवरणी (जी.एस.टी.आर.-10) दाखिल नहीं किया। आगे, नमूना-जांच के लिए चुने गए दस में से नौ सी.टी.सी. की जांच में देयता पंजी यह दर्शाता है कि 299 पंजीकरण ₹ 77.55 करोड़ की बकाया देयता को बिना जांच किए रद्द कर दिए गए थे। साथ ही, छः करदाताओं को समान पैन पर पुनः-पंजीकरण देते समय, समुचित अधिकारियों ने उसी पैन पर पहले निरस्त किए गए पंजीकरणों से संबंधित ₹ 11.11 करोड़ की बकाया देयता की जांच नहीं की।

(कंडिका 3.2.6.3)

2019-22 के दौरान, तीन लेखापरीक्षा विभागों में से केवल 107 करदाताओं (0.1 प्रतिशत) को ही वार्षिक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। इनमें से, इस अवधि के दौरान वास्तव में केवल 10 से 14 करदाताओं की ही लेखापरीक्षा पूरी हो सकी थी, जो अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(कंडिका 3.2.6.3)

लेखापरीक्षा ने ₹ 883.80 करोड़ की कुल राशि के आई.टी.सी. और कर देयता में बेमेल के 249 मामलों की पहचान की, जो विभाग द्वारा निपटाई गई सभी विसंगतियों के 83 प्रतिशत से अधिक हैं। प्रमुख विचलनों में कम ब्याज भुगतान, अस्थायी दायित्व, जी.एस.टी.आर.-3B दाखिल न करना और आई.टी.सी. में बेमेल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 90 मामलों में ₹ 13,966.60 करोड़ के कुल आवर्त्त में विसंगति पाई गई, जिनमें से विभाग ने 79 (87.78 प्रतिशत) मामलों में कार्रवाई शुरू की। इन मामलों में से, विभाग ने 81 मामलों में ₹ 205.07 करोड़ की वसूली की या मांग आदेश निर्गत किए और कर देयता/आई.टी.सी. में बेमेल से संबंधित 36 मामलों में ₹ 81.41 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस निर्गत किए गए।

(कंडिका 3.2.7.1)

आठ अंचलों में ₹ 1,820.82 करोड़ से जुड़े 131 मामलों में जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी/9 के बीच आई.टी.सी. में विसंगतियां, असमाशोधन आई.टी.सी., आई.टी.सी. की वापसी, आई.एस.डी. क्रेडिट लाभ में बेमेल, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आई.टी.सी. में बेमेल, पूंजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाया जाना पाया गया।

(कंडिका 3.2.8.3)

2018-21 की अवधि के दौरान ₹ 2,034.31 करोड़ से जुड़े 81 मामलों में जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3B के बीच, खातों की

पुस्तकों और विवरणियों के बीच, कर योग्य आवर्त आदि में कर देयता की विसंगतियां थी।

(कंडिका 3.2.8.4)

अनुशंसाएँ:

- ***विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर निरस्तीकरण प्रक्रिया के निपटान के लिए एक तंत्र तैयार करने पर विचार कर सकता है और समान पैन के विरुद्ध नए पंजीकरण प्रदान करते समय पहले निरस्त किए गए पंजीकरणों के विरुद्ध बकाया देनदारियों के सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।***
- ***विभाग शेष करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने के आकार को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।***
- ***विभाग इस प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी अनुपालन विचलन/असंगतियों के लिए समय कालातीत होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।***

अन्य अवलोकन/कंडिकाएं

परिवहन विभाग

जि.प.का. द्वारा 8,656 परिवहन वाहनों के चूक करने वाले मालिकों से वसूलनीय ₹ 111.24 करोड़ के कर और अर्थदण्ड का संग्रहण नहीं किया गया था।

राज्य में 1,24,436 परिवहन वाहनों की कर वैधता 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई थी। हालाँकि, जि.प.का. ने न तो वाहन एप्लीकेशन से चूककर्ताओं की सूची तैयार की थी और न ही बकाया करों की माँग की थी। परिणामस्वरूप 8,656 परिवहन वाहनों के चूककर्ता मालिकों से मोटर वाहन कर, अर्थदण्ड और हरित कर (12 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए) के ₹ 111.24 करोड़ राशि की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.5)

एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए 8,227 वाहनों के चूक करने वाले मालिकों से वसूलनीय ₹ 21.58 करोड़ का एकमुश्त कर और अर्थदण्ड जि.प.प. द्वारा संग्रहित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.6)

पारस्परिक समझौते के तहत संचालित वाहनों के मालिकों द्वारा कर के भुगतान की निगरानी के लिए तंत्र के अभाव में, 101 सार्वजनिक सेवा वाहनों (अन्य राज्यों) से ₹ 2.39 करोड़ का कर और अर्थदण्ड संग्रहित नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.7)

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियमावलियों की अपर्याप्त मानचित्रण के परिणामस्वरूप मई 2019 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए 5,273 परिवहन वाहनों (12 साल से अधिक पुराने) के मालिकों से वसूलनीय ₹ 1.58 करोड़ का हरित कर का गैर उदग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.8)

अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान 866 वाहनों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 22.09 करोड़ का एकमुश्त कर और अर्थदण्ड की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.9)

विभाग के द्वारा अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान परिवहन वाहनों के संबंध में निर्गत 92,481 अस्थायी पंजीकरण के विरूद्ध ₹ 4.86 करोड़ की राशि के राजस्व का नुकसान हुआ।

(कंडिका 3.10)

करों के विलंबित भुगतान पर एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर में दंड लगाने के प्रावधान के गलत मानचित्रण के परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 2.93 करोड़ के अर्थदण्ड का गैर/कम उदग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.11)

संशोधित कर दरों को क्रियान्वित करने में कर प्राधिकारियों की ओर से उचित तत्परता के अभाव के परिणामस्वरूप 31 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2022 के दौरान नमूना जाँचित 778 वाहनों के मालिकों से ₹ 2.51 करोड़ की करों की कम उदग्रहण और संग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.12)

परिवहन वाहनों के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की चलन अवधि के दौरान अनुवर्ती प्राधिकरण नहीं किया गया था, जिसके कारण 2018 और 2022 के बीच की अवधि के दौरान 865 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारकों से ₹ 3.98 करोड़ की समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क की गैर वसूली हुई।

(कंडिका 3.13)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने और अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप 10 फरवरी 2021 तक 38 कंपनियों के पास पड़े भारतीय निर्मित विदेशी शराब के प्रारंभिक स्कन्ध पर ₹ 1.07 करोड़ की राशि पर अंतर उत्पाद शुल्क की गैर वसूली हुई।

(कंडिका 3.16)

विभाग ने न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (₹ 2.42 करोड़) और उत्पाद शुल्क परिवहन शुल्क (₹ 43.85 करोड़) के विलंबित भुगतान पर क्रमशः ₹ 13.52 करोड़ और ₹ 10 करोड़ का विलंब शुल्क का उदग्रहण नहीं किया। पुनः, न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क के ₹86.06 लाख और उत्पाद परिवहन शुल्क के ₹ 3.52 लाख बकाया रहे।

(कंडिका 3.17)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

भू-राजस्व

2019-20 और 2022-23 के दौरान क्रियान्वित 21 भूमि अधिग्रहण योजनाओं में से छह में, विभाग ने मुआवजे की राशि के निर्धारित पाँच प्रतिशत के बजाय 2.5 प्रतिशत की दर से स्थापना शुल्क का उदग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ की राशि के स्थापना शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.20)

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय ।।

वाणिज्य कर विभाग

2.1. जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1.1 ई-वे बिल का परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' के प्रतिमान के आधार पर अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। जी.एस.टी. व्यवस्था का एक उद्देश्य प्रक्रिया-संबंधी समय के विलंब को कम करके वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही की दक्षता में सुधार करना था।

सरकार की ई-वे बिल प्रणाली शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजस्व की सुरक्षा करना है। ई-वे बिल वस्तु की आवाजाही के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है और इसे वस्तु की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वचालन और मानकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य कर अपवंचना पर अंकुश लगाने और जी.एस.टी. संग्रह को बढ़ाने में मदद करना था।

ई-वे बिल को 1 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य वाले सभी वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय आवाजाही के लिए लागू किया गया था। सितंबर 2018 में निर्गत अधिसूचना (26.9.2018 से प्रभावी) के अनुसार, वस्तुओं के राज्यान्तर्गत आवाजाही के संबंध में अधिसूचना[5] की क्रम संख्या i से xii में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर जहां प्रेषित वस्तु का मूल्य ₹ एक लाख से अधिक है वहां ई-वे बिल की आवश्यकता होगी।

2.1.2 ई-वे बिल के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियाँ

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा किया जाता है। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर, ई-वे बिल के सृजन, विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के उद्देश्य से करदाता का एक बार पंजीकरण आवश्यक है।

---

[5] लोहा और इस्पात, स्पंज आयरन, कोयला (सभी रूपों में कोक सहित), मोटर पार्ट्स, सभी प्रकार के खाद्य तेल, तंबाकू/तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, गुटखा और पान मसाला, लौह अयस्क, लौह और अलौह धातु और उसके स्क्रैप, सीमेंट, टाइलें, संगमरमर और ग्रेनाइट, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, सभी प्रकार के प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, फ्लश दरवाजे, सजावटी और लेमिनेटेड शीट।

समुचित अधिकारी[6] दो माध्यमों से ई-वे बिल पोर्टल तक पहुंच सकते हैं: (i) दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में लॉग इन करना या (ii) जी.एस.टी. ई-वे बिल प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन करना। समुचित अधिकारी द्वारा ई-वे बिल का सत्यापन, ई-वे बिल को अनब्लॉक करना, एम.आई.एस. प्रतिवेदन देखना और उन तक पहुंचना आदि किए जाने वाले कार्य हैं।

2.1.3 ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएँ

झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (समय-समय पर संशोधित) का नियम 138 में ई-वे बिल के तंत्र का प्रावधान है। ई-वे बिल प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल का सृजन, विस्तार, निरस्तीकरण और सृजित ई-वे बिल की अस्वीकृति आदि। जी.एस.टी. के अधीन ई-वे बिल प्रणाली की संपूर्ण प्रक्रिया प्रवाह को **चित्र 1** में दर्शाया गया है।

[6] समुचित अधिकारी वह अधिकारी है जिसे जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन कोई कार्य सौंपा गया है।

चित्र 1: ई-वे बिल तंत्र - प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

2.1.4 विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

झारखण्ड राज्य के करदाताओं के संबंध में वाणिज्य कर विभाग (सी.टी.डी.), झारखण्ड राज्य को आवंटित जे.जी.एस.टी. अधिनियम और जे.जी.एस.टी. नियमावलियों को प्रशासित कर रहा है। राज्य कर आयुक्त जी.एस.टी. अधिनियम और नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है और उसे एक अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्तों, उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1

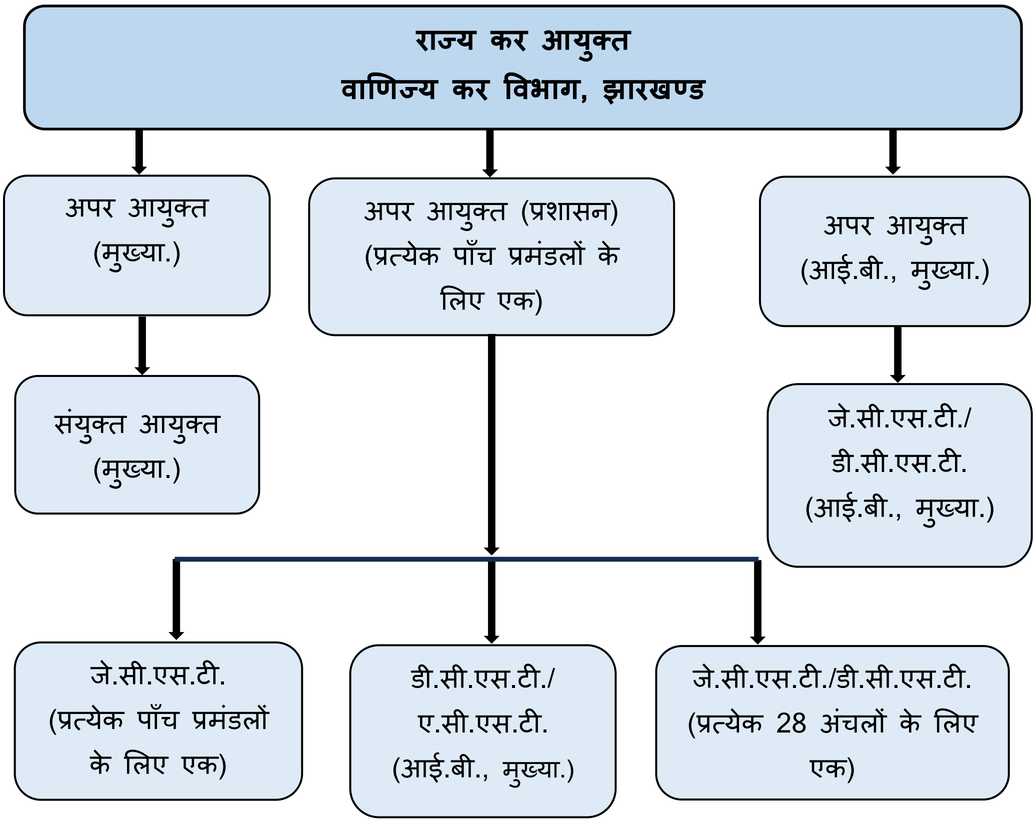

राज्य को पाँच राज्य कर प्रमंडलों[7] में विभाजित किया गया है, प्रत्येक अपर आयुक्त (प्रशासन) के अंतर्गत प्रभार में है और संयुक्त राज्य कर आयुक्त (जे.सी.एस.टी.) प्रत्येक 28 वाणिज्य कर अंचलों[8] (सी.टी.सी.) के अंतर्गत प्रभार में है। अंचलों का जे.सी.एस.टी., जो सर्वेक्षण करने के अलावा सरकार को बकाया कर उगाही और संग्रह करने के लिए

[7] धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

[8] आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

उत्तरदायी है, को राज्य कर के उप/सहायक आयुक्त (डी.सी.एस.टी./ए.सी.एस.टी.)/राज्य कर पदाधिकारी (एस.टी.ओ.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अपर राज्य कर आयुक्त (प्रशासन) की सहायता के लिए एक डी.सी.एस.टी., जाँच ब्यूरो (आई.बी.) प्रत्येक प्रमंडल में नियुक्त किया जाता है और करदाताओं के गोदाम या गोदाम का निरीक्षण, वस्तु या दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती, आवाजाही वस्तुओं का निरीक्षण, जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, इसके अलावा आंतरिक/बाहय स्रोतों से आंकड़ा संग्रह करना और उसका तिर्यक जांच करना है।

2.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया था:

1. क्या ई-वे बिल तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में प्रभावी है; और
2. क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी हैं।

2.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

जी.एस.टी. के अधीन ई-वे बिल प्रणाली पर नि.ले.प. का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार किया गया है:

- » झारखण्ड वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जे.जी.एस.टी. अधिनियम)
- » झारखण्ड वस्तु और सेवा कर नियमावली, 2017 (जे.जी.एस.टी. नियमावली)
- » जी.एस.टी. परिषद द्वारा अधिकृत और सी.बी.आई.सी./सी.टी.डी. द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/निर्देश।
- » एन.आई.सी., सी.बी.आई.सी./सी.टी.डी. द्वारा निर्गत सलाह/मानक संचालन प्रक्रियाएं।

2.1.7 लेखापरीक्षा क्षेत्र

ई-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के ई-वे बिल लेनदेन को 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित नि.ले.प. में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में जी.एस.टी. शासन में ई-वे बिल प्रणाली के समस्त निष्पादन की जाँच की। लेखापरीक्षा अवधि के लिए ई-वे बिल आंकड़ा (सृजित) जी.एस.टी.एन. से निकाला गया और उसका विश्लेषण किया गया। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग द्वारा वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया है और

रेलवे/वायु मार्ग/समुद्री मार्ग के ई-वे बिल को इस लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में ई-वे बिल के संदर्भ में विभाग के निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों का अवरोधन, दस्तावेजों का सत्यापन, वस्तुओं का निरीक्षण और उस पर की गई कार्रवाई।

2.1.8 लेखापरीक्षा नमूनाकरण पद्धति

इस नि.ले.प. के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया है क्योंकि जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल का सृजन, सीमा के अधीन वस्तु की किसी भी आवाजाही से पहले एक आवश्यक शर्त है।

पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों (के.पी.ए.)/जोखिम आयामों के आधार पर लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 (ए.ओ.-1) के नमूनों को विकसित किया गया था। सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति में बाधा डालने वाले प्रमुख समस्या क्षेत्रों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दिया गया है। तदनुसार, पांच अंचलों[9] में 23 करदाताओं से संबंधित 80 ई-वे बिल और सात अंचलों[10] में आठ करदाताओं से संबंधित तिर्यक-पैन के नौ ई-वे बिल को ए.ओ.-1 के लिए विस्तृत जांच के लिए चुना गया। जहां भी चयनित नमूने में विसंगतियां देखी गईं, अनुपालन सत्यापित करने के लिए इन करदाताओं द्वारा सृजित सभी ई-वे बिलों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 (ए.ओ.-2) ने प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं जैसे परिचालन संबंधी तैयारी, अपवंचना के विरुद्ध उपायों की प्रभावशीलता और अंतर-विभागीय और विभागीय समन्वय का मूल्यांकन किया। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, विभाग द्वारा सत्यापित ई-वे बिल की माध्यिका संख्या के आधार पर आई.बी. प्रमंडलों को दो स्तरों में विभाजित किया गया। प्रत्येक स्तर से, 50 प्रतिशत आई.बी. को स्तरीकृत नमूना पद्धति के आधार पर नमूने के रूप में लिया गया था। तदनुसार, छः[11] आई.बी. प्रमंडलों में से चार[12] का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित आई.बी. प्रमंडलों में विस्तृत जांच के लिए 50 मामले (अवरोधन और दाखिल किए गए जी.एस.टी. ई.डब्ल्यू.बी.-03 के भाग-बी) का चयन किया गया था।

---

[9] धनबाद, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, रामगढ और राँची पश्चिमी।

[10] हज़ारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पाकुड़, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी और साहिबगंज।

[11] धनबाद, हजारीबाग, मुख्यालय, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना।

[12] धनबाद, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना।

2.1.9 अभिस्वीकृति

इस नि.ले.प. का प्रवेश सम्मेलन 15 फरवरी 2023 को आयुक्त, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार के साथ आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। 06 जून 2024 को सचिव, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार और प्रारूप प्रतिवेदन पर लिखित जवाबों को प्रासंगिक कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान वाणिज्य कर विभाग और क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

2.1.10 जी.एस.टी.आर.-1 में वस्तुओं की जावक आपूर्ति का विवरण शामिल न करने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

जे.जी.एस.टी. नियमावलियों के नियम 59(1) के साथ पठित नियम 59(4)(ए) अनुसार, प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-1 में प्रस्तुत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के विवरण में पंजीकृत व्यक्तियों को की गई सभी अन्तर्राज्यीय और राज्यान्तर्गत आपूर्ति का बीजक-वार विवरण शामिल होगा; और अपंजीकृत व्यक्ति को की गई दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक बीजक मूल्य की अन्तर्राज्यीय आपूर्तियां भी शामिल होगी।

लेखापरीक्षा ने चयनित 89 ई-वे बिल (तिर्यक-पैन के नौ ई-वे बिल सहित) के विवरण को संबंधित जी.एस.टी.आर.-1 के साथ तिर्यक जांच किया। लेखापरीक्षा ने 48 ई-वे बिल में देखा कि करदाताओं ने या तो शून्य विवरणी दाखिल किया/विवरणी दाखिल नहीं किया या उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और आवक आपूर्ति आदि थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि शेष 41 ई-वे बिल जिनका मूल्यांकन योग्य मूल्य 2018-22 की अवधि के लिए ₹39.13 करोड़ था, उनके जी.एस.टी.आर.-1 में केवल अभिलेखों की संख्या और कुल बीजक मूल्य ही शामिल था। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिल के बीजक-वार विवरण को दर्ज करने के लिए नियमावली के प्रावधानों को जी.एस.टी.आर.-1 में मानचित्रण नहीं किया गया था। इस प्रकार, अपूर्ण जी.एस.टी.आर.-1 के कारण, जिसमें अपर्याप्त अभिलेख शामिल हैं, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ई-वे बिल में उल्लिखित बीजक संबंधित जी.एस.टी.आर.-1 में शामिल थे और इन 41 ई-वे बिल के लिए करों का भुगतान किया गया था।

अनुशंसा संख्या 1:
विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जी.एस.टी.आर.-1 में बीजक-वार विवरणों को दर्ज करने के लिए जी.एस.टी.एन. को संबोधित कर सकता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल तंत्र का मूल्यांकन किया और ई-वे बिल प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता से संबंधित कमियों को देखा। अनुपालन के मुद्दे, अधिनियम और नियमावलियों के प्रावधानों का उल्लंघन, विचलन और परिणामी राजस्व के रिसाव को प्रमुखता से दर्शाते हैं। नमूना-जांचित 31 करदाताओं[13] के संबंध में देखी गई विभिन्न प्रणाली और अनुपालन संबंधी समस्याएं तथा विभाग के प्रवर्तन कार्यों में देखी गई कमियों को प्रतिवेदन के आगामी कंडिकाओं में शामिल की गई हैं।

2.1.11 राजस्व के संरक्षण में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता

ई-वे बिल वस्तु की आवाजाही के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है और इसे वस्तु की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए रचना किया गया है। जावक आपूर्तियों के लिए सृजित ई-वे बिल बीजक द्वारा समर्थित होते हैं और बीजक का विवरण जी.एस.टी. विवरणियों में प्रतिवेदित करना आवश्यक होता है।

राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं की कुल संख्या और 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान जावक आपूर्ति के लिए सृजित ई-वे बिल की कुल संख्या **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: 2018-22 की अवधि के लिए करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिल की कुल संख्या

वर्ष	जावक आपूर्ति	
	करदाताओं की संख्या	सृजित सृजित ई-वे बिल की संख्या
2018-19	69,814	83,25,090
2019-20	70,415	1,03,45,991
2020-21	79,365	1,02,92,045
2021-22	81,364	1,27,42,993
कुल		**4,17,06,119**

स्रोत: जी.एस.टी.एन. और वाणिज्य कर विभाग झारखण्ड से आंकड़े।

[13] 80 ई-वे बिल के मामले में 23 विशिष्ट करदाता थे तथा नौ ई-वे बिल के मामले में आठ विशिष्ट करदाता थे।

लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने मूलभूत लेखापरीक्षा[14] के लिए 31 करदाताओं का चयन किया। नीचे दी गई **तालिका 2.2** में नमूना मामलों की विस्तृत जांच के दौरान देखी गई कमियों और परिणामी राजस्व प्रभाव की सीमा को दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: नमूना मामलों में अवलोकनों का विवरण

क्र. स.	अवलोकन की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	शून्य दाखिलकर्ता के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान	02	0.65*
2.	दाखिल नहीं किये जाने के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान	01	0.05*
3.	पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान	02	0.15*
4.	समान बीजक पर एकाधिक ई-वे बिल का सृजन	04	--
5.	वैधता अवधि की समाप्ति से 8 घंटे बाद ई-वे बिल का विस्तार	02	--
6.	जी.एस.टी.आर.-1 में जावक आपूर्तियों को प्रतिवेदित न करना तथा कर देयताओं का भुगतान न करना।	04	101.16*
7.	जी.एस.टी.आर.-1 में जावक आपूर्ति को प्रतिवेदित करना, लेकिन अपनी कर देयता का भुगतान करने में विफल रहे।	06	52.20*
8.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल होना।	07	190.22
9.	जावक आपूर्तियों के लिए ई-वे बिल सृजित नहीं करना।	01	0.01
10.	वस्तूओं की आवाजाही के बिना गलत तरीके से आई.टी.सी. पारित करना।	02	0.28
कुल		**31**	**344.72**

* इसमें ब्याज और अर्थदंड भी शामिल है।

लेखापरीक्षा परिणाम 31 चयनित करदाताओं के नमूने से संबंधित हैं, जिन पर निम्नलिखित कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.1.11.1 शून्य दाखिलकर्ता के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा

[14] मूलभूत लेखापरीक्षा ऐसे मामले हैं जिनमें कारण विश्लेषण और वर्तमान घटनाक्रम का पता लगाने के लिए विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

जांच की जानी चाहिए और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने दो मामलों में देखा, कि धनबाद नागरीय और जमशेदपुर अंचलों के अंतर्गत आने वाले करदाताओं ने अप्रैल और जुलाई 2018 के बीच ₹ 2.20 करोड़ के कर योग्य मूल्य की जावक आपूर्तियों के लिए 15 ई-वे बिल सृजित किए। आगे करदाताओं द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर. 3बी के सत्यापन पर, यह देखा गया कि करदाता ने उस अवधि के लिए शून्य विवरण दाखिल किया था और बाद की अवधि के लिए विवरणियों को दाखिल नहीं किया था। तथापि, ई-वे बिलों के अनुसार, इन करदाताओं पर ₹ 64.53 लाख (ब्याज और अर्थदंड सहित) की कर देयता थी **(परिशिष्ट-II)**। लेखापरीक्षा ने देखा कि, जी.एस.टी.एन. और ई-वे बिल प्रणाली के बीच पर्याप्त संबंध न होने के कारण, जी.एस.टी.एन. ने कर देयता की स्वतः गणना करने के लिए जावक ई-वे बिलों का विवरण दर्ज नहीं किया, जिससे करदाताओं को जी.एस.टी.आर.-1 में शून्य कर देयता घोषित करके शून्य विवरण दाखिल करने की अनुमति मिल गई। कर अपवंचना का पता लगाने के लिए समुचित अधिकारियों ने ई-वे बिल प्रणाली के साथ करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी का तिर्यक जांच भी नहीं किया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि दोनों करदाताओं (15 मामले) के लिए डी.आर.सी.-07[15] अंचलों द्वारा निर्गत किया गया था।

उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

जमशेदपुर सी.टी.सी. के अंतर्गत एक करदाता (2XXXXXXXXXXXXU) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2023), कि 2018-19 के दौरान ₹219.29 लाख के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले 14 ई-वे बिल सृजित किए गए थे इनमें ई-वे बिल पर देय कर की राशि ₹64.38 लाख (ब्याज और अर्थदंड सहित) थी। लेकिन करदाता ने संबंधित कर अवधि के दौरान कोई विवरणी को दाखिल नहीं किया था। मामले की सूचना सरकार/विभाग को प्रतिवेदित की गई (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि डी.आर.सी.-07 जारी कर दिया गया था। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

[15] समुचित अधिकारी द्वारा जारी आदेश का सारांश, जी.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यह कर योग्य व्यक्ति द्वारा कर की राशि, ब्याज या अर्थदंड की राशि निर्दिष्ट करता है।

अनुशंसा संख्या 2:
विभाग जी.एस.टी.एन. और एन.आई.सी. से अनुरोध कर सकता है कि वे दोनों पोर्टलों को आपस में जोड़े, ताकि शून्य दाखिलकर्ताओं द्वारा ई-वे बिल सृजित करने के सम्बन्ध में ई-वे बिल प्रणाली में अधिसूचनाएं/अलर्ट सृजित की जा सके।

2.1.11.2 दाखिल नहीं किये जाने के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 39(1) के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके भाग के लिए, निर्धारित प्रारूप और तरीके से, वस्तु या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्तियों, प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, देय कर, भुगतान किए गए कर और ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे कैलेंडर माह या उसके भाग के बाद आने वाले महीने के बीसवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, जहां कोई कर देय व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है; लेकिन जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वहां समुचित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर ऐसे कर देय व्यक्ति की कर देयता का आकलन कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि धनबाद अंचल के अंतर्गत एक पंजीकृत करदाता ने अप्रैल 2019 के महीने के लिए ₹ 19.25 लाख की कर योग्य मूल्य की जावक आपूर्तियों के लिए तीन ई-वे बिल सृजित किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाताओं ने उपर्युक्त अवधि के लिए विवरण दाखिल नहीं किया था और करदाता का पंजीकरण भी ₹ 5.02 लाख (ब्याज और अर्थदंड सहित) की बकाया देयता होने के बावजूद 04 मई 2019 को समुचित अधिकारी द्वारा स्वतः रद्द कर दिया गया था। आगे की जांच में, यह देखा गया कि जी.एस.टी.एन. ने बकाया कर देयता को नहीं पकड़ा और अन्य राज्यों में समान पैन पर करदाताओं के पुन: पंजीकरण की अनुमति दे दी **(परिशिष्ट-III)**। यह पाया गया कि बकाया कर देयता का पता लगाने और समान पैन पर नए पंजीकरण के स्वतः अस्वीकृति करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी, जहां देयता बकाया थी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त करदातावार

अद्यतन प्रतिक्रिया संकलित की जा रही है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 3:

विभाग जी.एस.टी.एन. और एन.आई.सी. को दोनों पोर्टलों को आपस में जोड़ने के लिए कह सकता है ताकि विवरणी दाखिल नहीं करने वाले ई-वे बिल बनाने की स्थिति में ई-वे बिल प्रणाली में सूचनाएं/अलर्ट जारी किए जा सकें और जी.एस.टी.एन. प्रणाली को मजबूत किया जा सके ताकि बकाया कर देयता का पता लगाया जा सके और उसी पैन पर नए पंजीकरण को स्वतः अस्वीकार किया जा सके जहां पहले के पंजीकरण के विरुद्ध कर देयता बकाया है।

2.1.11.3 पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, यदि किसी करदेय व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है; लेकिन वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, तो समुचित अधिकारी अपने सर्वोतम निर्णय के अनुसार ऐसे करदेय व्यक्ति की कर देयता का आकलन कर सकता है। जिस करदाता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, वह ई-वे बिल सृजित नहीं कर सकता, क्योंकि वह विवरणी दाखिल किए बिना ही आई.टी.सी. पारित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो अंचलों[16] के अंतर्गत आने वाले दो करदाताओं ने ₹ 73.67 लाख के कर योग्य मूल्य के 84 ई-वे बिल सृजित किए थे। हालांकि, यह भी देखा गया कि ये ई-वे बिल जी.एस.टी. पंजीकरण रद्द होने की प्रभावी तिथि के बाद सृजित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.41 लाख (ब्याज और अर्थदंड सहित) कर का भुगतान नहीं हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि जी.एस.टी.एन. और ई-वे बिल प्रणाली के बीच पर्याप्त संबंध के अभाव में, प्रणाली में कोई जांच और नियंत्रण उपाय नहीं थे और पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद भी ई-वे बिल सृजित करने की अनुमति दी गई, जो धोखाधड़ी या नकली लेनदेन के जोखिम से भरा था **(परिशिष्ट-IV)**।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि एक करदाता (16 मामले) के लिए डी.आर.सी.-07

[16] धनबाद नागरीय और रामगढ़।

निर्गत किया गया था और एक करदाता (68 मामले) के लिए निलामपत्रवाद[17] मामला निर्गत किया गया था।

अनुशंसा संख्या 4:
विभाग उन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल के सृजन को रोकने के लिए सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एन.आई.सी. को संबोधित कर सकता है, जिनका जी.एस.टी. पंजीकरण पहले ही रद्द हो चुका है।

2.1.11.4 समान बीजक पर एकाधिक ई-वे बिल का सृजन

जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 46(बी) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर बीजक निर्गत किया जाएगा जिसमें लगातार क्रम संख्या युक्त होगा, जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं होगा और एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय होगा। एन.आई.सी. द्वारा निर्गत उपयोगकर्ता नियमावली की कंडिका 5.1 के अनुसार, ई-वे बिल सृजित करते समय करदाता को प्रेषित वस्तु से संबंधित दस्तावेज़ संख्या दर्ज करनी होगी। दर्ज किया गया दस्तावेज़ क्रमांक अद्वितीय होना चाहिए। बीजक संख्या आपूर्तियों से संबंधित प्रेषित वस्तु के संबंध में दस्तावेज़ संख्या होती है। इस प्रकार, प्रत्येक अद्वितीय बीजक संख्या के आधार पर केवल एक ई-वे बिल सृजित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार मामलों में, तीन अंचलों[18] से संबंधित करदाताओं ने समान बीजक की सहायता से ₹ 16.63 लाख कर राशि के एकाधिक ई-वे बिल सृजित किए थे। यह ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी को दर्शाता है जो समान बीजक का उपयोग करके एकाधिक ई-वे बिल के सृजन पर रोक लगा सकती है। हालांकि, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या करदाताओं ने जी.एस.टी.आर.-1 में आपूर्ति के बीजक-वार विवरण के अभाव में अपने विवरणी में सभी प्रेषित वस्तुओं को प्रतिवेदित किया था या केवल एक या शून्य प्रेषित वस्तुओं को प्रतिवेदित किया था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक करदाता (08 मामले) के लिए डी.आर.सी.-07 जारी किया गया था। तीन करदाताओं (03 मामले) के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनके लिए विभाग ने कहा (जून 2024) कि उत्तर संकलित किए जा रहे हैं

[17] निलामपत्रवाद मामला से तात्पर्य बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 (बी.ओ.पी.डी.आर. अधिनियम) के अधीन बकाया राशि (जैसे कर, भू-राजस्व आदि) की वसूली के लिए शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया से है।

[18] धनबाद, जमशेदपुर और राँची पश्चिमी।

और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 5:
विभाग समान बीजक के साथ एकाधिक ई-वे बिल सृजन को रोकने के लिए ई-वे बिल पोर्टल को संशोधित करने के लिए एन.आई.सी. से अनुरोध कर सकता है।

2.1.11.5 वैधता अवधि की समाप्ति से आठ घंटे के बाद ई-वे बिल का विस्तार

जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 138(10) के अधीन प्रावधान के अनुसार, ई-वे बिल की वैधता इसकी समाप्ति के समय से आठ घंटे[19] के भीतर उन परिस्थितियों में विस्तार दी जा सकती है, जिनमें वस्तु को वैधता अवधि के भीतर परिवहन नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि धनबाद और राँची पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आने वाले दो करदाताओं के मामले में, ई-वे बिल की वैधता उसकी समाप्ति के आठ घंटे बाद बढ़ा दी गई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि ई-वे बिल पोर्टल में ई-वे बिल की वैधता समाप्ति से निर्धारित समय सीमा के बाद इसके विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक वैधता नियंत्रण उपलब्ध नहीं हैं।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि उत्तर संकलित किए जा रहे हैं और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

2.1.11.6 जी.एस.टी. विवरणियों में ई-वे बिल लेनदेन को प्रतिवेदित न करना/कर देयता का चुकाया नहीं जाना

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों का विवरण जी.एस.टी.आर.-1 में प्रस्तुत करना होगा, और उस पर कर देयता का भुगतान जी.एस.टी.आर.-3बी में करना होगा। जिन करदाताओं ने कंपोजिशन लेवी योजना का विकल्प चुना है, उन्हें जी.एस.टी.आर.-4/ जी.एस.टी.-सी.एम.पी.-08 में कर का भुगतान करना होगा। आगे, जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10(2)(बी) के अधीन, यदि कोई करदाता वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय

[19] अधिसूचना संख्या 31/2019-सी.टी., दिनांक 28.06-2019 द्वारा सम्मिलित।

जावक आपूर्तियों करता है, तो वह कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, वस्तुओं का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर तथा अन्य निर्धारित विवरण दर्शाते हुए एक कर बीजक निर्गत करेगा।

जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 138 में प्रावधान है कि ई-वे बिल सृजित करने के लिए, वस्तु की आवाजाही करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को उक्त प्रेषित वस्तु से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी। एन.आई.सी. द्वारा जारी उपयोगकर्ता नियमावली के पैरा 5.1 के अनुसार, ई-वे बिल सृजित करते समय करदाता को प्रेषित वस्तु से संबंधित दस्तावेज़ संख्या दर्ज करनी होगी। दर्ज किया गया दस्तावेज़ नंबर अद्वितीय होना चाहिए। बीजक संख्या, आपूर्ति से संबंधित प्रेषित वस्तु के संबंध में दस्तावेज़ संख्या है। इसलिए, प्रत्येक बीजक के आधार पर केवल एक ई-वे बिल सृजित करना आवश्यक है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स (आई.टी.सी.) क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। आगे, उक्त धारा की उप-धारा 2(ई) के अनुसार, आई.टी.सी. का दावा इस शर्त के अधीन है कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाया गया कर वास्तव में सरकार को चुकाया गया हो।

चयनित 23 करदाताओं में से 19 के आंकड़ा विश्लेषण दर्शाता है कि चार करदाताओं ने जावक आपूर्तियों को जी.एस.टी.आर.1 में प्रतिवेदित करने में विफल रहे और उन्होंने अपनी कर देयताओं का भुगतान नहीं किया, छः करदाताओं ने जावक आपूर्तियों को जी.एस.टी.आर.1 में प्रतिवेदित किया था, लेकिन वे अपनी कर देयताओं का भुगतान करने में विफल रहे और सात करदाताओं के मामले में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. और वास्तविक उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच विसंगति थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि जी.एस.टी.एन. और ई-वे बिल प्रणाली के बीच अपर्याप्त संबंध के कारण, जी.एस.टी.एन. जी.एस.टी.आर.1 में विवरण दाखिल न करने या अनियमित रूप से दाखिल करने के कारण कर देयता का नहीं चुकाना/आई.टी.सी. के गलत दावे का पता नहीं लगा सका। इन मामलों में कर देयता का नहीं चुकाना/आई.टी.सी. के गलत दावे की राशि

₹343.58 करोड़ (ब्याज और ₹34.90 करोड़ के अर्थदंड सहित) थी। इनकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

(क) जी.एस.टी.आर.-1 में जावक आपूर्तियों को प्रतिवेदित न करना तथा कर देयताओं का चुकाया नहीं जाना।

चार करदाताओं के मामले में, लेखापरीक्षा ने इन करदाताओं के एम.आई.एस. आंकड़ा (करदाता द्वारा सृजित मासिक जावक ई-वे बिल) की तुलना लेखापरीक्षा की अवधि को आच्छादित करने वाले जी.एस.टी.आर.1 के साथ की ताकि यह पता लगाया जा सके कि विवरणी में सभी ई-वे बिल लेनदेनों को प्रतिवेदित किया गया है और कर देयता तदनुसार चुकाई गई है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाताओं ने जी.एस.टी.आर. 1 में ₹ 507.43 करोड़ की करदेयता घोषित की थी, जबकि ₹ 4,102.70 करोड़ की जावक आपूर्तियों के लिए सृजित ई.डब्ल्यू.बी. के एम.आई.एस. आंकड़ा पर ₹ 588.97 करोड़ की कर देयता थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 101.16 करोड़ (ब्याज और अर्थदंड ₹ 19.61 करोड़ सहित) की कर देयता का कम भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि जी.एस.टी.एन. पोर्टल ने करदेयता की स्वचालित गणना करने के लिए करदाताओं द्वारा जावक आपूर्ति के लिए सृजित ई-वे बिल का विवरण नहीं पकड़ा।

मामला सरकार/विभाग को (जनवरी 2024) में प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक करदाता (01 मामला) के लिए डी.आर.सी.-07 निर्गत किया गया है, एक करदाता (03 मामले) के लिए एस.सी.एन./डी.आर.सी.-01ए[20] निर्गत किया गया है, एक करदाता (02 मामले) के लिए ए.एस.एम.टी.-10[21] निर्गत किया गया है और एक करदाता (03 मामले) के संबंध में विभाग ने कहा (जून 2024) कि उत्तर संकलित किए जा रहे हैं और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

जमशेदपुर सी.टी.सी. के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (2XXXXXXXXXXXXG) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2023), कि करदाता ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 61,584 ई-वे बिल सृजित किए थे। इन आपूर्तियों का कुल मूल्यांकन योग्य मूल्य ₹ 3,759.39 करोड़ था और कर देय राशि ₹ 554.97 करोड़ थी। करदाता द्वारा घोषित जी.एस.टी.आर.1 के अनुसार देयता ₹ 481.05 करोड़ थी।

[20] देय कर की सूचना/कारण बताओ नोटिस का सारांश।

[21] जांच के बाद विवरणी में विसंगतियों को सूचित करने के लिए सूचना।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 73.92 करोड़ की करदेयता कम घोषित हुई। मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एस.सी.एन./डी.आर.सी.-01ए निर्गत कर दिया गया है।

(ख) जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्ति को प्रतिवेदित करना लेकिन करदेयता को पुरी तरह से नहीं चुकाना

मूलभूत लेखापरीक्षा के दौरान, तीन अंचलों[22] से संबंधित छः करदाताओं के अभिलेखों की जांच की गई और यह देखा गया कि जी.एस.टी.आर.1/जी.एस.टी.आर.9 में करदाताओं द्वारा घोषित करदेयता और लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान चुकाई गई वास्तविक देयता के बीच विसंगतियां थीं, जिससे संकेत मिलता है कि इन करदाताओं ने अपनी करदेयता को कम चुकाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52.20 करोड़ (ब्याज और अर्थदंड ₹ 15.29 करोड़ सहित) की करदेयता का कम भुगतान हुआ।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक करदाता (01 मामला) के लिए डी.आर.सी.-07 निर्गत किया गया था, एक करदाता (01 मामला) के लिए एस.सी.एन./डी.आर.सी.-01ए निर्गत किया गया था, एक करदाता (01 मामला) के लिए ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत किया गया था। तीन करदाताओं (07 मामले) के संबंध में विभाग ने कहा (जून 2024) कि उत्तर संकलित किए जा रहे हैं और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

(ग) इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल

मूलभूत लेखापरीक्षा के दौरान, तीन अंचलों[23] से संबंधित सात अद्वितीय करदाताओं की जांच की गई और यह देखा गया कि करदाताओं द्वारा आई.टी.सी. प्राप्त लाभ और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपलब्ध वास्तविक आई.टी.सी. के बीच विसंगतियाँ थीं, जो इंगित करता है कि ₹ 190.22 करोड़ की आई.टी.सी. में बेमेल थी।

- राँची पश्चिमी सी.टी.सी. के अंतर्गत पंजीकृत दो करदाताओं के मामले में, यह देखा गया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के अधीन भुगतान की गई आई.टी.सी. ₹ 1,636.14 करोड़ थी, जबकि ₹ 1,798.29 करोड़ की आई.टी.सी. प्राप्त लाभ थी,

[22] जमशेदपुर, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

[23] जमशेदपुर, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

जिसके परिणामस्वरूप आर.सी.एम. के अधीन ₹ 162.15 करोड़ की आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाया गया।

- दो[24] सी.टी.सी. के अंतर्गत पंजीकृत तीन करदाताओं के मामले में, यह देखा गया कि इनपुट सेवा वितरक (आई.एस.डी.) के अधीन प्राप्त आई.टी.सी. ₹ 28.46 करोड़ थी, जबकि जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 2.84 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आई.एस.डी. के अधीन ₹ 25.62 करोड़ की आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाया गया।
- तीन[25] सी.टी.सी. के अंतर्गत पंजीकृत तीन करदाताओं के मामले में, यह देखा गया कि जी.एस.टी.आर.3बी की तालिका 4ए (5) के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी. ₹ 125.72 करोड़ थी, जबकि जी.एस.टी.आर.9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 123.27 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ की अतिरिक्त आई.टी.सी. का लाभ उठाया गया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक करदाता (एक मामला) के संबंध में डी.आर.सी.-07 निर्गत किया गया है, दो करदाताओं (03 मामले) के लिए एस.सी.एन./डी.आर.सी.-01ए जारी किया गया है, एक करदाता (03 मामले) के लिए ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत किया गया है। शेष करदाताओं (12 मामले) के संबंध में विभाग ने कहा (जून 2024) कि उत्तर संकलित किए जा रहे हैं और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 6:
विभाग समुचित अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है कि वे उन करदाताओं के विवरणियों की जांच को प्राथमिकता दें जिनके विवरणियों में आई.टी.सी. का बेमेल दिखाया गया है।

2.1.11.7 जावक आपूर्तियों के लिए ई.वे. बिल सृजित नहीं करना

जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 138(1) प्रावधानित करता है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो पचास हज़ार रुपये से अधिक मूल्य के वस्तु की आवाजाही करता है–(i) आपूर्ति के संबंध में; या (ii) आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से; या (iii) किसी

[24] जमशेदपुर और राँची पश्चिमी।

[25] जमशेदपुर, रामगढ और राँची पश्चिमी।

अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण, वस्तु की आवाजाही शुरू करने से पहले, प्रपत्र जी.एस.टी. ई.डब्ल्यू.बी.-01 के भाग ए में उक्त वस्तु से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा। झारखण्ड राज्य के वाणिज्य कर विभाग ने अधिसूचना[26] निर्गत की है कि 26 सितंबर 2018 से वस्तु की राज्यान्तर्गत आवाजाही के लिए ई-वे बिल सृजित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ वस्तु का मूल्य ₹ एक लाख से अधिक नहीं है। आगे, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 122(1) (xiv) के अनुसार, कोई भी कर-योग्य व्यक्ति, जो निर्दिष्ट दस्तावेज़ों के बिना किसी भी कर-योग्य वस्तु का परिवहन करता है, उसे ₹ दस हजार का अर्थदंड या कर-अपवंचना की जाने वाली राशि (जहाँ भी लागू हो), जो भी अधिक हो, देना होगा। नियमावली के नियम 138(ए) के अनुसार, ई-वे बिल निर्दिष्ट दस्तावेज़ों में से एक है।

लेखापरीक्षा ने 23 नमूना करदाताओं में से दो का चयन यह पता लगाने के लिए किया कि क्या करदाता जावक आपूर्तियों के लिए ई-वे बिल सृजित कर रहे हैं। जी.एस.टी.आर. 1 और ई-वे बिल की जांच करने पर, यह देखा गया कि जमशेदपुर अंचल से संबंधित एक करदाता (2XXXXXXXXXXXXXW) ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान प्रारंभिक सीमा से अधिक जावक आपूर्ति की थी। तथापि, करदाता ने 10 संगत लेनदेनों (राज्यान्तर्गत और अन्तर्राज्यीय आपूर्तियों) के लिए ई-वे बिल सृजित किये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि जी.एस.टी.एन. पोर्टल और ई-वे बिल प्रणाली के बीच अपर्याप्त संबंध के कारण, जी.एस.टी.एन. यह पता नहीं लगा सका कि प्रारंभिक सीमा से अधिक जावक आपूर्ति करने वाले करदाता ने ई-वे बिल सृजित नहीं किये थे। करदाता एकल अभिलेख वाले मामलों के लिए 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए ई-वे बिल सृजित किए बिना जावक आपूर्तियों के लिए ₹ एक लाख (दस मामलों में ₹ दस हजार की दर से) का अर्थदंड अदा करने के लिए उतरदायी था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि उत्तर संकलित किए जा रहे हैं और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

[26] स्थायी आदेश संख्या 66 दिनांक 26.09.2018

2.1.11.8 वस्तुओं की आवाजाही के बिना गलत तरीके से आई.टी.सी. पारित करना

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को, इनपुट सेवा वितरक, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जी.एस.टी.आर.-1 में प्रस्तुत करना होगा।

एन.आई.सी. ने वाहन सॉफ्टवेयर आँकड़ाकोष को ई-वे बिल पोर्टल के साथ एकीकृत किया था और वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए फास्टैग आँकड़ाकोष का उपयोग किया था। 1 जनवरी 2021 से, एन.आई.सी. संबंधित वाहनों की आवाजाही का विवरण भी प्रदान करता है, जिसमें स्रोत और गंतव्य पिन कोड के आधार पर सभी ई-वे बिल के उद्गम और गंतव्य का संकेत मिलता है।

लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध वाहन आवाजाही विवरण से 1 जनवरी 2021 के बाद सृजित 89 ई-वे बिल नमूना (31 नमूना करदाता) में से सात की आवाजाही की जांच की। यह देखा गया कि ₹ 27.71 लाख के कर से संबंधित दो करदाताओं के दो ई-वे बिल के मामले में, इन ई-वे बिल में उल्लिखित वाहनों की आवाजाही पोर्टल द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। जी.एस.टी.आर.-1 के विश्लेषण पर देखा कि बीजक-वार विवरण जी.एस.टी.आर.-1 में दर्ज नहीं था। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा उस पर पारित इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन या निर्धारण नहीं कर सका।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि जमशेदपुर सी.टी.सी. द्वारा एक मामले में ₹ 11.39 लाख की राशि का डी.आर.सी.-01ए निर्गत किया गया है। दूसरे मामले में विभाग ने कहा (जून 2024) कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त उत्तरों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

2.1.11.9 तिर्यक-पैन विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने सात[27] अंचलों से संबंधित समान पैन के साथ एकाधिक पंजीकरण वाले नौ करदाताओं के अभिलेखों का सत्यापन किया और अनुपालन में विसंगतियाँ पाईं, जैसा कि **तालिका 2.3** में दिया गया है:

[27] हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पाकुड़, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी और साहिबगंज।

तालिका 2.3: नमूनाकृत तिर्यक-पैन मामलों में अवलोकनों का विवरण

क्र. स.	विसंगति का विवरण	करदाताओं की संख्या	पता लगाए गए मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	*जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्ति को प्रतिवेदित करना, लेकिन कर देयता को चुकाने में विफल रहना*	02	02	0.05
2	*जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्ति को प्रतिवेदित न करना और कर देयताओं का नहीं चुकाया जाना*	01	01	0.07
3	*इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेमेल*	04	05	2.07
कुल				**2.19**

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, संयुक्त करारोपण (कंपोजिशन लेवी) योजना करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों का विवरण जी.एस.टी.आर.-1 में प्रस्तुत करना होगा, और उस पर कर देयता का भुगतान जी.एस.टी.आर.-3बी में करना होगा।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति विवरण, मात्रा और वस्तुओं का मूल्य, उन पर लगाया गया कर और अन्य निर्धारित विवरण दर्शाते हुए एक कर बीजक निर्गत करेगा। जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 138 प्रावधानित करता है कि ई-वे बिल सृजित करने के लिए, प्रेषित वस्तु की आवाजाही करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वस्तुओं से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स (आई.टी.सी.) क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के क्रम में या उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने का अभिप्रेत है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने छः करदाताओं के संबंध में कर अनुपालन में विसंगतियाँ देखीं, जिनकी कर देयता ₹ 2.19 करोड़ (₹1.69 लाख के ब्याज और अर्थदंड सहित) थी। इनकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

(क) जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्ति को प्रतिवेदित करना, लेकिन कर देयता को चुकाने में विफल रहना

लेखापरीक्षा ने तिर्यक-पैन विश्लेषण के लिए चयनित नौ करदाताओं की जांच की और देखा कि राँची पूर्वी और राँची पश्चिमी अंचलों से संबंधित दो करदाताओं के मामले में

जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-9 में करदाताओं द्वारा घोषित कर देयता और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चुकाई गई वास्तविक देयता के बीच विसंगतियां थीं, जिससे संकेत मिलता है कि इन करदाताओं ने ₹ 4.70 लाख (ब्याज और अर्थदंड ₹ 1.08 लाख सहित) की अपनी कर देयता कम चुकाई थी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक करदाता के लिए ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है और अन्य करदाता के संबंध में विभाग ने कहा (जून 2024) कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त करदाता-वार अद्यतन प्रतिक्रिया संकलित की जा रही है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

(ख) जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्ति को प्रतिवेदित न करना और कर देयताओं का नहीं चुकाया जाना

लेखापरीक्षा ने देखा (सितंबर 2023) कि हज़ारीबाग़ अंचल में पंजीकृत एक करदाता (2XXXXXXXXXXXXB) ने केबल ड्रम (एच.एस.एन. 8544) की जावक आपूर्ति के लिए ₹ 34.10 लाख के कर योग्य मूल्य का ई-वे बिल सृजित किया था, जिस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था। तथापि, ई.डब्ल्यू.बी. में, करदाता ने उपरोक्त आपूर्ति के लिए कर देयता शून्य घोषित की थी और उस अवधि के लिए जी.एस.टी.आर.1 में बीजक को प्रतिवेदित करने में विफल रहा। चूँकि ई-वे बिल में वर्णित कर देय राशि शून्य थी, लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल के संबंध में देय कर की राशि ₹ 6.75 लाख (अर्थदंड सहित) की गणना की, जिसका भुगतान करदाता द्वारा नहीं किया गया था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि हज़ारीबाग सी.टी.सी. द्वारा ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

(ग) इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेमेल

लेखापरीक्षा ने तिर्यक-पैन विश्लेषण के लिए नमूना करदाताओं की जांच की और पाया कि तीन अंचलों[28] से संबंधित चार करदाताओं के मामले में करदाताओं द्वारा प्राप्त

[28] पाकुड़, राँची पश्चिमी और साहिबगंज।

लाभ आई.टी.सी. और उपलब्ध वास्तविक आई.टी.सी. के बीच विसंगतियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ की आई.टी.सी. का बेमेल हुआ।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि पाकुड़ सी.टी.सी. द्वारा एक करदाता (01 मामले) के लिए ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत किया गया था। साहिबगंज सी.टी.सी. के एक करदाता के मामले में आपत्तिगत राशि डी.आर.सी.-03[29] के माध्यम से जमा कर दी गई है। दो करदाताओं (03 मामले) के संबंध में विभाग ने कहा (जून 2024) कि उत्तर संकलित किए जा रहे हैं और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

2.1.11.10 ई-वे बिल (समग्रता अवलोकन) के आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से पहचानी गई विसंगतियां

ई-वे बिल से संबंधित आँकड़ाकोष से एक जोखिम आधारित नमूना चुना गया और आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 4,382 करदाताओं से जुड़े कुल 4,703 मामलों का चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने प्रमुख समस्या क्षेत्रों के आधार पर अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान सृजित ई.डब्ल्यू.बी. पर आंकड़ो का विश्लेषण किया और देखा कि करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में विसंगतियों का पता कुछ प्रमुख समस्या क्षेत्रों से सीधे लगाया जा सकता है। इन प्रमुख समस्या क्षेत्रों के अंतर्गत निकाले गए आंकड़ा को आगे की उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए समग्रता अवलोकनों के रूप में विभाग को भेज दिया गया था और की गई कार्रवाई पर सारांश प्रतिवेदन मांगी गई थी। विभाग के साथ साझा किए गए समग्रता अवलोकनों और उन पर प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण निम्नलिखित **तालिका-2.4** में चर्चा की गई है।

[29] स्वेच्छा पूर्वक भुगतान या कारण बताओ नोटिस (एस.सी.एन.) या विवरण के विरुद्ध किए गए भुगतान की सूचना।

तालिका-2.4: ई-वे बिल के आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से पहचानी गई विसंगतियां

क्र.स.	समग्रता अवलोकनों की प्रकृति	करदाताओं की संख्या (टी.पी.)	मूल्यांकन योग्य मूल्य शामिल (₹ करोड़ में)
1	कंपोजिसन करदाताओं द्वारा अंतर्राज्यीय ई-वे बिल का सृजन	48	2.07
2	निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल का सृजन	1	1.01
3	जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल का सृजन	400	278.88
4	रद्द करदाताओं द्वारा ई-वे बिल का सृजन	75	80.68
5	समान बीजक का उपयोग करके ई-वे बिल का सृजन	1,309	167.48
6	जी.एस.टी. विवरणियों को शून्य दाखिल करने वालों द्वारा ई.-वे बिल का सृजन	2,870	758.91

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विभाग के पास अपात्र डीलरों/करदाताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से ई-वे बिल सृजित करने की पहचान/निगरानी करने का कोई तंत्र नहीं था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि छः करदाताओं में डी.आर.सी.-07/डी.आर.सी.-03/एस.सी.एन. निर्गत किया गया है और 4,638 मामलों[30] में ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत किया गया था। विभाग ने एक मामले में कहा (जून 2024 में) कि जवाब संकलित किए जा रहे हैं और यथासमय अग्रेषित कर दिए जाएंगे जबकि 58 करदाताओं के संबंध में विभाग का उत्तर पुष्टिकारी साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं था।

अनुशंसा संख्या 7:

विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रमुख समस्या क्षेत्रों को आच्छादित करने वाली विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन समय-समय पर तैयार की जाए तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारियों के साथ साझा की जाएं।

2.1.12 विभाग के प्रवर्तन कार्य

ई-वे बिल तंत्र की शुरुआत कर चोरी को रोकने के लिए की गई है, जो करों का भुगतान किए बिना आपूर्ति के कारण उत्पन्न होती है। इसे अधिक सशक्त और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए, विभाग अपने अधिकारियों को वस्तु की आवाजाही की निरीक्षण करने

[30] कुछ करदाताओं को एक से अधिक ए.एस.एम.टी. निर्गत किए गए होंगे।

के लिए वस्तु की आवाजाही की जाँच और वाहनों को रोकने, ऐसे माल और वाहनों को हिरासत मे लेने और जब्त करने के लिए तैनात करता है जहां नियमों के साथ गैर-अनुरूपता देखी जाती है।

लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल संबंधी लेन-देन की निगरानी में परिचालन संबंधी तैयारियों, कर अपवंचना-रोधी उपायों की प्रभावशीलता और अंतर- विभागीय एवं विभागीय समन्वय जैसे कार्यों का सत्यापन किया। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा ने छः आई.बी. प्रमंडलों में से चार आई.बी. प्रमंडलों का चयन किया, जो वाणिज्य कर विभाग के निवारक कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं।

विभाग की परिचालन तैयारी

जी.एस.टी. लागू होने के बाद, जी.एस.टी. से पहले की व्यवस्था के दौरान मैन्युअल रूप से संचालित चेक पोस्ट समाप्त कर दिए गए। ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के वस्तु की अन्तर्राज्यीय और राज्यान्तर्गत आवाजाही पर नज़र रखने के लिए 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल प्रणाली शुरू की गई।

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन पर अवलोकनों की चर्चा नीचे की गई है।

2.1.12.1 समर्पित ढाँचा/इकाई

ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के लिए एक समर्पित इकाई, जैसे वाहनों के अवरोधन के दौरान ई-वे बिल का सत्यापन करना तथा जहां भी आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई करना, ई-वे बिल सत्यापन की योजना बनाने में ई-वे बिल विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों का उपयोग करना, आदि से निवारक कार्यों की दक्षता में सुधार होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित चार आई.बी. प्रमंडलों में से तीन आई.बी. प्रमंडलों[31] में आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत, ई-वे बिल के सत्यापन हेतु विशेष रूप से समर्पित व्यवस्था नहीं थी। राँची आई.बी. प्रमंडल के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त जवाबों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

[31] धनबाद, जमशेदपुर और संथाल परगना।

अनुशंसा संख्या 8:
विभाग निवारक कार्य की दक्षता में सुधार के लिए ई-वे बिल विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन के सत्यापन के लिए एक समर्पित दल गठित कर सकता है।

2.1.12.2 जनशक्ति की पर्याप्तता

तीन आई.बी. प्रमंडलों[32] (राँची इकाई से सूचना प्रतीक्षित है) से संबंधित मार्च 2023 तक अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों (लिपिक, एम.टी.एस. आदि) की स्वीकृत और कार्यरत संख्या **तालिका-2.5** में दी गई है।

तालिका-2.5: अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की स्थिति

पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
अधिकारी	36	26	10	27.78
सहायक कर्मचारी	61	9	52	85.25

स्रोत: आई.बी. प्रमंडलों द्वारा दी गई जानकारी।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, सभी तीनों इकाइयों में कर्मचारियों की कुल संख्या में रिक्तियाँ थीं और अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों की प्रतिशतता क्रमशः 27.78 और 85.25 प्रतिशत था। पर्याप्त मानवशक्ति की कमी से ई-वे बिलों के सत्यापन हेतु आई.बी. प्रमंडलों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समर्पित सेटअप की अनुपलब्धता और कर्मचारियों की संख्या में रिक्तियों का उच्च दर ई-वे बिल संबंधी निवारक कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

2.1.12.3 पर्याप्त गश्ती वाहनों की कमी

लेखापरीक्षा में देखा गया कि चयनित चार निवारक संरचनाओं में से तीन आई.बी. प्रमंडलों[33] के पास ई-वे बिल सत्यापन के लिए विशेष रूप से आवंटित गश्ती वाहन नहीं हैं।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त जवाबों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

[32] धनबाद, जमशेदपुर और संथाल परगना।

[33] धनबाद, जमशेदपुर और संथाल परगना।

2.1.12.4 ई-वे बिल के सत्यापन के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

लेखापरीक्षा ने चार आई.बी. प्रमंडलों से, ई-वे बिल के सत्यापन के लिए वाहन अवरोधन के माध्यम से झारखण्ड के वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उनके विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण मांगा। तीन आई.बी. प्रमंडलों[34] से प्राप्त जवाबों से पता चला कि निवारक संरचनाओं के लिए आयुक्त द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। संचालित किए गए ई-वे बिल के सत्यापन के विवरण मांगे जाने के बावजूद (जून 2023 और सितंबर 2023 के बीच) लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (जून 2024) कहा कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त जवाबों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

2.1.12.5 एम.आई.एस. प्रतिवेदनों का उपयोग

एन.आई.सी. ई-वे बिल लेनदेनों पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत जी.एस.टी. विभागों के साथ साझा करता है। लेखापरीक्षा ने तीन आई.बी. प्रमंडलों[35] के संबंध में ई-वे बिल के सत्यापन की योजना हेतु निवारक संरचनाओं द्वारा इन प्रतिवेदनों को किस सीमा तक उपयोग किया गया, इस संबंध में विभिन्न विवरण मांगा गया, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

(क) आई.बी. प्रमंडलों ने सूचित किया कि इकाइयों के सभी अधिकारियों को पहुंच प्रदान की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसी कोई समर्थित संचिकाएं/दस्तावेजें उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार, यह पता नहीं लगाया जा सका कि ई-वे बिलों के सत्यापन के दौरान किस प्रकार की एम.आई.एस. प्रतिवेदनों का उपयोग किया जा रहा था।

(ख) आई.बी. प्रमंडलों ने सूचित किया कि वे वाहनों के अवरोधन की योजना बनाने के लिए विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों का उपयोग कर रहे थे। तथापि, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों में उल्लिखित ई-वे बिल/करदाताओं का विवरण, आगे के सत्यापन के लिए नियुक्त अधिकारी, किए गए सत्यापन का विवरण और उस पर की गई अंतिम कार्रवाई, हालांकि मांगी गई थी, लेखापरीक्षा को जांच के लिए प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार, ई-वे बिल लेनदेन के सत्यापन के लिए एम.आई.एस. प्रतिवेदनों की प्रभावशीलता का पता नहीं लगाया जा सका।

---

[34] धनबाद, जमशेदपुर और संथाल परगना।

[35] धनबाद, जमशेदपुर और संथाल परगना।

(ग) इकाइयों ने सूचित किया कि विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों को क्षेत्राधिकारियों के साथ साझा की जा रही है ताकि उन्हें विवरणियों की जांच में सहायता मिल सके। तथापि, क्षेत्राधिकारियों को प्रदान की गई प्रतिवेदनों का विवरण, मांगे जाने के बावजूद, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(घ) आई.बी. प्रमंडलों ने बताया कि नई एम.आई.एस. प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एन.आई.सी. से अनुरोध किया गया था। तथापि, उन्होंने लेखापरीक्षा जांच के लिए किए गए अनुरोधों का विवरण नहीं दिया।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त जवाबों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

निवारक कार्यों की प्रभावशीलता

2.1.12.6 वाहन अवरोधन के लिए दिशा निर्देश

परिपत्र सं. 41/2018 दिनांक 20.04.2018 के अनुसार, जहां वाहन का प्रभारी व्यक्ति कोई निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जहां समुचित अधिकारी निरीक्षण करने का इरादा रखता है, वह प्रपत्र जी.एस.टी. एम.ओ.वी.-01 में वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा। इसके अतिरिक्त, समुचित अधिकारी प्रपत्र जी.एस.टी. एम.ओ.वी.-02 में वाहन, वस्तु और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए एक आदेश निर्गत करेगा, जिसमें वाहन के प्रभारी व्यक्ति को ऐसे आदेश में उल्लिखित स्थान पर वाहन को रखने और वस्तु के निरीक्षण की अनुमति देने की आवश्यकता होगी। समुचित अधिकारी, प्रपत्र जी.एस.टी. एम.ओ.वी.-02 निर्गत करने के चौबीस घंटे के भीतर प्रपत्र जी.एस.टी. ई.डब्ल्यू.बी.-03 के भाग-ए में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा। आगे, प्रपत्र जी.एस.टी. एम.ओ.वी.-02 में आदेश निर्गत करने की तिथि से तीन दिनों की अवधि के भीतर, समुचित अधिकारी निरीक्षण कार्यवाही को या तो स्वयं या इस संबंध में अधिकृत किसी समुचित अधिकारी के माध्यम से समापन करेगा।

लेखापरीक्षा ने क्षेत्र संरचनाओं द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा की जाँच की गयी। इसके लिए, चयनित आई.बी. प्रमंडलों से संबंधित 200 दर्ज मामलों को जांच हेतु चुना गया और देखे गए विचलनों का सारांश **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका-2.6: दर्ज मामलों के संबंध में देखे गए विचलन

देखी गई कमियों का विवरण	आई.बी. ईकाईयां	दर्ज मामलों की कुल सं.	नमूना के रूप में चयनित दर्ज मामलों की सं.	दर्ज मामलों की सं. जिनमें कमी देखी गई
परिवहन के प्रभारी व्यक्ति को जी.एस.टी.- एम.ओ.वी.-4 में निरीक्षण प्रतिवेदन विलंब से देना।	धनबाद	524	50	3
	जमशेदपुर	377	50	1
	राँची	979	50	2
सामान्य पोर्टल पर ई.-वे बिल-03 के भाग-ए को अपलोड करने में विलंब।	राँची	979	50	1
	संथाल परगना	620	50	3

- तीन[36] आई.बी. प्रमंडलों से संबंधित छः मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एम.ओ.वी.-04, जिसे वाहन एम.ओ.वी.-02 के भौतिक सत्यापन के आदेश निर्गत होने के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना था, 01 से 07 दिनों के विलंब से प्रस्तुत की गई।
- दो[37] आई.बी. प्रमंडलों से संबंधित चार मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रपत्र जी.एस.टी. ई.डब्ल्यू.बी.-03 का भाग ए, जिसे वाहन एम.ओ.वी.-02 के भौतिक सत्यापन के लिए आदेश से 24 घंटे के भीतर अपलोड किया जाना था, 01 से 17 दिनों की विलंब से अपलोड किया गया था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त जवाबों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

2.1.12.7 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान अधिनियमों के प्रावधानों का पालन न करना

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 129(1) के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी वस्तु का परिवहन करता है, ऐसे सभी वस्तु और वाहन जो उक्त वस्तु को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और ऐसे वस्तु और वाहन से संबंधित दस्तावेज निरूद्ध या जब्त किए जा सकते हैं और निरूद्ध करने या जब्त

[36] धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

[37] राँची और संथाल परगना।

किए जाने के बाद, उन्हें (क) ऐसे वस्तु[38] पर देय कर के 100 प्रतिशत के बराबर लागू कर और अर्थदंड के भुगतान पर और छूट प्राप्त वस्तु के मामले में, वस्तु के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि या ₹ 25,000, जो भी कम हो, के भुगतान पर छोड़ा जाएगा, जहां वस्तु का मालिक ऐसे कर और अर्थदंड के भुगतान के लिए आगे आता है।

सी.टी.डी.[39] द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रपत्र जी.एस.टी. एम.ओ.वी.-09 में आदेश सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और कार्यवाही से प्राप्त मांग को इलेक्ट्रॉनिक देयता पंजी में जोड़ा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित चार आई.बी. प्रमंडलों से संबंधित 200 दर्ज मामलों की जांच की और 36 दर्ज मामलों के संबंध में विसंगतियाँ देखी गईं जिनका विवरण **तालिका-2.7** में दिया गया है।

तालिका-2.7: दर्ज मामलों के संबंध में देखी गई विसंगतियाँ

देखी गई विसंगतियों का विवरण	आई.बी. प्रमंडलों की संख्या	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)		
			कर	अर्थदंड	कुल
कर के भुगतान या अर्थदंड या दोनों पर बिना मांग उठाए वाहनों को छोड़ना	04	20	2.92	2.86	5.78
कर और अर्थदंड के कम निर्धारण पर वाहनों को छोड़ना	02	05	0.65	0.82	1.47
कर की गलत दर प्रयोग करने के कारण कर और अर्थदंड की कम वसूली पर वाहनों को छोड़ना	01	02	0.51	0.51	1.02
एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 129(1)(बी) के अधीन कर और अर्थदंड कम वसूली पर वाहनों को छोड़ना	02	09	2.23	4.21	6.44
कुल		**36**	**6.31**	**8.40**	**14.71**

- चार[40] आई.बी. प्रमंडलों से संबंधित 20 मामलों में, ₹ 5.78 लाख की कर और अर्थदंड राशि इलेक्ट्रॉनिक देयता पंजी में नहीं जोड़ी गई थी।

---

[38] 1.1.2022 से देय राशि को देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर अर्थदंड के रूप में संशोधित किया गया।

[39] परिपत्र 41/2018 दिनांक 20 अप्रैल 2018 की कंडिका 2 (एच)।

[40] धनबाद, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना।

- दो[41] आई.बी. प्रमंडलों से संबंधित पांच मामलों में, यह देखा गया कि कर और अर्थदंड का कम निर्धारण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 लाख का कर और अर्थदंड कम वसूली किया गया।
- राँची आई.बी. प्रमंडलों से संबंधित दो मामलों में, समुचित अधिकारी ने कर के गलत दर का प्रयोग किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 लाख का कर और अर्थदंड कम वसूली किया गया।
- नौ मामलों में समुचित अधिकारी एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 129(1)(बी) को लागू करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.44 लाख की राशि का कर और अर्थदंड कम वसूला गया।

इस प्रकार, इन मामलों में समुचित अधिकारी ने अनियमितताओं की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.71 लाख के कर और अर्थदंड की कम वसूली पर वाहनों को अनियमित रूप से छोड़ा गया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति से सहमति व्यक्त की। आगे, धनबाद आई.बी. प्रमंडलों के मामले में डी.आर.सी.-07 जारी किया गया था और आपत्तिगत राशि वसूल की गई थी। शेष 35 मामलों के संबंध में विभाग ने कहा (जून 2024) कि संबंधित सी.टी.सी. से प्राप्त जवाबों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

धनबाद आई.बी. प्रमंडलों के समुचित अधिकारी द्वारा रोके गए वाहन के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2023), कि ₹ 0.36 लाख (कर और अर्थदंड सहित) की मांग का आदेश (जी.एस.टी. एम.ओ.वी. 09) 12.06.2018 को निर्गत किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि डी.आर.सी.-07 को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप देयता पंजी में देयता का सृजन नहीं हुआ। प्रत्युतर में, विभाग ने डी.आर.सी.-07 निर्गत किया और आपत्तिगत राशि वसूल कर ली गई।

[41] जमशेदपुर और राँची।

अनुशंसा संख्या 9:
विभाग यह सुनिश्चित करे कि समुचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कर और अर्थदंड की मांग समय पर करें।

2.1.12.8 अपंजीकृत करदाताओं द्वारा वस्तु की आवाजाही की निगरानी

लेखापरीक्षा ने स्वतंत्र रूप से जावक आपूर्ति के लिए सृजित 21 ई-वे बिल की पहचान की, जिनका मूल्य पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा ₹ 40 लाख से अधिक था, जो अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए थे और उन्हें जांच और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य कर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, के साथ साझा किया गया (जून 2023)।

मामले की सूचना सरकार/विभाग को प्रतिवेदित की गई (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि जवाबों को संकलित किया जा रहा है और यथासमय अग्रेषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2026)।

2.1.13 निष्कर्ष

जी.एस.टी. के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर नि.ले.प. का उद्देश्य सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता और विभाग की प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों को लागू करने में दक्षता का आकलन करना था।

लेखापरीक्षा नमूने में वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए 10 सी.टी.सी. में 31 करदाताओं से संबंधित 89 ई-वे बिलों को शामिल किया गया। जहां भी चयनित नमूने में विसंगतियां देखी गईं, इन करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिलों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए जांच की गई। इसी प्रकार प्रवर्तन कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित नमूने में चार आई.बी. प्रमंडलों से चयनित 200 दर्ज मामले शामिल थे।

जी.एस.टी.एन. और ई-वे बिल प्रणाली के बीच संबंध कमजोर था, और ई-वे बिल प्रणाली ने दाखिल नहीं किए गए या शून्य दाखिलकर्त्ता द्वारा ई-वे बिल सृजित पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। दो करदाताओं ने शून्य विवरणी दाखिल किया, जबकि उन्होंने ₹ 64.53 लाख (ब्याज और अर्थदंड सहित) की कर देयता के साथ वस्तु की जावक आपूर्ति के लिए 15 ई-वे बिल सृजित किए थे।

जी.एस.टी.एन. पोर्टल में विवरणियों को दाखिल नहीं करने के मामले में ₹5.02 लाख की बकाया कर देयता का पता लगाने की कोई प्रणाली नहीं थी जिनका पंजीकरण स्वतः

रद्द कर दिया गया था और करदाताओं को समान पैन पर अन्य राज्यों में पुनः पंजीकरण की अनुमति दी गई।

इसके अतिरिक्त, ई-वे बिल प्रणाली उन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल को सृजित करने से नहीं रोका जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। दो करदाताओं ने ₹ 15.41 लाख (ब्याज और अर्थदंड सहित) कर निहितार्थ के 84 ई-वे बिल सृजित किए थे, यद्यपि उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण का अभाव था जिससे चार करदाताओं को समान बीजक का उपयोग करके एकाधिक ई-वे बिल सृजित करने की अनुमति मिली।

जी.एस.टी.एन. सृजित ई-वे बिल के विवरणों को सत्यापित/कैप्चर नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी.आर.1 में जावक आपूर्तियों प्रतिवेदित नहीं हुई, जी.एस.टी.आर.1 और जी.एस.टी.आर.3बी में विसंगतियां और आई.टी.सी. के बेमेल सहित ₹ 343.58 करोड़ के कर निहितार्थ हैं।

आई.बी. प्रमंडलों में सहायक कर्मचारियों की भारी कमी थी और ई-वे बिल के सत्यापन के लिए समर्पित सेटअप और गश्ती वाहनों का कोई प्रावधान नहीं था।

10 मामलों में जी.एस.टी.-एम.ओ.वी.-4 और जी.एस.टी.-ई.डब्ल्यू.बी.-03 के भाग-ए की तामील में विलंब के मामले देखे गए। दर्ज किए गए 36 मामलों में, समुचित अधिकारियों ने ₹ 14.71 लाख के कर और अर्थदंड का भुगतान न करने/कम भुगतान पर वाहनों को छोड़ दिया।

अपंजीकृत करदाताओं द्वारा वस्तु की आवाजाही की निगरानी अपर्याप्त थी, क्योंकि लेखापरीक्षा ने अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक 21 ई-वे बिल सृजित किए जाने की पहचान की।

2.1.14 अनुशंसाएँ

विभाग:

1. नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जी.एस.टी.आर.-1 में बीजक-वार विवरणों को दर्ज करने के लिए जी.एस.टी.एन. को संबोधित कर सकता है।
2. जी.एस.टी.एन. और एन.आई.सी. से अनुरोध कर सकता है कि वे दोनों पोर्टलों को आपस में जोड़े, ताकि शून्य दाखिलकर्ताओं द्वारा ई-वे बिल सृजित करने के सम्बन्ध में ई-वे बिल प्रणाली में अधिसूचनाएं/अलर्ट सृजित की जा सके।

3. जी.एस.टी.एन. और एन.आई.सी. को दोनों पोर्टलों को आपस में जोड़ने के लिए कह सकता है ताकि विवरणी दाखिल नहीं करने वाले ई-वे बिल बनाने की स्थिति में ई-वे बिल प्रणाली में सूचनाएं/अलर्ट जारी किए जा सकें और जी.एस.टी.एन. प्रणाली को मजबूत किया जा सके ताकि बकाया कर देयता का पता लगाया जा सके और उसी पैन पर नए पंजीकरण को स्वतः अस्वीकार किया जा सके जहां पहले के पंजीकरण के विरुद्ध कर देयता बकाया है।

4. उन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल के सृजन को रोकने के लिए सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एन.आई.सी. को संबोधित कर सकता है, जिनका जी.एस.टी. पंजीकरण पहले ही रद्द हो चुका है।

5. समान बीजक के साथ एकाधिक ई-वे बिल सृजन को रोकने के लिए ई-वे बिल पोर्टल को संशोधित करने के लिए एन.आई.सी. से अनुरोध कर सकता है।

6. समुचित अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है कि वे उन करदाताओं के विवरणियों की जांच को प्राथमिकता दें जिनके विवरणियों में आई.टी.सी. का बेमेल दिखाया गया है।

7. यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रमुख समस्या क्षेत्रों को आच्छादित करने वाली विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन समय-समय पर तैयार की जाए तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारियों के साथ साझा की जाएं।

8. निवारक कार्य की दक्षता में सुधार के लिए ई-वे बिल विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन के सत्यापन के लिए एक समर्पित दल गठित कर सकता है।

9. यह सुनिश्चित करे कि समुचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कर और अर्थदंड की मांग समय पर करें।

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय III

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

वाणिज्य कर विभाग

3.1 जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रकट किए गए आवर्त का अन्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना के साथ तिर्यक जाँच

3.1.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है और वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है और प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, जहां कर आपूर्ति के साथ आगे बढेंगें। केंद्र और राज्यों द्वारा एक साथ और एक समान कर आधार पर उन्हें आवंटित करदाताओं के संबंध में कर लगाया जाता है। केंद्र जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और झारखण्ड जी.एस.टी. (जे.जी.एस.टी.) राज्यान्तर्गत आपूर्तियों पर और एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) अन्तर्राज्यीय आपूर्तियों पर उदग्रहित किया जाता है।

जी.एस.टी. के अंतर्गत कर प्रशासन पूरी तरह से स्वचालित है। यह विभाग को पारदर्शिता बढाने और कर अपवंचना की जाँच करने के लिए करदाताओं द्वारा प्रकट किए गए आंकड़ों/सूचना को एक विभाग से दूसरे विभाग से जोड़ने में सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जी.एस.टी. के अधीन करदाता द्वारा घोषित आवर्त की सत्यता आयकर विभाग (आई.टी.डी.) के साथ घोषित आवर्त/लाभ के आंकड़ों की तिर्यक जाँच करके सुनिश्चित की जा सकती है। वर्तमान में, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन दाखिल विवरणी, आयकर विवरणी (आई.टी.आर.) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1961 के अधीन दाखिल विवरणी में निहित सूचनाओं के साथ तुल्यकालित नहीं होते हैं, परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों को प्रस्तुत समान सूचनाओं में विसंगति होती है। यदि सरकार के सभी कर विभाग एक साथ कार्य करते हैं और करदाताओं और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं और उनके उनके बीच अलग-अलग संगृहीत जानकारी के माध्यम से उनकी जाँच करते हैं, तो यह कर संग्रह में वृद्धि कर सकता है और प्रतिवेदन की सुविधा प्रदान कर सकता है।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.प.) एक ही करदाताओं द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन दाखिल विवरणियों के तिर्यक जाँच के महत्व ताकि संभावित राजस्व रिसाव से बचाव किया जा सके और झारखण्ड सरकार के वाणिज्य

कर विभाग (सी.टी.डी.) का विभिन्न विभागों से आंकड़ों/सूचना के संग्रह के तंत्र और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन दाखिल विवरणियों के साथ उनके सत्यापन को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

3.1.2 वैधानिक ढाँचा

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 और जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 मुख्य रूप से झारखण्ड में जी.एस.टी. कर व्यवस्था को अधिशासित करती है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 और आई.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 भी जी.एस.टी. के विभिन्न पहलुओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

इस वि.वि.अ.ले.प. से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं:

विवरणियों के संबंध में विभाग के कार्य: जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 61 के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमावली 2017 के नियम 99, यह निर्धारित करता है कि समुचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है, विसंगतियाँ करदाताओं को सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण माँग सकता है। जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 74, समुचित अधिकारी को किसी भी कर अपवंचना की मंशा से जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को छिपाकर भुगतान न किए गए/कम भुगतान किए गए कर की राशि का निर्धारण करने के साथ जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 50 के अंतर्गत कर की राशि के समतुल्य अर्थदंड और ब्याज जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं हो उदग्रहित करने का अधिकार प्रदान करती है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 66 (1) कटौतीकर्ता को करदेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को, जहां एक संविदा के अंतर्गत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य ₹ 2.5 लाख से अधिक हो, किए गए या जमा किए गए भुगतान से एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का और प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-7 में विवरणी दाखिल करने और कटौती किए गए कर को सरकारी खाते में जमा का करने का अधिदेश करती है।

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वि.वि.अ.ले.प. को निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था, ताकि निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

i. अन्य केंद्र/राज्य सरकार/विभागों से आंकड़ों/सूचना के संग्रह करने के संबंध में अधिनियम, नियम, निर्गत किए गए अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता और

प्रभावकारिता और संगृहीत किए गए आंकड़ों को प्राप्त करने और उसके सत्यापन के लिए विभाग में एक प्रणाली की पर्याप्तता/अस्तित्व और;

ii. विभिन्न विभागों को प्रस्तुत सूचना की तुलना में जी.एस.टी. विवरणियों में प्रस्तुत सूचना में निरंतरता और जी.एस.टी. के अंतर्गत कर अनुपालन मुद्दों के संबंध में उसका उपयोग।

3.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोत, जिनके आधार पर लेखापरीक्षा उद्देश्यों का सत्यापन किया गया था, उनमें जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017, आई.जी.एस.टी. अधिनियम, आयकर अधिनियम, 1961, और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

क्र.स.	विषय	अधिनियम और नियम
1	उदग्रहण एवं संग्रहण	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 9
2	पंजीकरण	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25; जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 8 से 26
3	आपूर्तियाँ	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 7 और 8; जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की अनुसूची I, II और III
4	कर का भुगतान	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धाराएँ 49 से 53; जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 85 से 88ए
5	स्रोत पर कर कटौती	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51
6	दंड प्रावधान	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 73, 74 और 123
7	जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल करना	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धाराएँ 37 से 47; जे.जी.एस.टी नियमावली, 2017 के नियम 59 से 68 और 80 से 81
10	विवरणियों की जाँच	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 61; जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 99 से 102
11	सांख्यिकीय जानकारी का संग्रहण	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 150 और 151
12	आयकर विवरणियों को दाखिल करना	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139; आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12

इसके अतिरिक्त, सी.टी.डी. द्वारा विवरणियों को दाखिल करने, पंजीकरण, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर से छूट, कर का भुगतान, टी.डी.एस. की कटौतियां,

विवरणियों की जाँच आदि से संबंध में निर्गत अधिसूचनाएं और परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंडों का हिस्सा थे।

3.1.5 लेखापरीक्षा पद्धति और क्षेत्र

वि.वि.अ.ले.प. का आयोजन यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या वाणिज्य कर विभाग (सी.टी.डी.) में अन्य केंद्र/राज्य विभागों के साथ निरंतर विचार-विमर्श के लिए कोई प्रणाली मौजूद है और यदि हाँ, तो क्या यह कर अपवंचन करने वालों की पहचान करने, आवर्त के छिपाव का पता लगाने और इस प्रकार कर के अपवंचन से रोकथाम के लिए प्रभावी है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा पद्धति में संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 151 के अंतर्गत विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई की जाँच करने के लिए राज्य कर आयुक्त (सी.एस.टी.) के कार्यालय में अभिलेखों की जाँच करना शामिल था। लेखापरीक्षा में जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 150 के अधीन सूचना विवरणी के निर्धारण और दाखिल करने, सी.एस.टी./प्रमण्डल स्तर पर उसका विश्लेषण और समुचित अधिकारियों द्वारा जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 99 के साथ पठित जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अधीन जाँच करते समय उसके उपयोग की भी जाँच की गई।

पुनः, लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए आयकर विभाग, महानिदेशक प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन (सीमा शुल्क), भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.), राज्य सरकार के निर्माण प्रमण्डल[42], पेयजल और स्वच्छता विभाग (डी.डब्ल्यू. एंड एस.डी.), शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.), कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.[43]), एम्स देवघर और झारखण्ड ऊर्जा संचरण लिमिटेड (जे.यू.एस.एन.एल.) से आवर्त, निष्पादित कार्य का विवरण, आई.जी.एस.टी. भुगतान आदि से संबंधित आंकड़े/सूचना प्राप्त की। इसके अलावा, कर कटौतीकर्ता विभागों के जी.एस.टी.आर.-7[44], जिनके स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाण पत्र चयनित करदाताओं द्वारा स्वीकार

---

42 राज्य सरकार - पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.), भवन निर्माण विभाग (बी.सी.डी.) और ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल (आर.डी.एस.डी.)।

43 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.), सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सी.सी.एल.) और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों से प्राप्त आंकड़े/सूचना।

44 जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के अधीन कर कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल की गयी विवरणी, जिसमें आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि और आपूर्ति के विरूद्ध कटौती किया गया टी.डी.एस. घोषित किया गया हो।

किए गए थे, का भी विश्लेषण किया गया और उक्त अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा दाखिल जी.एस.टी. विवरणियों में प्रस्तुत विवरणों के साथ तिर्यक जाँच की गयी।

आवर्त के तिर्यक जाँच, जी.एस.टी. की सही दर के अनुप्रयोग, जी.एस.टी. से स्वीकार्य छूट, निर्धारित दरों पर टी.डी.एस. की कटौती और विभिन्न विभागों से संबंधित पंजीकरण के लिए अपनाई गई पद्धति का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति का विवरण

क्र.स.	विभाग का नाम	अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति
1.	आयकर विभाग (आई.टी.डी.)	आई.टी.आर. में खुलासा किये आवर्त/किए गए व्यवसाय की प्रकृति/आपूर्ति की गई वस्तु आदि से संबंधित आंकड़े/सूचना आई.टी.डी. से एकत्र की गई और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ सत्यापित की गई।
2.	(i) राज्य सरकार के निर्माण प्रमण्डल, (ii) शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.), (iii) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.), (iv) सेंट्रल कोल लिमिटेड (सी.सी.एल.), (v) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डब्ल्यू.एंड एस.डी.), (vi) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जे.यू.एस.एन.एल.) और; (vii) एम्स, देवघर	किए गए कार्य, किए गए भुगतान, टी.डी.एस. कटौती और कार्य संवेदकों (आपूर्तिकर्ताओं) को भुगतान किए गए जी.एस.टी. का विवरण इन विभागों से प्राप्त किया गया और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ सत्यापित किया गया।
3.	महानिदेशक प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन [डी.एस. एंड डी.एम. (सीमा शुल्क)]	आयातित वस्तुओं के मूल्य और भुगतान किए गए आई.जी.एस.टी. का विवरण प्राप्त किया गया और आयात आवर्त और जी.एस.टी. विवरणियों में खुलासा किए गए आई.जी.एस.टी. भुगतान के साथ सत्यापन किया गया।
4.	भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.)	आई.बी.एम. को दाखिल विवरणियों से पट्टेधारियों द्वारा लौह अयस्क के प्रेषण का विवरण प्राप्त किया गया और

क्र.स.	विभाग का नाम	अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति
		जी.एस.टी. विवरणियों के साथ उनका सत्यापन किया गया।

वि.वि.अ.ले.प. में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि आच्छादित है। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अगस्त और दिसंबर 2023 के बीच आयोजित की गयी थी।

इस वि.वि.अ.ले.प. का प्रवेश सम्मेलन 26 जुलाई 2023 को सचिव, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार के साथ आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। बहिर्गमन सम्मेलन 06 जून 2024 को सचिव, सी.टी.डी., के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव द्वारा व्यक्त विचारों और प्रारूप प्रतिवेदन पर लिखित जवाबों को प्रासंगिक कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3.1.6 लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा नमूने में जी.एस.टी. के अंतर्गत कुल 300 करदाता/अपंजीकृत व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें विभिन्न विभागों द्वारा रखे गए आंकड़ों से लिया गया था। अपनाए गए नमूनाकरण पद्धति के दो घटक थे- स्तरीकृत नमूनाकरण और निर्णयात्मक नमूनाकरण। जिन व्यक्तियों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान विभिन्न विभागों से कुल ₹ दो करोड़ और उससे अधिक का भुगतान प्राप्त किया था, उन व्यक्तियों को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के लिए विचार किया गया और वित्त वर्ष 2018-21 के दौरान ₹ एक करोड़ बीस लाख से ₹ दो करोड़ के बीच भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर निर्णयात्मक नमूनाकरण के लिए विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ विभागों से संविदात्मक/आपूर्तिकर्ता भुगतान आंकड़े संख्या में बहुत सीमित थे, भुगतान के सभी प्राप्तकर्ताओं को इस वि.वि.अ.ले.प. के लिए नमूना चयन में शामिल किया गया था।

नमूनाकरण के घटक:

- स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (आई.टी.डी., राज्य सरकार के निर्माण प्रमण्डल, यू.एल.बी., बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. और डी.डब्ल्यू. एंड एस.डी.);
- निर्णयात्मक नमूनाकरण (आई.टी.डी., राज्य सरकार के निर्माण प्रमण्डल, यू.एल.बी., बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. और डी.डब्ल्यू. एंड एस.डी.); और
- 100 प्रतिशत चयन (जे.यू.एस.एन.एल., डी.एस. एंड डी.एम. (सीमा शुल्क), आई.बी.एम. और एम्स)

विभागवार नमूना आकार और अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति का विवरण **तालिका 3.3** में विस्तृत है:

तालिका 3.3: नमूनाकरण पद्धति और नमूना आकार का विवरण

क्र. स.	विभाग का नाम	अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति
1.	**आयकर विभाग (आई.टी.डी.)**	लेखापरीक्षा ने झारखण्ड के आयकर विभाग के सभी चार केंद्रीय अंचलों से 236[45] करदाताओं की संवीक्षित आयकर विवरणियाँ प्राप्त कीं। 236 करदाताओं में से; 71 करदाताओं का नमूना लिया गया (46 करदाता स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से, पाँच करदाता निर्णयात्मक नमूनाकरण के माध्यम से और 20 करदाता जी.एस.टी. के साथ अपंजीकृत)।
2.	(i) **राज्य सरकार के निर्माण प्रमण्डल** (ii) **शहरी स्थानीय निकाय** (iii) **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** (iv) **सेंट्रल कोल लिमिटेड** (v) **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**	लेखापरीक्षा ने इन सरकारी संस्थाओं से 6,509 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्त भुगतानों के आँकड़े प्राप्त किए। 6,509 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं में से; 185 करदाताओं का नमूना लिया गया (145 करदाताओं का स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से, 30 करदाताओं का निर्णयात्मक नमूनाकरण के माध्यम से और 10 संवेदक/ आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. में अपंजीकृत)।
	(vi) **झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड**	लेखापरीक्षा ने जे.यू.एस.एन.एल. से 24 संवेदकों/ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्त भुगतानों का आंकड़ा प्राप्त किया, जिसमें से 22 करदाताओं, जिनका आवर्त ₹ दो करोड़ से अधिक था, को नमूना के रूप में विचार किया गया।
	(vii) **एम्स, देवघर**	एम्स, देवघर द्वारा 2019-21 की अवधि के दौरान एम्स के निर्माण हेतु संवेदक को किए गए भुगतान से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए गए। करदाता राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत था और उसे लेखापरीक्षा नमूना के लिए विचार किया गया।

[45] 236 करदाताओं में से 20 करदाता जी.एस.टी. के अधीन अपंजीकृत थे।

तालिका 3.3: नमूनाकरण पद्धति और नमूना आकार का विवरण

क्र. स.	विभाग का नाम	अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति
3.	**महानिदेशक, प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन (सीमा शुल्क)**	15 करदाताओं (राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत) द्वारा किए गए आयातों का विवरण डी.एस. एंड डी.एम. (सीमा शुल्क) से प्राप्त किया गया। सभी 15 करदाताओं को नमूना माना गया।
4.	**भारतीय खान ब्यूरो**	झारखण्ड राज्य के छः पट्टाधारियों द्वारा 2018-21 की अवधि के दौरान किए गए लौह अयस्क प्रेषण से संबंधित आंकड़े आई.बी.एम. से प्राप्त किए गए। इन छः करदाताओं को लेखापरीक्षा नमूना माना गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने तालिका 3.3 में उल्लिखित विभागों से प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं से नमूना करदाताओं/अन्य व्यक्तियों के जी.एस.टी. विवरणियों/अभिलेखों की तिर्यक जाँच की और पाया कि सी.टी.डी. द्वारा सूचना विवरणी/सांख्यिकी प्राप्त करने/प्रस्तुत करने और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ उनका सत्यापन करने की कोई प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी. के अधीन पंजीकरण, आवर्त की घोषणा और लेखांकन, जी.एस.टी. का सही दर पर भुगतान, जी.एस.टी. से छूट का लाभ उठाने, आयात पर आई.जी.एस.टी. का भुगतान, आपूर्ति के समय का पालन और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन टी.डी.एस. की कटौती और जमा करने में अनियमितताओं का पता नहीं चल पाया। **तालिका 3.**4 वि.वि.अ.ले.प. के लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की सीमा को दर्शाती है।

तालिका 3.4: लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की विहंगावलोकन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा परिणामों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना में सी.टी.सी सी.टी.सी. जहां कमी देखी गई	लेखापरीक्षा नमूना	देखी गई कमियों की संख्या		कमियाँ प्रतिशतता	विभाग[46] द्वारा स्वीकार्य राशि
				संख्या	राशि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आई.टी.आर. की तुलना में जे.जी.एस.टी. के अधीन पंजीकरण में अनियमितताएं	एन.ए.[47]	71	23	31.10	32.39	0.09
2	आई.टी.डी. की तुलना में जी.एस.टी. के अधीन आवर्त में बेमेल	18 10	51	15	103.85	29.41	67.07
3	आई.टी.आर. की तुलना में जी.एस.टी. की त्रुटिपूर्ण दर पर कर का भुगतान	18 03	51	3	19.62	5.88	4.73
4	आई.टी.डी. की तुलना में जी.एस.टी. के अधीन अस्वीकार्य छूट का लाभ उठाना	18 03	51	3	7.38	5.88	6.48
5	अन्य विभाग से प्राप्त भुगतान की तुलना में जे.जी.एस.टी. के अधीन पंजीकरण में अनियमितताएं	एन.ए.[48]	208	11	4.84	5.28	0.29
6	अन्य विभागों से प्राप्त भुगतान की तुलना में जी.एस.टी. के अधीन आवर्त में बेमेल	27 23	197	96	139.15	48.73	25.45

46 विभाग द्वारा स्वीकार की गई राशि उन मामलों को दर्शाती है जहां विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर वसूली की थी, माँग की थी या एस.सी.एन. निर्गत किया था।

47 इसमें शामिल सी.टी.सी. के ब्यौरे का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि ये मामले पंजीकृत नहीं पाए गए थे।

48 ये मामले जी.एस.टी. के अधीन पंजीकृत नहीं थे, इसलिए इसमें शामिल सी.टी.सी. के विवरणों का पता नहीं लगाया जा सका।

क्र. स.	लेखापरीक्षा परिणामों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना में सी.टी.सी सी.टी.सी. जहां कमी देखी गई	लेखापरीक्षा नमूना	देखी गई कमियों की संख्या		कमियाँ प्रतिशतता	विभाग[46] द्वारा स्वीकार्य राशि
				संख्या	राशि		
7	जी.एस.टी. की त्रुटिपूर्ण दर पर कर का भुगतान	27 09	197	13	38.46	6.59	25.79
8	जी.एस.टी. के अधीन अस्वीकार्य छूट का लाभ उठाना	27 04	197	4	9.80	2.03	0.49
9	जे.जी.एस.टी. अधिनियम के समय और आपूर्ति प्रावधानों का पालन न करना	27 20	197	69	1.03	35.02	2.59
10	आई.बी.एम. और जी.एस.टी. के साथ खुलासा किए गए आवर्तों के बीच असंगति	03 02	6	3	64.53	50.00	64.53
11	आयातों पर आई.जी.एस.टी. भुगतान में विसंगति	12 03	15	3	8.48	20.00	0.00
12	टी.डी.एस. की कटौती और जमा में अनियमितताएं	27 04	197	6	1.61	3.04	1.44
कुल					**429.85**		**198.95**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने 32 प्रतिशत मामलों में आई.टी.आर. की तुलना में और पाँच प्रतिशत मामलों में अन्य विभागों की तुलना में जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकरण में अनियमितताएं देखीं, 29 प्रतिशत मामलों में आई.टी.आर. की तुलना में और 49 प्रतिशत मामलों में अन्य विभागों की तुलना में जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन आवर्त में बेमेल पाया, छः प्रतिशत मामलों में आई.टी.आर. की तुलना में सात प्रतिशत मामलों में अन्य विभागों की तुलना में गलत दर पर जी.एस.टी. का भुगतान पाया, छः प्रतिशत मामलों में आई.टी.आर. की तुलना में और दो प्रतिशत मामलों में अन्य विभागों की तुलना में अस्वीकार्य छूट का लाभ पाया, अन्य विभागों द्वारा किए गए भुगतान की तुलना में 35 प्रतिशत मामलों में जी.एस.टी. के अधीन आपूर्ति के समय प्रावधानों का पालन नहीं करना पाया गया।

लेखापरीक्षा परिणामों, प्रणालीगत खामियों और सुधारात्मक उपायों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.1.7 सी.टी.डी. और अन्य सरकारी विभागों के बीच अपर्याप्त समन्वय

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 150 यह निर्धारित करती है कि विभिन्न व्यक्ति/प्राधिकारी जो पंजीकरण या खातों के विवरण या किसी आवधिक विवरणी या दस्तावेज के अभिलेख को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कर के भुगतान का विवरण और वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के लेन-देन के अन्य विवरण या बैंक खाते से संबंधित लेनदेन या बिजली की खपत या वस्तु या संपत्ति की खरीद, बिक्री या विनिमय या किसी कानून के अधीन संपत्ति में अधिकार या हित, ऐसी अवधि के संबंध में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे रूप और तरीके से और ऐसे प्राधिकरण या एजेंसी को "सूचना विवरणी" प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 151, आयुक्त को संबंधित व्यक्ति से अधिनियम से संबंधित सूचना/आंकड़े एकत्र करने के लिए अधिसूचना निर्गत करने की शक्ति प्रदान करती है। अधिसूचना निर्गत होने के बाद, आयुक्त, या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्तियों से, निर्धारित प्रारूप और तरीके से, किसी भी मामले से संबंधित, जिसके संबंध में आंकड़े संगृहीत किए जाने हैं, ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

विभाग में आई.बी. का गठन किया गया था, जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य कर के एक अपर आयुक्त को जे.सी.एस.टी./डी.सी.एस.टी./ए.सी.एस.टी./एस.टी.ओ. द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक पाँच प्रमण्डलों पर एक जे.सी.एस.टी. (प्रशासन) को डी.सी.एस.टी./ए.सी.एस.टी./एस.टी.ओ. द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आई.बी. को अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन निर्धारित कार्यों का निर्वहन करने के लिए कर्तव्य[49] सौंपे गए थे, जिसमें जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 151 के अधीन किसी भी मामले से संबंधित आंकड़े का संग्रहण करना भी शामिल था।

आंतरिक/बाह्य स्त्रोतों से विक्रय/क्रय और आवर्त से संबंधित आंकड़ों के संग्रह करने और उनके तिर्यक-सत्यापन का कार्य अन्वेषण ब्यूरो (आई.बी.)[50] को सौंपा गया था। हालांकि, यह पाया गया कि विभाग ने संबंधित व्यक्तियों/प्राधिकारियों से सूचना/आंकड़ा के संग्रहण लिए कोई तंत्र/सूचना विवरणी दाखिल करना निर्धारित नहीं किया था।

---

[49] एस.ओ.संख्या 20 दिनांक 08 फरवरी 2019 के माध्यम से अधिसूचना निर्गत।

[50] एस.ओ. संख्या143 दिनांक 05 दिसंबर 2017 के अधीन निर्गत अधिसूचना के माध्यम से विभाग में आई.बी. का गठन किया गया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024)। विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि अधिनियम की धारा 150 के अनुसार आंकड़े संग्रह करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने बाह्य स्त्रोतों से आंकड़ों के संग्रहण और उसके बाद इसके संप्रेषण और सत्यापन साथ ही निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी, माँग और वसूली, दंड और अन्य विविध गतिविधियों[51] के संबंध में सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में आई.बी. के कामकाज का भी मूल्यांकन किया। यह देखा गया (अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच) कि इन धाराओं को प्रशासित करने के लिए मैनुअल/एस.ओ.पी. तैयार नहीं किया गया है। विभाग ने आई.बी. के द्वारा बाह्य/आंतरिक स्रोतों से सूचना संग्रह करने के अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। वित्त वर्ष 2018-21 के दौरान आंकड़ों के संग्रह की सीमा और बाद में संबंधित सी.टी.सी. को संगृहीत आंकड़ा के संप्रेषण का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: आई.बी. द्वारा आंकड़ा/सूचना का संग्रहण

क्र. स.	आई.बी. प्रमण्डल का नाम	करदाताओं की संख्या जिनके संबंध में आंकड़ा संग्रह किया गया	विभागों की संख्या जिनसे आंकड़ा संग्रह किया गया है	सत्यापित करदाताओं की संख्या	उन करदाताओं की संख्या जिनमें विसंगति देखी गई	राशि वसूली गई (₹ में)
1	राँची	शून्य[52]				
2	जमशेदपुर					
3	हजारीबाग					
4	संथाल परगना					
5	धनबाद	813	05[53]	शून्य		

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आई.बी. के पाँच प्रमण्डलों में से; चार प्रमण्डलों ने अन्य बाह्य/आंतरिक स्रोतों से आंकड़ा/सूचना संग्रह करने के संबंध में अपने कार्य का निर्वहन नहीं किया था। आई.बी. प्रमण्डल, धनबाद ने अकेले पाँच विभागों से 813 करदाताओं के संबंध में सूचना संगृहीत की थी और सत्यापन के लिए संबंधित

---

51 धारा 67 से 72-अध्याय-XIV निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी; धारा 73 से 74-अध्याय-XV की मांग और वसूली; धारा 122, 125, 129 और 130 अध्याय-XIX अपराध और दंड और धारा 151- अध्याय-XXI जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 का विविध।

52 इन आई.बी. प्रमण्डलों ने बाह्य/आंतरिक स्त्रोतों से आंकडे/सूचना एकत्र नहीं की थी।

53 डी.डब्ल्यू. एवं एस.डी., बी.सी.डी., आर.डी.एस.डी., शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल और मंडल जेल।

सी.टी.सी. और संबंधित सी.जी.एस.टी. प्राधिकरणों (केंद्रीय क्षेत्राधिकार के करदाताओं से संबंधित) को संप्रेषित किया था। आई.बी., धनबाद द्वारा संगृहीत आंकड़ा के विश्लेषण से यह देखा गया कि 813 करदाताओं के आंकड़ा में केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित 27 करदाताओं और दुसरे राज्य से संबंधित एक करदाता हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अन्य विभागों से आंकड़ा संग्रह के लिए करदाताओं के नमूने की पहचान बिना किसी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के की गई थी। पुनः, संगृहीत आंकड़ा के सत्यापन के परिणामों को तदनुसार अनुसरण नहीं किया गया था। तदनुसार, इन करदाताओं के सत्यापन की स्थिति ज्ञात नहीं थी (जुलाई 2024)।

पुनः, विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागों से प्राप्त आंकड़ों का लेखापरीक्षा द्वारा स्वतंत्र सत्यापन यह दर्शाता है कि करदाता द्वारा जी.एस.टी. विभाग को घोषित जानकारी की तुलना में अन्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों को दी गई जानकारी में विसंगतियां थीं, जिससे आवर्त का गैर/विलंब/कम लेखांकन, पंजीकरण में अनियमितताएं, जी.एस.टी. की त्रुटिपूर्ण दर प्रयोग करने और अतिरिक्त छूट की संभावना को दर्शाता है। यह जी.एस.टी. का गैर/कम भुगतान के अलावा ब्याज/अर्थदंड भी आकर्षित करता है, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकांओं में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि आई.बी. द्वारा कार्यों के निर्वहन के अनुश्रवण के लिए शीर्ष स्तर पर कोई तंत्र नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप स्रोतों की गैर पहचान और बाह्य आंकड़ों/स्रोतों से सूचना का गैर संग्रहण और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ उसका सत्यापन नहीं किया गया।

यह मामला को सरकार/विभाग इंगित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि खनन विभाग, परिवहन विभाग जैसे विभिन्न स्रोतों से आवश्यकतानुसार आंकड़े संगृहीत किए जा रहे हैं। विभाग ने पुनः आंकड़ों के संग्रह हेतु विभागों/करदाताओं के चयन के लिए जोखिम मापदंडों की पहचान करने का आश्वासन दिया जैसा कि लेखापरीक्षा के द्वारा सुझाव दिया गया था।

अनुशंसा संख्या 01: विभाग सूचना विवरणी दाखिल करने के लिए प्रपत्र, तरीके और आवधिकता और बाह्य/आंतरिक स्रोतों से आंकड़ों/सूचना के संग्रहण का अनुश्रवण और उनका जी.एस.टी. विवरणियों के साथ सत्यापन करने के संदर्भ में तंत्र निर्धारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर सकता है।

3.1.8 जी.एस.टी. विवरणियों और आई.टी.आर. के बीच विसंगति

आई.टी.डी. से प्राप्त नमूना मामलों में पंजीकरण, आवर्त, दर और छूट के संबंध में देखी गई अनियमितताओं की सीमा की जाँच निम्नलिखित नियमावलियों के सन्दर्भ में की गई थी।

आयकर अधिनियम की धारा 139 के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति जो एक कंपनी या फर्म है, यदि गत वर्ष के दौरान उसकी कुल आय अधिकतम राशि से अधिक हो जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, नियत तिथि पर या उससे पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अपनी आय का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। पुनः, आयकर नियमावली के नियम 12 में आई.टी.आर.-3 से आई.टी.आर.-7 तक प्रावधान है जो निम्नवत है।

- **आई.टी.आर.-3:** व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों (एच.यू.एफ.) जिनकी आय मालिकाना व्यवसाय से या अपने पेशे को करने से होती है।
- **आई.टी.आर.-4:** जिन करदाताओं ने अनुमानित आय योजना का विकल्प चुना है।
- **आई.टी.आर.-5:** फर्मों, व्यक्तियों के संगठन (ए.ओ.पी.), व्यक्तियों के निकाय (बी.ओ.आई.) आदि।
- **आई.टी.आर.-6:** पूर्त/धार्मिक न्यासों को छोड़कर सभी भारतीय कंपनियाँ।
- **आई.टी.आर.-7:** सभी पूर्त/धार्मिक न्यासों, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय या कॉलेजों आदि जिन्हें छूट की आवश्यकता है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम**,** 2017 की धारा 39 के अधीन प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3बी में वस्तु या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति**,** प्राप्त आई.टी.सी., देय कर, भुगतान किया गया कर और ऐसे अन्य विवरणों को मासिक आधार पर कैलेंडर माह के बाद आने वाले महीने के बीसवें दिन या उससे पहले दाखिल करना होगा और ऐसे विवरणी के अनुसार देय कर का सरकार को भुगतान उस अंतिम तिथि के बाद नहीं करना चाहिए जो ऐसी विवरणी के अनुसार उसे दाखिल करना आवश्यक है। पुनः, जे.जी.एस.टी. अधिनियम**,** 2017 की धारा 44(2) के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 80(3) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका आवर्त ₹ दो करोड़ रुपये से अधिक है, को वार्षिक विवरणी के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति और वार्षिक विवरणी में आवर्त का मूल्य, कर योग्य आवर्त, आई.टी.सी. और घोषित देय कर का वित्तीय

विवरणों के साथ मिलान करते हुए, एक समाशोधन विवरण प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में दाखिल करेगा।

आई.टी.आर. में पैन, विक्रय, क्रय, आवर्त, व्यवसाय की प्रकृति आदि से संबंधित जानकारी होती है, जो जी.एस.टी. विवरणी में दी गई जानकारी के सदृश्य होती है। आदर्श रूप से, करदाता द्वारा दोनों विवरणी में दी गई सूचना समान होनी चाहिए। इस प्रकार, आई.टी.आर. में खुलासा की गई कुछ जानकारी, जैसे किए गए व्यवसाय की प्रकृति, आपूर्ति की गई वस्तु का मात्रात्मक विवरण आदि जैसी कुछ जानकारी समुचित अधिकारियों के यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित व्यक्ति जी.एस.टी. के दायरे में हो और करदाता के जी.एस.टी. विवरणियों की जाँच करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।

आई.टी.डी. और सी.टी.डी. के साथ सदृश्य जानकारी प्रस्तुत करने में भिन्नता की नमूना-जाँच के लिए, लेखापरीक्षा ने 71 नमूना करदाताओं द्वारा दाखिल आई.टी.आर.-3 से आई.टी.आर.-7 की प्रतियाँ प्राप्त कीं और आई.टी.आर. में दिए गए विवरणों की जी.एस.टी. विवरणियों से तिर्यक-जाँच किया। लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा पंजीकरण, आवर्त, जी.एस.टी. की सही दर के आवेदन और स्वीकार्य छूट के लाभ के संबंध में जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में अनियमितताएँ देखी, जिनकी चर्चा **कंडिका 3.1.8.1** से **3.1.8.4** में की गई है।

3.1.8.1 आई.टी.आर. में प्रस्तुत विवरण की तुलना में जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकरण में अनियमितताएं

विभाग ने 23 करदाताओं की पहचान नहीं की, जिन्होंने अपने आई.टी.आर. में ₹ 95.43 करोड़ की आपूर्तियों का खुलासा किया था और जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अधीन पंजीकरण के लिए उत्तरदायी थे। फलस्वरूप, उनसे ₹ 31.10 करोड़ संगृहीत नहीं किया गया।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 22(1) के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 16 निर्धारित करता है कि राज्य में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने वाला प्रत्येक आपूर्तिकर्ता इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा यदि एक वित्तीय वर्ष में उसका कुल आवर्त ₹ 40 लाख[54] से अधिक है। पुनः, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 22(2) के

54 जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए ₹ 40 लाख की सीमा अधिसूचना संख्या 10/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के माध्यम से निर्धारित की गई थी।

साथ पठित धारा 139(1) निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन[55] से ठीक पहले दिन पंजीकृत है या मौजूदा कानून के अधीन अनुज्ञप्ति रखता है, नियत दिन से इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा।

जी.एस.टी. पंजीकरण की स्थिति को जी.एस.टी.एन. के वेब पोर्टल (services.gst.gov.in) से पैन द्वारा करदाता खोजने की सेवाओं का उपयोग करके सत्यापित की जा सकती है क्योंकि जी.एस.टी.एन एक पैन आधारित संख्या है। जी.एस.टी. के अधीन पंजीकरण के समय करदाता के अधिकार क्षेत्र को जी.एस.टी.एन. राज्य या केंद्र को यादृच्छिक रूप से आवंटित करता है।

लेखापरीक्षा ने 71 आयकर करदाताओं के नमूने में पंजीकरण से संबंधित मुद्दों की जाँच की और 23 करदाताओं के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे पाए:

- लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2023) कि 20 करदाताओं ने वित्त वर्ष 2018-21 के अपने आयकर विवरणी में ₹ 11.41 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री और ₹ 68.81 करोड़ की सेवाओं की बिक्री का खुलासा किया था और वे हर वर्ष जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक थे। हालांकि, उन्होंने जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप इन करदाताओं से ₹ 26.24 करोड़ का कर, जिसमें लागू ब्याज और अर्थदंड भी शामिल है, संगृहीत नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2023) कि धनबाद सी.टी.सी. में दो करदाताओं ने वित्त वर्ष 2018-21 के लिए अपने आई.टी.आर. में ₹ 6.06 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री और ₹ 7.48 करोड़ की सेवाओं की बिक्री का खुलासा किया था, जो सालाना जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकरण के लिए सीमा से अधिक था। जी.एस.टी. पोर्टल में इन दो करदाताओं के पंजीकरण की स्थिति की जाँच से पता चला कि हालांकि ये करदाता पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन पंजीकृत थे और उन्हें पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, वे जे.जी.एस.टी. अधिनियम में प्रवासित नहीं हुए थे, और प्रवासन के लिए निर्गत किए गए पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण पत्र को जी.एस.टी. के कार्यान्वयन की तिथि से रद्द कर दिया गया था। हालांकि, इन करदाताओं से ₹ 4.11 करोड़ का लागू ब्याज और अर्थदंड सहित कर संगृहीत नहीं किया गया था।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्त वर्ष 2019-21 की आयकर विवरणी के अनुसार, धनबाद नागरीय सी.टी.सी. में पंजीकृत एक करदाता ने कोचिंग सेंटर और ट्यूशन का

---

55 नियत दिन का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

व्यवसाय किया था, जो जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कर योग्य था और उसके पास ₹ 1.67 करोड़ की कर योग्य आपूर्तियाँ थीं। हालाँकि, जी.एस.टी. पोर्टल पर करदाता के पंजीकरण की स्थिति की जाँच से पता चला कि करदाता का पंजीकरण दिसंबर 2019 से प्रभावी रूप से उसकी कर देयता निर्धारित किए बिना स्वतः रद्द कर दिया गया था। इसलिए, लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 74.93 लाख का कर वसूल नहीं किया गया।

मामले का सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक मामले में ₹ 8.16 लाख की राशि वसूल कर लिया गया है, पंजीकरण न कराने के लिए प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-14[56] में सूचना निर्गत किया गया है और 20 करदाताओं के मामले में आयकर विभाग के साथ पत्राचार किया गया है।

शेष दो मामलों में, विभाग ने कहा कि इन करदाताओं का पैन गलत पाया गया। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि इन करदाताओं के आई.टी.आर. के विश्लेषण से देखा गया कि इन करदाताओं के आई.टी.आर. में इस पैन का उल्लेख किया गया था और इसलिए यह सही था।

दो उदाहरणात्मक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है: -

- लेखापरीक्षा ने पाया गया कि एक करदाता (पैन AXXXXXXXXP) ने वित्तीय वर्ष 2018-21 के अपने आयकर विवरणी में सामान्य कमीशन एजेंटों, कमोडिटी ब्रोकरों और नीलामकर्ताओं के व्यवसाय से ₹ 5.05 करोड़ के राजस्व का खुलासा किया था। आयकर विवरणी के अनुसार, सभी तीनों वर्षों में आवर्त्त जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु निर्धारित सीमा से अधिक था। हालाँकि, करदाता जी.एस.टी.एन. में पंजीकरण की स्थिति के अनुसार पंजीकृत नहीं पाया गया। इस प्रकार, पंजीकरण न होने के कारण, लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 1.64 करोड़ का कर करदाता से संगृहीत नहीं किया गया।

  मामले को इंगित किये जाने पर (सितंबर 2023); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (जून 2024) कहा कि पंजीकरण के लिए प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-14 में सूचना संबंधित व्यक्ति को निर्गत कर दिया गया है और आई.टी.डी. के साथ पत्राचार किया गया है। पुनः जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

---

[56] जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 63 के अधीन एक समुचित अधिकारी द्वारा निर्गत सूचना एक कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का आकलन करता है जो ऐसा करने के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि एक करदाता (जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXB) ने वित्तीय वर्ष 2018-21 के अपने आई.टी.आर. में नर्सिंग होम के व्यवसाय से ₹ 2.19 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री और ₹ 5.30 करोड़ की सेवाओं की बिक्री का खुलासा किया था। आई.टी.आर. के अनुसार, सभी तीनों वर्षों में आवर्त जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था। इसके अलावा, जी.एस.टी.एन. में पंजीकरण की स्थिति की जाँच से पता चला कि करदाता झारखण्ड मूल्य वर्धित कर (जे.भी.ए.टी.) अधिनियम, 2005 के अधीन पहले से पंजीकृत होने के बाद जे.जी.एस.टी. व्यवस्था में प्रवासित नहीं हुआ था। इस प्रकार, लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 2.28 करोड़ का कर करदाता से संग्रहित नहीं किया गया।

  जब मामला इंगित किया गया (अक्टूबर 2023), विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि मामला बोकारो सी.टी.सी. से संबंधित है, जिसे आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग से संबंधित सी.टी.सी. द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (जून 2024) और पुनः जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

3.1.8.2 आयकर विवरणियों और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल

10 सी.टी.सी. में 15 करदाताओं के मामले में, जी.एस.टी. विवरणियों की तुलना में आई.टी.आर. के अनुसार ₹ 315.42 करोड़ के कर योग्य आवर्त का अंतर था। सी.टी.डी. के द्वारा इन करदाताओं का पता नहीं लगाया गया, जिसमें ₹ 103.85 करोड़ का संभावित कर निहितार्थ था।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 2(112) के अनुसार, 'राज्य में आवर्त' का अर्थ सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर की गई छूट वाली आपूर्ति, निर्यात और वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति है। अधिनियम की धारा 61 निर्धारित करता है कि समुचित अधिकारी विवरणी की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है और उसे देखी गई विसंगति के बारे में सूचित कर सकता है और सूचना में विनिर्दिष्ट कर के समतुल्य अर्थदण्ड का उदग्रहण करते हुए कारण बताओ सूचना (ए.सी.एन.) निर्गत कर सकता है जहाँ समुचित अधिकारी को प्रतीत होता है कि कर से अपवंचन के लिए धोखाधड़ी, या किसी जानबूझकर गलत

विवरण या तथ्यों को छिपाने के कारण किसी कर का गैर भुगतान या कम भुगतान हुआ है।

लेखापरीक्षा ने, आई.टी.डी. और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच कर योग्य आवर्त की घोषणा में सुसंगतता का विश्लेषण करने के लिए, जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकृत 51[57] करदाताओं द्वारा आई.टी.आर. में घोषित जानकारी को उनके जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-जाँच किया। यह देखा गया कि 10 सी.टी.सी.[58] में पंजीकृत 15 करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2018-21 के लिए अपने आई.टी.आर. में ₹ 666.04 करोड़ के वस्तुओं/सेवाओं/आवर्त/परिचालन से राजस्व की बिक्री का खुलासा किया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2018-21 के दौरान इन करदाताओं ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दाखिल अपने जी.एस.टी.आर.-9/जी.एस.टी.आर.-3बी में शून्य /छूट आवर्त को शामिल करते हुए केवल ₹ 350.62 करोड़ का आवर्त घोषित किया था। इस प्रकार, इन करदाताओं के आई.टी.आर. और जी.एस.टी. विवरणी के बीच ₹ 315.42 करोड़ के आवर्त्त में बेमेल था। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य जी.एस.टी.एन. में करदाताओं द्वारा खुलासा किए गए आवर्त के बेमेल को चिह्नित करने के लिए आई.टी.डी. के पास उपलब्ध आंकड़ा/सूचना के एकीकरण का अभाव है। आगे, सी.टी.डी. के आई.बी. ने भी इन करदाताओं के आवर्त में बेमेल का पता लगाने के लिए आयकर विभाग से आंकड़ा/सूचना संग्रहित नहीं किया। परिणामस्वरूप, जी.एस.टी. का संभावित निहितार्थ ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 103.85 करोड़ था **(परिशिष्ट-V)**।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि दो करदाताओं के मामले में ₹ 29.67 लाख की राशि आंशिक रूप से वसूल की गई है और सात करदाताओं के मामले में ₹ 66.77 करोड़ के लिए प्रपत्र डी.आर.सी.-07[59] में माँग निर्गत किया गया था। तीन करदाताओं के मामले में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10[60] में सूचना निर्गत किया गया है।

पुनः, एक मामले में विभाग ने कहा कि आई.टी.आर. के अनुसार आवर्त कर्नाटक साथ ही साथ झारखण्ड दोनों राज्यों में समान पैन पर जी.एस.टी. के अधीन पंजीकृत करदाता

---

57 नमूना लिए गए 71 करदाताओं में से 20 करदाताओं का पंजीकरण जी.एस.टी.एन. में नहीं था।

58 आदित्यपुर, चाईबासा, देवघर, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, पलामू, राँची विशेष और तेनुघाट।

59 जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 73/74 के अधीन निर्गत कारण बताओ सूचना (एस.सी.एन.) निर्गत किया गया है, जिसमें करदाता द्वारा कम भुगतान किए गए कर/आई.टी.सी. के अधिक उपयोग पर देय ब्याज और अर्थदंड सहित कर का विवरण दिया गया है।

60 जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अधीन विवरणियों की जाँच के दौरान समुचित अधिकारी द्वारा देखी गई विसंगति का विवरण देते हुए करदाता को सूचना भेजी गयी।

से संबंधित है। हालाँकि, आई.टी.आर. की तुलना में दोनों राज्यों जी.एस.टी. विवरणियों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवर्त में अंतर का समाशोधन नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप करदाता जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

एक अन्य मामले में, विभाग ने बताया कि आई.टी.आर. में दर्शाये गये आवर्त में अलग-अलग जी.एस.टी.आई.एन. के साथ पंजीकृत दो इकाइयों का आवर्त शामिल है। दोनों इकाइयों के आवर्त को मिलाकर आवर्त के अंतर का समाधान किया जा सकता है। विभाग के जवाब का विश्लेषण करने पर देखा गया कि आई.टी.आर. के अनुसार आवर्त ₹ 61.85 करोड़ था, जबकि दोनों इकाइयों का संचयी आवर्त ₹ 60.96 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 0.89 करोड़ के आवर्त्त के अंतर का समाधान नहीं हो पाया, जिस पर करदाता जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

शेष मामले में, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार में प्रवासित हो गया है, जिसके लिए सी.जी.एस.टी. प्राधिकारियों के साथ पत्राचार (जनवरी 2024) किया गया। पुनः जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2026)।

दो उदाहरणात्मक मामलों का विवरण निम्नवत है:-

- लेखापरीक्षा ने पाया गया कि आदित्यपुर सी.टी.सी. में पंजीकृत एक करदाता (जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXM) ने वित्तीय वर्ष 2018-20 के आई.टी.आर. में फेरो मिश्र-धातुओं के विनिर्माण के व्यवसाय से ₹ 149.56 करोड़ के वस्तु की बिक्री का खुलासा किया था। करदाता के जी.एस.टी. विवरणियों की जाँच करने पर पता चला कि करदाता का पंजीकरण सितंबर 2019 से समुचित अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर रद्द कर दिया गया था। पुन, इस अवधि के दौरान दाखिल जी.एस.टी. विवरणियों में करदाता ने शून्य/छूट वाले आवर्त सहित ₹ 82.90 करोड़ के आवर्त का खुलासा किया था। इस प्रकार, जी.एस.टी. विवरणियों में ₹ 66.66 करोड़ के आवर्त में बेमेल था, जिसका विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया। तदनुसार, करदाता से लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 32.59 करोड़ का जी.एस.टी. संगृहीत नहीं किया गया।

  मामला को इंगित किये जाने पर (नवंबर 2023), विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (जून 2024) कहा कि ₹ 32.59 करोड़ की आपत्तिगत राशि के लिए एस.सी.एन. निर्गत कर दिया गया है। पुनः, उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

- चाईबासा सी.टी.सी. में पंजीकृत एक करदाता, (जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXK), जो 2018-21 की अवधि के दौरान खनन, उत्खनन

और अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री के व्यवसाय में शामिल था और उसने आई.टी.डी. के पास दाखिल आई.टी.आर. में ₹ 126.60 करोड़ के वस्तु की बिक्री का खुलासा किया था। हालाँकि, जी.एस.टी. विवरणियों में करदाता ने शून्य आवर्त प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, करदाता ने ₹ 126.60 करोड़ के आवर्त को छुपाया था, जिस पर लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 15.79 करोड़ के कर का भुगतान नहीं किया था।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (नवंबर 2023), विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (जून 2024) कहा कि 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 3.93 करोड़ के लिए डी.आर.सी.-07 प्रपत्र में माँग निर्गत की गई थी और 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए ₹ 11.86 करोड़ के लिए एस.सी.एन. निर्गत किया गया था।

3.1.8.3 करदाताओं द्वारा जीएसटी की त्रुटिपूर्ण दर पर कर का भुगतान

तीन करदाताओं को उनके द्वारा आई.टी.आर. में घोषित व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार 12 और 28 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. का भुगतान करना आवश्यक था; हांलाकि, इन करदाताओं ने 5, 12 और 18 प्रतिशत की त्रुटिपूर्ण दर से जी.एस.टी. का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.62 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ।

धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं[61] के तहत, धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर झारखण्ड वस्तु और सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा और ऐसी दरों पर, जो 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और ऐसे तरीके से संगृहीत किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने, आयकर विवरणी में प्रकट की गई जानकारी के संबंध में जी.एस.टी. विवरणी में सही दर के अनुप्रयोग का विश्लेषण करने के लिए, आई.टी.आर. में प्रकट किए गए 51 नमूना करदाताओं के व्यवसाय की प्रकृति की घोषणा/आपूर्ति की गई

[61] एस.ओ. 31 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 01/2017, एस.ओ. संख्या 41 दिनांक 29 जून 2017 के माध्यम से निर्गत अधिसूचना संख्या 11/2017, एस.ओ. 70 दिनांक 26 अगस्त 2017 के माध्यम से निर्गत अधिसूचना संख्या 20 और अधिसूचना संख्या 3/2019 दिनांक 29 मार्च 2019।

वस्तुओं के विवरण को जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापित किया। यह देखा गया कि तीन सी.टी.सी.[62] में पंजीकृत तीन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2018-21 के लिए अपने आई.टी.आर. में होटल/सराय/गेस्ट हाउस में आवास के व्यवसाय और मोटर वाहन पुर्जों के विनिर्माण से ₹ 70.98 करोड़ का आवर्त घोषित किया था। जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के अनुसार, उपरोक्त व्यवसायों पर 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दर से ₹ 19.59 करोड़ का जी.एस.टी. देय था। हालांकि, जी.एस.टी. विवरणियों में इन करदाताओं ने 5, 12 और 18 प्रतिशत की जी.एस.टी. दर लागू करके ₹ 12.32 करोड़ के कर का भुगतान किया था। इस प्रकार, जी.एस.टी. की त्रुटिपूर्ण दर के अनुप्रयोग के कारण ₹ 7.27 करोड़ का कर कम चुकाया गया, जिस पर जे.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 12.34 करोड़ का ब्याज और अर्थदंड भी देय था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक करदाता के मामले में ₹ 4.73 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत किया गया था और दूसरे मामले में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया था। पुनः जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2026)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.टी.डी. के पास उपलब्ध आपूर्ति की प्रकृति से संबंधित जानकारी तक पहुँचने और उसे सत्यापित करने की व्यवस्था के अभाव में, सी.टी.डी. जी.एस.टी. पोर्टल में करदाताओं द्वारा खुलासा किए गए व्यवसाय की प्रकृति का तिर्यक-सत्यापन नहीं किया और परिणामस्वरूप, गलत दर के अनुप्रयोग का पता नहीं चल सका। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 19.62 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ।

विभाग ने तीसरे मामले में कहा, कि करदाता ने अनजाने में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर.सी.) में एच.एस.एन. 84831010 - कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक सहित ट्रांसमिशन शाफ्ट का उल्लेख किया था, जो 28 प्रतिशत की दर से कर योग्य है; हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के आपूर्ति बीजकों के सत्यापन से यह पाया गया कि करदाता ने उपरोक्त वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की थी। विभाग की प्रतिक्रिया सही नहीं थी क्योंकि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के बीजकों का सत्यापन किया था जबकि लेखापरीक्षा आपत्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित थी जिसमें यह बताया गया था कि करदाता अधिसूचना संख्या 01/2017 दिनांक 29 जून 2017 के अनुसार एच.एस.एन. 84831010 की जावक आपूर्ति पर 31 दिसंबर 2018 तक 28 प्रतिशत

[62] आदित्यपुर, धनबाद नगरीय और जमशेदपुर।

की दर से जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लागू किया गया और करदाता द्वारा भुगतान किया गया।

3.1.8.4 आई.टी.डी. की तुलना में जी.एस.टी. के अधीन अस्वीकार्य छूट का लाभ उठाना

तीन सी.टी.सी. में पंजीकृत तीन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2018-21 के लिए अपने आई.टी.आर. के अनुसार ₹ 15.59 करोड़ की कर योग्य आपूर्ति की थी, लेकिन इन आपूर्तियों पर जी.एस.टी. से छूट का लाभ उठाया, और इसके परिणामस्वरूप ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 7.38 करोड़ का कर कम भुगतान किया गया।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रावधानों और उसके अधीन समय-समय पर संशोधित निर्गत अधिसूचनाओं[63] के अधीन, सरकार किसी भी निर्दिष्ट प्रकार के सामान या सेवाओं या दोनों को पूरी तरह से या उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उस पर लगाए जाने वाले पूरी जी.एस.टी. या उसके किसी हिस्से से छूट दे सकती है। जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 7, के साथ पठित अधिनियम की अनुसूची- II के पैरा 5(बी), यह निर्धारित करती है कि किसी कॉम्प्लेक्स, भवन, नागरिक संरचना या उसके किसी हिस्से का निर्माण, जिसमें किसी खरीदार को बिक्री के लिए एक कॉम्प्लेक्स या इमारत शामिल है, को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक 28 जून 2017 की प्रविष्टि संख्या 74 के अनुसार एक नैदानिक प्रतिष्ठान, एक प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी या पैरामेडिक्स द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से और एक एम्बुलेंस में एक मरीज के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जी.एस.टी. की वसूली से छूट दी गई है।

आई.टी.आर. में प्रस्तुत विवरणों की तुलना में जी.एस.टी. विवरणियों में प्राप्त छूट की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकृत 51 नमूना करदाताओं के आई.टी.आर. को जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किया। यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2018-21 के जी.एस.टी. विवरणियों में तीन सी.टी.सी.[64] में पंजीकृत तीन करदाताओं ने ₹ 18.08 करोड़ की सेवाओं की जावक आपूर्ति घोषित की थी और कर से छूट प्राप्त की थी। आई.टी.आर.

---

[63] एस.ओ. 31 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 01/2017; एस.ओ. संख्या 41 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 11/2017; के माध्यम से निर्गत और एस.ओ. 42 दिनांक 24 जून 2021 के माध्यम से निर्गत अधिसूचना संख्या 14/2021।

[64] जमशेदपुर, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

में इंगित व्यवसाय की प्रकृति की आगे की जाँच में यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान करदाताओं ने रियल एस्टेट सेवाओं को किराए पर देने, रियल एस्टेट के विकास, भवन निर्माण पूरा करने का व्यवसाय किया था और ₹ 15.59 करोड़ की कर योग्य सेवाएं प्रदान की थीं। इस प्रकार, यह देखा गया कि उपर्युक्त करदाताओं ने संबंधित जी.एस.टी. विवरणियों के साथ दावा की गई छूट की सत्यता को तिर्यक-सत्यापन करने के लिए आई.टी.डी. के आंकड़ा/सूचना के साथ जी.एस.टी.एन. के एकीकरण की कमी के कारण कर योग्य आपूर्ति को छूट प्राप्त आपूर्ति के रूप में गलत वर्गीकृत किया। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 7.38 करोड़ के कर का कम संग्रह हुआ **(परिशिष्ट-VI)**।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक मामले में ₹ 4.13 करोड़ के लिए प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में माँग निर्गत की गई थी, दूसरे मामले में ₹ 2.34 करोड़ के लिए एस.सी.एन. निर्गत किया गया था और शेष एक मामले में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया था। पुनः जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 2: विभाग आवर्त, छूट का लाभ उठाने और जी.एस.टी. की सही दर के अनुप्रयोग को सत्यापित करने के लिए आई.टी.डी. और सी.टी.डी. के बीच आंकड़ा/सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान/पहुँच के लिए एक प्रणाली लागू करने पर विचार कर सकता है।

3.1.9 विभिन्न विभागों[65] से प्राप्त भुगतान और जी.एस.टी. विवरणियों में उनके लेखांकन के बीच विसंगति

अधिनियम की धारा 51[66] यह निर्धारित करता है कि सरकार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को चुकाए गए या जमा किए गए भुगतान से एक प्रतिशत की दर से जे.जी.एस.टी. की कटौती करने के लिए कटौतीकर्ता को अधिदेश दे सकती है, जहां संविदा के अंतर्गत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य ₹ 2.5 लाख से अधिक है।

कार्य संविदा सेवाएँ प्रदान करने/कार्य संविदा के निष्पादन हेतु प्राप्त आपूर्तियों का विवरण और संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान और उस पर स्रोत पर कर

---

[65] राज्य कार्य प्रमण्डल, सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल., यू.एल.बी., जे.यू.एस.एन.एल. और ए.आई.आई.एम.एस.।

[66] अधिसूचना संख्या 50/2018 दिनांक 13 सितंबर 2018 के अनुसार, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधान 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी थे।

(जे.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी.) की कटौती (टी.डी.एस.) के संबंध में सूचना विभागों के पास उपलब्ध थी। विभागों के साथ-साथ कार्य संविदाओं/आपूर्तिकर्ताओं को जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 39 के अधीन दाखिल अपने जी.एस.टी. विवरणियों में सी.टी.डी. को समान जानकारी का खुलासा करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि सी.टी.डी. और इन विभागों के बीच आंकड़ा/सूचना साझा करने का कोई तंत्र नहीं था। राज्य कार्य प्रमण्डलों, बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., जे.यू.एस.एन.एल., यू.एल.बी. और ए.आई.आई.एम.एस. के पास उपलब्ध आंकड़ा/सूचना और जी.एस.टी. विवरणियों में उनके प्रकटीकरण के बीच संगतता का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 208 करदाताओं के संबंध में 2018-21 की अवधि के लिए निष्पादित कार्य संविदा/आपूर्ति के लिए किए गए भुगतान और कटौती किए गए टी.डी.एस. का विवरण प्राप्त किया और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किया। इसके अलावा, कटौतीकर्ताओं के जी.एस.टी.आर.-7 का भी विश्लेषण किया गया, जिनके टी.डी.एस. प्रमाणपत्र इन करदाताओं द्वारा स्वीकार किए गए थे और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ उसका तिर्यक-सत्यापन किया गया।

लेखापरीक्षा में जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकरण में अनियमितताओं, आवर्त की घोषणा में विसंगति, जी.एस.टी. की सही दर के अनुप्रयोग में अनियमितताओं, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन छूट का लाभ उठाने और समय और आपूर्ति प्रावधानों का पालन न करना देखी गयी जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.1.9.1 जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकरण में अनियमितताएं

अंतर-विभागीय आदान-प्रदान/आंकड़ा के पहुँच/सूचना तंत्र के अभाव में, सी.टी.डी. ने नौ अपंजीकृत करदाताओं, जो जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी थे और दो करदाताओं, जिन्हें कार्य संविदा के निष्पादन के बाद पंजीकरण प्रदान किया गया था, की पहचान नहीं की। इससे ₹ 4.84 करोड़ के जी.एस.टी. का संभावित निहितार्थ हुआ।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है, जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अधीन, ₹ 40 लाख से अधिक के कुल आवर्त वाले आपूर्तिकर्ताओं जो पिछले कानून के अधीन पंजीकृत थे, को जे.जी.एस.टी. के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक है।

करदाताओं द्वारा जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकरण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन और समुचित अधिकारियों द्वारा इसके अनुश्रवण के लिए, लेखापरीक्षा ने 208 करदाताओं द्वारा विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार/विभागों से प्राप्त

भुगतान का विवरण प्राप्त किया और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किया। लेखापरीक्षा ने जे.जी.एस.टी., 2017 के अधीन पंजीकरण में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी।

- वित्तीय वर्ष 2018-21 के दौरान नौ करदाताओं ने बी.सी.सी.एल., बी.सी.डी., यू.एल.बी., आर.सी.डी. और आर.डी.एस.डी. से कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ₹ 10.03 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था और जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए आवश्यक ₹ 40 लाख की सीमा को पार कर लिया था। हालांकि, वे जे.जी.एस.टी. के अधीन पंजीकृत नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप इन करदाताओं से ₹ 4.23 करोड़ के संभावित लागू ब्याज और अर्थदंड सहित कर संग्रह नहीं हो पाया।
- कोडरमा और राँची दक्षिणी सी.टी.सी. में पंजीकृत दो करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जे.यू.एस.एन.एल. और डी.डब्ल्यू. एंड एस.डी. से ₹ 1.72 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था। हालांकि, जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर करदाताओं के पंजीकरण की स्थिति की जाँच करने पर यह देखा गया कि इन करदाताओं को मई 2020 से, अर्थात 2020-21 के दौरान पंजीकरण की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, पंजीकरण अवधि से पहले उनके द्वारा प्राप्त ₹ 1.72 करोड़ का आवर्त जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रहा, जिसके परिणामस्वरूप इन करदाताओं से लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 61.70 लाख के कर का कम संग्रह हुआ।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक मामले में ₹ 28.04 लाख का एस.सी.एन. निर्गत किया गया था और दो मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया था। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

विभाग ने आगे कहा कि पाँच करदाता दूसरे राज्यों में पंजीकृत थे। अन्य तीन करदाताओं के मामले में, विभाग ने कहा कि करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन पंजीकृत थे। विभाग के उत्तर का विश्लेषण जी.एस.टी. पोर्टल पर करदाता के पैन के सत्यापन के साथ किया गया और यह देखा गया कि 1 जुलाई 2017 से दो करदाताओं को जी.एस.टी. में प्रवासित नहीं किया गया था। तदनुसार, इसे जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन अपंजीकृत माना जा सकता है। शेष एक मामले में, करदाता अन्य राज्यों में पंजीकृत था, लेकिन जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं था।

3.1.9.2 अन्य केंद्र/राज्य सरकार/विभागों से प्राप्त भुगतान की तुलना में जे.जी.एस.टी. के अधीन कर योग्य आवर्त में बेमेल

23 सी.टी.सी. पर 96 करदाताओं के मामले में अन्य केंद्र/राज्य सरकार/विभाग से किए गए कार्य अनुबंधों/आपूर्ति के निष्पादन से प्राप्त भुगतान की तुलना में जी.एस.टी. विवरणियों में घोषित कर योग्य आवर्त के बीच ₹ 355.94 करोड़ का बेमेल था और इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 139.15 करोड़ तक का कर संगृहीत नहीं किया गया था।

जैसा कि पहले कहा गया है, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017, समुचित अधिकारी को जी.एस.टी. विवरणियों में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा घोषित आवर्त्त के विवरण की शुद्धता को सत्यापित करने और एस.सी.एन. निर्गत करने का आधिकार देता है यदि धोखाधड़ी के कारण किसी कर का भुगतान नहीं या कर से बचने के लिए किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाया गया है।

जी.एस.टी. विवरणियों के अधीन आवर्त की घोषणा और विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार/विभागों से कार्य संविदा के निष्पादन के लिए भुगतान की प्राप्ति में स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकृत 197 करदाताओं के संबंध में बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., आर.सी.डी., बी.सी.डी., आर.डी.एस.डी., यू.एल.बी. और जे.यू.एस.एन.एल. से किए गए भुगतान और टी.डी.एस. कटौती का विवरण प्राप्त किया। इसके अलावा, जिन विभागों के टी.डी.एस. प्रमाण पत्र इन करदाताओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, उनके जी.एस.टी.आर.-7 का भी विश्लेषण किया गया और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किया गया।

यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2018-21 के दौरान 23 सी.टी.सी[67] में पंजीकृत 96 करदाताओं को उनके लिए कार्य संविदा के निष्पादन के लिए इन विभागों से ₹ 1,944.64 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था। आगे, इन करदाताओं के जी.एस.टी.आर.-1 के विश्लेषण में देखा गया कि कार्य संविदा के निष्पादन के लिए विभागों से प्राप्त भुगतान के अलावा, इन करदाताओं ने ₹ 129.31 करोड़[68] की जावक

67 आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदग्गा, पलामू, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज और तेनुघाट।

68 जी.एस.टी.आर.-1 के अनुसार, इन करदाताओं द्वारा कर कटौतीकर्ता विभागों को की गई जावक आपूर्ति के अलावा अन्य पंजीकृत करदाताओं को ₹ 129.31 करोड़ की जावक आपूर्ति भी की गई थी।

आपूर्तियां भी की थी। इस प्रकार, इन करदाताओं का वास्तविक आवर्त ₹ 2,073.95 करोड़ था। हालांकि, जी.एस.टी. विवरणियों में करदाताओं ने केवल ₹ 1,718.01 करोड़ के आवर्त का खुलासा किया था। इस प्रकार, वास्तविक आवर्त और जी.एस.टी. विवरणियों में घोषित आवर्त के बीच ₹ 355.94 करोड़ का बेमेल था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जी.एस.टी.एन. एप्लीकेशन अन्य सरकार/विभागों के पास उपलब्ध आवर्त/भुगतानों के आंकड़े/स्वचालित रूप से सूचना लाने के लिए समक्रमिक नहीं था। इसके अलावा, सी.टी.डी. के आई.बी. ने भी इन करदाताओं के आवर्त में बेमेल का पता लगाने के लिए अन्य सरकारी/विभागों से आंकड़ा/सूचना भी एकत्र नहीं की। परिणामस्वरूप, इन करदाताओं से लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 139.15 करोड़ का कर संग्रह नहीं किया जा सका।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि ₹ 23.37 लाख की राशि आंशिक रूप से वसूल कर ली गई है और शेष छः मामलों में ₹ 17.37 लाख के लिए एस.सी.एन. निर्गत कर दिया गया है। अन्य पांच मामलों में ₹ 79.98 लाख के लिए प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में मांग और ₹ 32.07 लाख के लिए एस.सी.एन. निर्गत किया गया है। आगे, 35 मामलों में ₹ 23.92 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत किया गया है। 42 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

आगे, विभाग का उत्तर शेष आठ मामलों में लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं था, जिसका वर्णन **तालिका 3.6** में किया गया है।

तालिका 3.6: लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ आठ मामलों का विवरण

क्र.स.	जी.एस.टी.आई.एन./ <u>करदाता का नाम</u> अवधि	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	2XXXXXXXXXXXX6 2019-20 और 2020-21	0.12	जी.एस.टी.आर.-7 में उल्लिखित राशि बीजक मूल्य है, हालांकि, जी.एस.टी. विवरणियों में करदाता ने कर	संबंधित कर कटौतीकर्ता विभागों और अन्य जावक आपूर्तियों द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-7 के अनुसार, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए करदाता का वास्तविक करयोग्य आवर्त (टी.टी.ओ.) क्रमशः ₹ 35.11 करोड़ और ₹ 32.24 करोड़ था, जबकि

क्र. स.	जी.एस.टी.आई.एन./ करदाता का नाम अवधि	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			योग्य मूल्य का खुलासा किया था	जी.एस.टी.आर.-9 में टी.टी.ओ. ₹ 34.84 करोड़ और ₹ 32.09 करोड़ का खुलासा किया गया था। इस प्रकार, ₹ 0.41 करोड़ के आवर्त का बेमेल था, जिस पर ₹ 0.12 करोड़ का कर देय था।
2	2XXXXXXXXXXXXXP 2020-21	0.06	जी.एस.टी. विवरणियों में करदाता द्वारा प्रस्तुत आवर्त का समाशोधन प्रपत्र 26 ए.एस. के साथ किया गया और सही पाया गया।	प्रपत्र 26 ए.एस. में आयकर विवरणी का जी.एस.टी. विवरणियों के साथ समाशोधन सही नहीं था, क्योंकि करदाता ने सरकारी विभागों से प्राप्त ₹ 29.45 करोड़ के अलावा, एक अन्य पंजीकृत करदाता से ₹ 47.79 लाख की राशि प्राप्त की थी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी के अनुसार टी.डी.एस. कटौती के लिए पात्र नहीं था।
3	2XXXXXXXXXXXXH 2020-21	0.19	2019-20 में ₹3.77 करोड़ के आवर्त में अंतर पर कर का भुगतान किया गया था।	जवाब वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित नहीं था।
4	2XXXXXXXXXXXXX4 2019-20 और 2020-21	0.38	जी.एस.टी.आर.-7 के अनुसार वास्तविक आवर्त में कर शामिल हैं और जी.एस.टी.आर. -9 में घोषित आवर्त कर योग्य आवर्त है।	संबंधित कर कटौतीकर्ता विभागों और अन्य जावक आपूर्तियों द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-7 के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए वास्तविक कुल बिक्री कर (टी.टी.ओ.) क्रमशः ₹ 46.51 करोड़ और ₹ 23.69 करोड़ था, जबकि जी.एस.टी.आर. विवरणियों में ₹ 45.61 करोड़ और ₹ 23.34 करोड़ का कुल बिक्री कर (टी.टी.ओ.) दर्शाया गया था। इस प्रकार, ₹ 0.90 करोड़

क्र.स.	जी.एस.टी.आई.एन./ करदाता का नाम अवधि	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
				और ₹ 0.36 करोड़ के आवर्त में बेमेल था, जिस पर ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 0.38 करोड़ का कर देय था।
5	2XXXXXXXXXXXXX0 2019-20	0.53	अंतर राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 में किया गया।	उत्तर वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित नहीं था।
6	2XXXXXXXXXXXXXT 2018-19 और 2019-20	2.33	अंतर राशि का भुगतान 2017-18 में किया गया है।	उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि मामला वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 से संबंधित था।
7	2XXXXXXXXXXXXX1 2019-20	0.16	जे.यू.एस.एन.एल. द्वारा किए गए ₹1.63 करोड़ के भुगतान को जी.एस.टी. विवरणियों में लेखांकन किया गया।	2019-20 के दौरान करदाता को जे.यू.एस.एन.एल. से ₹ 1.94 करोड़ और अन्य करदाताओं से ₹0.05 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ, जबकि जी.एस.टी. विवरणियों में ₹ 1.63 करोड़ का टी.टी.ओ. दर्ज किया गया। इस प्रकार, ₹ 0.35 करोड़ का अंतर था, जिस पर करदाता को ₹ 0.16 करोड़ का कर देय था।
8	2XXXXXXXXXXXXX7 2019-20	3.38	कोई विसंगति नहीं पाया गया।	करदाता का टी.टी.ओ. ₹ 58.20 करोड़ था, जिसमें कर कटौतीकर्ता विभागों को ₹ 43.33 करोड़ की जावक आपूर्तियों और अन्य करदाताओं को ₹ 14.97 करोड़ की आपूर्तियां शामिल थी। हालाँकि, जी.एस.टी.आर.-9 में ₹ 47.11 करोड़ के टी.टी.ओ. का खुलासा किया गया था। इस प्रकार, टी.टी.ओ. में ₹ 11.09 करोड़ का बेमेल था, जिस पर ₹ 3.38 करोड़ का कर देय था।

3.1.9.3 जी.एस.टी. की त्रुटिपूर्ण दर पर कर का भुगतान

नौ सी.टी.सी. में, 13 करदाता कार्य संविदा के निष्पादन, खनन सहायता सेवाओं, कोयले का परिवहन, मरम्मत और रखरखाव कार्य आदि में शामिल थे और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार 12 और 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। हालांकि, इन करदाताओं ने 5 और 12 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. को त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू करके ₹ 38.46 करोड़ का कम कर चुकाया।

जैसा कि पहले बताया गया है, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अधीन, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की राज्यान्तर्गत आपूर्ति के मूल्य पर 20 प्रतिशत से अधिक की दर से जे.जी.एस.टी. नहीं लगाया जाएगा।

अन्य केंद्र/राज्य सरकार/विभागों को निष्पादित कार्य संविदा/आपूर्ति की प्रकृति के साथ जी.एस.टी. की सही दर के अनुप्रयोग का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकृत 198 करदाताओं के संबंध में बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., आर.सी.डी., आर.डी.एस.डी., यू.एल.बी. और जे.यू.एस.एन.एल. से निष्पादित कार्य संविदा और प्राप्त भुगतान का विवरण प्राप्त किया और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किया। यह देखा गया कि नौ सी.टी.सी[69] में पंजीकृत 13 करदाताओं ने वित्त वर्ष 2018-21 के लिए उपरोक्त विभागों के लिए निर्माण, खनन सहायता सेवाएँ, वस्तु परिवहन, रखरखाव और मरम्मत कार्य आदि के कार्य निष्पादित किए और ₹ 261.67 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया। जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के अनुसार, उक्त आवर्त पर क्रमशः 12 और 18 प्रतिशत की दर से ₹ 45.99 करोड़ का कर देय था। आगे, जी.एस.टी. विवरणियों की जाँच में यह देखा गया कि इन करदाताओं ने क्रमशः 5 और 12 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लागू करके उक्त आवर्त पर ₹ 30.90 करोड़ का कर चुकाया था। इस प्रकार, इन करदाताओं ने जी.एस.टी. की गलत दर लागू करके ₹ 15.09 करोड़ का कम कर चुकाया, जिस पर ₹ 23.37 करोड़ का ब्याज और अर्थदंड भी देय था। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 38.46 करोड़ का कम कर संग्रह हुआ **(परिशिष्ट-VII)**।

---

[69] बोकारो, देवघर, धनबाद नागरीय, कतरास, कोडरमा, पलामू, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

यह पाया गया कि प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-7 में निष्पादित कार्यों/आपूर्ति की गई वस्तुओं की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप समुचित अधिकारियों द्वारा जी.एस.टी. दरों को सत्यापन नहीं किया जाता है।

मामला सरकार/विभाग को (जनवरी 2024) में प्रतिवेदित किया गया; विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि छः करदाताओं के मामले में प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में ₹ 23.31 करोड़ की मांग निर्गत की गई है। दो मामलों में, ₹ 2.48 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत किया गया है। शेष पांच मामलों में, प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किए गए हैं। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 3: विभाग फॉर्म जी.एस.टी.आर.-7 में आपूर्ति की गई सेवाओं/वस्तुओं की प्रकृति के संबंध में अतिरिक्त विवरणों को शामिल करने पर विचार कर सकता है ताकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जी.एस.टी. विवरणी में सही जी.एस.टी. दर के अनुप्रयोग का तिर्यक जाँच किया जा सके।

3.1.9.4 जी.एस.टी. के अधीन अस्वीकार्य छूट का लाभ उठाना

चार सी.टी.सी. में पंजीकृत चार करदाता कर छूट के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि वे कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति में शामिल थे, जिस पर जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के अधीन टी.डी.एस. काटा गया था। हालांकि, इन करदाताओं ने ₹ 27.08 करोड़ की कर योग्य आपूर्तियों पर जी.एस.टी. से त्रुटिपूर्ण छूट का लाभ उठाया था और इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.80 करोड़ के कर का कम भुगतान किया।

जैसा कि पहले कहा गया है, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017, निर्धारित करता है कि सरकार किसी भी निर्दिष्ट प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को उन पर लगने वाले कर के पूर्ण या किसी भी हिस्से से छूट दे सकती है। अधिनियम यह निर्धारित करती है कि कटौतीकर्ताओं को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान से एक प्रतिशत की दर से जे.जी.एस.टी. की कटौती करनी होगी, जहां संविदा का मूल्य ₹ 2.5 लाख से अधिक हो और सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-07 में विवरणी दाखिल करना होगा।

अन्य केंद्र/राज्य सरकार/विभागों को किए गए कार्य संविदा/आपूर्ति के निष्पादन के संबंध में जे.जी.एस.टी. के अधीन छूट का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जी.एस.टी. विवरणियों में प्राप्त छूट के साथ जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017, के अधीन पंजीकृत 198 करदाताओं के संबंध में बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., आर.सी.डी., बी.सी.डी.,

आर.डी.एस.डी., यू.एल.बी. और जे.यू.एस.एन.एल. से वित्त वर्ष 2018-21 के लिए प्राप्त भुगतान के विवरणों का तिर्यक-सत्यापन किया। यह देखा गया कि चार सी.टी.सी.[70] में पंजीकृत चार करदाताओं ने ₹ 27.08 करोड़ के आवर्त पर कर से छूट का लाभ उठाया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने इन विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ा/जी.एस.टी.आर.-7 से देखा कि उपर्युक्त आवर्त कार्य संविदा के निष्पादन से संबंधित था, जिस पर टी.डी.एस. काटा गया था और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन कर योग्य था। तदनुसार, ये करदाता कर से छूट के पात्र नहीं थे। इस प्रकार, करदाताओं द्वारा प्राप्त ₹ 27.08 करोड़ की छूट त्रुटिपूर्ण थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समुचित अधिकारियों ने संबंधित करदाताओं द्वारा घोषित कर योग्य आवर्त/दावा की गई छूट की तिर्यक-सत्यापन की पुष्टि करने के लिए कटौतीकर्ताओं के जी.एस.टी.आर.-07 में उपलब्ध भुगतान/कटौती की गई टी.डी.एस. जानकारी का उपयोग नहीं किया। आगे, सी.टी.डी. ने सत्यता की तिर्यक-सत्यापन के लिए अन्य सरकारी विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ा/सूचना भी संगृहीत नहीं की और इन करदाताओं द्वारा ₹ 27.08 करोड़ की अतिरिक्त छूट का लाभ उठाने के बारे में अनभिज्ञ रहा। परिणामस्वरूप, इन करदाताओं से लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 9.80 करोड़ का कर संग्रह नहीं किया गया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक मामले में ₹ 2.59 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत किया गया था और दो मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष एक मामले में, विभाग ने कहा कि आपूर्ति आर.सी.एम. के अधीन है, इसलिए करदाता के द्वारा उपयोग किया गया छूट सही है। विभाग का जवाब उचित नहीं है क्योंकि करदाता द्वारा प्राप्त छूट सी.सी.एल. को कार्य संविदा सेवा (कोयले का परिवहन) के निष्पादन से प्राप्त आवर्त से संबंधित है जो आर.सी.एम. के अधीन नहीं आता है। पुनः, जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 कर योग्य आवर्त पर टी.डी.एस. की कटौती निर्धारित करती है और तत्काल मामले में सी.सी.एल. के द्वारा अधिनियम की धारा 51 के अधीन टी.डी.एस. की कटौती की गई थी। इस प्रकार, करदाता का आवर्त जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन कर योग्य है।

---

70 बोकारो, देवघर, कोडरमा और रामगढ।

3.1.9.5 जे.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के आपूर्ति के समय का पालन नहीं करना

20 सी.टी.सी. में, 69 करदाताओं ने आपूर्ति के समय के प्रावधानों का पालन नहीं किया और ₹ 175.57 करोड़ की प्राप्ति का लेखांकन किया और उसपर ₹ 23.93 करोड़ की करदेयता का भुगतान प्राप्ति की तिथि से 30 से 330 दिनों के बीच विलंब से किया। परिणामस्वरूप, ये करदाता ₹ 1.03 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 12 के प्रावधानों के अधीन कर की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होती है। आपूर्ति का समय आपूर्ति पर लागू कर की दर और भुगतान के लिए देय महीने को निर्धारित करता है। सेवाओं के लिए आपूर्ति का समय आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गत करने की तिथि, भुगतान प्राप्त होने की तिथि और सेवा के प्रावधान की तिथि से पहले होगा यदि आपूर्ति के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर बीजक निर्गत नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग अवैतनिक रहता है, वह स्वयं 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाली दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017, के अधीन करदाताओं द्वारा आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन का विश्लेषण करने और समुचित अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी के लिए, लेखापरीक्षा ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017, के अधीन पंजीकृत 198 करदाताओं के संबंध में बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., आर.सी.डी., आर.डी.एस.डी., यू.एल.बी. और जे.यू.एस.एन.एल. द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-7 का विश्लेषण किया और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किया। आगे, अन्य विभागों के जी.एस.टी.आर.-7, जिनके टी.डी.एस. प्रमाणपत्र इन करदाताओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, इन करदाताओं के जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किए गए थे। यह देखा गया कि 20 सी.टी.सी.[71] में पंजीकृत 69 करदाताओं ने इन विभागों से भुगतान प्राप्त होने की तिथि से 30 से 330 दिनों के विलंब के साथ ₹ 175.57 करोड़

[71] आदित्यपुर, बोकारो, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, झरिया, कतरास, लोहरदग्गा, पलामू, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी, साहिबगंज और तेनुघाट।

का भुगतान का लेखांकन किया था और उस पर ₹ 23.93 करोड़ की कर देयता को चुकाया था। जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017, के अधीन आपूर्ति समय के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त प्राप्ति और कर देयता के चुकाने का लेखांकन भुगतान प्राप्ति के महीने में ही किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के आपूर्ति समय के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, ये करदाता विलंब से कर देयता को चुकाने के कारण ₹ 1.03 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समुचित अधिकारियों ने कटौतीकर्ताओं के जी.एस.टी.आर.-7 में निहित जानकारी का उपयोग नहीं किया और संबंधित करदाताओं के जी.एस.टी. विवरणियों का तिर्यक-सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति के समय के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले इन 69 करदाताओं की पहचान नहीं हो पाई और परिणामस्वरूप इन करदाताओं से ₹ 1.03 करोड़ का ब्याज संग्रह नहीं किया गया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जून 2024) के दौरान कहा कि सात करदाताओं के मामले में ₹ 3.17 लाख की राशि वसूल की गई है। तीन करदाताओं के मामले में ₹ 4.81 लाख के लिए प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में मांग निर्गत की गई है। 23 मामलों में, ₹ 41.40 लाख के लिए एस.सी.एन. निर्गत किए गए हैं और 32 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किए गए हैं। चार मामलों में, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है। मामलों का विवरण, विभाग का उत्तर और खंडन **तालिका 3.7** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.7: विभागीय स्पष्टीकरण का विवरण

क्र.स.	जी.एस.टी.आई.एन./ करदाता का नाम	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1	2XXXXXXXXXXXXXJ	ब्याज देय नहीं है क्योंकि ब्याज कर योग्य मूल्य में अंतर के कारण था।	यह अनियमितता ₹ 24.28 लाख के प्राप्ति आवर्त (दिसंबर 2018) के विलंबित लेखांकन (मार्च 2019) पर ब्याज का भुगतान न करने से संबंधित है।
2	2XXXXXXXXXXXXX6	वास्तविक आवर्त में कर शामिल है, अर्थात बीजक मूल्य। हालांकि	यह अनियमितता ₹ 8.33 करोड़ के प्राप्ति आवर्त के विलंबित लेखांकन (30-150 दिनों के बीच)

क्र.स.	जी.एस.टी.आई.एन./ करदाता का नाम	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
		जी.एस.टी. विवरण में आवर्त कर योग्य आवर्त है।	पर ब्याज का भुगतान न करने से संबंधित है।
3	2XXXXXXXXXXXX9	कोई विसंगति नहीं मिली।	करदाता को (जुलाई 2019 और जनवरी 2021 के बीच) डी.डब्ल्यू. एंड एस.डी. से ₹ 1.60 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था और उसने भुगतान प्राप्ति की तारीख से 30-240 दिनों के विलंब से इसे जी.एस.टी.आर.-3बी में दर्ज किया था। हालाँकि, अधिनियम के आपूर्ति समय प्रावधानों का पालन न करने के कारण देय ₹ 1.16 लाख का ब्याज नहीं चुकाया गया।
4	2XXXXXXXXXXXX7	कोई विसंगति नहीं मिली।	करदाता को (अप्रैल और जुलाई 2019 के बीच) बी.सी.डी., बी.सी.सी.एल. और जे.आई.ए.डी.ए. से ₹ 4.15 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था और उसने भुगतान प्राप्ति की तारीख से 60-120 दिनों के विलंब से इसे जी.एस.टी.आर.-3बी में दर्ज किया था। हालाँकि, अधिनियम के आपूर्ति समय प्रावधानों का पालन न करने के कारण देय ₹ 1.90 लाख का ब्याज नहीं चुकाया गया।

3.1.10 आई.बी.एम. और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ आवर्त खुलासे के बीच असंगतताएँ

आई.बी.एम. और सी.टी.डी. के बीच आंकड़ा/सूचना के आदान-प्रदान/पहुंच के लिए प्रणाली के अभाव में, तीन पट्टेदारों ने प्रेषण मात्रा समान होने के बावजूद अलग-अलग आवर्त पर रॉयल्टी और जी.एस.टी. का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप इन करदाताओं द्वारा ₹ 64.53 करोड़ का जी.एस.टी. कम भुगतान किया गया।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 2(112) के अनुसार, 'राज्य में आवर्त' का अर्थ सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के भीतर की गई छूट वाली आपूर्ति, निर्यात और वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति है। अधिनियम की धारा 61 में निर्धारित किया गया है कि उचित अधिकारी विवरणी की जांच कर सकता है और पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों को सत्यापित करने के लिए विवरणी की शुद्धता की जांच कर सकता है और उसे विसंगति के बारे में सूचित कर सकता है और उचित अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि धोखाधड़ी के कारण किसी कर का भुगतान नहीं/कम किया गया है या कर छुपाने के लिए किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाया गया है तो सूचना में निर्दिष्ट कर के बराबर अर्थदंड आरोपित करने के लिए एस.सी.एन. जारी कर सकता है। आगे, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957, की दूसरी अनुसूची में लौह अयस्क के मामले में यथामूल्य आधार पर बिक्री मूल्य के दस प्रतिशत की दर से रॉयल्टी वसूलने को निर्धारित करती है।

आई.बी.एम. और सी.टी.डी. के साथ क्रमशः रॉयल्टी और जी.एस.टी. के प्रयोजनार्थ आवर्त की घोषणा में सुसंगतता का विश्लेषण करने के लिए, छः पट्टेदारों द्वारा लौह अयस्क के प्रेषण और रॉयल्टी भुगतान के आंकड़े आई.बी.एम. से प्राप्त किए गए और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ तिर्यक-सत्यापन किया गया। एम.एम.डी.आर. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, लौह अयस्क के विक्रय मूल्य पर यथामूल्य आधार पर रॉयल्टी देय होती है और औसत विक्रय मूल्य आई.बी.एम. द्वारा मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है। विक्रय आवर्त की गणना प्रेषण मात्रा को औसत विक्रय मूल्य से गुणा करके की गई और इस प्रकार प्राप्त आवर्त को जी.एस.टी. विवरणियों में करदाताओं द्वारा खुलासा किये गए आवर्त के साथ तिर्यक-सत्यापन किया गया। यह देखा गया कि:

- आदित्यपुर सी.टी.सी. में पंजीकृत एक करदाता ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 21.24 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के प्रेषण का खुलासा किया था और

आई.बी.एम. द्वारा अधिसूचित औसत बिक्री मूल्य के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान किया था। आई.बी.एम. के औसत बिक्री मूल्य के अनुसार करदाता का आवर्त ₹ 474.52 करोड़ था। हालांकि, जी.एस.टी. विवरणियों में करदाता ने शून्य आवर्त का खुलासा किया था। यह देखा गया कि आई.बी.एम., खनन का प्रमुख विभाग होने के नाते निष्कर्षण, उत्पादन, प्रेषण, स्कंध, औसत बिक्री मूल्यों के मासिक आंकड़े प्राप्त करता है और आई.बी.एम. और सी.टी.डी. के बीच आंकड़ा मानचित्रण की प्रणाली के अभाव में, करदाता आई.बी.एम. के औसत बिक्री मूल्य पर रॉयल्टी का भुगतान कर रहा था, लेकिन लौह अयस्क के प्रेषण की मात्रा समान होने के बावजूद जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, सी.टी.डी. के साथ दाखिल विवरणियों में ₹ 474.52 करोड़ के आवर्त का बेमेल था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जे.जी.एस.टी. अधिनियम और नियमावली में प्रमुख खनिजों के लेन-देन वाले करदाताओं द्वारा जी.एस.टी. के भुगतान के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा कि एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अधीन इन करदाताओं द्वारा रॉयल्टी के भुगतान के लिए मौजूद है। इसके अनुपस्थिति में, लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 64.53 करोड़ के संभावित वसूली योग्य राजस्व के लिए उगाही नहीं की जा सकी।

- चाईबासा सी.टी.सी. में पंजीकृत दो करदाताओं ने वित्त वर्ष 2018-20 के दौरान 9.05 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क प्रेषित किया और आई.बी.एम. द्वारा अधिसूचित औसत बिक्री मूल्य के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया था। इन करदाताओं का आवर्त, जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था, ₹ 193.42 करोड़ था। हालांकि, जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन दाखिल जी.एस.टी. विवरणियों में, इन करदाताओं ने केवल ₹ 173.01 करोड़ के आवर्त का खुलासा किया था। इस प्रकार, जी.एस.टी. विवरणियों में ₹ 20.41 करोड़ के आवर्त का बेमेल था। हालांकि, लेखापरीक्षा, प्रेषण और अन्य अभिलेखों की वास्तविक बिक्री मूल्य की अनुपलब्धता के कारण जी.एस.टी. विवरणियों में करदाताओं द्वारा दाखिल आवर्त को सत्यापित नहीं कर सका।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक मामले में ₹ 64.53 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत किया गया है और एक मामले में प्रपत्र ए.एस.एम्.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष एक मामले में विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति मान्य नहीं पाई गई। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह विशिष्ट कारणों/दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

अनुशंसा संख्या 04: विभाग राज्य में वृहत खनिज भंडारों को देखते हुए जी.एस.टी. के अधीन कर योग्य आवर्त के सत्यापन के लिए आई.बी.एम. द्वारा घोषित खनिजों के औसत बिक्री मूल्य का लाभ उठाने पर विचार कर सकता है।

3.1.11 डी.जी. एंड एस.डी. (सीमा शुल्क) के आंकड़ा/सूचना और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच आयात पर आई.जी.एस.टी. भुगतान में विसंगति

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 42 में यह निर्धारित करता है कि किसी प्राप्तकर्ता द्वारा किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत प्रत्येक आवक आपूर्ति का विवरण, निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के भीतर, उसके द्वारा आयातित वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1975, की धारा 3 के अधीन भुगतान किए गए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के साथ मिलान किया जाएगा। डी.जी. एवं एस.डी. (सीमा शुल्क) के साथ भुगतान किए गए आई.जी.एस.टी. की घोषणा और जी.एस.टी. विवरणियों में घोषित आयात मूल्य/आई.जी.एस.टी. भुगतान की सुसंगतता का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकृत 15 करदाताओं के संबंध में आयात और भुगतान किए गए आई.जी.एस.टी. के आंकड़े प्राप्त किए और जी.एस.टी. विवरणियों के साथ उनका तिर्यक जाँच किया। तीन सी.टी.सी.[72] में पंजीकृत तीन करदाताओं के मामले में यह देखा गया कि इन करदाताओं ने 2018-21 के दौरान ₹ 27.17 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य के लिए स्टीम कोल, कॉपर मोल्ड ट्यूब, विध्वंस मशीन, वाइल्डिंग वायर, प्री-बरीड स्टील, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग उपकरण के पुर्जे आदि का आयात किया था और ₹ 4.12 करोड़ का आई.जी.एस.टी. का भुगतान किया था। हालांकि, जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अधीन इन करदाताओं द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-9/जी.एस.टी.आर.-9सी के अनुसार, इन करदाताओं ने वस्तु के आयात मूल्य का खुलासा नहीं किया और केवल ₹ 0.71 करोड़ के आई.जी.एस.टी. भुगतान का खुलासा किया। आयातित माल का यह कम लेखांकन, जावक आपूर्ति को छुपाने का संकेत हो सकता है। इस प्रकार, इन करदाताओं ने ₹ 27.17 करोड़ के आयातित वस्तुओं का कम लेखांकन किया और ₹8.48 करोड़ के लागू ब्याज और अर्थदंड सहित आई.जी.एस.टी. का भुगतान किया था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि दो मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम्.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष एक मामले में, विभाग ने कहा कि जैसा कि लेखापरीक्षा

---

72 चाईबासा, गोड्डा और जमशेदपुर।

द्वारा बताया गया है, आयात पर भुगतान किए गए आई.जी.एस.टी. का खुलासा करदाता ने जी.एस.टी. विवरणियों में किया है और उसके द्वारा आई.टी.सी. का लाभ उठाया गया है, इसलिए आयात आवर्त की कम रिपोर्टिंग मौजूद नहीं है। विभाग के उत्तर का विश्लेषण किया गया और देखा गया कि डी.जी.&एस.डी.(सीमा शुल्क) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार करदाता ने ₹ 8.53 करोड़ के वस्तुओं का आयात किया था और ₹ 1.63 करोड़ का आई.जी.एस.टी. भुगतान किया था। हालांकि, करदाता ने जी.एस.टी.आर.-9/जी.एस.टी.आर.-3B में केवल ₹ 0.71 लाख के आयात पर आई.जी.एस.टी. के भुगतान का खुलासा किया था और समान राशि के लिए आई.टी.सी. का लाभ उठाया था।

3.1.12 जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन टी.डी.एस. की कटौती और जमा में अनियमिताएं

विभाग ने निर्धारित एक प्रतिशत से कम टी.डी.एस. काटने वाले दो कर कटौतीकर्ताओं और कम टी.डी.एस. कटौती करने वाले तीन कर कटौतीकर्ताओं की पहचान नहीं की क्योंकि कर कटौतीकर्ताओं द्वारा जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी नहीं की गई थी। फलस्वरूप, इन करदाताओं द्वारा ₹ 1.61 करोड़ कम काटे गए टी.डी.एस. की पहचान नहीं की गई।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 निर्धारित करती है कि सरकार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान से एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने के लिए कटौतीकर्ता को अधिदेश कर सकती है, जहां संविदा के अंतर्गत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक है। जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 66(1) निर्धारित करता है कि स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए आवश्यक प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रत्येक महीने की 10 तारीख को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-7 में विवरणी प्रस्तुत करना होगा। आगे, यदि कोई कटौतीकर्ता उप-धारा (1) के अधीन कर के रूप में काटी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कटौती की गई कर की राशि के अलावा, धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा।

जी.एस.टी.आर.-7 उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला एक मासिक विवरणी है जो जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन टी.डी.एस. काटते हैं, जिसमें कटौतीग्राही वाले का नाम, कटौतीग्राही वाले को भुगतान की गई राशि, कर कटौती और किए गए प्रेषण का विवरण होता है। कटौती की गई राशि का भुगतान कटौतीकर्ता द्वारा उस माह के

अंत के दस दिनों के भीतर सरकार को किया जाएगा जिस माह में कटौती की जाती है। कटौतीकर्ता द्वारा कटौती की गई राशि के क्रेडिट के पांच दिनों के भीतर संविदा मूल्य, कटौती की दर, सरकार को काटी गई/भुगतान की गई राशि का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र कटौतीग्राही को प्रस्तुत किया जाएगा।

कटौतीकर्ताओं द्वारा जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन का विश्लेषण करने और समुचित अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 208 करदाताओं के संबंध में आर.सी.डी., बी.सी.डी., आर.डी.एस.डी., डी.डब्ल्यू. एंड एस.डी., जे.यू.एस.एन.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-7 प्राप्त किया। प्राप्त आंकड़ों का नमूना लिए गए करदाताओं के जी.एस.टी. विवरणियों के साथ मिलान किया गया और टी.डी.एस. कटौती में अनियमितताएं पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

- यह देखा गया कि राँची पश्चिमी और गुमला सी.टी.सी. में पंजीकृत दो विभागों[73] ने वित्तीय वर्ष 2019-21 के लिए दाखिल जी.एस.टी.आर.-7 के अनुसार दो करदाताओं को ₹ 65.07 लाख के भुगतान पर ₹ 1.23 लाख का टी.डी.एस. की कटौती की थी। हालांकि, ₹ 8.69 करोड़ के वास्तविक भुगतान पर ₹ 17.38 लाख (प्रत्येक एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. का एक-एक प्रतिशत) के टी.डी.एस. की कटौती की जानी आवश्यक थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.15 लाख का टी.डी.एस. की कम कटौती की गयी।
- यह देखा गया कि तीन सी.टी.सी.[74] में पंजीकृत तीन विभागों[75] ने चार करदाताओं को किए गए ₹ 264.84 करोड़ के भुगतान (सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. को छोड़कर) का खुलासा वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दाखिल जी.एस.टी.आर.-7 में किया है और ₹ 5.30 करोड़ का टी.डी.एस. (प्रत्येक पर एक प्रतिशत एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.) की कटौती की है। पुनः, संबंधित करदाताओं के जी.एस.टी. विवरणियों की जाँच में देखा गया कि इन विभागों ने वास्तव में इन करदाताओं को ₹ 337.24 करोड़ का भुगतान किया है, जिस पर अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 6.74 करोड़ का टी.डी.एस. की कटौती की जानी आवश्यक थी। इस प्रकार, ₹ 1.45 करोड़ का टी.डी.एस. कम कटौती की गयी थी।

73 सी.सी.एल. और ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन (आर.ई.ओ.)।

74 चाईबासा, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

75 डी.डब्ल्यू. एंड एस.डी., चाईबासा, जे.यू.एस.एन.एल. और राँची नगर निगम।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कर कटौतीकर्ताओं द्वारा जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए विभाग में तंत्र मौजूद नहीं था। इसके अलावा, समुचित अधिकारियों ने कटौतीकर्ताओं के जी.एस.टी.आर.-07 और करदाताओं के जी.एस.टी. विवरणियों में निहित जानकारी का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले पाँच कटौतीकर्ताओं की पहचान नहीं हो पाई और ₹ 1.61 करोड़ का टी.डी.एस. कम कटौती हुई।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि एक मामले में ₹ छः हजार की राशि वसूल की गई। चार मामलों में ₹ 1.44 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत किया गया और एक मामले में प्रपत्र ए.एस.एम्.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया था। पुनः जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2026)।

3.1.13 निष्कर्ष

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.प.) विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार के विभागों के साथ समान करदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा/सूचना के तिर्यक जाँच और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन दाखिल विवरणियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया था, ताकि अन्य सरकारी विभागों से आंकड़ा/सूचना संग्रह करने के लिए नियमों की पर्याप्तता और जी.एस.टी. विवरणियों में करदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सूचना अन्य सरकारी विभागों को प्रदान की गई सूचना की तुलना में निरंतरता का आकलन किया जा सके।

विभाग ने जाँच ब्यूरो का गठन किया था और इसे आंतरिक/बाह्य स्त्रोतों से बिक्री/क्रय और आवर्त से संबंधित आंकड़ों/सूचनाओं के संग्रह और उसके तिर्यक जाँच का कार्य सौंपा था। तथापि, विभाग ने संबंधित व्यक्तियों से सूचना/आंकड़े संग्रह करने के लिए कोई तंत्र/सूचना विवरणी निर्धारित नहीं की थी और उन स्त्रोतों की पहचान नहीं की थी जहां से जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 150 के उपबंधों के अधीन सूचना विवरणी संग्रह किया जाना आवश्यक था। आई.बी. द्वारा बाह्य/आंतरिक स्रोतों से आंकड़ा/सूचना संग्रह करने के लिए मौजूदा तंत्र प्रभावी नहीं था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पाँच में से चार प्रमण्डलों ने बाह्य/आंतरिक स्रोतों से सूचना संगृहीत नहीं की थी।

विभाग ने 34 अपंजीकृत, गैर-माइग्रेटेड और रद्द किए गए करदाताओं की पहचान नहीं की थी, जिन्होंने लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹35.95 करोड़ का कर अपवंचन किया, 111 करदाताओं ने आवर्त में बेमेल के कारण लागू ब्याज और अर्थदंड सहित

₹ 243.00 करोड़ के कर का कम भुगतान किया, 16 करदाताओं ने जी.एस.टी. की त्रुटिपूर्ण दर लागू करके लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 58.08 करोड़ का कर कम भुगतान किया, सात करदाताओं ने अस्वीकार्य छूट का लाभ उठाकर लागू ब्याज और अर्थदंड सहित ₹ 17.18 करोड़ का कर कम भुगतान किया, और 69 करदाताओं ने प्राप्तियों के लेखांकन में विलंब और परिणामस्वरूप कर के भुगतान में विलंब के कारण ₹ 1.03 करोड़ का ब्याज का भुगतान नहीं किया, जो आई.टी.डी. और अन्य केंद्र और राज्य सरकार/विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ा/सूचना संग्रहण नहीं करने या जी.एस.टी.एन. में दाखिल विवरणियों को तिर्यक जाँच करने के लिए आंकड़ा/सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान/पहुंच के लिए एक तंत्र स्थापित नहीं करने के कारण हुआ।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अधीन दाखिल विवरणी का आई.बी.एम. के पास उपलब्ध जानकारी और सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन किए गए आयातों से सत्यापन नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.17 करोड़ के आयात आवर्त में विसंगति की पहचान नहीं हो पाई और तत्पश्चात तीन करदाताओं द्वारा ₹ 8.48 करोड़ के आई.जी.एस.टी. का कम भुगतान किया गया। पुनः, आई.बी.एम. द्वारा घोषित विक्रय मूल्य पर जी.एस.टी. लगाने के प्रावधान के अभाव में कम आवर्त की घोषणा करने वाले तीन करदाताओं और परिणामी ₹ 64.53 करोड़ के जी.एस.टी. के कम किए गए भुगतान की पहचान नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष वे हैं जो आई.टी.डी. और अन्य केंद्र/राज्य सरकार/विभागों से प्राप्त चयनित लेखापरीक्षा नमूनों में सामने आए हैं और ऐसी संभावना है कि अन्य मामलों में भी यही अनियमितताएँ बनी रह सकती है। सी.टी.डी. सभी वाणिज्य कर अंचलों में अन्य सभी मामलों की गहन जाँच कर सकता है और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

3.1.14 अनुशंसाओं का सारांश

विभाग विचार कर सकता है:

1. सूचना विवरणी दाखिल करने के लिए प्रपत्र, तरीके और आवधिकता और बाह्य/आंतरिक स्रोतों से आंकड़ों/सूचना के संग्रहण का अनुश्रवण और उनका जी.एस.टी. विवरणियों के साथ सत्यापन करने के संदर्भ में तंत्र निर्धारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

2. आवर्त, छूट का लाभ उठाने और जी.एस.टी. की सही दर के अनुप्रयोग को सत्यापित करने के लिए आई.टी.डी. और सी.टी.डी. के बीच आंकड़ा/सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान/पहुंच के लिए एक प्रणाली लागू करना।

3. फॉर्म जी.एस.टी.आर.-7 में आपूर्ति की गई सेवाओं/वस्तुओं की प्रकृति के संबंध में अतिरिक्त विवरणों को शामिल करना ताकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जी.एस.टी. विवरणी में सही जी.एस.टी. दर के अनुप्रयोग का तिर्यक जाँच किया जा सके।
4. राज्य में वृहत खनिज भंडारों को देखते हुए जी.एस.टी. के अधीन कर योग्य आवर्त के सत्यापन के लिए आई.बी.एम. द्वारा घोषित खनिजों के औसत बिक्री मूल्य का लाभ उठाना।

3.2 जी.एस.टी. भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी

3.2.1 परिचय

जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। इसने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले अनेक करों का स्थान ले लिया है। केंद्र और राज्य एक ही कर दर पर एक साथ जी.एस.टी. लगाते हैं। केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.)/केंद्र शासित प्रदेश जी.एस.टी. (यू.टी.जी.एस.टी.) राज्यान्तर्गत आपूर्तियों पर लगाया जाता है, और एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर लगाया जाता है। जी.एस.टी. के पाँच वर्षों में, कर प्रणाली तंत्र प्रशासन के साथ-साथ करदाताओं की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हो रही है। लगातार बढ़ते कर आधार के साथ, जी.एस.टी. राजस्व सरकार के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है।

झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (जे.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017, की धारा 59 जी.एस.टी. को एक स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अधीन कर देयता की गणना, चुकाई गई कर देयता की गणना और विवरणियों को दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। स्व-मूल्यांकन तंत्र करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी सत्यापन तंत्र की आवश्यकता पर बल देता है। इस प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान किए गए हैं, जिससे समुचित अधिकारी को करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और संबंधित विवरणों की जाँच करने, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित करने और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार दिया गया है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 42 में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के मिलान, वापसी और पुनः दावा का प्रावधान किया गया है तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित जावक कर देयता के साथ प्राप्तकर्ता द्वारा दावा किए गए आई.टी.सी. के मिलान के लिए एक

तंत्र निर्धारित किया गया है। विधि के अधीन निर्धारित मिलान सिद्धांत के अनुसार, आई.टी.सी. केवल तभी लिया जा सकता है जब प्राप्तकर्ता आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार करता है और विलोमतः। विसंगति और स्वीकृति/उपयुक्त सुधार न किया गया हो उस हद तक प्राप्तकर्ता को उस आई.टी.सी. को वापस करना आवश्यक है। तथापि, तकनीकी अपर्याप्तताओं और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों के कारण विवरणियों के दाखिल में क्रेडिट मिलान प्रक्रिया को औपचारिक रूप से 2022 में समाप्त कर दिया गया था। गैर-स्वचालन के साथ-साथ करदाताओं के स्व-निर्धारित सारांश विवरणियों के आधार पर आई.टी.सी. और कर भुगतानों की अनुमति देने की प्रक्रिया विभाग के समुचित अधिकारियों द्वारा विवरणी की जांच के महत्व को बढ़ाती है ताकि संभावित राजस्व रिसाव से बचाव और विवेकहीन करदाताओं द्वारा कदाचार के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य किया जा सके।

यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.प.) कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए की गई और इस नई कर व्यवस्था में झारखण्ड सरकार के वाणिज्य कर विभाग (सी.टी.डी.) की निगरानी तंत्र को शामिल किया गया है।

3.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

"जी.एस.टी. भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी" की लेखापरीक्षा जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत कर अनुपालन और गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की दिशा में उन्मुख था। यह लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया था ताकि इस बात का आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

i. क्या नियमावलियाँ और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा के अनुसार तैयार की गई थी और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

ii. क्या अंचलों की जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

3.2.3 लेखापरीक्षा पद्धति और क्षेत्र

यह वि.वि.अ.ले.प. मुख्य रूप से आँकड़ा विश्लेषण के आधार पर संचालित किया गया, जिसमें अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और खतरे के

संकेतों पर प्रकाश डाला गया। आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट, आवर्त और कर भुगतान, पंजीकरण, विवरणियों को दाखिल नहीं करने और ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के क्षेत्रों में 15 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई। इस तरह के विचलनों को एक **केंद्रीकृत लेखापरीक्षा**[76] के माध्यम से अनुवर्ती पालन किया गया, जिससे इन विचलनों को संबंधित वाणिज्य कर अंचलों (सी.टी.सी.) को सूचित किया गया और पहचान की गई विचलनों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई को बिना क्षेत्रीय दौरों को शामिल किए निर्धारित किया गया।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा को सी.टी.सी. के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरा से जुड़ी **विस्तृत लेखापरीक्षा** द्वारा पूरक किया गया था। करदाताओं के संबंध में आँकड़ा/दस्तावेजों (जैसे-पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणियों और अन्य विभागीय कार्यों) की जाँच करने के लिए विवरणियों और संबंधित अनुलग्नकों एवं सूचनाओं को, जितना संभव हो उतना वस्तु एवं सेवा नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से प्रासंगिक विस्तृत अभिलेखों तक पहुंचना भी शामिल था जैसे कि संबंधित सी.टी.सी. से बीजक। इसके अलावा, चयनित अंचलों में विभागीय अनुपालन कार्यों जैसे विवरणियों की जाँच, विवरणियों को विलंब और दाखिल नहीं किए जाने की कार्रवाई, पंजीकरण के निरस्तीकरण की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि शामिल थी, जबकि चयनित सी.टी.सी. के कार्यों की लेखापरीक्षा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक की अवधि को अन्तर्निहित करती थी। इस वि.वि.अ.ले.प. में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा फरवरी से मार्च 2024 तक आयोजित किया गया था।

इस वि.वि.अ.ले.प. का प्रवेश सम्मेलन 21 जुलाई 2023 को सचिव, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। 27 सितम्बर 2024 को सचिव, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मसौदा प्रतिवेदनों के लिखित उत्तरों को प्रासंगिक कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

---

[76] केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के विस्तृत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरणी से संबंधित खाता बही, बीजक, करार आदि की माँग करना शामिल नहीं था।

3.2.4 लेखापरीक्षा नमूना

मूलभूत लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की योजना के लिए आँकड़ा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस वि.वि.अ.ले.प. के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलन का एक समूह जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जाँच शामिल थी; और उनके द्वारा निष्पादित अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए सी.टी.सी. का नमूना चयन भी शामिल था।

इस वि.वि.अ.ले.प. के निम्नलिखित तीन अलग-अलग भाग थे:

भाग I - सी.टी.सी. के कार्यों की लेखापरीक्षा

सी.टी.सी. के कार्यों के लिए नमूना चयन उन अंचलों की पहचान करके किया गया जिनमें विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी और उन अंचलों को छोड़कर जिन्हें विगत वर्ष पहले ही शामिल किया जा चुका है। तदनुसार, 10 सी.टी.सी.[77] का चयन उनके निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के लिए किया गया था।

भाग II - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन और विवरणियों के बीच विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया था। तदनुसार, 360 करदाताओं से संबंधित 388 विचलनों की सूचना सभी 28 सी.टी.सी. को दी गई तथा इन विचलनों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया।

भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए सी.टी.सी. के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों तक पहुंच कर संचालित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना जैसे कि अतिरिक्त आई.टी.सी., कर देयता बेमेल, कुल आवर्त के अनुपातहीन छूट वाले आवर्त और अनियमित

[77] आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद नागरीय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंहभूम, और तेनुघाट।

आई.टी.सी. वापसी जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर चुना गया था। आठ सी.टी.सी.[78] में पंजीकृत 70 करदाताओं, जिनमें बड़े[79], मध्यम[80] और छोटे[81] स्तर के करदाता शामिल थे, को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

3.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में जे.जी.एस.टी. अधिनियम, आई.जी.एस.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका 3.8** में दिए गए हैं:

तालिका 3.8: लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम एवं नियमावली
1	उदग्रहण और संग्रहण	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 9
2	रिवर्स प्रभार तंत्र (आर.सी.एम.)	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 9(3)
3	आई.टी.सी. का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 16 से 21; जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25; जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 8 से 26
5	आपूर्तियाँ	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 7 और 8; जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 12 से 14
8	आपूर्तियों का मूल्यांकन	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 15 जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 27 से 34
9	कर का भुगतान	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 49 से 53 जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 85 से 88ए

---

78 आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची विशेष, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

79 प्रथम श्रेणी में बड़े करदाता (39) शामिल हैं - आवर्त के आधार पर करदाताओं का शीर्ष 0.50 प्रतिशत।

80 दूसरी श्रेणी में मध्यम करदाता (21) शामिल हैं - शेष करदाता जिनका न्यूनतम आवर्त ₹10 करोड़ है।

81 तीसरी श्रेणी में सबसे निचली स्तर शामिल है (10) - शेष करदाता जिनका न्यूनतम आवर्त ₹2.5 करोड़ है।

तालिका 3.8: लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम एवं नियमावली
10	जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल करना	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 37 से 47 जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 59 से 68 और 80 से 81
11	जीरो-रेटेड आपूर्तियाँ	आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 16
12	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 61, 62, 65 और 66 जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 99 से 102

इसके अलावा, विवरणियाँ दाखिल करने से संबंधित सी.टी.डी. द्वारा निर्गत अधिसूचनाएं और परिपत्र, विभिन्न विवरणियाँ दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करना, विवरणियाँ दाखिल करने की नियत तारीखों का विस्तार करना, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आई.टी.सी. का लाभ उठाना और उपयोग करना, विवरणियों की जाँच और कर अनुपालन की निगरानी और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) जिसमें विवरणियों को दाखिल करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश, विवरणियों की जांच, पंजीकरण रद्द करने आदि भी लेखापरीक्षा मानदंड का हिस्सा बनीं।

लेखापरीक्षा परिणाम:

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. विवरणियों को दाखिल करने पर निगरानी एवं अन्य निगरानी कार्य;

ख. केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम; और

ग. विस्तृत लेखापरीक्षा के परिणाम।

3.2.6 विवरणियों को दाखिल करने पर निगरानी

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा की गई व्यवसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की विधिवत घोषणा करते हुए एक पूर्ण और सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा विवरणियों को दाखिल करने की निगरानी का महत्व अधिक महत्व प्राप्त करता है क्योंकि विवरणी करदाताओं और उनकी संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

विवरणी दाखिल करने के लिए अपर्याप्त जाँच तंत्र: 10 सी.टी.सी. के एक नमूने में से, लेखापरीक्षा ने सभी 10 सी.टी.सी. में विवरणी दाखिल करने पर निगरानी तंत्र का सत्यापन किया और देखा कि विभाग ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 61 के अधीन समुचित अधिकारियों द्वारा विवरणी की जाँच के लिए अवधि के दौरान एक मैनुअल/एस.ओ.पी. तैयार नहीं किया है, इस प्रकार जोखिम मापदंडों के आधार पर विवरणियों की जाँच को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं की कम पहचान हुई, अनुवर्ती रेड-फ्लैग मामलों का प्रसारण और बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ा/सूचना का उपयोग नहीं हो सका।

सभी चयनित सी.टी.सी. में विवरणी दाखिल न करने वालों से मांग की वसूली तथा विलंब से विवरणी दाखिल करने वालों पर ब्याज लगाने की व्यवस्था अपर्याप्त थी। सभी 10 चयनित सी.टी.सी. में जहाँ ए.एस.एम.टी.-13, डी.आर.सी.-07 निर्गत करने और वसूली विवरण से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि बकाएदारों के मामलों में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। आगे, सभी चयनित सी.टी.सी. में, जी.एस.टी.आर.-3ए (जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल नहीं करने वाले बकाएदारों के लिए सूचना) निर्गत करने और विलंब से दाखिल करने वालों पर ब्याज की वसूली की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। फलस्वरूप, ₹ 21.08 करोड़ का ब्याज उनसे वसूल नहीं किया गया। इसके अलावा, ए.एस.एम.टी.-13 (ऐसे मामलों में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन आदेश जहाँ करदाताओं ने जी.एस.टी.आर.-3ए सूचना का अनुपालन नहीं किया है) और डी.आर.सी.-07 (ए.एस.एम.टी.-13 के अनुवर्ती मांग आदेश का सारांश) निर्गत करने का भी पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बकाएदारों से ₹ 4.34 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

3.2.6.1 विलंब से दाखिल और दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई में कमी

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 46, के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 68, प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3ए में एक सूचना निर्गत करने का प्रावधान करती है जिसमें नियत तारीख के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहने पर 15 दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता ऐसी सूचना के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो समुचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं और प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश निर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 47 में विवरणी दाखिल करने में चूक पर

प्रति दिन ₹ एक सौ विलंब शुल्क लगाने का प्रावधान है, जो अधिकतम ₹ पाँच हजार तक हो सकता है। विवरणियों को दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है, क्योंकि दोनों कार्यों के लिए नियत तिथि एक ही है, जिसका तात्पर्य विवरणी दाखिल नहीं करने के मामले में कर/अर्थदण्ड का भुगतान न करने के जोखिम से है। जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 78 यह निर्धारित करता है कि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कर योग्य व्यक्ति द्वारा संदेय किसी राशि को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की सेवा की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वसूली कार्यवाही आरंभ की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में समयावधि तीन माह से कम भी हो सकती है यदि यह सरकार के हित में उचित हो।

➢ **विवरणी दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई लेकिन पूरी नहीं हुई**

अंचलों के कार्यों के लेखापरीक्षा के दौरान, चयनित 10 सी.टी.सी. द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह पता चला कि समुचित अधिकारियों द्वारा 3,371 विवरणी दाखिल न करने वालों करदाताओं की पहचान की गई और 2020-21 की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के कारण 2,008 करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया।

हालांकि, विभाग के बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ा/सूचना के अनुसार, 2020-21 अवधि के दौरान, चयनित सी.टी.सी. में कुल 3,675 करदाता विवरणियों को दाखिल नहीं किया था, जिनमें से 1,782 करदाता लगातार छः महीने की अवधि तक विवरणियों को दाखिल नहीं किया था। 1,698 करदाताओं का पंजीकरण छः से 1,907 दिनों के बीच के विलंब से निरस्त किया गया, जबकि 61 विवरणियों को दाखिल न करने वाले करदाताओं का पंजीकरण निर्धारित समय के भीतर निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 23 ऐसे करदाताओं की पहचान की जिन्होंने विवरणियों को दाखिल नहीं किया था, जिनके विरुद्ध समुचित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और पंजीकरण निरस्त करने संबंधी कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप वे विवरणियों को दाखिल किए बिना पंजीकृत करदाताओं का लाभ उठा सकते हैं।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा (सितंबर 2024) कि तीन[82] सी.टी.सी. के संबंध में विवरणियों को दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई में विलंब कोविड-19 महामारी के कारण हुई। इसके

[82] आदित्यपुर, चाईबासा और सिंहभूम।

अलावा, शेष सात[83] सी.टी.सी. में लेखापरीक्षा अवलोकन का सत्यापन किया जा रहा है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

- **जी.एस.टी. विवरणी को विलंब से दाखिल करने वालों पर ब्याज की कम वसूली**

अंचलों के लेखापरीक्षा कार्यों के दौरान, चयनित 10 सी.टी.सी. द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं से यह देखा गया कि 2020-21 के दौरान, समुचित अधिकारियों द्वारा 2,066 विलंब से विवरणियों को दाखिल करने वालों की पहचान की गई थी और ₹ 0.26 करोड़ का ब्याज वसूला गया था। हालांकि, विभाग के बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के अनुसार, 2020-21 की अवधि के दौरान चयनित सी.टी.सी. में कुल 14,047 विलंबित दाखिलकर्ता थे, जिन पर देय ब्याज ₹ 21.34 करोड़ था। परिणामस्वरूप, ₹ 21.08 करोड़ का ब्याज वसूल नहीं किया गया **(परिशिष्ट VIII)**।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024)। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि धनबाद नागरीय सी.टी.सी. में ₹ 1.68 करोड़ का ब्याज वसूल किया गया और चाईबासा सी.टी.सी. में ₹ 2.53 करोड़ की मांग उठाई गई। आदित्यपुर और सिंहभूम सी.टी.सी. में संबंधित करदाताओं को सूचना निर्गत किए गए और शेष छः[84] सी.टी.सी. से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन सत्यापन के अधीन हैं। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

- **सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन की शुरुआत न करना**

विवरणियों को दाखिल न करने की स्थिति में जी.एस.टी.आर.-3ए में सूचना निर्गत करने की उचित प्रक्रिया और उसके बाद प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का पालन सभी मामलों में नहीं देखा गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 10 सी.टी.सी. में, 2020-21 के दौरान, 3,371 विवरणियों को दाखिल नहीं करने वालों की पहचान समुचित अधिकारियों द्वारा की गई थी, हालांकि, जी.एस.टी.आर.-3ए में सूचनाएं केवल 3,052 विवरणियों को दाखिल नहीं करने वालों के मामले में निर्गत किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1,947 करदाताओं ने जी.एस.टी.आर.-3ए के अनुसरण में अपना विवरणी दाखिल किया। समुचित अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर विवरणियों को दाखिल न करने वाले 1,105 करदाताओं के मामले में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता थी; हालांकि, समुचित अधिकारी

---

83 बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद नागरीय, झरिया, राँची पूर्वी और तेनुघाट।

84 बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, झरिया, राँची पूर्वी और तेनुघाट।

ने केवल 118 करदाताओं (10.68 प्रतिशत मामलों) को ही ए.एस.एम.टी.-13 निर्गत किया। आगे, इन सी.टी.सी. के समुचित अधिकारियों ने ₹ 4.34 करोड़[85] की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन और प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में आदेशों का सारांश निर्गत करने के बाद वसूली कार्यवाही के लिए प्रयास नहीं की।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि तीन[86] सी.टी.सी. में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन निर्गत किया गया था। शेष सात[87] सी.टी.सी. से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन सत्यापन के अधीन हैं। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

3.2.6.2 विवरणियों की जाँच की धीमी गति

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा विवरणियों की जाँच की जानी चाहिए और विवरणियों में दिखाई देने वाली विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए नामित समुचित अधिकारी, उपायुक्त राज्य कर (डी.सी.एस.टी.)/सहायक आयुक्त राज्य कर (ए.सी.एस.टी.) हैं। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 99, में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि यदि कोई विसंगतियां पाई जाती है तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचित किया जाएगा। समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में संतोषजनक स्पस्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां पंजीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात उस माह की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारात्मक उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन उचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य बकाया राशि का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा।

लेखापरीक्षा ने विभाग की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) प्रतिवेदन में उपलब्ध जानकारी की जाँच की और पाया कि 2020-21 की अवधि के दौरान 10 चयनित

---

85 कुल वसूली योग्य बकाया राशि ₹4.81 करोड़ थी, जिसमें से विभाग द्वारा ₹0.47 करोड़ की राशि वसूल की गई।

86 आदित्यपुर, चाईबासा और धनबाद नागरीय।

87 बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, झरिया, राँची पूर्वी, सिंहभूम और तेनुघाट।

सी.टी.सी. में कुल 5,00,785 जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल किए गए थे। हालांकि, इन सी.टी.सी. के समुचित अधिकारियों ने केवल 6,109 विवरणियों के संबंध में जाँच की थी। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि दाखिल किए गए कुल जी.एस.टी.आर.-3बी में से दो प्रतिशत से भी कम की विभाग द्वारा जाँच की गई और करदाताओं के चयन के लिए कोई जोखिम-आधारित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि आदित्यपुर और चाईबासा सी.टी.सी. में कोविड-19 महामारी के कारण जाँच की गति धीमी थी। शेष आठ[88] सी.टी.सी. में लेखापरीक्षा अवलोकन सत्यापन प्रक्रिया के अधीन है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

- **आई.टी.सी./कर देयता के बेमेल की जाँच न करना**

लेखापरीक्षा ने सभी 10 सी.टी.सी. के संबंध में 2020-21 की अवधि के लिए विभाग के बैकएंड पोर्टल में उपलब्ध आँकड़ा/सूचना की जाँच की, जो जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-2ए के बीच आई.टी.सी. के बेमेल और जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच देय कर के बेमेल से संबंधित थी और देखा कि 29,709 विवरणियों के संबंध में, जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध पात्र आई.टी.सी. की तुलना में जी.एस.टी.आर.-3बी में ₹ 1,162.82 करोड़ का आई.टी.सी. बेमेल पाया गया। आगे, 19,247 विवरणियों के संबंध में जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच देय कर का बेमेल ₹ 204.12 करोड़ था। समुचित अधिकारियों द्वारा इन विवरणियों की जाँच नहीं की गई थी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि आदित्यपुर और चाईबासा सी.टी.सी. में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शेष आठ[89] सी.टी.सी. में लेखापरीक्षा अवलोकन का सत्यापन प्रक्रिया के अधीन है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

- **जाँच सूचना निर्गत करने में विलंब**

लेखापरीक्षा ने 10 चयनित सी.टी.सी. के 631 करदाताओं के मैनुअल अभिलेखों[90] की जाँच की, जिनकी विवरणियों को 2022-23 के दौरान समुचित अधिकारियों द्वारा जाँच

88 बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद नागरीय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंहभूम, और तेनुघाट।

89 बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद नागरीय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंहभूम, और तेनुघाट।

90 समुचित अधिकारी का आदेश पत्र, करदाता को निर्गत किए गए पत्राचार/सूचना आदि।

की गई थी। छः सी.टी.सी.[91] में पाया गया कि 30 करदाताओं के मामले में प्रपत्र डी.आर.सी.-01 में सूचना दो से 310 दिनों की विलंब से निर्गत किए गए थे।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि सिंहभूम सी.टी.सी. में दो मामलों में वसूली हो चुकी है। चिरकुंडा सी.टी.सी. में तीन मामलों में प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में मांग निर्गत किए गए हैं। चार[92] सी.टी.सी. में शेष 25 मामलों में सूचना निर्गत किए गए हैं। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अधिनियम की धारा 61 के अधीन समुचित अधिकारियों द्वारा विवरणी की जाँच के लिए एक मैनुअल/एस.ओ.पी. तैयार नहीं किया है और विवरणियों की पहचान केवल जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ा/सूचना के आधार पर की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप जोखिम आधारित चयन की कमी और बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ा/सूचना का उपयोग नहीं हो पाया।

➢ **बकाया राशि वसूलने के लिए अपर्याप्त प्रयास**

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 78 यह निर्धारित करता है कि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कर योग्य व्यक्ति द्वारा संदेय किसी राशि को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की सेवा की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वसूली कार्यवाही आरंभ की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में समयावधि तीन माह से कम भी हो सकती है यदि यह युक्ति सरकार के हित में हो।

लेखापरीक्षा ने 10 चयनित सी.टी.सी. में विवरणियों की जाँच के बाद की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जाँच की। सभी चयनित सी.टी.सी. में यह देखा गया कि 2018-23 की अवधि के दौरान, विभाग द्वारा कुल 19,421 विवरणियों की जाँच की गई और ₹ 705.01 करोड़ की अतिरिक्त मांग के 3,330 मांग आदेश निर्गत किए गए। इनमें से ₹ 114.72 करोड़ की राशि वसूल की गई। हालांकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 590.29 करोड़ की शेष मांग के संबंध में वसूली कार्यवाही शुरू की जानी आवश्यक थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

---

[91] बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, झरिया, राँची पूर्वी और सिंहभूम।

[92] बोकारो, देवघर, झरिया और राँची पूर्वी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जाँच की गई विवरणियों पर समुचित अधिकारियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए तंत्र का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 590.29 करोड़ की मांग अभी तक वसूल नहीं हो पाई।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि चाईबासा सी.टी.सी. में बैंक अटैचमेंट के माध्यम से वसूली की जा रही है। आदित्यपुर और बोकारो सी.टी.सी. में प्रपत्र डी.आर.सी.-13 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष सात[93] सी.टी.सी. में लेखापरीक्षा अवलोकन का सत्यापन प्रक्रिया के अधीन है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

3.2.6.3 अन्य निगरानी कार्य

सी.टी.सी. (विभाग के क्षेत्रीय गठन) की भूमिका विवरणियों को दाखिल करने, चुकाई गई कर देयता और अन्य अनुपालन दायित्वों के संबंध में करदाताओं के अनुपालन पर निगरानी प्रदान करना है। सी.टी.सी. के पास इस संबंध में किए जाने वाले कार्यों का एक व्यापक समूह है जैसे विलंब से दाखिल करने वाले और विवरणियों को दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू करना, विवरणियों की जाँच करना और मूल्यांकन करना और पंजीकरण निरस्त करना।

इस प्रतिवेदन के पिछले अनुभागों में विवरणी दाखिल करने, विवरणियों को विलंब/नहीं दाखिल करने वालों पर कार्रवाई और जाँच से संबंधित निगरानी कार्यों पर चर्चा की गई है। यह भाग पंजीकरण निरस्त करने पर लेखापरीक्षा परिणामों पर प्रकाश डालता है।

➢ **पंजीकरण का निरस्तीकरण**

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 29, के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 20 करदाता द्वारा कुछ खास स्थितियों जैसे व्यवसाय बंद होना, पंजीकरण के लिए सीमा से नीचे आवर्त का आना, व्यवसाय का स्थानांतरण/विलय/एकीकरण, पैन में बदलाव, समय सीमा अवधि के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करना, और मालिक की मृत्यु में पंजीकरण निरस्त करने की अनुमति देती है। पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को "निरस्तीकरण की गारंटी देने वाली घटना के घटित होने" के 30 दिनों की अवधि के भीतर जी.एस.टी. सामान्य पोर्टल पर आर.ई.जी.-16 में आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 22 में यह निर्धारित किया गया है कि, पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन जमा करने

---

93 चिरकुंडा, देवघर, धनबाद नागरीय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंहभूम और तेनुघाट।

के बाद, समुचित अधिकारी आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आर.ई.जी.-19 में एक आदेश निर्गत करेगा।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमावलियों के उल्लंघन, कंपोजीशन करदाता लगातार तीन कर अवधियों के लिए विवरणी दाखिल नहीं करते हैं, सामान्य करदाता लगातार छः महीनों तक विवरणी दाखिल नहीं करते हैं, पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण की तिथि से छः महीनों के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं कर रहें हैं, और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को छिपाकर पंजीकरण प्राप्त कर रहें हैं के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वत: निरस्त करने की अनुमति देती है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 45 अपेक्षित करती है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के अलावे (क) आई.एस.डी. या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (ख) कंपोजिसन करदाताओं (धारा 10) या (ग) धारा 51 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों- टी.सी.एस. या धारा 52 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों - टी.डी.एस., जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, को निरस्त करने की प्रभावी तिथि या निरस्त करने के आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो, तीन महीने के भीतर जी.एस.टी.आर.-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करना होगा। अंतिम विवरणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता को चुका दे। जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल न करने की स्थिति में, कर अधिकारी को वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो किसी भी विवरणी को दाखिल न करने के लिए अपनाई जाती है।

निरस्तीकरण कार्य के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा ने 2020-21 के दौरान चयनित 10 सी.टी.सी. में पंजीकरणों को निरस्त करने में विभिन्न कमियों को देखा, जो नीचे दी गई हैं:

चयनित 10 सी.टी.सी. में करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए अंतिम विवरणी प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-10 और निरस्त पंजीकरण का विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है:

तालिका 3.9: दाखिल जी.एस.टी.आर.-10 और निरस्तीकरण का विवरण

करदाता के आवेदन पर किए गए निरस्तीकरण की संख्या	स्वतः किए गए निरस्तीकरण की संख्या	कुल निरस्तीकरण किया गया	जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल की संख्या	जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल नहीं किया गया	जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल नहीं करने वाले निरस्त करदाताओं का प्रतिशत
1,821	**3,319**	**5,140**	**377**	**4,763**	***92.67***

लेखापरीक्षा ने चयनित सी.टी.सी. के समुचित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन विभाग के बैकएंड पोर्टल के साथ किया और देखा कि करदाताओं के अनुरोध पर निरस्तीकरण के 1,821 मामलों में से, 10 सी.टी.सी. के अंतर्गत आने वाले 640 मामलों में, निरस्तीकरण में विलंब हुई थी और प्रपत्र आर.ई.जी.-19 में आदेश निर्धारित अवधि के बाद निर्गत किए गए थे, जिसमें 01 से 964 दिनों तक विलंब हुई थी। आगे, यह देखा गया कि 1,151 मामलों (63.21 प्रतिशत) में निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि, निरस्तीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि से पूर्व 01 से 1,269 दिनों के बीच थी। यह देखा गया कि पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन और निरस्तीकरण आदेश निर्गत करने के बीच की अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों को किसी भी कर योग्य आपूर्ति करने से प्रतिबंधित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि आठ[94] सी.टी.सी. में सुनवाई के लिए सूचना निर्गत कर दिए गए हैं और चाईबासा सी.टी.सी. में कार्रवाई में विलंब कोविड-19 महामारी के कारण हुई। विभाग ने जवाब दिया कि देवघर सी.टी.सी. लेखापरीक्षा अवलोकन मान्य नहीं था। हालांकि, कोई समर्थित दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

आगे, कुल 5,140 निरस्त मामलों में से, 377 करदाताओं ने प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-10 में अंतिम विवरणी दाखिल किया, जिनमें से 32 करदाताओं ने 03 से 190 दिनों के विलंब से जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल किया। हालांकि, 4,763 करदाताओं (92.67 प्रतिशत) ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पंजीकरण निरस्त होने के 90 दिन बीत जाने के बाद भी प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-10 में अंतिम विवरणी दाखिल नहीं किया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (सितंबर 2024) कि नौ[95] सी.टी.सी. में सुनवाई के लिए सूचना निर्गत कर दिए गए हैं। लेखापरीक्षा अवलोकन देवघर सी.टी.सी. में मान्य नहीं पाया गया। विभाग से अनुरोध किया गया (सितंबर 2024) कि वह उन मामलों से संबंधित अभिलेख/विवरण उपलब्ध कराए जो मान्य नहीं पाए गए। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

---

94 आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुण्डा, धनबाद नागरिय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंघभूम और तेनुघाट।

95 आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुण्डा, धनबाद नागरिय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंघभूम और तेनुघाट।

लेखापरीक्षा ने विभाग के बैकएंड पोर्टल का सत्यापन किया और देखा कि समुचित अधिकारियों ने जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल न करने वाले 4,763 मामलों में प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3ए में सूचना निर्गत नहीं किए थे या इन करदाताओं से बकाया देयता, यदि कोई हो, के आकलन या बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। 5,140 निरस्त किए गए करदाताओं के देयता पंजी की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 10 चयनित सी.टी.सी. में से नौ[96] सी.टी.सी. में, 299 करदाताओं का पंजीकरण समुचित अधिकारियों द्वारा ₹ 77.55 करोड़ की बकाया देयता की जाँच किए बिना निरस्त कर दिया गया था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि आदित्यपुर और बोकारो में 129 मामलों में बैंक कुर्की के माध्यम से वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सात[97] सी.टी.सी. में 160 मामलों में सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए जा चुके हैं। बोकारो में एक मामले में, करदाता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। नौ मामले केंद्रीय कर अधिकारियों से संबंधित हैं।

आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि जी.एस.टी.एन. में उन करदाताओं के मामलों में बकाया देयता की गणना करने के लिए कोई उपकरण नहीं था जो पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करते हैं, साथ ही उन मामलों में भी जहां विभाग स्वतः आधार पर पंजीकरण निरस्त करने की पहल करता है।

- **बकाया देयता के सत्यापन के बिना सामान पैन पर करदाताओं का पुनः पंजीकरण**

समुचित अधिकारियों द्वारा पंजीकरण निरस्त करने के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच और चयनित 10 सी.टी.सी. पर समान पैन वाले इन करदाताओं के पुन: पंजीकरण की स्थिति यह दर्शाता है कि 2020-21 के दौरान समुचित अधिकारियों द्वारा 5,140 पंजीकरण निरस्त कर दिए गए थे। आगे, समान पैन पर इन करदाताओं की पुनः पंजीकरण स्थिति की जाँच में पाया गया कि तीन[98] सी.टी.सी. में पंजीकृत छः करदाताओं को पुनः पंजीकृत किया गया और उन्हें समान पैन पर सक्रिय जी.एस.टी.आई.एन. स्थिति प्राप्त थी, जबकि उनके निरस्त किए गए जी.एस.टी.आई.एन. पर ₹ 11.11 करोड़ का कर बकाया था। यह देखा गया कि सभी छः करदाताओं का पंजीकरण समुचित अधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर निरस्त कर दिया गया था और छः में

96 आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुण्डा, देवघर, धनबाद नागरिय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंघभूम और तेनुघाट।

97 चिरकुण्डा, देवघर, धनबाद नागरिय, झरिया, राँची पूर्वी, सिंघभूम और तेनुघाट।

98 बोकारो, झरिया और सिंहभूम।

से पांच करदाताओं ने उन अंचलों में पुनः पंजीकरण करा लिया था जहां वे पहले पंजीकृत थे।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि समान पैन पर नए पंजीकरण प्रदान करते समय, इन पैन पर पहले निरस्त किए गए पंजीकरणों के विरुद्ध बकाया देनदारियों को समुचित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। आगे यह देखा गया कि विभाग के आई.टी. एप्लिकेशन में उन मामलों में समान पैन पर नए पंजीकरण को स्वत: अस्वीकार करने की कोई प्रणाली नहीं थी, जहाँ समान पैन पर निरस्त किए गए पंजीकरण की देयता बकाया थी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि सिंहभूम सी.टी.सी. में एक करदाता के मामले में ₹ 0.85 लाख की अतिरिक्त मांग निर्गत की गई। बोकारो सी.टी.सी. में चार मामलों में बैंक कुर्की के माध्यम से वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। झरिया सी.टी.सी. में शेष एक मामले में सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 1: विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर निरस्तीकरण प्रक्रिया के निपटान के लिए एक तंत्र तैयार करने पर विचार कर सकता है और सामान पैन के विरुद्ध नए पंजीकरण प्रदान करते समय पहले निरस्त किए गए पंजीकरणों के विरुद्ध बकाया देनदारियों के सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

➢ **कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू नहीं करना**

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, साधारण या विशेष आदेश के द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति और निर्धारित तरीके से जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकता है। जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 2(13) "लेखापरीक्षा" को दस्तावेजों की जाँच के रूप में परिभाषित करती है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमावलियों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता को और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए अभिप्रेत है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 65 के अधीन क्रमशः प्रदत्त और लगाए गए कर्तव्यों, शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन करने के लिए अधिसूचना संख्या एस.ओ.-144 (दिसंबर 2017) के माध्यम से सी.टी.डी. में आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग का गठन किया गया था। अनुभाग को तीन आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों[99] में विभाजित किया गया है। इस संदर्भ में, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा एक आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार किया गया है (मार्च 2021) कि जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 65 और 66 के अधीन करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा एक समान, कुशल और व्यापक तरीके से किया जाता है।

सी.टी.डी. ने, जे.जी.एस.टी. आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल में लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया निर्गत की, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए जोखिम मापदंडों के आधार पर नए मानदंड शामिल किए गए जैसे कि आवर्त, कर आई.टी.सी., रिफंड, संवेदनशील वस्तुओं/क्षेत्र, एवं अनुपालन न करना आदि। इसमें यह प्रावधान है कि करदाताओं का चयन राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

जी.एस.टी. के लिए 2019-22 की अवधि के लिए विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण नीचे **तालिका 3.10** में दिया गया है:

तालिका 3.10: 2019-22 के दौरान किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल करदाताओं की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित करदाता की संख्या (प्रतिशत में)	पूर्ण किए गए लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या (नवंबर 2022 तक)	उन मामलों की संख्या जिनमें कमियाँ पाई गई	कमियों में शामिल कुल राशि	कुल वसूली
2019-20	89,331	107 (0.12)	14	14	1.58	प्रस्तुत नहीं
2020-21	97,258	107 (0.11)	11	11	1.31	
2021-22	1,08,396	107 (0.10)	10	09	0.20	

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग ने अधिनियम की धारा 65 के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 2019-22 की अवधि के लिए केवल 107 करदाताओं का चयन किया, जो सभी तीन आंतरिक लेखापरीक्षा विभागों[100] के अन्तर्गत पंजीकृत थे। यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के गठन (दिसंबर 2017) और आंतरिक

[99] (i) धनबाद एवं संथाल परगना, (ii) जमशेदपुर और (iii) राँची एवं हजारीबाग।

[100] (i) धनबाद एवं संथाल परगना, (ii) जमशेदपुर और (iii) राँची एवं हजारीबाग।

लेखापरीक्षा मैनुअल (मार्च 2021) के नियमन के बावजूद, 2019-22 की अवधि के लिए चयनित करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा पूरा नहीं हुआ था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 2: विभाग शेष करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने के आकार को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

3.2.7 जी.एस.टी. विवरणियों में विसंगतियां-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा और प्रणाली आँकड़ा के विश्लेषण में जी.एस.टी. कानून और नियमावलियों से विचलन पाया जाना

लेखापरीक्षा ने जी.एस.टी.एन. द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 से संबंधित जी.एस.टी. विवरणियों के आँकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी.एस.टी. विवरणियों के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को 15 मापदंडों का एक समूह पहचाना गया, जिन्हें मोटे तौर पर दो डोमेन-आई.टी.सी. और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

निर्धारित 15 जी.एस.टी. विवरणियों[101] में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल विवरणियों पर जी.एस.टी. विवरणियों/आँकड़ा के बीच विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

- **जी.एस.टी.आर.-1**: वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों को करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।

---

[101] जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-2ए, जी.एस.टी.आर.-3बी, जी.एस.टी.आर.-4(कंपोजिसन योजना के अन्तर्गत करदाता), जी.एस.टी.आर.-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जी.एस.टी.आर.-5ए (अनिवासी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुँच या पुनर्प्राप्ति (ओ.आई.डी.ए.आर.) सेवा प्रदाता अनिवासी), जी.एस.टी.आर.-6 (इनपुट सेवा वितरक), जी.एस.टी.आर.-7 (टी.डी.एस. कटौती वाले करदाता), जी.एस.टी.आर.-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जी.एस.टी.आर.-9 (वार्षिक विवरणी), जी.एस.टी.आर.-10(अंतिम विवरणी), जी.एस.टी.आर.-11 (यू.आई.एन. रखने वाला और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), सी.एम.पी.- 08, और आई.टी.सी.-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए सामान के विवरण के बारे में एक प्रधान/जॉब-वर्कर द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

- **जी.एस.टी.आर.-3बी**: जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 39(1) के अधीन निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा, कर के भुगतान के साथ दावा किए गए जावक आपूर्ति और आई.टी.सी. का मासिक सारांश विवरण दाखिल किया जाना है। यह वह विवरण है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को पॉप्युलेट करता है।
- **जी.एस.टी.आर.-6**: आई.एस.डी. के लिए मासिक विवरण, जिसमें उनके वितरित आई.टी.सी. और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- **जी.एस.टी.आर.-8**: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक विवरण, जिन्हें जी.एस.टी. के अधीन टी.सी.एस. की कटौती करना आवश्यक है, अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया।
- **जी.एस.टी.आर.-9**: अंतिम विवरण आई.एस.डी., टी.डी.एस./टी.सी.एस., कटौतीकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता (एन.आर.टी.पी.) के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाना है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सी.जी.एस.टी., जे.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी.) के अधीन की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ आवर्त और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- **जी.एस.टी.आर.-9सी**: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ पाँच करोड़ से अधिक आवर्त वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र प्रस्तुत करना है। यह मूल रूप से जी.एस.टी.आर.-9 में दाखिल अंतिम विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक समाशोधन विवरण है।
- **जी.एस.टी.आर.-2ए**: यह आवक आपूर्ति प्राप्तकर्ता के लिए एक सिस्टम-जनित विवरण है। इसमें उनके प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-5 में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) लेनदेन का विवरण, जी.एस.टी.आर.-6 से आई.एस.डी. विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जी.एस.टी.आर.-7 और जी.एस.टी.आर.-8 का विवरण और भारतीय सीमा शुल्क के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आई.सी.इ.जी.ए.टी.इ.) पोर्टल से प्राप्त प्रवेश बिल पर विदेशों से वस्तु का आयात विवरण शामिल है।
- **जी.एस.टी.आर.-2बी**: यह नियमित करदाताओं (चाहे उन्होंने तिमाही विवरण और मासिक भुगतान (क्यू.आर.एम.पी.) योजना का विकल्प चुना हो या नहीं) के लिए जी.एस.टी. पोर्टल पर शुरू किया गया एक मासिक-वार स्वचालित रूप से तैयार किया गया विवरण है, जो प्रत्येक माह के लिए पात्र और अपात्र आई.टी.सी.

प्रदान करता है। यह जी.एस.टी.आर.-2ए के समान है, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर या अपरिवर्तित रहता है। यह विवरण अगस्त 2020 की कर अवधि से शुरू किया गया था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए पहचाने गए 15 मापदंडों पर किए गए आँकड़ा विश्लेषण का विवरण, जिसके कारण विचलनों/विसंगतियां देखी गईं (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) जो **तालिका 3.11 (क) और (ख)** में संक्षेपित हैं:

तालिका 3.11 (क): नमूना मामलों का आँकड़ा विश्लेषण सारांश

(आई.टी.सी. और कर देयता में बेमेल)

क्र. सं.	एल्गोरिथम का प्रयोग	जोखिम अपनाना
1	सभी संशोधनों के साथ जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना तालिका 4ए (5) में जी.एस.टी.आर.-3बी में प्राप्त आई.टी.सी. (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) के साथ की गई, जिसमें तालिका 4बी (2) में वापसी को छोड़कर, जिसमे जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8सी से आगामी वर्ष में प्राप्त आई.टी.सी. और अवरोधित क्रेडिट शामिल हैं।	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3 बी के बीच आई.टी.सी. का बेमेल
2	जी.एस.टी.आर.-2ए से उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए से की गई, जिसमें जी.एस.टी.आर.-2ए से उपलब्ध आई.टी.सी. को शामिल किया गया है (स्वतः भरे गए गैर-संपादन योग्य क्षेत्र के रूप में) लेकिन जी.एस.टी.आर.-2ए में उन प्रविष्टियों को शामिल नहीं किया गया है, जहां आपूर्तिकर्ता ने जी.एस.टी.आर.-1 को दाखिल करने की नियत तिथि तक दाखिल नहीं किया है और उस अवधि के लिए आई.टी.सी. को भी शामिल नहीं किया गया है, जिसके दौरान प्राप्तकर्ता करदाता कम्पोजिशन योजना के अंतर्गत था।	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना आई.टी.सी. पारित करना
3	प्राप्तकर्ता के जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6जी या जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आई.एस.डी. आई.टी.सी. की तुलना वितरक जी.एस.टी.आई.एन. के जी.एस.टी.आर.-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग से की गई।	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

तालिका 3.11 (क): नमूना मामलों का आँकड़ा विश्लेषण सारांश

(आई.टी.सी. और कर देयता में बेमेल)

क्र. सं.	एल्गोरिथम का प्रयोग	जोखिम अपनाना
4	जी.एस.टी.आर.-9 सी तालिका 12 एफ में सकारात्मक आँकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 13 में दिए गए कारणों की जाँच।	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आई.टी.सी. का बेमेल होना
5	जी.एस.टी.आर.-9 सी तालिका 14 टी में सकारात्मक आँकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जाँच।	वार्षिक विवरणी में प्राप्त आई.टी.सी. और वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ समाशोधन
6	जी.एस.टी.आर.-9 सी तालिका 9 आर. में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका 6 में दिए गए कारणों की जाँच।	लेखा पुस्तकों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल
7	वे करदाता जिन्होंने जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 दाखिल किया है या जहाँ जी.एस.टी.आर.-2 ए उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि करदाता बिना कर चुकाए व्यवसाय कर रहे हैं।	जी.एस.टी.आर.-3.बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध
8	जी.एस.टी.आर.-1 (तालिका 4 से 11) अग्रिमों और संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, और जी.एस.टी.आर.-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के बीच वृहत कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरण से की गई। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था, जी.एस.टी.आर.-3बी कर भुगतान की तुलना जी.एस.टी.आर.-1 देयता से की गई।	अस्थायी दायित्व
9	जी.एस.टी.आर.-3 बी विलंब दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर जी.एस.टी.आर.-3.बी में घोषित ब्याज की तुलना में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाती है।	ब्याज का कम भुगतान

तालिका 3.11 (क): नमूना मामलों का आँकड़ा विश्लेषण सारांश (आई.टी.सी. और कर देयता में बेमेल)

क्र. सं.	एल्गोरिथम का प्रयोग	जोखिम अपनाना
10	ई-कॉमर्स जी.एस.टी.आर.-8, 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हुआ जब टी.सी.एस. प्रावधान प्रभावी हुआ। जी.एस.टी.आर.-8 में घोषित जी.एस.टी.आई.एन., जो कंपोजिसन स्कीम के अन्तर्गत हैं, जी.एस.टी.आर.-4/सी.एम.पी.-08 भी दाखिल कर रहे हैं।	कंपोजिसन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं
11	ऐसे कंपोजिसन करदाताओं, जिनका अखिल भारतीय स्तर (केंद्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार) पर समान पैन के सभी जी.एस.टी.आई.एन. के अन्तर्गत आवर्त 2018-19 में ₹ 1 करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ की आवर्त सीमा को पार कर गया है की पहचान की गई।	अयोग्य कंपोजिसन की उगाही

तालिका 3.11 (ख): नमूना मामलों का आँकड़ा विश्लेषण सारांश (आवर्त बेमेल)

क्र. सं.	एल्गोरिथम का प्रयोग	जोखिम अपनाना
1	जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा और तालिका 8 में दिए गए बेमेल के कारणों की जाँच	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य आवर्त में बेमेल
2	वर्ष के आरंभ में जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 5 बी में अनबिल्ड राजस्व, पूर्व के जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 5 एच में दर्शाए गए अनबिल्ड राजस्व से मेल खाना चाहिए। किसी भी प्रकार का बेमेल, कर योग्य आवर्त के छिपाव को दर्शाता है।	जी.एस.टी.आर.-9सी में घोषित अनबिल्ड राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य का छिपाव
3	जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 3.1(ए)+(बी) की तुलना ई-वे बिलों में घोषित कर देयता से की गई तथा ऐसे मामलों की पहचान की गई जहां जी.एस.टी.आर.-3बी ई-वे बिलों से कम है।	ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता का छिपाव
4	जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 3.1(ए) की तुलना जी.एस.टी.आर.-2ए की तालिका 9 के कॉलम 6 से की गई। ऐसे मामले जहाँ जी.एस.टी.आर.-3बी का मूल्य जी.एस.टी.आर.-2ए से कम है, पहचाने गए।	टी.डी.एस. विवरणी की तुलना करके कर योग्य आपूर्ति की कम घोषणा

3.2.7.1 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा पृच्छाओं के लिए विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर, 15 मापदंडों में से प्रत्येक पर पहचाने गए विचलन किस हद तक विभाग द्वारा सत्यापन या स्वीकृति में परिवर्तित हुए या अन्यथा **तालिका 3.12 (क) और (ख)** में संक्षेपित किया गया है:

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने 249 मामलों (तालिका 3.12 (क) के कॉलम 10) में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन को देखा, जिनमें ₹ 883.80 करोड़ (कॉलम संख्या 11) की आई.टी.सी./कर देयता का बेमेल होना शामिल था, जो आई.टी.सी. और कर भुगतान बेमेल से संबंधित आंकड़ों में 298 विसंगतियों/बेमेल का 83.56 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएँ प्रदान की। ब्याज के कम भुगतान, अस्थायी दायित्वों, जी.एस.टी.आर. 3बी दाखिल न करने और आई.टी.सी. बेमेल में विचलनों की अपेक्षाकृत अधिक दरें देखी गई।

शेष 49 मामलों (कॉलम संख्या 12) में, जो 16.44 प्रतिशत है, हालांकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलनों को स्वीकार नहीं किया, तथापि उनका तर्क साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं हुआ, और इस प्रकार यह लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन योग्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने 90 मामलों (कॉलम संख्या 2) में आवर्त संबंधी विसंगतियाँ (तालिका-3.12 (ख)) भी देखीं। इनमें से, 79 मामलों (कॉलम संख्या 10) में, जो 87.78 प्रतिशत हैं, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर कार्रवाई शुरू की। 11 मामलों (कॉलम 12) में, जो 12.22 प्रतिशत हैं, विभाग ने अपने तर्क के समर्थन में उपयुक्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए; इसलिए उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका।

तालिका 3.12 (क): कमियों का सारांश (आई.टी.सी. और कर भुगतान बेमेल)

क्र. स.	लेखापरीक्षा आयाम	मामले जहाँ उत्तर प्राप्त हुए#		विभाग द्वारा स्वीकृत और मामले की स्थिति								विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया	
				वसूला गया/ मांग आदेश निर्गत किया गया*		एस.सी.एन. निर्गत*		ए.एस.एम.टी.-10		कुल (कॉ. 10= 4+6+8 और कॉ. 11 = 5+7+9)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच आई.टी.सी. बेमेल	55	405.37	5	0.08	5	27.56	26	196.09	36	223.73	19	111.48
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषण किए बिना आई.टी.सी. पारित करना	25	240.07	3	12.01	2	6.96	14	77.83	19	96.80	6	143.23
3	आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	15	6.22	1	0.24	3	0.64	8	4.87	12	5.75	3	0.43
4	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आई.टी.सी. का बेमेल होना	15	95.26	1	0.44	3	2.42	8	90.03	12	92.89	3	1.56
5	वार्षिक विवरणी में प्राप्त आई.टी.सी. के साथ वित्तीय विवरणों में व्यय के बीच समाशोधन	15	79.08	0	0.00	4	6.88	8	9.63	12	16.51	3	62.57
6	लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल	15	22.36	0	0.00	1	0.73	12	16.19	13	16.92	2	5.44
7	जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध था	40	118.9	23	83.48	7	11.55	10	23.66	40	118.69	0	0
8	अस्थायी दायित्व	55	324.5	7	83.97	7	23.78	33	173	47	280.75	8	30.45
9	ब्याज का कम भुगतान	55	57.14	41	24.85	2	0.89	9	6.02	52	31.76	3	1.28
10	कंपोजिसन करदाता ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं	5	0	0	0.00	0	0	3	0	3	0.00	2	0
11	अपात्र कंपोजिसन वसूली	3	0	0	0.00	2	0	1	0	3	0.00	0	0
	कुल	**298**	**1,348.90**	**81**	**205.07**	**36**	**81.41**	**132**	**597.32**	**249**	**883.80**	**49**	**356.44**

 # कॉ.2 = कॉ.10+12

***उपर्युक्त तालिका में 'वसूली' और 'निर्गत एस.सी.एन.' श्रेणी के अंतर्गत दी गई राशि और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि पर ध्यान दिए बिना, विभाग द्वारा की गई वसूली और निर्गत किए गए एस.सी.एन. की राशि के अनुसार है।**

तालिका 3.12 (ख): कमियों का सारांश (आवर्त बेमेल)

क्र. स.	लेखापरीक्षा आयाम	मामले जहाँ उत्तर प्राप्त हुए#		विभाग द्वारा स्वीकृत और मामले की स्थिति								विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया	
				वसूला गया/ मांग आदेश निर्गत किया गया*		एस.सी.एन. निर्गत*		ए.एस.एम.टी.-10		कुल (कॉ. 10= 4+6+8 और कॉ. 11 = 5+7+9)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य आवर्त में बेमेल	15	8,623.98	0	0	6	6,146.47	6	1,516.32	12	7,662.79	3	961.19
2	जी.एस.टी.आर.-9सी में घोषित अनबिल्ड राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य का छिपाव	15	157.00	0	0	3	11.75	10	134.46	13	146.21	2	10.76
3	ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता का छिपाव	40	6,112.60	2	6.24	4	22.29	31	6053.70	37	6,082.23	3	30.35
4	टी.डी.एस. विवरणी की तुलना द्वारा करयोग्य आपूर्ति की कम घोषणा	20	89.64	3	4.86	6	23.15	8	47.34	17	75.35	3	9.31
कुल		**90**	**14,983.22**	**5**	**11.1**	**19**	**6,203.66**	**55**	**7,751.82**	**79**	**13,966.60**	**11**	**1,011.61**

 # कॉ.2 = कॉ.10+12

***उपर्युक्त तालिका में 'वसूली' और 'निर्गत एस.सी.एन.' श्रेणी के अंतर्गत दी गई राशि और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि पर ध्यान दिए बिना, विभाग द्वारा की गई वसूली और निर्गत किए गए एस.सी.एन. की राशि के अनुसार है।**

➢ आई.टी.सी. के बेमेल, वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणियों के बीच कर भुगतान के बेमेल, भुगतान किए गए कर या ब्याज में कमी और केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के अन्य विचलनों के प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम से उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) जी.एस.टी.आर-.2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच आई.टी.सी. बेमेल

आई.टी.सी. उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-21 के लिए जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-2ए से प्रासंगिक आँकड़ा निकाला गया और आपूर्तिकर्ताओं के विवरणों (जी.एस.टी.आर.-2ए) के अनुसार भुगतान किए गए आई.टी.सी. का मिलान करदाता द्वारा प्राप्त आई.टी.सी. क्रेडिट (जी.एस.टी.आर.-3) के

साथ किया गया। अपनाई गई पद्धति में जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना उसके सभी संशोधनों और तालिका 4ए(5)[102] में जी.एस.टी.आर.-3बी में प्राप्त आई.टी.सी. के साथ की गई, जिसमें रिवर्सल्स तालिका 4बी(2)[103] को छोड़कर लेकिन इसमें जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8सी से अगले वर्ष में प्राप्त आई.टी.सी. शामिल है।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राँची पश्चिमी सी.टी.सी., के अंतर्गत जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXP वाले एक करदाता के मामले में देखा कि, जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 8.43 करोड़ थी और जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. ₹ 33.50 करोड़ थी (जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8सी से अगले वर्ष 2021-22 में प्राप्त आई.टी.सी. सहित)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.07 करोड़ की प्राप्त लाभ आई.टी.सी. का मिलान नहीं हो पाया।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना आई.टी.सी. पारित करना

सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 16(4) के अधीन आई.टी.सी. लाभ के अनुपालन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, संभावित मामलों की पहचान करने का प्रयास किया गया जहां करदाता द्वारा वास्तव में कर जमा किए बिना आई.टी.सी. पारित कर दिया गया। इस उद्देश्य के लिए, जी.एस.टी.आर. 9 के प्रासंगिक आँकड़ा विशेष रूप से जी.एस.टी.आर.9 की तालिका 8ए से संबंधित की तुलना जी.एस.टी.आर.2ए में दर्शाए गए आई.टी.सी. आँकड़ा के साथ की गई थी। लेखापरीक्षा ने कोडरमा सी.टी.सी. के अन्तर्गत एक करदाता, जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXX6 के मामले में देखा कि, 2018-20 के दौरान जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8(ए) के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 45.30 करोड़ थी और 2018-20 की अवधि के लिए जी.एस.टी.आर. 2ए के अनुसार संशोधनों के बाद प्राप्त लाभ आई.टी.सी. ₹ 47.83 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की प्राप्त लाभ आई.टी.सी. का मिलान नहीं हो पाया।

---

102 अन्य सभी पात्र आई.टी.सी.

103 अन्य आई.टी.सी वापस

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में ₹ 2.53 करोड़ की मांग निर्गत किए गए। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(iii) आई.एस.डी. क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आई.टी.सी. आई.एस.डी. द्वारा हस्तांतरित की गई राशि से अधिक नहीं है, करदाता के विवरणी में घोषित आई.टी.सी. की तुलना आई.एस.डी. द्वारा उनके जी.एस.टी.आर.6 में हस्तांतरित आई.टी.सी. के साथ की गई। अपनाई गई पद्धति जी.एस.टी.आर.9 तालिका 6जी (तालिका 7बी का शुद्ध) की तुलना संबंधित जी.एस.टी.आई.एन. के लिए जी.एस.टी.आर. 6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए (समायोजन पर विचार करते हुए) के योग से की गई। जिन मामलों में तालिका 7बी शून्य थी, तालिका 7एच के मूल्यों पर विचार किया गया। जिन मामलों में जी.एस.टी.आर.9 उपलब्ध नहीं था, जी.एस.टी.आर. 3बी तालिका 4(ए)(4) (तालिका 4(बी)(2) का शुद्ध) की तुलना संबंधित जी.एस.टी.आई.एन. के लिए जी.एस.टी.आर.6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए (समायोजन पर विचार करते हुए) के योग से की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-20 के लिए राँची पश्चिमी सी.टी.सी. के अंतर्गत जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXG वाले एक करदाता के मामले में, आई.एस.डी. से प्राप्त आई.टी.सी. ₹ 13.57 करोड़ थी और आई.एस.डी. द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-6 के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 10.15 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.42 करोड़ का आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाया गया।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(iv) वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त लाभ आई.टी.सी. का बेमेल होना

जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी (जी.एस.टी.आर-9) में घोषित आई.टी.सी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त लाभ आई.टी.सी के साथ मिलान करता है। इस तालिका का कॉलम 12एफ असमाशोधन आई.टी.सी. से संबंधित है।

वर्ष 2018-21 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर-9सी में जे.जी.एस.टी नियमावली के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का वार्षिक विवरणी के साथ वित्तीय विवरणियों में घोषित आई.टी.सी में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए आँकडा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

गोड्डा सी.टी.सी. के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए पंजीकृत एक करदाता, जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXXJ के मामले में यह देखा गया कि, जी.एस.टी.आर.-9सी आई.टी.सी. की तालिका 12डी (वित्तीय विवरण) के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 105.64 करोड़ थी, जबकि जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12ई (वार्षिक विवरणी) के अनुसार प्राप्त लाभ आई.टी.सी. ₹ 162.88 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12एफ के अनुसार ₹ 57.24 करोड़ की आई.टी.सी. का बेमेल हुआ।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(v) वार्षिक विवरणी में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. के साथ वित्तीय विवरणों में व्यय के बीच समाशोधन

जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 14 वार्षिक विवरणी (जी.एस.टी.आर-9) में घोषित आई.टी.सी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्ययों पर प्राप्त आई.टी.सी के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी असमाशोधन आई.टी.सी से संबंधित है।

वर्ष 2018-21 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का आँकड़ा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी में घोषित आई.टी.सी. के साथ वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित व्यय में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके।

दुमका सी.टी.सी. के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए पंजीकृत एक करदाता, जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXXQ, के मामले में यह देखा गया कि, जी.एस.टी.आर.-9C आई.टी.सी. की तालिका 14आर. (वित्तीय विवरणी) के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 51.30 करोड़ थी, जबकि जी.एस.टी.आर.-9C की तालिका 14एस. (वार्षिक विवरणी) के अनुसार प्राप्त लाभ आई.टी.सी. ₹ 53.54 करोड़ थी।

इसके परिणामस्वरूप, जी.एस.टी.आर.-9C की तालिका 14टी के अनुसार ₹ 2.24 करोड़ की आई.टी.सी. का बेमेल हुआ।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(vi) लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल

वर्ष 2018-21 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का वार्षिक विवरणी और खाता बही के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए आँकड़ा स्तर पर विश्लेषण किया गया। जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9 आवर्त को दर-वार अलग करके और वार्षिक विवरणी (जी.एस.टी.आर-9) के अनुसार चुकाई गई कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करने का प्रयास किया गया है। असमाशोधन राशियाँ संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, छूट के रूप में कर योग्य आवर्त का गलत चित्रण या इसके विपरीत या सी.जी.एस.टी/जे.जी.एस.टी/आई.जी.एस.टी की गलत उगाही का संकेत दे सकती हैं। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें अप्रैल से सितंबर तक अगले वर्ष में किए गए 2018-21 लेनदेन के संबंध में संशोधनों (डेबिट नोट्स/ क्रेडिट नोट्स का शुद्ध) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर कम कर दिया जाता है। परिणामी ब्याज भुगतान- कम भुगतान और गलत मदों के अन्तर्गत भुगतान- दोनों की भी इस संबंध में जाँच की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोकारो सी.टी.सी. के अंतर्गत जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXX वाले एक करदाता के मामले में, जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9पी में दर वार देयता के अनुसार कर ₹ 73.80 लाख था, जबकि जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9क्यू (वार्षिक विवरणी) के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भुगतान किया गया कर ₹ 0.43 लाख था। इसके परिणामस्वरूप, जी.एस.टी.आर.-9C की तालिका 9आर के अनुसार भुगतान किए गए कर में ₹ 73.37 लाख का बेमेल हुआ।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि ₹ 73.37 लाख का एस.सी.एन. निर्गत किया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(vii) जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है

जी.एस.टी.आर. 3बी विवरणी वह साधन है जिसके माध्यम से देयता की भरपाई की जा सकती है और आई.टी.सी. को बहीखाते में जमा किया जाता है। जी.एस.टी.आर.1 का उपलब्ध होना और जी.एस.टी.आर.3बी दाखिल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने उस अवधि के दौरान व्यवसाय तो किया था, लेकिन अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। इसमें आई.टी.सी. के अनियमित पारित होने के मामले भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए, इन सभी मामलों की जाँच आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आदित्यपुर सी.टी.सी. के अंतर्गत, जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXM वाले एक करदाता के मामले में, दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक दाखिल जी.एस.टी.आर.-1 के अनुसार कर देयता ₹ 11.71 करोड़ थी। हालांकि, जी.एस.टी.आर.-3बी, जिसके माध्यम से कर देयता का समायोजन किया जाना था, दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के संगत महीनों के लिए दाखिल नहीं किया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि करदाता द्वारा जी.एस.टी.आर.-3बी के माध्यम से ₹ 11.71 करोड़ की कर देयता का भुगतान नहीं किया गया और वह जी.एस.टी.आर.-1 के माध्यम से प्राप्तकर्ता को आई.टी.सी. भी पारित कर सकता है।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13[104] में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(viii) अस्थायी दायित्व

जी.एस.टी.आर-1 वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्तियों का मासिक विवरण दर्शाता है। ये ब्यौरा करदाता द्वारा दाखिल प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9 में वार्षिक विवरणी के प्रासंगिक कॉलम में भी उल्लिखित हैं। इसके अलावा, जी.एस.टी.आर.-3बी में कर योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किया गया कर भी दिखाया जाता है।

चुकाई न गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-21 के लिए जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 से प्रासंगिक आँकड़ा निकाला गया और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित कर भुगतान से की गई। जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जी.एस.टी.आर.-1 और

[104] जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 100(1) के अधीन एक करदाता को निर्धारित कर का विवरण देते हुए सूचना निर्गत किया गया, जो जी.एस.टी. विवरणी दाखिल करने में विफल रहा था।

जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

एल्गोरिथम के लिए, जी.एस.टी.आर.-1 की तालिकाएं 4 से 11 और जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 के बीच वृहत कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान से की गई। जी.एस.टी.आर-3बी के मामले में, तालिका 3.1(ए)[105] और 3.1(बी)[106] को ध्यान में रखा गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राँची पश्चिमी सी.टी.सी. के अंतर्गत, जी.एस.आई.टी.एन. 2XXXXXXXXXXXXT वाले एक करदाता के मामले में, 2018-21 की अवधि के लिए जी.एस.टी.आर.-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 7.62 करोड़ था, जबकि करदाता ने जी.एस.टी.आर.-3B की तालिका 6.1 में घोषित कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3B के बीच ₹ 7.62 करोड़ की कर देयता का बेमेल हुआ।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(ix) ब्याज का कम भुगतान

अधिनियम की धारा 50 निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

2018-21 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जी.एस.टी.आर.-3बी में भुगतान किए गए कर विवरण और जी.एस.टी.आर.-

105 जावक कर योग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर के अलावे अन्य, नगण्य दर और छूट प्राप्त)।

106 जावक कर योग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर)

3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज की गणना के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

गिरिडीह सी.टी.सी. के अंतर्गत जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXR करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-21 की अवधि के लिए जी.एस.टी.आर.-3बी विवरणी एक से 90 दिनों के बीच विलंब से दाखिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.14 लाख का ब्याज कम भुगतान किया गया।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि आपत्तिगत राशि ₹ 37.14 लाख वसूल कर ली गई है।

(x) कंपोजिसन करदाता ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 निर्धारित करता है कि पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिसन लेवी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण का विकल्प चुनने के लिए पात्र है, यदि वह किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से वस्तु की आपूर्ति में संलग्न नहीं है, जिसे स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।

कंपोजिसन लेवी के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थियों की पहचान करने के लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-8 से संबंधित आंकड़ा समुच्चय और कंपोजिसन करदाताओं द्वारा दाखिल सी.एम.पी.-08 की तुलना यह जाँचने के लिए कि क्या जी.एस.टी.आर.-8 में उल्लिखित प्राप्तकर्ता जी.एस.टी.आई.एन. ने भी सी.एम.पी.-08 दाखिल किया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक करदाता के मामले में, धनबाद नागरीय सी.टी.सी. में जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXXV, कंपोजिसन लेवी के अंतर्गत पंजीकृत था और 2019-20 की अवधि के दौरान सी.एम.पी.-08 दाखिल किया था। आगे, ई-कॉमर्स ऑपरेटर जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXXV द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-8 के अनुसार, करदाता ने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से वस्तु की आपूर्ति की थी। इसके परिणामस्वरूप ई-कॉमर्स लाभार्थियों को कंपोजिसन लेवी का लाभ मिला।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(xi) अपात्र कंपोजिसन लेवी

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10(1) निर्धारित करता है कि एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त सरकार द्वारा निर्धारित सीमा[107] से अधिक नहीं था, कंपोजिसन डीलर के लिए निर्धारित दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया यह विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा जिस दिन किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है।

आंकड़ों के स्तर पर, ऐसे कंपोजिसन करदाता जिनका आवर्त अखिल भारतीय आधार पर (केन्द्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार) समान पैन के सभी जी.एस.टी.आई.एन. के अंतर्गत आवर्त सीमा को पार कर गया है, लेकिन फिर भी कंपोजिसन लेवी का लाभ उठा रहे हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक करदाता के मामले में, 2019-20 की अवधि के दौरान राँची दक्षिणी सी.टी.सी. में जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXXM, कंपोजिसन लेवी के अंतर्गत पंजीकृत था। हालांकि, समान पैन के अंतर्गत सभी जी.एस.टी.आई.एन. के लिए करदाता का आवर्त ₹ 3.74 करोड़ था, जो कंपोजिसन लेवी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप कंपोजिसन लेवी का गलत लाभ उठाया गया।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि एस.सी.एन. निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

➢ केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में देखे गए आवर्त में विसंगतियों से संबंधित उदाहरणात्मक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) जी.एस.टी.आर.-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य आवर्त में बेमेल

जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7 कर योग्य आवर्त का समाशोधन है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक विवरणी जी.एस.टी.आर.-9 और अपेक्षित समायोजनों के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में घोषित कर योग्य आवर्त के बीच असमाशोधन को दर्शाता है।

वर्ष 2018-21 के लिए जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 80(3) के अधीन करदाता द्वारा प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का आँकड़ा

---

107 2018-19 में ₹एक करोड़ और 2019-20 में ₹1.5 करोड़

स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणी में दर्शाए गए कर योग्य आवर्त में पहचाने गए बेमेल की समीक्षा की जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 में आवर्त वित्तीय विवरण से कम है, वहाँ असमाशोधन राशि कर योग्य आपूर्तियों की प्रतिवेदन में गैर-प्रतिवेदित, कम-प्रतिवेदित, लघु-प्रतिवेदित, चूक, त्रुटि को दर्शाती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त दोनों आपूर्तियों की गैर-प्रतिवेदित का मामला भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने एक करदाता के मामले में राँची दक्षिणी सी.टी.सी. के अंतर्गत पाया कि जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXT, जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7ई (वित्तीय विवरण) के अनुसार कर योग्य आवर्त ₹ 4,445.88 करोड़ था, जबकि जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7एफ (वार्षिक विवरणी) के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य आवर्त ₹ 6.75 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप, जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7जी के अनुसार ₹ 4,439.13 करोड़ के कर योग्य आवर्त का बेमेल हुआ।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि ₹ 4,439.13 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(ii) जी.एस.टी.आर.-9सी में घोषित अनबिल्ड राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य का छिपाव

वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में प्रतिवेदित किए गए कर योग्य आवर्त में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2018-21 के लिए सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 80(3) के अधीन करदाता द्वारा अनबिल्ड वाले राजस्व के खुलासे से संबंधित जी.एस.टी.आर. 9सी समाशोधन विवरण की तालिका 5 से संबंधित प्रासंगिक आँकड़ा बिंदुओं का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2018-21 के लिए जी.एस.टी.आर. 9सी की तालिका 5बी के आँकड़े, जो वित्तीय वर्ष के आरंभ में अनबिल्ड राजस्व को दर्शाते हैं, की तुलना पिछले जी.एस.टी.आर. 9सी विवरणी की तालिका 5एच से की गई, जो वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आवर्त में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए वर्ष के अंत के अनबिल्ड राजस्व को दर्शाती है।

गोड्डा सी.टी.सी. के अन्तर्गत एक करदाता,जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXXJ के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि, जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5(एच) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में अनबिल्ड राजस्व शून्य था, जबकि जी.एस.टी.आर. 9सी की तालिका 5बी के आँकड़ों में वित्तीय वर्ष 2020-21 की आरंभ

में अनबिल्ड राजस्व (-)₹ 103.65 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 103.65 करोड़ की कर योग्य राशि को छिपाया गया।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(iii) ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता का छिपाव

कर के कम भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-21 के लिए जी.एस.टी.आर.3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक आँकड़ों की तुलना ई-वे बिल में दर्शाए गए करयोग्य मूल्य से की गई। एल्गोरिथम के लिए, ऐसे मामले जहाँ जी.एस.टी.आर.3बी की तालिका 3.1 (ए)+(बी) में देय कर ई-वे बिल में घोषित कर देयता से कम था, का विश्लेषण किया गया।

आदित्यपुर सी.टी.सी. के अंतर्गत जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXXI करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि, तालिका 3.1 (ए) और (बी) के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए देय कर ₹ 39.18 करोड़ था, जबकि ई-वे बिल में घोषित कर देयता ₹ 5,112.70 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5,073.52 करोड़ की कर देयता को छिपाया गया।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(iv) टी.डी.एस. विवरणी की तुलना द्वारा करयोग्य आपूर्ति की कम घोषणा

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 में कहा गया है कि स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को देय राशि पर कटौतीकर्ता[108] द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर कर काटने का एक तरीका है। आगे, जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 52 परिभाषित करती है कि स्रोत पर कर संग्रहण (टी.सी.एस.) वह राशि है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्त प्रतिफल पर एकत्रित की जाती है।

टी.डी.एस. और टी.सी.एस. का विवरण क्रमशः जी.एस.टी.आर.7 और जी.एस.टी.आर. 8 में घोषित किया जाता है और पंजीकृत व्यक्ति को जी.एस.टी.आर.-2ए की तालिका 9

[108] केंद्र या राज्य सरकार का कोई विभाग/एजेंसी, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

में सूचित किया जाता है। ऐसे मामले जहाँ जी.एस.टी.आर. 3बी में जावक कर योग्य आपूर्तियों (शून्य दर, शून्य दर और छूट प्राप्त को छोड़कर) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, जी.एस.टी.आर.-2 की तालिका 9 के अनुसार टी.सी.एस. और टी.डी.एस. क्रेडिट के लिए दायी शुद्ध राशि से कम थी पहचान की गई।

एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXJ, राँची पश्चिमी सी.टी.सी. के अंतर्गत पाया कि, जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार जावक कर योग्य आपूर्ति को 2020-21 की अवधि के लिए शून्य घोषित किया गया था। हालांकि, करदाता के जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार, कटौतीकर्ता द्वारा ₹ 25.50 करोड़ की जावक कर योग्य आपूर्ति पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 51.00 लाख का टी.डी.एस. काटा गया। इससे ₹ 25.50 करोड़ के कर योग्य मूल्य को छिपाने का संकेत मिलता है।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। पुनः जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2026)।

3.2.7.2 प्रेरक कारकों का विश्लेषण

विचलनों/विसंगतियों पर विभाग की प्रत्युतर को ध्यान में रखते हुए, 388 मामलों में, आँकड़ा विचलनों/विसंगतियों के कारण होने वाले कारकों पर नीचे चर्चा की गई है:

- ***जी.एस.टी. कानून और नियमावलियों से विचलन***

उपरोक्त तालिका 3.12 (क) और (ख) में संक्षेपित 388 विचलनों में से, विभाग ने 328 मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया या जाँच शुरू की, जिनमें 249 मामलों में ₹ 883.80 करोड़ की कर देयता/आई.टी.सी. का बेमेल होना तथा 79 मामलों में आवर्त का बेमेल होना शामिल था। इन मामलों में से, विभाग ने 81 मामलों में ₹ 205.07 करोड़ की वसूली/मांग आदेश निर्गत किया तथा कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल से संबंधित 36 मामलों में ₹ 81.41 करोड़ के लिए एस.सी.एन. निर्गत किया। विभाग ने पाँच मामलों में वसूली कार्यवाही शुरू की/मांग आदेश निर्गत किए और आवर्त के बेमेल से संबंधित 19 मामलों में एस.सी.एन. निर्गत किए। उपरोक्त के अलावा, विभाग ने ₹ 597.32 करोड़ के लिए 132 मामलों में करदाताओं को प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में विसंगतियों की सूचना निर्गत किए, जो कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल से संबंधित थे और 55 मामले आवर्त के बेमेल से संबंधित हैं।

स्वीकार किए गए दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. राँची दक्षिणी सी.टी.सी. के अंतर्गत लेखापरीक्षा ने एक करदाता जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXM, के मामले में देखा (मई 2024), कि 2018-19 के दौरान जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 1.87 करोड़ थी, हालांकि सभी संशोधनों के बाद करदाता द्वारा जी.एस.टी.आर.-2ए में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. ₹ 5.88 करोड़ थी। इस प्रकार, उपलब्धता से अधिक ₹ 4.01 करोड़ का आई.टी.सी. प्राप्त किया गया। प्रत्युतर में, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र डी.आर.सी.-07 में ₹ 4.01 करोड़ की आपत्तिगत राशि की मांग निर्गत कर दी गई है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

ii. धनबाद सी.टी.सी. के अंतर्गत जी.एस.टी.आई.एन.2XXXXXXXXXXXX5 एक करदाता ने 2020-21 की अवधि के लिए जी.एस.टी. विवरणी विलंब से दाखिल करने के कारण ₹ 0.50 करोड़ का ब्याज नहीं चुकाया और इसके परिणामस्वरूप कर देयता का विलंब से भुगतान हुआ। इसकी सूचना विभाग को मई 2024 में दी गई। प्रत्युतर में, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) के दौरान कहा कि ₹ 0.50 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है।

- ***ऐसे मामले जहाँ विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है***

60 करदाताओं के मामले में विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं था, जिसमें 49 करदाताओं के मामले में ₹ 356.44 करोड़ की आई.टी.सी./कर देयता का बेमेल होना तथा शेष 11 करदाताओं के मामले में आवर्त का बेमेल होना शामिल था। इन मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलनों को स्वीकार नहीं किया, हालांकि, उसके तर्क साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हुए, और इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन योग्य नहीं थे।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

राँची पश्चिमी सी.टी.सी. के अन्तर्गत जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXX1, के संबंध में जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर में घोषित ₹ 266.30 करोड़ का असमाशोधन आवर्त देखा गया, जिसकी सूचना विभाग को दी गई (मई 2024)।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) के दौरान जवाब दिया कि उत्तरों को पुष्ट करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना लेखापरीक्षा अवलोकन मान्य नहीं था। इसके अलावा, उपरोक्त आवर्त के समाधान के लिए सहायक साक्ष्य,

यदि कोई हो, मांगे जाने के बावजूद (सितंबर 2024) उपलब्ध नहीं कराए गए (मार्च 2026)।

3.2.8 जी.एस.टी. विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर है। विभाग की भूमिका एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना और रखरखाव करने के लिए निगरानी प्रदान करना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आई.टी. संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने आँकड़ा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, अखिल भारतीय आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से जी.एस.टी. विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जी.एस.टी. विवरणियों का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया। समीक्षा के इस भाग के लिए जोखिम-आधारित 70 करदाताओं का नमूना चुना गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों और चेतावनी के संकेतों की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी.एस.टी. विवरणियों और जी.एस.टी.आर.-9सी के हिस्से के रूप में वित्तीय विवरणी और बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की डेस्क समीक्षा करना था। सी.ए.जी. क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में डेस्क समीक्षा की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के कारण कारकों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेखों जैसे वित्तीय बहीखाता, बीजकों आदि की मांग करके सी.टी.डी. क्षेत्रीय संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा किया गया।

जैसा कि पिछले कंडिकाओं में कहा गया है, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और चेतावनी के संकेतों की पहचान करने के लिए जी.एस.टी. विवरणियों और अन्य बुनियादी अभिलेख की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके बाद करदाताओं द्वारा अपालन की सीमा और सी.टी.डी. क्षेत्र संरचना द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा किया गया था। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अपालन अंततः दाखिल विवरणियों की सत्यता, आई.टी.सी. के उपयोग और चुकाए गए कर भुगतान

को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा परिणाम को (क) विवरणियों (ख) आई.टी.सी. का उपयोग और (ग) चुकाई गई कर देयता के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.2.8.1 कार्य क्षेत्र की सीमा (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण)

बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अतिरिक्त आई.टी.सी. और कर देयता बेमेल से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आई.टी.सी. आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी की जी.एस.टी.आर.-2ए. और जी.एस.टी.आर.-9 के साथ तुलना करके और जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से विसंगतियों की पहचान की गई। कर देयता आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी के साथ जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में घोषणाओं की तुलना करके विसंगतियों की पहचान की गई।

सभी 70 मामलों में विस्तृत अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए; परिणामस्वरूप आई.टी.सी. के बेमेल/अतिरिक्त/अनियमित लाभ और चुकाई न गई देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की पूरी तरह से जाँच नहीं की जा सकी। 70 मामलों के नमूने में ब्याज, आई.टी.सी. और आवर्त बेमेलों का भुगतान न करने से ₹ 1,964.96 करोड़ का राजस्व निहितार्थ (आवर्त बेमेल को छोड़कर-नीचे दी गई तालिका 3.15 की क्रम संख्या 3 और 4) शामिल हैं, जिनकी चर्चा आगे के कंडिकाओं में की गई है। सत्यापन के लिए आई.टी.सी. और कर देयता में बेमेल के संदर्भ में आंशिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले शीर्ष पाँच मामले नीचे **तालिका 3.13** में दिए गए हैं।

तालिका 3.13: शीर्ष पाँच मामलों का आंशिक प्रस्तुतिकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	क्षेत्राधिकार क्षेत्र	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची	कर देयता में कुल बेमेल	आई.टी.सी. में कुल बेमेल
1.	2XXXXXXXXXXXXW	जमशेदपुर	वित्तीय विवरण के साथ नोट्स और अनुलग्नक। आपूर्ति के बीजक, क्रय के बीजक और विविध लेनदारों की खाता बही।	2.83	178.91
2.	2XXXXXXXXXXXXE	जमशेदपुर	वित्तीय विवरण के साथ नोट्स और अनुलग्नक।	1.51	108.35

तालिका 3.13: शीर्ष पाँच मामलों का आंशिक प्रस्तुतिकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	क्षेत्राधिकार क्षेत्र	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची	कर देयता में कुल बेमेल	आई.टी.सी. में कुल बेमेल
			आपूर्ति के बीजक, क्रय के बीजक और विविध लेनदारों की खाता बही।		
3.	2XXXXXXXXXXXXU	राँची पश्चिमी	वित्तीय विवरण के साथ नोट्स और अनुलग्नक। आपूर्ति के बीजक, क्रय के बीजक और विविध लेनदारों की खाता बही।	3.14	58.76
4.	2XXXXXXXXXXXXG	जमशेदपुर	वित्तीय विवरण के साथ नोट्स और अनुलग्नक। आपूर्ति के बीजक, क्रय के बीजक और विविध लेनदारों की खाता बही।	3.50	32.23
5.	2XXXXXXXXXXXXP	राँची दक्षिणी	वित्तीय विवरण के साथ नोट्स और अनुलग्नक। आपूर्ति के बीजक, क्रय के बीजक और विविध लेनदारों की खाता बही।	27.46	24.72

विभाग ने प्रवेश सम्मेलन (जुलाई 2023) के दौरान आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। विस्तृत लेखापरीक्षा (फरवरी से मार्च 2024 के बीच) के दौरान इन अभिलेखों की पुनः मांग की गई; हालाँकि, आवश्यक अभिलेख आंशिक रूप से ही प्रस्तुत किए गए।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024)। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

3.2.8.2 विवरणियाँ

70 करदाताओं के एक नमूने द्वारा दाखिल विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था और विवरणियों को दाखिल न करने के मामले बड़ी संख्या में मौजूद थे, जो नीचे दिए गए हैं:

- **करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना**

लेखापरीक्षा ने 19 करदाताओं (34 मामले) के मामले में देखा कि (फरवरी और मार्च 2024 के बीच), जो लेखापरीक्षित 70 मामलों का 27.14 प्रतिशत है, करदाताओं ने या तो विलंब से अपना विवरणियों को दाखिल किया था या गलती से अतिरिक्त आई.टी.सी. क्रेडिट का उपयोग कर लिया था, जिसे वापस कर दिया गया था, लेकिन विलंब से दाखिल विवरणी या अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के वापसी होने पर ₹ 36.56 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि आदित्यपुर और सिंहभूम सी.टी.सी. में पाँच मामलों में ₹ 0.03 करोड़ की राशि आंशिक रूप से वसूल की गई। तीन[109] सी.टी.सी. में चार मामलों में ₹ 0.48 करोड़ के एस.सी.एन. निर्गत किए गए। तीन[110] सी.टी.सी. में सात मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किए गए। राँची विशेष सी.टी.सी. में शेष तीन मामलों में, लेखापरीक्षा अवलोकन मान्य नहीं पाया गया। विभाग से अनुरोध किया गया था (सितंबर 2024) कि वह उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए जो मान्य नहीं पाए गए। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

सिंहभूम सी.टी.सी. के अंतर्गत एक करदाता, जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXR, ने 2018-21 की अवधि के लिए विलंब से विवरणी को दाखिल किया और नगद रोकड़ बही से डेबिट करके विवरणी के अनुसार कर का भुगतान किया। तथापि, कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 4.08 लाख का ब्याज नहीं चुकाया गया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (सितंबर 2024) कि ₹ 2.75 लाख की राशि वसूल कर ली गई है। आगे उत्तर की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

---

109 आदित्यपुर, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

110 आदित्यपुर, जमशेदपुर और राँची पूर्वी।

3.2.8.3 आई.टी.सी. का उपयोग

आई.टी.सी. का अर्थ है किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया जी.एस.टी., जिसका उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता है। करों के सोपानी प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 16 आई.टी.सी. का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित करती है। सी.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग जे.जी.एस.टी./ यू.टी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और जे.जी.एस.टी./ यू.टी.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग सी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 36 से 45 आई.टी.सी. का लाभ उठाने और उसे वापसी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

आई.टी.सी. के उपयोग से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम और देखी गई विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **आई.टी.सी. में बेमेल**

लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के संबंध में जी.एस.टी.आर.-2ए के आंकड़ा समुच्चय का विश्लेषण करदाताओं द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-3बी, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-9सी के आंकड़ा समुच्चय के साथ किया और विवरणियों के बीच आई.टी.सी. के बेमेल को देखा। लेखापरीक्षा विसंगतियों की विस्तार से जाँच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा आई.टी.सी. में देखे गए बेमेलों का विवरण **तालिका 3.14** में दिया गया है:

तालिका 3.14: आई.टी.सी. बेमेल का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदण्ड	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि
1.	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 के बीच आई.टी.सी. का बेमेल: जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना जी.एस.टी.आर.-	63	08[111]	1,045.04

[111] आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

तालिका 3.14: आई.टी.सी. बेमेल का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदण्ड	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि
	3बी/जी.एस.टी.आर.-9 विवरणी के अन्तर्गत प्राप्त आई.टी.सी. से की गई।			
2.	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12एफ और 14टी के अनुसार असमाधानित आई.टी.सी.: जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका-12एफ और 14टी, खाता बहियों (तालिका-12डी और 14आर) से गणना की गई कुल आई.टी.सी. और जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित आई.टी.सी. के बीच अंतर को दर्शाती है।	19	06[112]	174.91
3.	आई.टी.सी. की वापसी: जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 17(2) के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 42 और 43 आई.टी.सी. को आनुपातिक रूप से निर्बंधित करने का प्रावधान करती है, जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-रेटेड आपूर्तियों सहित कर योग्य आपूर्तियों के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए किया जाता है।	27	07[113]	460.22
4.	आई.एस.डी. क्रेडिट के अन्तर्गत प्राप्त आई.टी.सी. में बेमेल: जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 20(2) के अनुसार, उपलब्ध आई.एस.डी. उसी महीने में वितरण के लिए क्रेडिट वितरित कर सकता है जिसमें इसका लाभ उठाया गया हो। जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4ए(4), जिसमें प्राप्त आई.एस.डी. क्रेडिट का विवरण शामिल है, जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6जी के साथ मेल खाएगी।	01	01[114]	0.02
5.	आर.सी.एम. के अन्तर्गत प्राप्त आई.टी.सी. में बेमेल: जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 3.1(डी) के आँकड़ा, जिसमें रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर का विवरण शामिल है, की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ के अनुसार प्राप्त आर.सी.एम. आई.टी.सी. के साथ की गई।	19	06[115]	140.44

112 आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

113 आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, और राँची पश्चिमी।

114 आदित्यपुर।

115 आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

तालिका 3.14: आई.टी.सी. बेमेल का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदण्ड	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि
6.	पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त अतिरिक्त आई.टी.सी.: तालिका 6 (पूंजीगत वस्तुओं) के अंतर्गत प्राप्त आई.टी.सी. की तुलना बैलेंस शीट के अनुसार अचल संपत्तियों में वृद्धि से की गई।	02	02[116]	0.19
कुल		**131**		**1,820.82**

उपरोक्त मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2024)। उपरोक्त मामलों में विभाग से प्राप्त उत्तरों का सारांश नीचे दिया गया है:

(1) जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 के बीच आई.टी.सी. बेमेल: 63 मामलों की ओर इंगित करने पर, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (सितंबर 2024) कि राँची पश्चिमी सी.टी.सी. में एक मामले में ₹ 0.20 करोड़ की राशि आंशिक रूप से वसूल की गई। जमशेदपुर और राँची विशेष सी.टी.सी. में तीन मामलों में ₹ 7.25 करोड़ के एस.सी.एन. निर्गत किए गए। सात[117] सी.टी.सी. में 47 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किए गए। तीन[118] सी.टी.सी. में शेष 12 मामलों में, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया गया और विभाग से इन मामलों से संबंधित अभिलेख सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (सितंबर 2024)। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(2) जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12एफ और 14टी के अनुसार असमाधानित आई.टी.सी.: 19 मामलों की ओर इंगित करने पर, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (सितंबर 2024) कि राँची दक्षिणी सी.टी.सी. में दो मामलों में ₹ 0.12 करोड़ की राशि आंशिक रूप से वसूल की गई। राँची विशेष सी.टी.सी. में एक मामले में ₹ 0.01 करोड़ के लिए एस.सी.एन. निर्गत किया गया। चार[119] सी.टी.सी. में 11 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किए गए। तीन[120] सी.टी.सी. में शेष पाँच मामलों में, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया गया और

116 आदित्यपुर और राँची दक्षिणी।

117 आदित्यपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

118 जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी।

119 आदित्यपुर, जमशेदपुर, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

120 जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

विभाग से इन मामलों से संबंधित अभिलेख सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (सितंबर 2024)। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(3) आई.टी.सी. की वापसी: 27 मामलों की ओर इंगित करते हुए, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) में कहा कि सभी सात सी.टी.सी. में 25 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया। जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी सी.टी.सी. में शेष दो मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार नहीं किया गया। विभाग से इन मामलों से संबंधित अभिलेख सत्यापन के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (सितंबर 2024)। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

जमशेदपुर सी.टी.सी. के अन्तर्गत करदाता जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXXE के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने 2019-20 की अवधि के लिए प्रपत्र-जी.एस.टी.आर.-9 में वार्षिक विवरणी की तालिका 6(ओ) के अनुसार ₹ 401.44 करोड़ का आई.टी.सी. प्राप्त किया था। आगे यह भी देखा गया कि करदाता ने जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 5(एन) के अनुसार ₹ 2,231.80 करोड़ के कुल आवर्त में से जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 5(डी) और 5(ई) के अनुसार ₹ 462.09 करोड़ की छूट प्राप्त आपूर्ति की थी। इस मामले में, ₹ 83.12 करोड़[121] के आई.टी.सी. की वापसी करना आवश्यक था। तथापि, करदाता ने जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 7(सी) के अनुसार केवल ₹ 0.84 करोड़ के आई.टी.सी. को वापस कर दिया था। विवरणी को सत्यापित करने में समुचित अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 82.28 करोड़ की आई.टी.सी. का कम वापसी हुआ।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है।

(4) आई.एस.डी. क्रेडिट के अन्तर्गत आई.टी.सी. प्राप्त करने में बेमेल: इंगित किये जाने पर, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(5) आर.सी.एम. के अंतर्गत प्राप्त लाभ आई.टी.सी. में बेमेल: 19 मामलों की ओर इंगित करने पर, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (सितंबर 2024)

[121] वापस की जाने वाली आई.टी.सी. (₹ 83.12 करोड़) = प्राप्त आई.टी.सी. (₹ 401.44 करोड़) * (छूट प्राप्त आवर्त (₹ 462.09 करोड़)/कुल आवर्त (₹ 2,231.80 करोड़)

कि एक मामले में ₹ 44.99 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत किया गया था; चार[122] सी.टी.सी. में छः मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किए गए। तीन[123] सी.टी.सी. में शेष 12 मामलों में, लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार नहीं किया गया और विभाग से इन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (सितंबर 2024)। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

राँची पश्चिमी सी.टी.सी. के अंतर्गत जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXXXXT एक करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने 2020-21 की अवधि के लिए जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 6 के अनुसार ₹ 401.86 करोड़ का आर.सी.एम. भुगतान किया था। तथापि, करदाता ने जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4(ए) (3) के अनुसार आर.सी.एम. के अंतर्गत ₹ 446.85 करोड़ का आई.टी.सी. प्राप्त किया था। विवरणियों का सत्यापन करने में समुचित अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप आर.सी.एम. के अंतर्गत ₹ 44.99 करोड़ आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाया गया।

इंगित किये जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि ₹ 44.99 करोड़ का एस.सी.एन. निर्गत कर दिया गया है।

(6) पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त अतिरिक्त आई.टी.सी.: दो मामलों की ओर इंगित करने पर, विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (सितंबर 2024) के दौरान कहा कि आदित्यपुर और राँची दक्षिणी सी.टी.सी. में दोनों मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किए जा चुके हैं। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

आदित्यपुर सी.टी.सी. के अंतर्गत एक करदाता जी.एस.टी.आई.एन. 2XXXXXXXXXX3 के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने 2019-20 की अवधि के लिए जी.एस.टी.आर.-9 के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 23.10 लाख की आई.टी.सी. का लाभ उठाया था। हालांकि, वित्तीय विवरणों में करदाता द्वारा दिखाई गई टिप्पणियों के अनुसार अचल संपत्तियों पर संयंत्र और उपकरणों में ₹ 24.89 लाख की वृद्धि हुई और उस पर 18 प्रतिशत की दर से उपलब्ध आई.टी.सी. केवल ₹ 4.48 लाख थी। वित्तीय विवरण का सत्यापन करने में समुचित अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 18.62 लाख की आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाया गया।

122 आदित्यपुर, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

123 जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और राँची दक्षिणी।

मामला को इंगित किए जाने के बाद (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत कर दिया गया है। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

3.2.8.4 चुकाई गई कर देयता

जी.एस.टी. के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, सभी राज्यान्तर्गत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर, केंद्रीय/जे.जी.एस.टी. नामक कर लगाने और संग्रहण को अधिकृत करती है, और प्रत्येक अधिनियम, अर्थात् सी.जी.एस.टी. अधिनियम और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, के अधीन 20 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से कर लगाया जाता है। आई.जी.एस.टी. की धारा 5, वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र सरकार को 40 प्रतिशत की अधिकतम दर आई.जी.एस.टी. लगाने और संग्रहण का अधिकार देती है।

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अधीन, ऐसे वस्तु या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय और राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे कि तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9(4) और आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर रिवर्स प्रभार लगाने का प्रावधान करती है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

चुकाई गई कर देयताओं से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों और देखी गई विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है।

- **कर देयता में बेमेल**

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-21 के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-9 विवरणियों की जाँच की और विवरणियों में प्रस्तुत कर देयता की तुलना करके चुकाई गई कर देयता में बेमेल देखी। लेखापरीक्षा इन बेमेलताओं की विस्तार से जाँच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित विस्तृत अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। बेमेलताओं का विवरण **तालिका 3.15** में दिया गया है।

तालिका 3.15: चुकाई गई कर देयता से संबंधित बेमेल

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मापदण्ड	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि
1.	जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच कर देयता बेमेल: दो विवरणियों अर्थात जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 में दी गई उच्च राशि के आधार पर कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी में कर के वास्तविक भुगतान से की गई **(परिशिष्ट-IX)**।	46	08[124]	130.33
2.	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9आर में दर्ज लेखा पुस्तकों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल।	12	04[125]	13.44
3.	जी.एस.टी.आर.-9सी में घोषित आवर्त/कर योग्य आवर्त में बेमेल: जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर और 7जी, वार्षिक विवरणी जी.एस.टी.आर.-9 और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित सकल आवर्त/कर योग्य आवर्त के बीच समाशोधन को दर्शाती है।	12	07[126]	374.28
4.	जी.एस.टी.आर. 9सी की तालिका 5 में घोषित अनबिल्ड राजस्व/असमायोजित अग्रिम में बेमेल के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य आवर्त का छिपाव।	10	04[127]	1,516.26
कुल		**80**		**2,034.31**

उपरोक्त मामले विभाग को प्रतिवेदित किए गए (मई 2024)। उपरोक्त मामलों में विभाग से प्राप्त जवाब संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

(1) जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच कर देयता बेमेल: इंगित किए जाने पर (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के

[124] आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

[125] आदित्यपुर, जमशेदपुर, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

[126] आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

[127] आदित्यपुर, जमशेदपुर, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

दौरान कहा (सितंबर 2024) कि राँची दक्षिणी सी.टी.सी. में पाँच मामलों में ₹ 4.88 करोड़ की राशि आंशिक रूप से वसूल की गई। तीन[128] सी.टी.सी. में चार मामलों के संबंध में ₹ 0.36 करोड़ की अतिरिक्त मांग निर्गत की गई। छः[129] सी.टी.सी. में 25 मामलों के संबंध में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया। छः[130] सी.टी.सी. में शेष 12 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया गया और विभाग से अनुरोध किया गया (सितंबर 2024) कि वह सत्यापन के लिए इन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(2) जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9आर में दर्ज लेखा पुस्तकों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल: इंगित किए जाने पर (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि सभी चार सी.टी.सी. में आठ मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया जा चुका है। जमशेदपुर और राँची दक्षिणी सी.टी.सी. से संबंधित शेष चार मामलों में, लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया गया और विभाग से इन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया (सितंबर 2024)। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(3) जी.एस.टी.आर.-9सी में घोषित आवर्त/कर योग्य आवर्त में बेमेल: इंगित किए जाने पर (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (सितंबर 2024) कि छः[131] सी.टी.सी. में आठ मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया था। जमशेदपुर और राँची दक्षिणी सी.टी.सी. में शेष चार मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार नहीं किया गया और विभाग से अनुरोध किया गया (सितंबर 2024) कि वह इन मामलों से संबंधित अभिलेख सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए (दिसंबर 2024)। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

(4) जी.एस.टी.आर. 9सी की तालिका 5 में घोषित अनबिल्ड राजस्व/ असमायोजित अग्रिम में बेमेल के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य आवर्त का छिपाव: इंगित किए जाने पर (मई 2024); विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंबर 2024) कहा कि राँची दक्षिणी सी.टी.सी. में पाँच मामलों में ₹ 41.31 करोड़ के एस.सी.एन. निर्गत किए गए। आदित्यपुर और राँची विशेष सी.टी.सी. में दो मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया। जमशेदपुर सी.टी.सी. द्वारा शेष तीन

---

128 जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

129 आदित्यपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

130 जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

131 आदित्यपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार नहीं किया गया। विभाग से अनुरोध किया गया (सितंबर 2024) कि वह सत्यापन के लिए इन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए। आगे जवाब की प्रतीक्षा थी (मार्च 2026)।

अनुशंसा संख्या 3: विभाग इस प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी अनुपालन विचलन/असंगतियों के लिए समय कालातीत होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

3.2.9 जनशक्ति की पर्याप्तता

विभाग के कुशल कामकाज के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित जनशक्ति योजना और उसकी उचित तैनाती आवश्यक है।

मार्च 2022 तक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी/सहायक वाणिज्य कर अधिकारी) और अन्य सहायक कर्मचारियों (क्लर्क, एम.टी.एस. आदि) के संबंध में सी.टी.डी. की स्वीकृत और कार्यशील शक्ति नीचे **तालिका 3.16** में दी गई है:

तालिका 3.16: सी.टी.डी., झारखण्ड के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और सहायक कर्मचारियों की स्थिति

पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का प्रतिशत
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	443	277	166	37.47
सहायक कर्मचारी	712	133	579	81.32

स्रोत: सी.टी.डी. द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त तालिका मार्च 2022 तक दर्शाता है कि, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के संबंध में रिक्त पद 37.47 प्रतिशत थे। इसके अलावा, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 81.32 प्रतिशत थे। पर्याप्त जनशक्ति के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो जाँच या विवरणी की धीमी गति, पंजीकरण निरस्त करने के मामलों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

3.2.10 निष्कर्ष

जी.एस.टी. भुगतान और विवरणी दाखिल पर विभाग की निगरानी पर वि.वि.अ.ले.प. का उद्देश्य विवरणी दाखिल और कर भुगतान, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह वि.वि.अ.ले.प. मुख्यतः आँकड़ा विश्लेषण पर आधारित था, जिसने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए दाखिल जी.एस.टी. विवरणी में जोखिम वाले क्षेत्रों और चेतावनी के संकेतों को उजागर किया। वि.वि.अ.ले.प. में एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के माध्यम से उच्च मूल्य और/या उच्च जोखिम वाले विचलनों का पता लगाना शामिल था, जिसमें क्षेत्रीय दौरा शामिल नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय दौरा और विभागीय परिसरों में करदाताओं के अभिलेखों की जाँच और वाणिज्य कर अंचलों (सी.टी.सी.) के अनुपालन कार्यों का मूल्यांकन शामिल था।

इसलिए, लेखापरीक्षा नमूने में 10 सी.टी.सी., वैश्विक पृच्छाओं के माध्यम से चुने गए मापदंडों में 388 उच्च मूल्य की विसंगतियां और वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जी.एस.टी. विवरणी के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चुने गए 70 करदाता शामिल थे।

10 सी.टी.सी. की समीक्षा से उजागर हुआ कि विवरणी दाखिल करने, देर से/न दाखिल करने वालों पर कार्रवाई, उठाई गई मांगों की वसूली, विवरणी की जाँच और पंजीकरण निरस्त करने से संबंधित निगरानी कार्यों में कमी थी। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया है और एक आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार की गई है, फिर भी चयनित करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा पूरा नहीं हुआ।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में, 388 उच्च मूल्य के आँकड़ा विसंगतियों की जाँच की गई, जिसके परिणामस्वरूप आई.टी.सी. और कर भुगतान से संबंधित 249 अनुपालन विचलन हुए, जिससे ₹ 883.80 करोड़ सहित राजस्व प्रभाव हुआ। ब्याज के कम भुगतान, अस्थायी दायित्वों, जी.एस.टी.आर.3बी दाखिल न करने और आई.टी.सी. बेमेल में विचलन की अपेक्षाकृत अधिक दर देखी गई। इसके अलावा, आवर्त बेमेल के कारण 79 अनुपालन विचलन भी देखे गए।

70 करदाताओं के विस्तृत लेखापरीक्षा से भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का पता चला। शुरुआत में, सभी चयनित करदाताओं के विस्तृत करदाता अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिसने एक महत्वपूर्ण दायरे की सीमा का गठन किया। 70 मामलों के नमूने में ब्याज का भुगतान न करने, आई.टी.सी. और आवर्त के बेमेल से ₹ 1,964.96 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित अनुपालन कमियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग को विवरणी दाखिल करने, पंजीकरण निरस्त करने, आंतरिक लेखापरीक्षा, करदाता अनुपालन और बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली पर निगरानी बनाए रखने के लिए सी.टी.सी. में तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3.2.11 अनुशंसाओं का सारांश

अनुशंसायें इस प्रकार हैं:-

1. विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर निरस्तीकरण प्रक्रिया के निपटान के लिए एक तंत्र तैयार करने पर विचार कर सकता है और समान पैन के विरुद्ध नए पंजीकरण प्रदान करते समय पहले निरस्त किए गए पंजीकरणों के विरुद्ध बकाया देनदारियों के सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।
2. विभाग शेष करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने के आकार को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।
3. विभाग इस प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी अनुपालन विचलन/असंगतियों के लिए समय कालातीत होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

परिवहन विभाग

3.3 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क की उदग्रहण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001; झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001; मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988; केंद्रीय मोटर वाहन (कें.मो.वा.) नियमावली, 1989; तथा झारखण्ड वित्तीय नियमावली के द्वारा शासित होता है।

झारखण्ड के परिवहन विभाग मोटर वाहन कर एवं शुल्क के उदग्रहण एवं संग्रहण के प्रति उत्तरदायी है। विभाग के मुख्य कार्य वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र, दुरूस्ती प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, वाहनों के लिए स्थायी और स्थानीय अनुज्ञापत्र, व्यवसायियों का व्यापार प्रमाणपत्र एवं व्यक्तियों को चालक/परिचालक अनुज्ञप्ति निर्गत करना है।

विभाग के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी होते हैं, जो परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं तथा राज्य में अधिनियमों और नियमावलियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य परिवहन आयुक्त (एस.टी.सी.) झारखण्ड परिवहन विभाग के कार्यपालक प्रमुख हैं एवं विभाग में अधिनियमों और नियमावलियों के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यालय में संयुक्त परिवहन आयुक्त (जे.टी.सी.), राज्य के

पाँच क्षेत्रों[132] में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (क्षे.प.प्रा.), 24 परिवहन जिलों[133] में जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) तथा मोटर वाहन निरीक्षक (एम.भी.आई.) एस.टी.सी. की सहायता करते हैं। ये विभागीय पदाधिकारी विभिन्न मोटर वाहन अधिनियमों और नियमावलियों के अंतर्गत किए गए अपराधों के शमन हेतु शास्ति अधिरोपित करने एवं कर और अर्थदण्ड उदग्रहण करने के प्रति जिम्मेदार हैं।

3.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

जुलाई 2022 से मार्च 2023 के दौरान, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए झारखण्ड परिवहन आयुक्त का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया, जिसमें 33 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 10 जिला परिवहन कार्यालयों[134] और दो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[135] का चयन लेखापरीक्षा हेतु किया गया।

राज्य में 2021-22 तक कुल 61,81,861 वाहन पंजीकृत थे, जिनमें से 48,42,805 वाहन नमूना-जाँचित इकाइयों में पंजीकृत थे। लेखापरीक्षा ने वाहन प्लेटफार्म, जो राष्ट्रीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत पंजीकरण और कराधान से संबंधित प्रमुख ई-गवर्नेंस सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोग है जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संधारित किया जाता है, में संधारित 4,44,492 पंजीकृत वाहनों के पंजीकरण और कराधान अभिलेखों का चयन और जाँच किया।

विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में कर, शुल्क, शास्ति, अर्थदंड और राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के समग्र शुल्क में झारखण्ड के हिस्से के रूप में कुल ₹ 1,262.78 करोड़ का राजस्व संगृहीत किया गया। इनमें से नमूना-जाँचित इकाइयों ने ₹ 938.46 करोड़ संगृहीत किया। लेखापरीक्षा जाँच में करों के कम या गैर-उदग्रहण, वाहनों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण आदि से संबंधित मुद्दे सामने आए, इन 1,54,104 मामलों की राशि ₹ 188.29 करोड़ थी, जैसा कि **तालिका 3.17** में दर्शाया गया है।

---

132 चाईबासा, दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

133 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरीडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसांवा और सिमडेगा।

134 बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, खूंटी, पलामू, रामगढ़ और राँची।

135 कोल्हान (चाईबासा) और दक्षिणी छोटानागपुर (राँची)।

तालिका 3:17: अनियमितताओं की प्रकृति

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	परिवहन वाहनों से कर का गैर संग्रहण	8,657	111.25
2	एक मुश्त कर का गैर संग्रहण	8,227	21.58
3	वाहनों की श्रेणियों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (जैसे, निर्माण उपकरण वाहन को माल वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जाना) के कारण एकमुश्त कर का कम/गैर-उदग्रहण	866	22.09
4	अन्य	1,36,354	33.37
कुल		**1,54,104**	**188.29**

(स्रोतः निरीक्षण प्रतिवेदन)

विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि 2,139 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 14.72 करोड़ की वसूली की गयी है।

अनियमितताएं जिनमें ₹ 173.17 करोड़ मूल्य के 1,25,103 मामले सन्निहित हैं की चर्चा अनुवर्ती कंडिकांओं में की गई है।

3.5 परिवहन वाहनों से करों का गैर संग्रहण

8,656 परिवहन वाहनों के चूककर्ता मालिकों से वसूली योग्य ₹ 112.24 करोड़ के कर और अर्थदण्ड का जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा संग्रहण नहीं किया जाना।

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 और 7, सह पठित झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(2), पंजीकृत परिवहन वाहनों के मालिकों को अनुसूची-I भाग-ग में निर्दिष्ट दर पर अग्रिम मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक बनाती है। कर की दर मालवाहक वाहनों के पंजीकृत लदान भार[136] (पं.ल.भा.) और सार्वजनिक सेवा वाहनों की बैठान क्षमता पर आधारित होती है। यदि भुगतान में 90 दिनों से अधिक का विलंब हो जाता है, तो कर के साथ बकाया करों की राशि के दोगुने का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5(5) जनवरी 2019 से 12 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर हरित कर के उदग्रहण का प्रावधान करती है।

---

136 वाहन का कुल भार तथा पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उस वाहन के लिए अनुमेय प्रमाणित एवं पंजीकृत भार।

इसके अलावा, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 17 में यह प्रावधान है वाहन मालिकों के द्वारा किसी यांत्रिक खराबी या किसी वैध कारण से वाहन के ऑफ-रोड होने की पूर्व सूचना प्रतिज्ञा पत्र के साथ, उस अवधि जिसके लिए कर का भुगतान किया गया है की समाप्ति या उससे पूर्व दी जानी है। ऐसे प्रतिज्ञापत्र के अभाव में, प्रत्येक मोटर वाहन को राज्य में उपयोग किए जाने या उपयोग हेतु रखा गया माना जाएगा और उस पर कर लगाया जाएगा।

जि.प.प. को माँग, संग्रह और शेष पंजी को अर्धवार्षिक आधार पर अद्यतन करने और झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के तहत माँग सूचना जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है।

वाहन एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को प्रणाली से प्रमादियों की सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.) को इन प्रमादियों को माँग सूचना जारी करना आवश्यक है।

वाहन एप्लीकेशन में संधारित करारोपण और पंजीकरण आंकड़ा के विश्लेषण पर यह पाया गया कि राज्य में 1,24,436 परिवहन वाहनों का कर वैधता 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गयी थी, जिनमें से 98,818 वाहन चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत थे।

लेखापरीक्षा ने 10 जि.प.का.[137] में 64,643 परिवहन वाहनों के अभिलेखों की जाँच की, जो वाहन मॉडल और प्रमादी की अवधि के आधार पर चुने गए थे, और पाया कि 8,656 वाहन मालिकों ने एक वर्ष से अधिक समय तक कर का भुगतान बंद कर दिया था। जि.प.का. में वाहन एप्लीकेशन में संधारित करारोपण और पंजीकरण के वास्तविक समय के आंकड़ा के साथ आगे की पुष्टि पर यह पाया गया कि इन वाहनों के ऑफ-रोड होने के संबंध में कोई प्रतिज्ञा-पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

जि.प.प. ने न तो वाहन एप्लीकेशन से प्रमादियों की सूची तैयार की थी और न ही माँग, संग्रह और शेष पंजियों को अद्यतन किया था। बकाया करों की माँग भी नहीं उठाई गई थी। नियमित जाँच और दंड लगाने के लिए प्रवर्तन शाखा[138] के अभाव में, विभाग प्रमादी वाहनों के सड़कों पर चलने को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सका।

---

137 बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, खूंटी, पलामू, रामगढ़ और राँची।

138 विभाग का प्रवर्तन विंग, नियमों का उल्लंघन करके और अनुज्ञापत्रों की शर्तों का उल्लंघन करके सड़कों पर चलने वाले ऐसे मोटर वाहनों की जाँच करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस विंग के अभाव में, विभाग के पास प्रमादी वाहनों को दंडित करने के लिए सीमित संसाधन हैं।

इससे 8,656 परिवहन वाहन मालिकों से मोटर वाहन कर, अर्थदंड और हरित कर (12 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों के लिए) की ₹ 111.24 करोड़[139] की राशि की वसूली नहीं हो सकी, जैसा कि **तालिका 3.18** में विस्तृत है।

तालिका 3.18: परिवहन वाहनों से भुगतेय करों एवं अर्थदण्ड का गैर संग्रहण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जि.प.का.	वाहनों की संख्या	मोटर वाहन कर	अर्थदण्ड	हरित कर	कुल
1	बोकारो	863	5,06,00,844	10,12,01,688	18,11,883	15,36,14,415
2	देवघर	257	93,39,907	1,86,79,814	2,96,528	2,83,16,249
3	धनबाद	1,179	6,17,34,068	12,34,68,136	12,93,814	18,64,96,018
4	गिरीडीह	419	1,72,05,928	3,44,11,856	6,36,144	5,22,53,928
5	हजारीबाग	1,842	9,50,65,600	19,01,31,200	17,42,207	28,69,39,007
6	जमशेदपुर	1,467	4,89,22,165	9,78,44,330	19,86,556	14,87,53,051
7	खूंटी	5	3,27,238	6,54,476	0	9,81,714
8	पलामू	407	1,34,40,311	2,68,80,622	3,02,668	4,06,23,601
9	रामगढ़	33	8,64,210	17,28,420	1,775	25,94,405
10	राँची	2,184	6,99,97,978	13,99,95,956	18,71,684	21,18,65,618
कुल		**8,656**	**36,69,77,519**	**73,49,96,498**	**99,43,259**	**1,11,24,38,006**

(स्रोत: वाहन आंकड़ाकोष)

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि नौ जि.प.प.[140] ने 774 वाहन मालिकों से ₹ 8.06 करोड़ वसूल किए गए हैं। शेष मामलों में वसूली संबंधी सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

3.6 परिवहन वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली न होना

एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए 8,227 वाहनों के चूककर्ता मालिकों से वसूलनीय ₹ 21.58 करोड़ के एकमुश्त कर और अर्थदण्ड को जि.प.प. द्वारा वसूल नहीं किया गया।

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 और 7, सह पठित झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(2) के अनुसार पंजीकृत परिवहन वाहनों के स्वामियों को अनुसूची-I भाग-ग में निर्दिष्ट दर पर अग्रिम मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है।

---

[139] ₹ 73.50 करोड़ का अर्थदण्ड और हरित कर ₹ 99.43 लाख शामिल।

[140] बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, जमशेदपुर, खूंटी, पलामू, रामगढ़ और राँची।

जनवरी 2019 में झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने मोटर वाहनों की कर संरचना में बदलाव किया और निजी वाहनों के अतिरिक्त कुछ परिवहन वाहनों जैसे कि तीन पहिया (यात्री), तीन टन पं.ल.भा. तक के मालवाहक वाहन तथा निर्माण उपकरण वाहन[141] (सी.ई.भी.) को भी एकमुश्त कर[142] (ओ.टी.टी.) के दायरे में लाया गया। पुन:, झा.मो.वा.क. अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि सात दिनों के अंदर एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाया एकमुश्त कर पर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

पुनः, जि.प.प. को माँग, संग्रहण और शेष पंजियों को अर्धवार्षिक आधार पर अद्यतन करने तथा झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार माँग सूचना जारी के लिए उत्तरदायी हैं। वाहन एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को चूककर्ताओं की सूची तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। जि.प.प. को चूककर्ताओं को माँग सूचना जारी करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए परिवहन वाहनों के पंजीकरण आंकड़े का परीक्षण किया और पाया कि राज्य में (मार्च 2022 तक) 2,21,878 वाहन पंजीकृत थे, जिनमें से 1,76,498 वाहन 10 चयनित जि.प.का. में पंजीकृत थे।

लेखापरीक्षा ने एकमुश्त कर के दायरे में आने वाले इन 1,76,498 परिवहन वाहनों की कर संबंधी स्थिति का चयनित जि.प.का. के वास्तविक समय आंकड़ों और अन्य अभिलेखों के साथ सत्यापन किया और पाया कि 8,227 वाहन स्वामियों ने करों का भुगतान नहीं किया था। इन वाहनों के ऑफ-रोड होने संबंधी कोई प्रतिज्ञापत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

यह भी देखा गया कि माँग सूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार जि.प.का. ने वाहन एप्लीकेशन से चूककर्ताओं की सूची तैयार नहीं की और बकाया करों के लिए संबंधित मांगें नहीं उठाईं। रा.प.प्रा. और जे.टी.सी. ने भी परिवहन कार्यालयों के कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया। परिणामस्वरूप, विभाग 8,227 परिवहन वाहनों से ₹ 21.58 करोड़ का राजस्व वसूलने में विफल रहा, जैसा कि **तालिका 3.19** में दर्शाया गया है।

---

141 कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 2 (सी.ए.बी.) में वर्णित उत्खननकर्ता, बैकहो लोडर, स्किड-स्टीयर लोडर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, डोजर और पेवर, कंक्रीट मिक्सर आदि निर्माण उपकरण वाहन हैं।

142 3 टन तक के पं.ल.भा. वाले माल वाहनों, 3-पहिया यात्री वाहनों और निर्माण उपकरण वाहनों पर क्रमशः 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष के लिए एकमुश्त कर लगाया जाता है।

तालिका 3.19: राजस्व की गैर वसूली

(राशि ₹ में)

वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	एकमुश्त कर	ब्याज	कुल
यात्री वाहन	4,664	3,15,92,388	2,42,94,074	5,58,86,462
तीन टन पं.ल.भा. तक के मालवाहक वाहन	3,200	3,22,62,422	2,21,36,094	5,43,98,516
निर्माण उपकरण वाहन	363	5,76,09,243	4,79,34,361	10,55,43,604
कुल	**8,227**	**12,14,64,053**	**9,43,64,529**	**21,58,28,582**

(स्रोत- वाहन आंकड़ाकोष)

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि 10 जि.प.प. ने 300 वाहन मालिकों से ₹ 1.90 करोड़ वसूल किए हैं। शेष मामलों में वसूली संबंधी सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

3.7 पारस्परिक समझौते के तहत चलने वाले वाहनों के मालिकों से कर की वसूली न होना

पारस्परिक समझौते के तहत चलने वाले वाहनों के मालिकों द्वारा कर के भुगतान की निगरानी के लिए एक तंत्र के अभाव में, 101 सार्वजनिक सेवा वाहनों से ₹ 2.39 करोड़ का कर और जुर्माना एकत्र नहीं किया गया था।

मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 88(5) में प्रावधान है कि एक राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहन राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक समझौतों के तहत अन्य राज्यों में चल सकते हैं। तदनुसार, झारखण्ड और ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच जनवरी 2003 में; अप्रैल 2007 में बिहार के साथ और सितंबर 2008 में छत्तीसगढ़ के साथ पारस्परिक समझौतों को उनके क्षेत्रों के भीतर सार्वजनिक सेवा वाहनों को चलाने के लिए निष्पादित किया गया था। सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए एक दोहरे बिंदु कराधान प्रणाली को अपनाया गया था जिन्हें अंतर-राज्यीय परमिट दिए गए थे। अन्य राज्यों में संचालन के समय वाहन अन्य राज्यों के लिए लगाए जाने वाले सभी करों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी थे। पुनः, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 और 7, झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 (2) के साथ पठित, पंजीकृत परिवहन वाहनों के मालिकों को अनुसूची-I भाग-ग में निर्दिष्ट दर पर लागू अग्रिम मोटर वाहन कर का भुगतान करने की आवश्यकता है।

पारस्परिक समझौतों के तहत चलने वाले अन्य राज्यों[143] की बसों के एस.टी.सी. (अक्टूबर 2022 में) के कार्यालय में कर की स्थिति की जाँच करने पर, यह देखा गया कि 1,660 बसों में से, 101 बसों के मालिकों ने कर के भुगतान पर चूक की थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कर के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए राज्य परिवहन विभाग द्वारा विकसित और अनुरक्षित एसपरमिट[144] पोर्टल में चूककर्ताओं की सूची तैयार करने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं था।

एस.टी.सी. ने इस कर के भुगतान के अनुश्रवण के लिए कोई वैकल्पिक तंत्र भी स्थापित नहीं किया था। इस प्रकार, कर के भुगतान के अनुश्रवण के लिए एक तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप ऐसे समझौतों के तहत चलने वाली 101 अन्य राज्यों की बसों के मालिकों से मोटर वाहन कर के ₹ 0.80 करोड़ और अर्थदण्ड के ₹ 1.59 करोड़ सहित ₹ 2.39 करोड़ की गैर-वसूली हुई, जैसा कि **तालिका 3.20** में दिखाया गया है।

तालिका 3.20: पारस्परिक समझौतों के तहत चलने वाली बसों से कर और अर्थदंड की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	राज्य	बसों की संख्या	बकाया कर	अर्थदण्ड	कुल
1	बिहार	49	36,08,563	72,17,126	1,08,25,689
2	छत्तीसगढ़	18	16,53,643	33,07,286	49,60,929
3	ओडिशा	20	17,09,609	34,19,218	51,28,827
4	पश्चिम बंगाल	14	10,00,630	20,01,260	30,01,890
कुल		**101**	**79,72,445**	**1,59,44,890**	**2,39,17,335**

(स्रोतः एसपरमिट आंकड़ाकोष)

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि संबंधित वाहन मालिकों को माँग सूचना भेजी गयीं हैं। वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

143 बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल।

144 एसपरमिट राज्य परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन राज्य अनुज्ञापत्र प्रणाली है, जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न राज्य अनुज्ञापत्र के आवेदन और जारी करने की सुविधा प्रदान करती है।

3.8 हरित कर का उद्ग्रहण न होना

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियमों के अपर्याप्त मानचित्रण के परिणामस्वरूप 5,273 परिवहन वाहनों के मालिकों से वसूली योग्य ₹ 1.58 करोड़ के हरित कर का गैर-उदग्रहण।

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 (5) में जनवरी 2019 से 12 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रावधान है। परिवहन विभाग के परिपत्र (अगस्त 1993) के अनुसार, जि.प.प. कर अधिकारियों के रूप में नामित किया गए, और मोटर वाहन निरीक्षक (एम.भी.आई.) वाहनों के लिए दुरूस्ती प्रमाणपत्र जारी करने और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार थे।

वाहन एप्लीकेशन से लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गए परिवहन वाहनों के पंजीकरण आंकड़ों से पता चला कि मार्च 2010 तक राज्य में 1,41,439 वाहन पंजीकृत थे, जो 12 वर्षों या अधिक के लिए पंजीकृत किए गए थे (मार्च 2022 तक)।

लेखापरीक्षा ने आठ जि.प.का.[145] में 1,16,138 ऐसे परिवहन वाहनों से मोटर वाहन कर के भुगतान के अभिलेखों की नमूना-जाँच की और देखा कि 5,273 परिवहन वाहन, जो 12 वर्षों से अधिक समय से पंजीकृत थे, ने मई 2019 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए मोटर वाहन करों का भुगतान किया था। हालांकि, मई 2019 और सितंबर 2024 के बीच की अवधि के लिए इन 5,273 परिवहन वाहनों के मालिकों से इन आठ जिलों में ₹ 1.58 करोड़ की राशि के हरित कर का उदग्रहण तथा संगृहीत नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 3.21** में दिखाया गया है।

तालिका 3.21: हरित कर की गैर वसूली

(राशि ₹ में)

क्र. स.	जि.प.का.	वाहनों की संख्या	के दौरान वाहन करों का भुगतान किया गया	भुगतान किया गया वाहन कर	हरित कर का गैर-उदग्रहण
1	बोकारो	703	02.05.2019 to 30.09.2024	1,84,15,110	18,41,511
2	देवघर	203	24.05.2019 to 17.11.2023	48,50,953	4,85,093
3	धनबाद	917	30.06.2019 to 29.06.2023	2,47,48,238	24,74,830
4	गिरीडीह	10	27.06.2019 to 23.12.2022	2,51,376	25,138

145 बोकारो, देवघर, धनबाद, गिहीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू और राँची।

क्र. स.	जि.प.का.	वाहनों की संख्या	के दौरान वाहन करों का भुगतान किया गया	भुगतान किया गया वाहन कर	हरित कर का गैर-उदग्रहण
5	हजारीबाग	920	05.05.2019 to 23.10.2023	2,34,12,153	23,41,220
6	जमशेदपुर	537	03.02.2020 to 27.01.2024	1,64,72,600	16,47,247
7	पलामू	163	25.05.2019 to 27.08.2024	47,37,545	4,73,759
8	राँची	1,820	20.09.2019 to 16.01.2024	6,50,01,258	65,00,173
कुल		**5,273**		**15,78,89,233**	**1,57,88,971**

(स्रोतः वाहन आंकड़ाकोष)

पुनः, पुराने वाहनों पर हरित कर के उदग्रहण के लिए वाहन एप्लीकेशन में उपलब्ध प्रणाली के विश्लेषण से पता चला कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में हरित कर के संग्रहण के लिए मॉड्यूल कर अधिकारियों यानी जि.प.प. के बजाय मोटर वाहन निरीक्षकों (एम.भी.आई.) को प्रदान किया गया था जो दुरूस्ती प्रमाणपत्र जारी करने/नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार थे। इस अपर्याप्त मानचित्रण के कारण उन वाहनों से जो उनके दुरूस्ती प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, ₹ 1.58 करोड़ की राशि के हरित कर का गैर-उद्ग्रहण हुआ, भले ही उन्होंने कर अधिकारियों को मोटर वाहन कर का भुगतान करना जारी रखा हो।

विभाग और जि.प.प. इस अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे और हरित कर के गैर-उदग्रहण के संबंध में अनजान रहे।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि तीन जि.प.प.[146] ने 44 वाहन मालिकों से ₹ 1.32 लाख की वसूली की थी। शेष मामलों में वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

हालांकि, सरकार/विभाग वाहन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियमावली के अपर्याप्त मानचित्रण पर मौन रहा।

3.9 निर्माण उपकरण वाहनों से एकमुश्त कर का कम उद्ग्रहण

866 वाहनों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 22.09 करोड़ के एकमुश्त कर और अर्थदण्ड की कम वसूली की गयी।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 की धारा 7(8) में प्रावधान है कि सात दिनों के भीतर एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) का गैर-भुगतान की

[146] देवघर, धनबाद और गिरीडीह

स्थिति में, बकाया एकमुश्त कर पर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा।

आंकड़ों के विश्लेषण पर, यह देखा गया कि राज्य में 1,96,346 परिवहन वाहनों को मालवाहक वाहनों के रूप में पंजीकृत थे, जिनमें से 1,57,395 वाहनों को चयनित जि.प.का. में पंजीकृत थे।

लेखापरीक्षा ने 10 नमूना जाँचित जि.प.का. में जनवरी 2010 और फरवरी 2022 के बीच बॉडी टाईप सी.ई.वी. के साथ पंजीकृत 6,308 मालवाहक वाहनों के अद्यतन कर भुगतान से संबंधित आंकड़ा निकाला। आंकड़ा और पंजीकरण विवरण की जाँच से पता चला कि ये वाहन वाहन एप्लीकेशन की 'वाहन वर्ग' तालिका में 'मालवाहक वाहन' के रूप में वर्गीकृत किए गए थे और वे अपने पं.ल.भा. के अनुसार त्रैमासिक कर का भुगतान कर रहे थे। हालांकि, वाहन आंकड़ाकोष की 'मॉडल' तालिका में, इन वाहनों को 'क्रेन/जे.सी.बी.' के रूप में दर्ज किया गया था, जो वाहनों की 'सी.ई.वी.' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 'मालवाहक वाहनों' के लिए निर्दिष्ट दर के बजाय ओ.टी.टी. का भुगतान वाहनों की लागत मूल्य के सात प्रतिशत की दर से किया जाना है। चूंकि सी.ई.वी. पर कर की दरों को संशोधित किया गया था जो 31 जनवरी 2019 से प्रभावी था, वाहन वर्ग तालिका में प्रविष्टियों को 'मालवाहक वाहनों' से 'सी.ई.वी.' में बदल दिया जाना चाहिए था, ताकि एप्लीकेशन को इन वाहनों के मालिकों से वसूली योग्य सही ओ.टी.टी. राशि की गणना करने में सक्षम बनाया जा सके।

विभाग हालांकि इस तथ्य से अनजान रहा और त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की और इन वाहनों के मालिकों से, ओ.टी.टी. के बजाय पं.ल.भा. के आधार पर त्रैमासिक कर संगृहीत करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान 866 वाहन मालिकों से ₹ 22.09 करोड़ का ओ.टी.टी. का कम उदग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा शेष 5,442 वाहनों के मामले में उनकी लागत कीमतों और बीजकों की अनुपस्थिति के कारण ओ.टी.टी. के कम उद्ग्रहण का भी पता नहीं लगा सका।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि पाँच जि.प.प.[147] ने 205 वाहन मालिकों से ₹ 3.78 करोड़ वसूल किए थे। शेष मामलों में वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

[147] देवघर, धनबाद, गिरीडीह, जमशेदपुर और रामगढ़

हालांकि, सरकार/विभाग वाहन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में वाहनों के वर्गीकरण के सुधार के बारे में मौन रहा।

3.10 अस्थायी पंजीकरण के लिए शुल्क का कम उद्ग्रहण

विभाग द्वारा अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप निर्गत 92,481 अस्थायी पंजीकरणों के विरूद्ध ₹ 4.86 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के साथ पठित केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 में कहा गया है कि स्थायी या अस्थायी पंजीकरण के बिना क्रेता को वाहन की सुपुर्दगी नहीं दी जाएगी।

मोटर वाहनों के अस्थायी पंजीकरण (टी.आर.) को मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 43 के तहत विनियमित किया जाता था, जबकि धारा 65(एफ) ने राज्य सरकार को वाहनों के टी.आर. के प्रावधानों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की थी। तदनुसार, राज्य सरकार ने झा.मो.वा. नियमावली, 2001 के नियम 52ए के साथ पठित नियम 44(v) के माध्यम से टी.आर. प्रदान के लिए शुल्क निर्धारित किया था। 2019 के अधिनियम 32 के तहत मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 43, 64 (एफ.ए.) और 65 (एफ) में आवश्यक संशोधन किए गए थे, और केंद्र सरकार को मोटर वाहनों के टी.आर. के प्रावधानों को विनियमित करने की शक्ति निहित थी। तदनुसार, टी.आर. प्रदान करने के लिए शुल्क, अप्रैल 2021 से प्रभावी कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 81 (4ए) के तहत पंजीकरण शुल्क के आधा निर्धारित किया गया था।

छह जि.प.का.[148] में वाहन एप्लीकेशन के आंकड़े और मेसर्स टाटा मोटर्स के द्वारा प्रदान की गई सूचना के विश्लेषण से यह देखा गया कि अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान पंजीकरण अधिकारियों द्वारा परिवहन वाहनों के संबंध में 92,481 अस्थायी पंजीकरण निर्गत किए गए थे और भुगतेय ₹ 6.90 करोड़ की राशि के बजाय केवल ₹ 2.04 करोड़ का शुल्क उदग्रहित किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.22** में दिखाया गया है।

148 बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची

तालिका 3.22: अप्रैल 2021 और अप्रैल 2022 के बीच अस्थायी पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

(राशि ₹ में)

क्रं सं.	जि.प.का.	वाहनों की संख्या	उदग्रहित टी.आर. शुल्क	उदग्रहणीय टी.आर शुल्क	कम उदग्रहण
1	बोकारो	363	63,150	2,58,750	1,95,600
2	देवघर	49	9,180	28,000	18,820
3	धनबाद	265	60,180	1,55,250	95,070
4	हजारीबाग	132	25,670	65,700	40,030
5	जमशेदपुर टाटा मोटर्स सहित	91,034	2,02,13,620	6,82,75,500	4,80,61,880
6	राँची	638	66,820	2,59,350	1,92,530
कुल		**92,481**	**2,04,38,620**	**6,90,42,550**	**4,86,03,930**

(स्रोतः वाहन आंकड़ाकोष)

लेखापरीक्षा ने टी.आर. के लिए शुल्क के कम उद्ग्रहण के कारणों का विश्लेषण किया और देखा कि अप्रैल 2021 से प्रभावी कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के संशोधित[149] नियम 81 (4ए) के तहत उद्ग्रहणीय शुल्क के बजाय झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001 के नियम 44 (v) के तहत निर्धारित दरों पर अस्थायी पंजीकरण के लिए शुल्क का उदग्रहण किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पुनः देखा कि परिवहन विभाग, झा.स. ने अप्रैल 2021 से प्रभावी कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के तहत निर्धारित अस्थायी पंजीकरण शुल्क पर विचार किए बिना, 11 अक्टूबर 2021 से प्रभावी झा.मो.वा. (संशोधन) नियमावली, 2021 के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण शुल्क सहित विभिन्न शुल्क को संशोधित किया, जिसके लिए केंद्र सरकार में शक्ति निहित थी।

इस प्रकार, विभाग की ओर से अनुश्रवण और जागरूकता की कमी के परिणामस्वरूप निर्गत 92,481 अस्थायी पंजीकरण के विरूद्ध ₹ 4.86 करोड़ की राशि के राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद, जि.प.प. ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक निर्देशों के लिए मामले को विभाग को संदर्भित किया जाएगा। हालांकि, सरकार/विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया (मार्च 2026)।

---

149 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जीएसआर 240 (ई) दिनांक 31 मार्च 2021 के माध्यम से।

3.11 परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड गैर/कम उदग्रहण

करों के विलंबित भुगतान पर अर्थदंड लगाने के प्रावधान के गलत मानचित्रण के परिणामस्वरूप ₹ 2.93 करोड़ का अर्थदण्ड गैर/कम उदग्रहण।

झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(1) के प्रावधानों के तहत, ऐसे मामलों में जहां पहले कोई कर का भुगतान नहीं किया गया था, वाहन के अधिग्रहण की तारीख या कानून द्वारा ऐसे करारोपण किये जाने की तारीख कर भुगतान की नियत तारीख होगी। वाहन की सुपुर्दगी लेने से सात दिनों के अंदर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पुनः, मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 48 और 49 के अनुसार, वाहन के मालिक वर्तमान पता दर्ज करने के लिए तीस दिनों की अवधि के भीतर नए पंजीकरण प्राधिकारी को मूल पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करेगा। झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(2) समय पर करों का भुगतान नहीं होने पर अर्थदण्ड का प्रावधान करता है, जैसा कि **तालिका 3.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.23: अर्थदण्ड की दरें

क्र सं.	अवधि	विलंब हेतु अर्थदण्ड की राशि
1	यदि भुगतान की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया गया।	शून्य (अनुग्रह अवधि)
2	यदि भुगतान 15 दिनों के बाद लेकिन भुगतान की नियत तारीख के 30 दिनों के भीतर किया गया।	कर का 25%
3	यदि 30 दिनों के बाद लेकिन भुगतान की नियत तारीख के 60 दिनों के भीतर किया गया।	कर का 50%
4	यदि भुगतान 60 दिनों के बाद लेकिन भुगतान की नियत तारीख के 90 दिनों के भीतर किया गया।	कर का 100%
5	यदि नियत तिथि से 90 दिनों से अधिक के बाद भुगतान किया गया।	कर का 200%

(स्रोतः झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 का नियम 4(2))

पुनः, झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 6 में प्रावधान है कि कर के भुगतान को स्वीकार करते समय, कर अधिकारी आदाता द्वारा दी गई राशि की शुद्धता सुनिश्चित करेगा।

22 जि.प.का.[150] (अक्टूबर 2021 और अप्रैल 2023 के बीच) में कराधान पंजियों की और आंकड़ों की नमूना-जाँच से पता चला कि 8,83,168 कर लेन-देनों (फरवरी 2019 और नवंबर 2022 के बीच किये गए) में से 7,854 भुगतान की नियत तारीख से एक से नौ तिमाहियों के विलंब से किए गए थे।

पंजीकरण प्राधिकरण ने अस्थायी पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र के कब्जे/समाप्ति की तारीख से कर का उदग्रहण किया। हालांकि, कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड का आकलन ₹ 3.26 करोड़ के बजाय ₹ 33.43 लाख किया गया था। लेखापरीक्षा ने अर्थदंड के गैर/कम उद्ग्रहण के कारण का विश्लेषण किया और देखा कि हालांकि वाहन सॉफ्टवेयर ने एक निर्दिष्ट तिथि से कर की राशि की गणना की, लेकिन इसने कर के विलंबित भुगतान के लिए प्रावधान दरों के अनुसार लगाए जाने वाले अर्थदंड की गणना नहीं की। विभाग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में विसंगति से भी अनजान रहा और विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड आरोपित बिना कर स्वीकार करना जारी रखा। इस प्रकार, परिवहन वाहनों के पंजीकरण और कराधान के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अर्थदंड के उदग्रहण के प्रावधान के त्रुटिपूर्ण मानचित्रण के परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 2.93 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ, जैसा कि **तालिका 3.24** में वर्णित है।

तालिका 3.24: परिवहन वाहनों से अर्थदंड न गैर/कम उदग्रहण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जि.प.का.	मामलों की संख्या	उदग्रहित कर	उदग्रहित अर्थदण्ड	उदग्रहणीय अर्थदण्ड	अर्थदण्ड का कम उदग्रहण
1	बोकारो	639	40,04,000	3,23,850	27,49,550	24,25,700
2	चाईबासा	103	10,16,428	14,460	5,61,039	5,46,579
3	चतरा	126	7,91,080	1,19,274	5,18,223	3,98,949
4	देवघर	191	13,21,405	83,750	9,02,443	8,18,693
5	धनबाद	1,456	90,28,800	4,08,084	56,42,200	52,34,116
6	गढ़वा	31	2,49,727	56,174	1,58,219	1,02,045
7	गिरीडीह	129	6,50,515	84,142	5,04,777	4,20,635
8	गोड्डा	137	6,20,404	93,063	4,57,228	3,64,165
9	गुमला	109	5,48,033	1,11,551	4,08,822	2,97,271
10	हजारीबाग	1,346	93,77,400	7,72,818	65,59,800	57,86,982
11	जमशेदपुर	1,391	77,79,800	0	42,97,850	42,97,850

[150] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरीडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सराईकेला-खरसावां और सिमडेगा।

तालिका 3.24: परिवहन वाहनों से अर्थदंड न गैर/कम उदग्रहण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जि.प.का.	मामलों की संख्या	उदग्रहित कर	उदग्रहित अर्थदण्ड	उदग्रहणीय अर्थदण्ड	अर्थदण्ड का कम उदग्रहण
12	जामताड़ा	24	91,301	8,624	48,569	39,945
13	खूंटी	14	1,18,240	1,869	49,687	47,818
14	कोडरमा	380	25,52,430	1,07,449	19,79,175	18,71,726
15	लातेहार	291	21,25,775	94,393	15,07,525	14,13,132
16	पाकुड़	103	6,00,463	48,260	4,87,863	4,39,603
17	पलामू	20	3,91,400	0	38,700	38,700
18	रामगढ़	48	4,37,800	9,300	4,15,150	4,05,850
19	राँची	913	54,09,730	5,79,615	33,61,440	27,81,825
20	साहिबगंज	290	21,16,069	3,51,156	14,04,414	10,53,258
21	सराईकेला-खरसांवा	48	4,33,950	11,740	1,87,409	1,75,669
22	सिमडेगा	65	4,50,908	63,526	3,62,212	2,98,686
कुल		**7,854**	**5,01,15,658**	**33,43,098**	**3,26,02,295**	**2,92,59,197**

(स्रोतः वाहन आंकड़ाकोष)

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि 10 जि.प.प.[151] ने 700 वाहन मालिकों से ₹ 37.33 लाख की वसूली की थी। शेष मामलों में वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2026)। हालांकि, सरकार/विभाग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अर्थदण्ड लगाने के प्रावधान के गलत मानचित्रण पर मौन रहा।

3.12 कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग

कर की संशोधित दरों को लागू करने में कर अधिकारियों की ओर से उचित तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप 778 वाहनों के मालिकों से ₹ 2.51 करोड़ की राशि का कम उदग्रहण और संग्रहण हुआ।

झा.स. ने अपनी अधिसूचना (31 जनवरी 2019) के माध्यम से अतिरिक्त मोटर वाहन कर उदग्रहण को समाप्त कर दिया। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, एम्बुलेंस और कैंपर वैन को परिवहन वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन वाहनों के लिए, एंब्यूलेंस और कैंपर वैन के लिए क्रमशः बैठान क्षमता और

151 चाईबासा, देवघर, धनबाद, गोड्डा, गुमला, जमशेदपुर, खूंटी, रामगढ़, साहिबगंज और सराईकेला-खरसांवा।

प.लं.भा. के आधार पर, कर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर उदग्रहित और संगृहीत किए गए।

2013 से 2022 की अवधि के लिए पंजीकरण आंकड़े के विश्लेषण पर, यह देखा गया कि राज्य में 3,550 परिवहन वाहन एम्बुलेंस और कैंपर वैन के रूप में पंजीकृत थे, जिनमें से 3,117 वाहनों को नमूना-जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत थे। वाहन एप्लीकेशन में एम्बुलेंस और कैंपर वैन पर कर लगाने की प्रणाली के विश्लेषण में यह देखा गया कि कर संरचना (31 जनवरी 2019 से प्रभावी) में संशोधन के बाद भी, 10 नमूना-जाँचित जि.प.का.[152] में 31 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2022 तक 778 नमूना जाँचित एंबुलेंस और कैंपर वैन से मोटर वाहन कर और अतिरिक्त मोटर वाहन करों के उदग्रहण एवं संग्रहण के लिए पूर्व-संशोधित दरों का प्रयोग किया गया। कर अधिकारी ने संगृहीत कर की दर का अनुश्रवण और सत्यापन नहीं किया और पूर्व-संशोधित दरों पर ऑनलाइन कर संग्रह करना जारी रखा। वाहन मालिक उदग्रहित और संगृहीत ₹ 0.39 करोड़ के बजाय, लागू दरों के अनुसार ₹ 2.91 करोड़ की राशि के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि **तालिका 3.25** में दिखाया गया है।

तालिका 3.25: कर की त्रुटिपूर्ण दरों के अनुप्रयोग के कारण करों का कम उद्ग्रहण और संग्रहण

(राशि ₹ में)

वाहनों की श्रेणियाँ	वाहनों की संख्या	उदग्रहणीय कर	उदग्रहित कर	कम उदग्रहण
एम्बुलेंस	433	2,39,85,653	23,94,193	2,15,91,460
कैम्पर वैन	345	50,81,250	15,53,608	35,27,642
कुल	**778**	**2,90,66,903**	**39,47,801**	**2,51,19,102**

(स्रोतः वाहन आंकड़ाकोष)

इस प्रकार, कर की संशोधित दरों को लागू करने में कर अधिकारियों की ओर से उचित तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़[153] की राशि के करों का कम उद्ग्रहण और संग्रहण हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि जमशेदपुर और रामगढ़ जि.प.प. ने 44 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 29.12 लाख का वसूल किया था। शेष मामलों में वसूली के संबंध में सूचना प्रतिक्षित है (मार्च 2026)।

152 बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, खूंटी, पलामू, रामगढ़ और राँची।

153 433 एम्बूलेंस: ₹ 2.16 करोड़ और 345 कैंपर वैन: 0.35 करोड़ कर का कम उदग्रहण।

3.13 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के लिए प्राधिकार का नवीकरण

परिवहन वाहनों का राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की वैधता अवधि के दौरान पुनः प्राधिकरण नहीं कराया गया, जिससे 865 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारकों से समेकित शुल्क और प्राधिकार शुल्क के रूप में ₹ 3.98 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

मो.वा. अधिनियम, 1988 और कें.मो.वा. नियमावली, 1989, पाँच साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रावधान करता है। कें.मो.वा. नियमावली के नियम 87 के साथ पठित मो.वा. अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिए प्राधिकार एक बार में एक वर्ष से अन-अधिक अवधि के लिए जारी किया जाना था। यह प्राधिकार एक निरंतर प्रक्रिया थी जिसे हर साल नवीकृत किया जाना था जब तक कि अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या अनुज्ञापत्र धारक द्वारा समर्पित नहीं किया जाता था। पुनः, निर्धारित वार्षिक समेकित शुल्क और प्राधिकार शुल्क के अग्रिम भुगतान पर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार का नवीकरण किया जाना था, विफल होने पर निर्धारित दरों पर विलंब शुल्क आरोपित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी और फरवरी 2023 के बीच) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (क्षे.प.प्रा.), कोल्हन और राँची द्वारा दी गई सूचना की नमूना-जाँच की और देखा कि 2018 और 2022 के बीच 3,887 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत किए गए थे। पुनः, जाँच से पता चला कि 865 मामलों में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अनुवर्ती प्राधिकार को इन अनुज्ञापत्र की आवधिकता के दौरान नवीकृत नहीं किया गया था। ये वाहन ऑफ-रोड थे या अनुज्ञापत्र समर्पित कर दिए गए थे, अभिलेख में इसे दर्शाने वाला कुछ नहीं था। विभाग ने प्राधिकरण के नवीनीकरण की भी निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप समेकित शुल्क, प्राधिकरण शुल्क और विलंब शुल्क सहित ₹ 3.98 करोड़ की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **तालिका 3.26** में दिखाया गया है।

तालिका 3.26: समेकित शुल्क, प्राधिकरण शुल्क और विलंब शुल्क की गैर-वसूली

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षे.प.प्रा.	मामले	समेकित शुल्क	प्राधिकार शुल्क	विलंब शुल्क	कुल
1	राँची	308	1,02,63,000	6,22,000	38,89,800	1,47,74,800
2	कोल्हान	557	1,72,09,500	10,43,000	68,02,000	2,50,54,500
कुल		**865**	**2,74,72,500**	**16,65,000**	**1,06,91,800**	**3,98,29,300**

(स्रोतः राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र आंकड़ाकोष)

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि क्षे.प.प्रा. ने 72 वाहन मालिकों से ₹ 29.52 लाख वसूल किये थे। शेष मामलों में वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2026)।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

3.14 कर प्रशासन

उत्पाद शुल्क का आरोपण और संग्रहण, बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 और उसके तहत बनाए गए नियमावलियों/निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा शासित होता है, जैसा कि झा.स. द्वारा अपनाया गया है। सरकार के स्तर पर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव, राज्य उत्पाद कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। आयुक्त उत्पाद (सी.ई.) विभाग का प्रमुख होते हैं और मुख्य रूप से सरकार की राज्य उत्पाद नीतियों और कार्यक्रमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर उनका सहायता एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद और उपायुक्त उत्पाद और सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा की जाती है।

पुनः, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमण्डलों[154], प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन विभक्त है। प्रमण्डलों को पुनः 24 उत्पाद जिलों में विभक्त किया गया है, जो एक सहायक आयुक्त उत्पाद /अधीक्षक उत्पाद (ए.सी.ई./एस.ई.) के प्रभार के अधीन होते हैं।

3.15 लेखापरीक्षा के परिणाम

2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग की 55 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 10[155] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच की। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, नमूना-जाँचित जिलों में 633 खुदरा उत्पाद शुल्क दुकानें स्थापित पायी गई थीं। लेखापरीक्षा ने सभी 633 खुदरा उत्पाद शुल्क दुकानों की नमूना-जाँच की। विभाग ने 2021-22 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के रूप में ₹ 1,806.61 करोड़ का राजस्व संगृहीत किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 990.79 करोड़ संगृहीत किए। लेखापरीक्षा ने 2,305 मामलों में विभिन्न अनियमितताओं को देखा, जिसके कारण ₹ 186.43 करोड़ का गैर/ कम उद्ग्रहण हुआ, जैसा कि **तालिका 3.27** में वर्णित है।

---

[154] उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची और संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका।

[155] सचिव, उत्पाद एवं निषेध विभाग, राँची; उपायुक्त उत्पाद, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, राँची; अधीक्षक उत्पाद, देवघर, जामताड़ा और पाकुड़; और झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची।

तालिका 3.27: नमूना जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	100	73.26
2	उत्पाद परिवहन कर (ई.टी.डी.) और न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (एम.जी.डी.) के विलंब से जमा के लिए विलंब शुल्क (अर्थदण्ड) का उदग्रहण नहीं किया जाना	142	24.48
3	उत्पाद कर का कम उदग्रहण	66	9.64
4	अंतर प्रत्याभूति राशि का गैर-उदग्रहण	237	4.80
5	अन्य मामले	1,760	74.25
कुल		**2,305**	**186.43**

विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (नवंबर 2023) और सूचित किया कि उन्होंने एक मामले में ₹ 0.92 करोड़ की वसूली की है। अनियमितताओं के 360 मामले जिनमें ₹ 24.59 करोड़ की राशि शामिल है पर अनुवर्ती कंडिकांओं में चर्चा की गई है।

3.16 उत्पाद कर के अंतर शुल्क की वसूली न होना

संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विभागीय निर्देशों का पालन न करने और अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.07 करोड़ के उत्पाद कर के अंतर शुल्क की वसूली नहीं हुई।

झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 89 के अनुसार, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने फरवरी 2021 में मानव उपभोग के लिए सभी प्रकार की शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि संबंधी अधिसूचना जारी की।

तदनुसार, उत्पाद जिलों के सभी सहायक आयुक्त उत्पाद (ए.सी.ई.)/अधीक्षक उत्पाद (एस.ई.) को (फरवरी 2021) झारखण्ड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.) के डिपो और 19-सी अनुज्ञप्तिधारी परिसरों में शुरूआती स्कंध पर विदेशी शराब के वितरक अनुज्ञप्तिधारियों तथा देशी शराब के निर्माता सह थोक विक्रेताओं से उदग्रहणीय उत्पाद कर का अंतर शुल्क (ई.डी.) को प्राप्त कर शीर्ष "0039" राज्य उत्पाद के अंतर्गत जमा करने की व्यवस्था करने और अपना प्रतिवेदन मुख्यालय

को समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया। यह बढ़ा हुआ शुल्क[156] 10 फरवरी 2021 से उदग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा ने (दिसंबर 2021 से नवंबर 2022 के बीच) जे.एस.बी.सी.एल. डिपो और 19-सी अनुज्ञप्तिधारी परिसरों से प्राप्त भारत निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) के स्कंध संबंधी जानकारी के साथ, 2020-21 की अवधि के 10 उत्पाद जिलों[157] के अभिलेखों की नमूना-जाँच की और पाया कि 10 फरवरी 2021 को 38 कंपनियों में 2,58,401 पेटी और विभिन्न प्रकार की आई.एम.एफ.एल. की 26,132 बोतलें विभिन्न प्रकार की आई.एम.एफ.एल. प्रारंभिक स्कंध के रूप में पड़ी हुई थीं। जे.एस.बी.सी.एल. और आई.एम.एफ.एल. के 19-सी अनुज्ञप्तिधारी वितरकों को इस प्रारंभिक स्कंध पर ₹ 1.07 करोड़ का उत्पाद कर का अंतर शुल्क का भुगतान करना था।

हालाँकि, यह पाया गया कि जे.एस.बी.सी.एल. और अनुज्ञप्तिधारी वितरकों से यह उत्पाद कर का अंतर शुल्क वसूल नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि उत्पाद कर का अंतर शुल्क की वसूली हेतु कोई प्रयास संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण किया गया।

इस प्रकार, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विभागीय निर्देशों का पालन न करने और अनुश्रवण के अभाव में ₹ 1.07 करोड़ का उत्पाद कर का अंतर शुल्क वसूल नहीं हो सका।

सरकार ने (नवंबर 2023) लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार किया और सूचित किया कि विभाग ने एक कंपनी से ₹ 0.92 करोड़ की वसूली की है तथा अन्य 14 कंपनियों को माँग सूचना जारी किए गए हैं। शेष मामलों में वसूली की सूचना अप्राप्त है (मार्च 2026)।

3.17 शराब का कम उठाव और विलंब शुल्क का गैर उदग्रहण

विभाग ने एम.जी.डी. (₹ 2.42 करोड़) और ई.टी.डी. (₹ 43.85 करोड़) के विलंबित भुगतान पर क्रमशः ₹ 13.52 करोड़ और ₹ 10 करोड़ का विलंब शुल्क का उदग्रहण नहीं किया। इसके अलावा, ₹ 86.06 लाख का एम.जी.डी. और ₹ 3.52 लाख का ई.टी.डी. बकाया रहा।

झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन) नियमावली, 2018, झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की

156 अधिसूचना संख्या-01/नीति-05-04/2020-261/राँची दिनांक 10.02.2021 सचिव सह आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झा.स.।

157 बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, पाकुड़, रामगढ़ और राँची।

बंदोबस्ती और संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2019 के साथ पठित, के प्रावधानों के तहत खुदरा उत्पाद दुकान का प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता को महीने के न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद शुल्क (एम.जी.डी.) के मूल्य के बराबर शराब का उठाव करने के लिए बाध्य है, ऐसा न करने पर विक्रेता को महीने की अंतिम तारीख को कम उठाई गई शराब के बराबर एम.जी.डी. का भुगतान करना आवश्यक है। खुदरा उत्पाद दुकान के अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता को भी महीने की 25 तारीख तक या जैसा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए मासिक उत्पाद परिवहन शुल्क (ई.टी.डी.) का अग्रिम भुगतान करना आवश्यक है। झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों का बंदोबस्ती और संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2019, में एम.जी.डी./ई.टी.डी. की गैर जमा/कम जमा के लिए प्रति दिन पाँच प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क का भी प्रावधान है। इसके अलावा, अक्टूबर 2020 में जारी झा.स. की अधिसूचना[158] के माध्यम से अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक के महीनों के लिए एम.जी.डी. और ई.टी.डी. में 20 प्रतिशत की कमी की गई।

छह नमूना जाँचित जिलों[159] में बंदोबस्त[160] सभी 534 खुदरा उत्पाद दुकानों के अभिलेखों[161] की जाँच से पता चला कि विक्रेताओं को अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के दौरान छह उत्पाद जिलों[162] में 276 उत्पाद दुकानों में ₹ 17.46 करोड़ की एम.जी.डी. के बराबर शराब का उठाव करने की आवश्यकता थी। हालांकि, इन उत्पाद दुकानों ने नियत तिथि के भीतर ₹ 14.18 करोड़ के एम.जी.डी. के बराबर शराब का उठाव किया थी। इस प्रकार, इन विक्रेताओं ने ₹ 3.28 करोड़ के एम.जी.डी. के बराबर कम शराब का उठाव किया था। इस राशि में से, विक्रेताओं के द्वारा नियत तिथि (महीने की अंतिम तिथि) से एक और 336 दिनों के बीच के विलंब के साथ ₹ 2.42 करोड़ का भुगतान किया गया था, और इस प्रकार ₹ 86.06 लाख बकाया थे, जिस पर विलंब/गैर भुगतान के लिए राशि ₹ 13.52 का विलंब शुल्क उदग्रहणीय था।

पुनः, 220 खुदरा उत्पाद दुकानों में, ₹ 77.98 करोड़ के उद्ग्रहणीय ई.टी.डी. के विरूद्ध, विक्रेताओं ने नियत तिथि के भीतर ₹ 34.09 करोड़ और नियत तिथि के बाद ₹ 43.85 करोड़ की ई.टी.डी. जमा की थी, जिसमें नियत तिथि (महीने की 25 तारीख या विभाग द्वारा निर्धारित) से एक से 75 दिनों के बीच के विलंब था। इसके अलावा, विक्रेताओं

158 संख्या 547 दिनांक 29 अक्टूबर 2020

159 बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, पाकुड़, रामगढ़ और राँची।

160 खुदरा उत्पाद दुकानें जिन्हें संचालन की अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

161 बंदोबस्ती पंजी, राजस्व संचिका और अनुज्ञप्ति लेजर।

162 बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, पाकुड़, रामगढ़ और राँची।

ने ₹ 3.52 लाख जमा नहीं किए, जिस पर विलंब/गैर-भुगतान के लिए ₹ 10 करोड़ की राशि का विलंब शुल्क उदग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पाद जिलों ने नियत एम.जी.डी. और उदग्रहणीय ई.टी.डी. के संबंध में, माह के दौरान और माह तक शराब का उठाव/चुकाई गई ई.टी.डी. की दुकान-वार प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त उत्पाद को प्रतिवेदन अग्रेषित की थी। हालांकि विभाग ने कम उठाई गयी शराब के समतुल्य उत्पाद शुल्क उदग्रहण के लिए या ई.टी.डी. और एम.जी.डी. के विलंबित भुगतान के लिए विलबं शुल्क उदग्रहण के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। परिणामस्वरूप ₹ 86.06 लाख के एम.जी.डी. के साथ-साथ ₹ 3.52 लाख की ई.टी.डी. का गैर भुगतान हुआ और एम.जी.डी. और ई.टी.डी. के गैर/विलंबित भुगतान पर क्रमशः ₹ 13.52 करोड़ और ₹ 10 करोड़ पर विलंब शुल्क का गैर उदग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के बाद, सहायक आयुक्त उत्पाद (ए.सी.ई.), धनबाद और राँची ने कहा (जुलाई और अगस्त 2022 के बीच) कि विस्तृत सत्यापन के बाद कदम उठाए जाएंगे। अधीक्षक उत्पाद, पाकुड़ और ए.सी.ई. बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ ने कहा (नवंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच) कि अर्थदण्ड अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिभूति जमा से समायोजित किया जाएगा।

मामला सरकार/विभाग को जनवरी 2023 में सूचित किया गया था; उनका जवाब अप्राप्त है (मार्च 2026)।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

भू-राजस्व

3.18 कर प्रशासन

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग[163] का विधिक ढाँचा सचिव/आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता है। बंदोबस्ती के सभी महत्वपूर्ण मामलों, नीतियों का ढाँचा एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति के निर्णय सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं।

---

163 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, संथाल परगना अधिनियम, 1949, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार भूमि सुधार (भू-हदबंदी क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961, बिहार भूदान अधिनियम, 1954, बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली, 1953, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956, बंगाल उपकर अधिनियम, 1880 तथा राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी कार्यकारी आदेश।

राज्य पाँच प्रमण्डलों[164], प्रत्येक के प्रमुख एक प्रमण्डलीय आयुक्त होते हैं और 24 जिले[165], प्रत्येक के प्रमुख एक उपायुक्त होते हैं, में विभक्त हैं। जिला स्तर पर, उपायुक्त को अपर समाहर्ता/अपर उप समाहर्ता (ए.सी./ए.डी.सी.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिले अनुमंडलों में विभाजित हैं, जिसके प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) होते हैं, जिनकी सहायता उप-समाहर्ता भूमि सुधार (डी.सी.एल.आर.) द्वारा की जाती है। अनुमंडल को अंचलों में विभक्त हैं, जिनके प्रमुख अंचल अधिकारी (सी.ओ.) होते हैं।

'भू-राजस्व' के तहत विभिन्न प्राप्तियों में भू-लगान, सलामी[166], वाणिज्यिक/आवासीय किराया, उपकर[167], सैरात[168] आदि शामिल हैं।

3.19 लेखापरीक्षा के परिणाम

2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 2000-2001 से दिसंबर 2022 के बीच की अवधि से संबंधित राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग की 'भू-राजस्व' की 460 लेखापरीक्षणीय इकाइयों में से 31 के अभिलेखों की नमूना-जाँच की। वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा संगृहीत किया गया राजस्व कुल मिलाकर ₹ 1,621.21 करोड़ रहा, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 33.97 करोड़ संगृहीत किए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में स्थापना लागत के कम उद्ग्रहण, रैयत[169] को मुआवजे का अधिक भुगतान, स्थापना लागत की कम वसूली, आदि मामलों का पता चला, जिसमें **तालिका 3.28** में वर्णित 478 मामलों में ₹ 184.64 करोड़ की राशि शामिल थी।

---

164 दक्षिणी छोटानागपुर (राँची), उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग), संथालपरगना (दुमका), पलामू (मेदिनीनगर) और कोल्हान (चाईबासा)।

165 बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गिरीडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसांवा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम।

166 सलामी भूमि का बाजार मूल्य है।

167 शिक्षा उपकर: लगान का 50 प्रतिशत, स्वास्थ्य उपकर: 50 प्रतिशत, कृषि विकास उपकर: 20 प्रतिशत और सड़क उपकर: किराये का 25 प्रतिशत (कुल 145 प्रतिशत)।

168 राजस्व अर्जित करने वाली हाट, बाजार, मेला, वृक्ष, घाट, तालाब के संबंध में अधिकार और हित।

169 वह कृषक या पट्टेदार जिसने भूमि को धारण और खेती करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा सरकार को भूमि-राजस्व भुगतान करता है।

तालिका 3.28: अनियमितता की प्रकृति

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	स्थापना लागत का कम उद्ग्रहण	1	2.47
2	रैयत को अधिनिर्णय का अधिक भुगतान	1	6.77
3	अन्य मामले	476	175.40
कुल		**478**	**184.64**

विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार कर लिया। छह मामलों जिनमें ₹ 1.28 करोड़ की अनियमितताओं शामिल है पर अगली कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

3.20 स्थापना लागत का कम उद्ग्रहण

विभाग स्थापना शुल्क के उद्ग्रहण का अनुश्रवण करने में विफल रहा परिणामस्वरूप छह योजनाओं में ₹ 1.28 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण की लागत में परियोजना स्थल पर और परियोजना क्षेत्र से बाहर की भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक लागत शामिल है, जो अधिग्रहण की लागत के उस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, झारखण्ड भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (जे.आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) नियमावली, 2015 के नियम 4(2) के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए स्थापना शुल्क भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का पाँच प्रतिशत होगा।

लेखापरीक्षा ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डी.एल.ए.ओ.), गिरिडीह के कार्यालय में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जाँच की (जुलाई 2022) और पाया कि भूमि अधिग्रहण की 21 योजनाओं में से छह[170] योजनाओं (2019-20 और 2022-23 के बीच) के मामले में, जिसमें छह अंचलों[171] के 20 मौजा[172] में स्थित 45.032 एकड़

170 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड योजना (डी.एफ.सी.सी.आई.एल.), डोमन पहाड़ी योजना, गोविंदपुर टुंडी गिरिडीह योजना, चंदोरी बाईपास परियोजना, इरागा नदी पर आर.ओ.बी. और चरकी पहाड़ी योजना।

171 बिरानी, डुमरी, गंडेय, जमुआ, सरिया, तिसरी।

172 राजस्व ग्राम।

भूमि शामिल है जिसमें स्थापना शुल्क की गणना भूमि अधिग्रहण के लिए, निर्धारित नियमों के विपरीत, मुआवजा की राशि के पाँच प्रतिशत के बजाय 2.5 प्रतिशत की दर से की गई थी। विभाग ने स्थापना शुल्क के उद्ग्रहण का भी अनुश्रवण नहीं किया परिणामस्वरूप छह योजनाओं से ₹ 1.28 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामले को इंगित किए जाने के बाद (जुलाई 2022), डी.एल.ए.ओ., गिरिडीह ने कहा (जुलाई 2022) कि वास्तविक माँग के समय अनुरोध करने वाले विभाग से पाँच प्रतिशत की दर से स्थापना लागत वसूल की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को जनवरी 2023 में सूचित किया गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2026)।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांक: 08 मई 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 13 मई 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(कंडिका 2.1.8 में संदर्भित; पृष्ठ 26)

मुख्य समस्या क्षेत्र

क्र. स.	मुख्य समस्या क्षेत्र
1	अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करने वाले कंपोजिशन करदाता
2	कंपोजिशन करदाता सीमा से अधिक की जावक आपूर्तियों के लिए ई-वे बिल सृजित कर रहे हैं
3	किसी भी वर्ष में ई-वे बिल द्वारा समर्थित केवल जावक आपूर्ति वाले करदाता।
4	करदाता जो किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (ई-वे बिल समर्थित) की तुलना में अनुपातहीन जावक आपूर्ति को प्रभावित करते हैं।
5	करदाता जिन्होंने डुप्लिकेट बीजकों का उपयोग करके ई-वे बिल सृजित किए थे।
6	विवरणी को शून्य दाखिल करने वाले द्वारा ई-वे बिल का सृजन।
7	विवरणियों के प्रमादियों (नॉन-फाईलर) द्वारा ई-वे बिल का सृजन।
8	ऐसे करदाता जिन्होंने रद्द करने की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिल सृजित किया है।
9	जिन करदाता ने ई-वे बिल सृजित किया है जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया था।
10	करदाता जिन्होंने ई-वे बिल सृजित किया था और बाद में रद्द कर दिया था।
11	ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल सृजित किए थे और बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे।
12	ऐसे करदाता जिन्होंने किसी भी वर्ष में जावक पक्ष की तुलना में आवक पक्ष पर ई-वे बिल द्वारा समर्थित अनुपातहीन आपूर्ति सृजित की थी।
13	करदाताओं द्वारा ई-वे बिल का विस्तार।
14	जोखिम भरे वाहनों यानी दो पहिया वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल सृजित किए गए हैं।
15	चोरी के वाहनों का उपयोग करके सृजित ई-वे बिल।
16	पंजीकरण के पहले छः महीनों में ई-वे बिल का उच्च मूल्य।
17	अमान्य पिन कोड का उपयोग करने वाले ई-वे बिल
18	ई-वे बिल निलंबित, स्क्रैप, सरेंडर और रद्द किए गए वाहनों का उपयोग करके सृजित
19	एम.सी.ए. की प्रमादी सूची द्वारा सृजित ई-वे बिल
20	आयकर बकायेदारों द्वारा सृजित ई-वे बिल
21	डी.जी.ए.आर.एम. द्वारा सृजित ई-वे बिल-पहचान/अन्य एजेंसियों-पहचान किए गए करदाताओं
22	डी.जी.एफ.टी.-ब्लैकलिस्टेड निर्यातकों द्वारा सृजित ई-वे बिल

परिशिष्ट-II

(कंडिका 2.1.11.1 में संदर्भित; पृष्ठ 30)

शून्य दाखिलकर्ता के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र.स.	अंचल	जी.एस.टी.एन.	करदाता का नाम	ई-वे बिल संख्या	वर्ष	कर योग्य मूल्य	कर की दर (%)	कर राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2022 तक दिनों में	धारा 50(3) के अधीन ब्याज	धारा 73(9) के अधीन अर्थदंड	कुल
1	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोयला ट्रेडर्स	461019214293	2018-19	78,000.00	5	3,900.00	1075	2,067.53	10,000.00	15,967.53
2	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	461002992913	2018-19	4,67,500.00	18	84,150.00	1075	44,611.03	10,000.00	1,38,761.03
3	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	411003010631	2018-19	7,26,600.00	18	1,30,788.00	1075	69,335.56	13,078.80	2,13,202.36
4	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	451003017324	2018-19	7,86,750.00	18	1,41,615.00	1075	75,075.35	14,161.50	2,30,851.85
5	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	411002992343	2018-19	9,25,440.00	18	1,66,579.20	1075	88,309.80	16,657.92	2,71,546.92
6	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	451002992697	2018-19	4,54,740.00	18	81,853.20	1075	43,393.41	10,000.00	1,35,246.61
7	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	431002956949	2018-19	15,00,000.00	18	2,70,000.00	1075	1,43,136.99	27,000.00	4,40,136.99
8	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	441010440396	2018-19	22,59,300.00	18	4,06,674.00	1075	2,15,592.93	40,667.40	6,62,934.33
9	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	461008749313	2018-19	23,85,680.00	18	4,29,422.00	1075	2,27,652.48	42,942.20	7,00,016.68
10	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	461002970571	2018-19	19,93,480.00	18	3,58,826.00	1075	1,90,226.93	35,882.60	5,84,935.53
11	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	411002970758	2018-19	19,95,920.00	18	3,59,266.00	1075	1,90,460.19	35,926.60	5,85,652.79
12	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	401009070751	2018-19	21,11,100.00	18	3,79,998.00	1075	2,01,450.99	37,999.80	6,19,448.79
13	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	471009651416	2018-19	21,07,200.00	18	3,79,296.00	1075	2,01,078.84	37,929.60	6,18,304.44
14	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	461005043867	2018-19	21,10,800.00	18	3,79,944.00	1075	2,01,422.37	37,994.40	6,19,360.77
15	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXZU	मेसर्स रघुवीर आयरन ट्रेडिंग कंपनी	411007639771	2018-19	21,04,200.00	18	3,78,756.00	1075	2,00,792.56	37,875.60	6,17,424.16
कुल						**2,20,06,710.00**		**39,51,067.40**		**20,94,606.96**	**4,08,116.42**	**64,53,790.78**

परिशिष्ट-III

(कंडिका 2.1.11.2 में संदर्भित; पृष्ठ 32)

दाखिल नहीं किये जाने के रूप में पहचाने गए करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र स	अंचल	जी.एस.टी.एन.	करदाता का नाम	ई-वे बिल संख्या	अवधि	कर योग्य मूल्य	कर की दर (%)	कर राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2022 तक दिनों में	धारा 50 (3)के अधीन ब्याज	धारा 73 (9) के अधीन अर्थदंड	कुल	रद्दीकरण की तिथि	टी.पी. का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	पंजीकरण की प्रभावी तिथि	रद्दीकरण की तिथि	जिस राज्य में पुन: पंजीकरण लिया गया
1	धनबाद	20XXXXXXXXXXZV	मेसर्स पांचाल एंटरप्राइजेज	491062530330	अप्रैल 2019	6,43,313.00	18	1,15,796.34	709	40,487.48	11,579.63	1,67,863.45	04-05-2019	श्री राधा रानी ट्रेडिंग कंपनी	24AZGPV3328R1ZN	08-03-2020	24-11-2021	गुजरात
2	धनबाद	20XXXXXXXXXXZV	मेसर्स पांचाल एंटरप्राइजेज	431062205485		6,46,000.00	18	1,16,280.00	709	40,656.59	11,628.00	1,68,564.59						
3	धनबाद	20XXXXXXXXXXZV	मेसर्स पांचाल एंटरप्राइजेज	461061766263		6,36,250.00	18	1,14,525.00	709	40,042.96	11,452.50	1,66,020.46						
कुल						**19,25,563.00**		**3,46,601.34**		**1,21,187.02**	**34,660.13**	**5,02,448.50**						

परिशिष्ट-IV

(कंडिका 2.1.11.3 में संदर्भित; पृष्ठ 32)

पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. स.	अंचल	जी.एस.टी.एन.	करदाता का नाम	पंजीकरण निरस्तीकरण की तिथि	ई-वे बिल संख्या	ई-वे बिल संख्या सृजन की तिथि	वर्ष	करयोग्य मूल्य	कर राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2022 तक दिनों में	धारा 50 (3)के अधीन ब्याज	धारा 73 (9)के अधीन अर्थदंड	कुल
1	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स	01-08-2018	491022083577	15-08-2018	2018-19	71,000.00	11,000.00	1,075	5,831.51	10,000.00	26,831.51
2	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		441031775219	15-10-2018	2018-19	74,820.00	3,741.00	1,075	1,983.24	10,000.00	15,724.24
3	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		451031776215	15-10-2018	2018-19	92,070.00	4,603.50	1,075	2,440.49	10,000.00	17,043.99
4	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		471031773506	15-10-2018	2018-19	75,030.00	3,751.50	1,075	1,988.81	10,000.00	15,740.31
5	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		471031854025	16-10-2018	2018-19	75,000.00	3,750.00	1,075	1,988.01	10,000.00	15,738.01
6	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		851023227699	15-10-2018	2018-19	72,000.00	3,600.00	1,075	1,908.49	10,000.00	15,508.49
7	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		841023678753	22-10-2018	2018-19	60,000.00	3,000.00	1,075	1,590.41	10,000.00	14,590.41
8	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		411021328165	10-08-2018	2018-19	71,700.00	13,145.00	1,075	6,968.65	10,000.00	30,113.65
9	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		491022645744	19-08-2018	2018-19	73,500.00	13,475.00	1,075	7,143.60	10,000.00	30,618.60
10	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		851015394349	17-08-2018	2018-19	72,900.00	13,365.00	1,075	7,085.28	10,000.00	30,450.28
11	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		871015726915	20-08-2018	2018-19	75,300.00	13,805.00	1,075	7,318.54	10,000.00	31,123.54
12	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		861015781205	20-08-2018	2018-19	87,000.00	15,950.00	1,075	8,455.68	10,000.00	34,405.68
13	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		411035864767	12-11-2018	2018-19	75,000.00	3,750.00	1,075	1,988.01	10,000.00	15,738.01
14	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		421029321408	30-09-2018	2018-19	90,000.00	16,500.00	1,075	8,747.26	10,000.00	35,247.26
15	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		861021006291	29-09-2018	2018-19	75,000.00	13,750.00	1,075	7,289.38	10,000.00	31,039.38
16	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXZA	मेसर्स शर्मा कोल ट्रेडर्स		871021006322	29-09-2018	2018-19	75,000.00	13,750.00	1,075	7,289.38	10,000.00	31,039.38
17	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज	01-07-2018	421017791770	15-07-2018	2018-19	76,322.40	3,634.40	1,075	1,926.73	10,000.00	15,561.13
18	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441022624607	18-08-2018	2018-19	99,960.00	4,760.00	1,075	2,523.45	10,000.00	17,283.45
19	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		461017578740	13-07-2018	2018-19	61,264.00	3,063.20	1,075	1,623.92	10,000.00	14,687.12
20	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		471018113837	17-07-2018	2018-19	69,012.00	3,450.60	1,075	1,829.29	10,000.00	15,279.89
21	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		461021737845	12-08-2018	2018-19	1,06,680.00	5,334.00	1,075	2,827.75	10,000.00	18,161.75
22	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		411022700391	19-08-2018	2018-19	64,260.00	3,213.00	1,075	1,703.33	10,000.00	14,916.33
23	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		451022707378	20-08-2018	2018-19	1,15,230.00	5,761.50	1,075	3,054.38	10,000.00	18,815.88

परिशिष्ट-IV

(कंडिका 2.1.11.3 में संदर्भित; पृष्ठ 32)

पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. स.	अंचल	जी.एस.टी.एन.	करदाता का नाम	पंजीकरण निरस्तीकरण की तिथि	ई-वे बिल संख्या	ई-वे बिल संख्या सृजन की तिथि	वर्ष	करयोग्य मूल्य	कर राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2022 तक दिनों में	धारा 50 (3)के अधीन ब्याज	धारा 73 (9)के अधीन अर्थदंड	कुल
24	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		461023695145	25-08-2018	2018-19	97,440.00	4,872.00	1,075	2,582.83	10,000.00	17,454.83
25	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		471023854046	27-08-2018	2018-19	57,680.00	2,884.00	1,075	1,528.92	10,000.00	14,412.92
26	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401024200995	29-08-2018	2018-19	57,680.00	2,884.00	1,075	1,528.92	10,000.00	14,412.92
27	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441024605923	31-08-2018	2018-19	61,040.00	3,052.00	1,075	1,617.98	10,000.00	14,669.98
28	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		421024840755	02-09-2018	2018-19	1,11,840.00	5,592.00	1,075	2,964.53	10,000.00	18,556.53
29	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		431024847692	02-09-2018	2018-19	60,880.00	3,044.00	1,075	1,613.74	10,000.00	14,657.74
30	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		491024955328	03-09-2018	2018-19	61,520.00	3,076.00	1,075	1,630.70	10,000.00	14,706.70
31	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		481024958337	03-09-2018	2018-19	68,028.00	3,401.40	1,075	1,803.21	10,000.00	15,204.61
32	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		491025272383	05-09-2018	2018-19	61,840.00	3,092.00	1,075	1,639.18	10,000.00	14,731.18
33	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401025546450	07-09-2018	2018-19	2,23,692.00	11,184.60	1,075	5,929.37	10,000.00	27,113.97
34	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		451026003397	11-09-2018	2018-19	1,08,600.00	5,430.00	1,075	2,878.64	10,000.00	18,308.64
35	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441026003477	11-09-2018	2018-19	83,145.00	4,157.25	1,075	2,203.91	10,000.00	16,361.16
36	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401026358078	13-09-2018	2018-19	85,675.00	4,283.75	1,075	2,270.97	10,000.00	16,554.72
37	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401026712935	15-09-2018	2018-19	85,330.00	4,266.50	1,075	2,261.83	10,000.00	16,528.33
38	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401026901179	16-09-2018	2018-19	62,600.00	3,130.00	1,075	1,659.33	10,000.00	14,789.33
39	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		471026954921	16-09-2018	2018-19	1,10,760.00	5,538.00	1,075	2,935.90	10,000.00	18,473.90
40	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		411027263109	18-09-2018	2018-19	88,200.00	4,410.00	1,075	2,337.90	10,000.00	16,747.90
41	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441027263319	18-09-2018	2018-19	89,160.00	4,458.00	1,075	2,363.35	10,000.00	16,821.35
42	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401027263531	18-09-2018	2018-19	86,640.00	4,332.00	1,075	2,296.55	10,000.00	16,628.55
43	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		491027263723	18-09-2018	2018-19	1,11,840.00	5,592.00	1,075	2,964.53	10,000.00	18,556.53
44	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		461027626112	20-09-2018	2018-19	63,600.00	3,180.00	1,075	1,685.84	10,000.00	14,865.84
45	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441027652773	21-09-2018	2018-19	99,940.00	4,997.00	1,075	2,649.09	10,000.00	17,646.09
46	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		451028035471	23-09-2018	2018-19	89,160.00	4,458.00	1,075	2,363.35	10,000.00	16,821.35

परिशिष्ट-IV

(कंडिका 2.1.11.3 में संदर्भित; पृष्ठ 32)

पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. स.	अंचल	जी.एस.टी.एन.	करदाता का नाम	पंजीकरण निरस्तीकरण की तिथि	ई-वे बिल संख्या	ई-वे बिल संख्या सृजन की तिथि	वर्ष	करयोग्य मूल्य	कर राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2022 तक दिनों में	धारा 50 (3)के अधीन ब्याज	धारा 73 (9)के अधीन अर्थदंड	कुल
47	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441028035519	23-09-2018	2018-19	87,960.00	4,398.00	1,075	2,331.54	10,000.00	16,729.54
48	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		461028035601	23-09-2018	2018-19	91,800.00	4,590.00	1,075	2,433.33	10,000.00	17,023.33
49	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401028035661	23-09-2018	2018-19	1,08,600.00	5,430.00	1,075	2,878.64	10,000.00	18,308.64
50	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		431028039927	24-09-2018	2018-19	79,072.00	3,953.60	1,075	2,095.95	10,000.00	16,049.55
51	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		491028210421	25-09-2018	2018-19	89,280.00	4,464.00	1,075	2,366.53	10,000.00	16,830.53
52	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		471028276708	25-09-2018	2018-19	89,880.00	4,494.00	1,075	2,382.44	10,000.00	16,876.44
53	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401028603583	27-09-2018	2018-19	87,960.00	4,398.00	1,075	2,331.54	10,000.00	16,729.54
54	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441028812248	28-09-2018	2018-19	1,08,600.00	5,430.00	1,075	2,878.64	10,000.00	18,308.64
55	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401028994726	28-09-2018	2018-19	69,360.00	3,468.00	1,075	1,838.52	10,000.00	15,306.52
56	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		481029361824	01-10-2018	2018-19	1,08,840.00	5,442.00	1,075	2,885.01	10,000.00	18,327.01
57	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441029594051	02-10-2018	2018-19	64,341.00	3,217.05	1,075	1,705.48	10,000.00	14,922.53
58	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441029594262	02-10-2018	2018-19	91,098.00	4,554.90	1,075	2,414.72	10,000.00	16,969.62
59	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		451029594377	02-10-2018	2018-19	93,492.00	4,674.60	1,075	2,478.18	10,000.00	17,152.78
60	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		411029594458	02-10-2018	2018-19	93,114.00	4,655.70	1,075	2,468.16	10,000.00	17,123.86
61	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401029777085	03-10-2018	2018-19	92,484.00	4,624.20	1,075	2,451.46	10,000.00	17,075.66
62	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		431029979635	05-10-2018	2018-19	1,09,560.00	5,478.00	1,075	2,904.09	10,000.00	18,382.09
63	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		451030151835	05-10-2018	2018-19	91,098.00	4,554.90	1,075	2,414.72	10,000.00	16,969.62
64	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		451030416383	07-10-2018	2018-19	89,838.00	4,491.90	1,075	2,381.32	10,000.00	16,873.22
65	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		481030416535	07-10-2018	2018-19	90,720.00	4,536.00	1,075	2,404.70	10,000.00	16,940.70
66	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441030416658	07-10-2018	2018-19	76,986.00	3,849.30	1,075	2,040.66	10,000.00	15,889.96
67	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		421030606422	09-10-2018	2018-19	91,130.00	4,556.50	1,075	2,415.57	10,000.00	16,972.07
68	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		491030796146	10-10-2018	2018-19	91,650.00	4,582.50	1,075	2,429.35	10,000.00	17,011.85
69	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		491030980781	10-10-2018	2018-19	91,130.00	4,556.50	1,075	2,415.57	10,000.00	16,972.07

परिशिष्ट-IV

(कंडिका 2.1.11.3 में संदर्भित; पृष्ठ 32)

पंजीकरण निरस्तीकरण होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का नहीं/कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल	जी.एस.टी.एन.	करदाता का नाम	पंजीकरण निरस्तीकरण की तिथि	ई-वे बिल संख्या	ई-वे बिल संख्या सृजन की तिथि	वर्ष	करयोग्य मूल्य	कर राशि	गलत लाभ की अवधि 31 मार्च 2022 तक दिनों में	धारा 50 (3)के अधीन ब्याज	धारा 73 (9)के अधीन अर्थदंड	कुल
70	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		431030983089	10-10-2018	2018-19	96,450.00	4,822.50	1,075	2,556.59	10,000.00	17,379.09
71	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		441030983277	10-10-2018	2018-19	94,800.00	4,740.00	1,075	2,512.85	10,000.00	17,252.85
72	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		431031571081	14-10-2018	2018-19	1,53,000.00	7,650.00	1,075	4,055.55	10,000.00	21,705.55
73	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		401031638361	14-10-2018	2018-19	81,664.00	4,083.20	1,075	2,164.66	10,000.00	16,247.86
74	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		431031814874	15-10-2018	2018-19	91,910.00	4,595.50	1,075	2,436.24	10,000.00	17,031.74
75	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		431031816531	15-10-2018	2018-19	1,08,840.00	5,442.00	1,075	2,885.01	10,000.00	18,327.01
76	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		421031817487	15-10-2018	2018-19	72,393.00	3,619.65	1,075	1,918.91	10,000.00	15,538.56
77	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		491032013676	16-10-2018	2018-19	92,690.00	4,634.50	1,075	2,456.92	10,000.00	17,091.42
78	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		471032013951	16-10-2018	2018-19	93,990.00	4,699.50	1,075	2,491.38	10,000.00	17,190.88
79	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		471032014066	16-10-2018	2018-19	91,260.00	4,563.00	1,075	2,419.02	10,000.00	16,982.02
80	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		411032023022	17-10-2018	2018-19	88,400.00	4,420.00	1,075	2,343.21	10,000.00	16,763.21
81	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		411021333325	10-08-2018	2018-19	1,05,800.00	5,290.00	1,075	2,804.42	10,000.00	18,094.42
82	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		481032013785	16-10-2018	2018-19	91,650.00	4,582.50	1,075	2,429.35	10,000.00	17,011.85
83	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		871029628962	06-12-2018	2018-19	93,990.00	4,700.00	1,075	2,491.64	10,000.00	17,191.64
84	रामगढ़	20XXXXXXXXXXZZ	मेसर्स प्रिया एंटरप्राइजेज		851024341745	26-10-2018	2018-19	87,960.00	4,398.00	1,075	2,331.54	10,000.00	16,729.54
कुल								**73,67,128.40**	**4,58,107.20**		**2,42,859.57**	**8,40,000.00**	**15,40,966.77**

परिशिष्ट-V

(कंडिका 3.1.8.2 में संदर्भित; पृष्ठ 73)

आयकर विवरणियों और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल

(राशि ₹ में)

क्र.स.	सी.टी.सी. का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	आई.टी.आर. के अनुसार व्यवसाय की प्रकृति	अवधि	आई.टी.आर. में परिचालन से प्राप्त राजस्व/आवर्त का खुलासा	जी.एस.टी. विवरणियों में प्रस्तुत आवर्त	आवर्त का छिपाव	जी.एस.टी. की दर (प्रतिशत में)	कर	ब्याज	अर्थदंड	कुल
1	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXXX	04054-फेरो मिश्र धातुओं का निर्माण	2018-19	1,47,98,91,348.00	82,90,10,344.81	65,08,81,003.19	18	11,71,58,580.57	8,43,54,178.01	11,71,58,580.57	31,86,71,339.16
2	आदित्यपुर	20XXXXXXXXXXXX	04054-फेरो मिश्र धातुओं का निर्माण	2019-20	1,57,25,806.00	0.00	1,57,25,806.00	18	28,30,645.08	15,28,548.34	28,30,645.08	71,89,838.50
3	चाईबासा	20XXXXXXXXXXXX	03016-अन्य खनन और उत्खनन और 09028-अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री	2018-19	28,93,15,951.00	0.00	28,93,15,951.00	5	1,44,65,797.55	1,04,15,374.24	1,44,65,797.55	3,93,46,969.34
4	चाईबासा	20XXXXXXXXXXXX	03016-अन्य खनन और उत्खनन और 09028-अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री	2019-20	37,10,81,320.00	0.00	37,10,81,320.00	5	1,85,54,066.00	1,00,19,195.64	1,85,54,066.00	4,71,27,327.64
5	चाईबासा	20XXXXXXXXXXXX	03016-अन्य खनन और उत्खनन और 09028-अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री	2020-21	60,56,47,280.00	0.00	60,56,47,280.00	5	3,02,82,364.00	1,09,01,651.04	3,02,82,364.00	7,14,66,379.04
6	देवघर	20XXXXXXXXXXXX	09011-निर्माण सामग्री का थोक	2018-19	16,14,30,569.00	15,49,63,004.80	64,67,564.20	18	11,64,161.56	8,38,196.32	11,64,161.56	31,66,519.43
7	देवघर	20XXXXXXXXXXXX	09011-निर्माण सामग्री का थोक	2019-20	14,16,08,186.00	13,46,60,356.76	69,47,829.24	18	12,50,609.26	6,75,329.00	12,50,609.26	31,76,547.53
8	देवघर	20XXXXXXXXXXXX	09011-निर्माण सामग्री का थोक	2020-21	13,77,53,681.00	12,84,88,728.10	92,64,952.90	18	16,67,691.52	6,00,368.95	16,67,691.52	39,35,751.99
9	देवघर	20XXXXXXXXXXXX	04009-चावल मिलिंग	2018-19	23,15,56,617.00	23,13,53,411.85	2,03,205.15	5	10,160.26	7,315.39	10,160.26	27,635.90
10	देवघर	20XXXXXXXXXXXX	04009-चावल मिलिंग	2019-20	19,99,07,250.00	19,98,52,581.50	54,668.50	5	2,733.43	1,476.05	2,733.43	6,942.90
11	देवघर	20XXXXXXXXXXXX	06010-अन्य निर्माण गतिविधि	2018-19	29,98,34,165.00	26,73,19,025.41	3,25,15,139.59	18	58,52,725.13	42,13,962.09	58,52,725.13	1,59,19,412.34
12	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXX	09027-अन्य उत्पादों का थोक	2018-19	5,01,38,755.00	0.00	5,01,38,755.00	18	90,24,975.90	64,97,982.65	90,24,975.90	2,45,47,934.45

परिशिष्ट-V

(कंडिका 3.1.8.2 में संदर्भित; पृष्ठ 73)

आयकर विवरणियों और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल

(राशि ₹ में)

क्र.स.	सी.टी.सी. का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	आई.टी.आर. के अनुसार व्यवसाय की प्रकृति	अवधि	आई.टी.आर. में परिचालन से प्राप्त राजस्व/आवर्त का खुलासा	जी.एस.टी. विवरणियों में प्रस्तुत आवर्त	आवर्त का छिपाव	जी.एस.टी. की दर (प्रतिशत में)	कर	ब्याज	अर्थदंड	कुल
13	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXX	09027-अन्य उत्पादों का थोक	2019-20	7,28,83,958.00	0.00	7,28,83,958.00	18	1,31,19,112.44	70,84,320.72	1,31,19,112.44	3,33,22,545.60
14	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXX	09027-अन्य उत्पादों का थोक	2020-21	3,53,80,875.00	0.00	3,53,80,875.00	18	63,68,557.50	22,92,680.70	63,68,557.50	1,50,29,795.70
15	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXX	17006-कोचिंग सेंटर और ट्यूशन	2018-19	1,02,98,995.00	85,15,249.28	17,83,745.72	18	3,21,074.23	2,31,173.45	3,21,074.23	8,73,321.90
16	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXX	17006-कोचिंग सेंटर और ट्यूशन	2019-20	1,21,81,022.00	0.00	1,21,81,022.00	18	21,92,583.96	11,83,995.34	21,92,583.96	55,69,163.26
17	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXX	17006-कोचिंग सेंटर और ट्यूशन	2020-21	45,29,519.00	0.00	45,29,519.00	18	8,15,313.42	2,93,512.83	8,15,313.42	19,24,139.67
18	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXX	04097-अन्य विनिर्माण	2020-21	61,85,13,980.00	60,96,29,167.00	88,84,813.00	18	15,99,266.34	5,75,735.88	15,99,266.34	37,74,268.56
19	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXX	21008-अन्य सेवाएँ	2018-19	1,49,71,910.00	0.00	1,49,71,910.00	18	26,94,943.80	19,40,359.54	26,94,943.80	73,30,247.14
20	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXX	21008-अन्य सेवाएँ	2019-20	1,03,55,000.00	0.00	1,03,55,000.00	18	18,63,900.00	10,06,506.00	18,63,900.00	47,34,306.00
21	जमशेदपुर नागरीय	20XXXXXXXXXXXX	06010-अन्य निर्माण गतिविधि	2019-20	68,87,60,737.00	68,87,38,164.53	22,572.47	18	4,063.04	2,194.04	10,000.00	16,257.09
22	झरिया	20XXXXXXXXXXXX	09028-अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री एन.ई.सी.	2018-19	21,01,48,226.00	3,06,933.65	20,98,41,292.35	18	3,77,71,432.62	2,71,95,431.49	3,77,71,432.62	10,27,38,296.73
23	झरिया	20XXXXXXXXXXXX	09028-अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री एन.ई.सी.	2019-20	18,59,03,441.00	2,75,193.24	18,56,28,247.76	18	3,34,13,084.60	1,80,43,065.68	3,34,13,084.60	8,48,69,234.88
24	झरिया	20XXXXXXXXXXXX	09028-अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री एन.ई.सी.	2020-21	18,75,60,667.00	3,48,029.62	18,72,12,637.38	18	3,36,98,274.73	1,21,31,378.90	3,36,98,274.73	7,95,27,928.36
25	झरिया	20XXXXXXXXXXXX	11008- सड़क मार्ग से माल परिवहन और 11012- कार्गो हैंडलिंग	2018-19	56,98,066	6,21,070.45	50,76,995.55	18	9,13,859.20	6,57,978.62	9,13,859.20	24,85,697.02

परिशिष्ट-V

(कंडिका 3.1.8.2 में संदर्भित; पृष्ठ 73)

आयकर विवरणियों और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल

(राशि ₹ में)

क्र.स.	सी.टी.सी. का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	आई.टी.आर. के अनुसार व्यवसाय की प्रकृति	अवधि	आई.टी.आर. में परिचालन से प्राप्त राजस्व/आवर्त का खुलासा	जी.एस.टी. विवरणियों में प्रस्तुत आवर्त	आवर्त का छिपाव	जी.एस.टी. की दर (प्रतिशत में)	कर	ब्याज	अर्थदंड	कुल
26	झरिया	20XXXXXXXXXXXX	11008- सड़क मार्ग से माल परिवहन और 11012- कार्गो हैंडलिंग	2019-20	88,43,197	60,64,542.94	27,78,654.06	18	5,00,157.73	2,70,085.17	5,00,157.73	12,70,400.64
27	झरिया	20XXXXXXXXXXXX	11008- सड़क मार्ग से माल परिवहन और 11012- कार्गो हैंडलिंग	2020-21	1,89,96,196	1,42,66,198.46	47,29,997.54	18	8,51,399.56	3,06,503.84	8,51,399.56	20,09,302.95
28	पलामु	20XXXXXXXXXXXX	18010 - चिकित्सा क्लीनिक	2018-19	1,75,05,594.00	1,22,80,964.55	52,24,629.45	12	6,26,955.53	4,51,407.98	6,26,955.53	17,05,319.05
29	पलामु	20XXXXXXXXXXXX	18010 - चिकित्सा क्लीनिक	2019-20	1,29,83,299.00	47,33,999.14	82,49,299.86	12	9,89,915.98	5,34,554.63	9,89,915.98	25,14,386.60
30	पलामु	20XXXXXXXXXXXX	18010 - चिकित्सा क्लीनिक	2020-21	1,07,11,770.00	64,61,709.52	42,50,060.48	12	5,10,007.26	1,83,602.61	5,10,007.26	12,03,617.13
31	राँची विशेष	20XXXXXXXXXXXX	06004-भवन निर्माण पूर्ण	2019-20	1,00,42,100.00	0.00	1,00,42,100.00	18	18,07,578.00	9,76,092.12	18,07,578.00	45,91,248.12
32	राँची विशेष	20XXXXXXXXXXXX	06004-भवन निर्माण पूर्ण	2020-21	66,56,000.00	0.00	66,56,000.00	18	11,98,080.00	4,31,308.80	11,98,080.00	28,27,468.80
33	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXX	06005- सड़कों का निर्माण और रखरखाव निर्माण या पुर्जे- सिविल संवेदक	2018-19	11,47,38,461.00	3,73,88,999.00	7,73,49,462.00	18	1,39,22,903.16	1,00,24,490.28	1,39,22,903.16	3,78,70,296.60
34	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXX	06005- सड़कों का निर्माण और रखरखाव निर्माण या पुर्जे- सिविल संवेदक	2019-20	16,40,68,539.00	8,98,79,205.01	7,41,89,333.99	18	1,33,54,080.12	72,11,203.26	1,33,54,080.12	3,39,19,363.50
35	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXX	06005- सड़कों का निर्माण और रखरखाव निर्माण या पुर्जे- सिविल संवेदक	2020-21	25,48,29,820.00	8,10,88,574.00	17,37,41,246.00	18	3,12,73,424.28	1,12,58,432.74	3,12,73,424.28	7,38,05,281.30
कुल					**6,66,04,52,300.00**	**3,50,62,45,453.62**	**3,15,42,06,846.38**		**40,20,74,477.76**	**23,43,39,592.35**	**40,20,80,414.71**	**1,03,84,94,484.82**

परिशिष्ट-VI

(कंडिका 3.1.8.4 में संदर्भित; पृष्ठ 78)

आई.टी.डी. की तुलना में जी.एस.टी. के अधीन अस्वीकार्य छूट का लाभ उठाना

(राशि ₹ में)

क्र.स.	सी.टी.सी. का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	आई.टी.आर. के अनुसार मुख्य वस्तु/प्रदान की गई सेवाएं	अवधि	जी.एस.टी. विवरणियों में छुट का लाभ उठाना	जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार अनुमेय छूट	छूट का अतिरिक्त दावा	जी.एस.टी. की दर (प्रतिशत में)	कर	ब्याज	अर्थदंड	कुल
1	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXX	007005- अचल संपत्ति सेवाओं को किराए पर देना और 007003- अचल संपत्ति का विकास और उसे भूखंडों में विभाजित करना	2018-19	4,89,59,219.00	0.00	4,89,59,219.00	18	88,12,659.42	63,45,114.78	88,12,659.42	2,39,70,433.62
2	जमशेदपुर	20XXXXXXXXXXXXX	007005- अचल संपत्ति सेवाओं को किराए पर देना और 007003- अचल संपत्ति का विकास और उसे भूखंडों में विभाजित करना	2019-20	3,80,05,200.00	0.00	3,80,05,200.00	18	68,40,936.00	36,94,105.44	68,40,936.00	1,73,75,977.44
3	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXXXX	18010 - चिकित्सा क्लीनिक	2018-19	2,72,56,012.00	68,78,500.00	2,03,77,512.00	18	36,67,952.16	26,40,925.56	36,67,952.16	99,76,829.88
4	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXXXX	18010 - चिकित्सा क्लीनिक	2019-20	2,62,82,620.00	44,16,250.00	2,18,66,370.00	18	39,35,946.60	21,25,411.16	39,35,946.60	99,97,304.36
5	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXXXX	18010 - चिकित्सा क्लीनिक	2020-21	2,17,76,089.00	1,36,06,192.00	81,69,897.00	18	14,70,581.46	5,29,409.33	14,70,581.46	34,70,572.25
6	राँची स्पेशल	20XXXXXXXXXXXXX	06004-भवन निर्माण पूर्ण	2018-19	1,84,96,473.00	0.00	1,84,96,473.00	18	33,29,365.14	23,97,142.90	33,29,365.14	90,55,873.18
कुल					**18,07,75,613.00**	**2,49,00,942.00**	**15,58,74,671.00**		**2,80,57,440.78**	**1,77,32,109.17**	**2,80,57,440.78**	**7,38,46,990.73**

परिशिष्ट - VII

(कंडिका 3.1.9.3 में संदर्भित; पृष्ठ 85)

जी.एस.टी. की गलत दर पर कर का भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र.स.	सी.टी.सी. का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	मुख्य वस्तु जिसमें कारोबार किया गया/प्रदान की गई सेवाएं	अवधि	कर योग्य आवर्त	विवरणी में घोषित जी.एस.टी. दर (प्रतिशत में)	कर भुगतान	लागू जी.एस.टी. दर (प्रतिशत में)	देय कर	कर का कम भुगतान	ब्याज	अर्थदंड	कुल
1	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2018-19	2,44,56,055.64	12	31,76,910.00	18	44,02,090.02	12,25,180.02	8,82,129.61	12,25,180.02	33,32,489.64
2	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2019-20	1,98,24,954.00	12	23,78,998.00	18	35,68,491.72	11,89,493.72	6,42,326.61	11,89,493.72	30,21,314.05
3	बोकारो	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2020-21	2,07,81,391.00	12	26,16,918.00	18	37,40,650.38	11,23,732.38	4,04,543.66	11,23,732.38	26,52,008.42
4	देवघर	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2018-19	33,35,58,178.05	12	4,00,26,981.30	18	6,00,40,472.05	2,00,13,490.75	1,44,09,713.34	2,00,13,490.75	5,44,36,694.84
5	देवघर	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2019-20	22,26,76,602.34	12	2,73,81,192.28	18	4,00,81,788.42	1,27,00,596.14	68,58,321.92	1,27,00,596.14	3,22,59,514.20
6	देवघर	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2020-21	16,90,18,428.14	12	2,02,82,211.40	18	3,04,23,317.07	1,01,41,105.67	36,50,798.04	1,01,41,105.67	2,39,33,009.37
7	देवघर	20XXXXXXXXXXXXX	उप-संविदा	2019-20	3,57,04,845.71	12	40,90,362.60	18	64,26,872.23	23,36,509.63	12,61,715.20	23,36,509.63	59,34,734.45
8	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	खनन के लिए अन्य सहायता सेवा	2018-19	1,58,95,300.00	12	19,07,436.00	18	28,61,154.00	9,53,718.00	6,86,676.96	9,53,718.00	25,94,112.96
9	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	खनन के लिए अन्य सहायता सेवा	2019-20	1,27,11,464.32	12	15,25,375.72	18	22,88,063.58	7,62,687.86	4,11,851.44	7,62,687.86	19,37,227.16
10	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	खनन के लिए अन्य सहायता सेवा	2020-21	1,10,60,768.92	12	13,27,292.27	18	19,90,938.41	6,63,646.14	2,38,912.61	6,63,646.14	15,66,204.88
11	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	वस्तु परिवहन एजेंसी सेवाएँ	2018-19	17,47,61,202.00	12	2,09,71,344.24	18	3,14,57,016.36	1,04,85,672.12	75,49,683.93	1,04,85,672.12	2,85,21,028.17
12	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	वस्तु परिवहन एजेंसी सेवाएँ	2019-20	18,95,27,881.00	12	2,27,43,345.72	18	3,41,15,018.58	1,13,71,672.86	61,40,703.34	1,13,71,672.86	2,88,84,049.06
13	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	वस्तु परिवहन एजेंसी सेवाएँ	2020-21	21,01,63,786.00	12	2,52,19,654.32	18	3,78,29,481.48	1,26,09,827.16	45,39,537.78	1,26,09,827.16	2,97,59,192.10

परिशिष्ट - VII

(कंडिका 3.1.9.3 में संदर्भित; पृष्ठ 85)

जी.एस.टी. की गलत दर पर कर का भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र.स.	सी.टी.सी. का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	मुख्य वस्तु जिसमें कारोबार किया गया/प्रदान की गई सेवाएं	अवधि	कर योग्य आवर्त	विवरणी में घोषित जी.एस.टी. दर (प्रतिशत में)	कर भुगतान	लागू जी.एस.टी. दर (प्रतिशत में)	देय कर	कर का कम भुगतान	ब्याज	अर्थदंड	कुल
14	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	खनन सेवाएँ	2018-19	24,66,95,074.00	12	2,96,03,408.88	18	4,44,05,113.32	1,48,01,704.44	1,06,57,227.20	1,48,01,704.44	4,02,60,636.08
15	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	खनन सेवाएँ	2019-20	32,57,63,291.00	12	3,90,91,594.92	18	5,86,37,392.38	1,95,45,797.46	1,05,54,730.63	1,95,45,797.46	4,96,46,325.55
16	धनबाद नागरीय	20XXXXXXXXXXXXX	खनन सेवाएँ	2020-21	22,40,19,414.00	12	2,68,82,329.68	18	4,03,23,494.52	1,34,41,164.84	48,38,819.34	1,34,41,164.84	3,17,21,149.02
17	कतरास	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2019-20	20,65,316.00	12	2,47,837.92	18	3,71,756.88	1,23,918.96	66,916.24	1,23,918.96	3,14,754.16
18	कोडरमा	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2019-20	12,28,42,082.58	5 & 12	1,15,67,796.88	12	1,47,41,049.91	31,73,253.03	17,13,556.64	31,73,253.03	80,60,062.70
19	पलामू	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2020-21	6,22,28,986.00	12 & 5	51,55,788.18	12	74,67,478.32	23,11,690.14	8,32,208.45	23,11,690.14	54,55,588.73
20	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2018-19	42,65,167.00	5 & 12	2,40,873.34	18	7,67,730.06	5,26,856.72	3,79,336.84	5,26,856.72	14,33,050.28
21	राँची दक्षिणी	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2019-20	21,06,421.00	12	2,52,770.52	18	3,79,155.78	1,26,385.26	68,248.04	1,26,385.26	3,21,018.56
22	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2019-20	9,89,000.00	12	1,18,680.00	18	1,78,020.00	59,340.00	32,043.60	59,340.00	1,50,723.60
23	राँची पश्चिमी	20XXXXXXXXXXXXX	कार्य संविदा	2020-21	2,50,58,550.00	12	30,07,026.00	18	45,10,539.00	15,03,513.00	5,41,264.68	15,03,513.00	35,48,290.68
24	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXXX	रखरखाव एवं मरम्मत सेवा	2018-19	1,42,09,290.00	12	17,25,336.00	18	25,57,672.20	8,32,336.20	5,99,282.06	8,32,336.20	22,63,954.46
25	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXXX	रखरखाव एवं मरम्मत सेवा	2019-20	17,04,713.00	12	1,02,282.00	18	3,06,848.34	2,04,566.34	1,10,465.82	2,04,566.34	5,19,598.50
26	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXXX	परिवहन सेवा	2018-19	3,38,39,608.00	12	38,39,118.00	18	60,91,129.44	22,52,011.44	16,21,448.24	22,52,011.44	61,25,471.12
27	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXXX	परिवहन सेवा	2019-20	7,32,24,466.00	12	87,85,138.00	18	1,31,80,403.88	43,95,265.88	23,73,443.58	43,95,265.88	1,11,63,975.34
28	तेनुघाट	20XXXXXXXXXXXXX	परिवहन सेवा	2020-21	3,75,59,472.40	12	47,53,898.68	18	67,60,705.03	20,06,806.35	7,22,450.29	20,06,806.35	47,36,062.99
कुल					**2,61,67,11,708.10**		**30,90,21,900.85**		**45,99,03,843.34**	**15,08,81,942.49**	**8,27,88,356.07**	**15,08,81,942.49**	**38,45,52,241.06**

परिशिष्ट-VIII

(कंडिका 3.2.6.1 (द्वितीय बुलेट) में संदर्भित; पृष्ठ 106)

जी.एस.टी. विवरणी को विलंब से दाखिल करने वालों पर ब्याज की कम वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	सी.टी.सी. का नाम	बैकएंड पोर्टल के अनुसार विलंब से जी.एस.टी. विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या	कर के विलंबित भुगतान पर देय ब्याज	समुचित अधिकारी द्वारा पहचाने गए विलंबित दाखिलकर्ता की संख्या	समुचित अधिकारियों द्वारा लगाया गया ब्याज	पहचाने नहीं गए विलंबित दाखिलकर्ता	विलंबित दाखिलकर्ता से ब्याज वसूल नहीं किया गया
1	आदित्यपुर	1,879	3.66	236	0	1,643	3.66
2	बोकारो	2,207	3.19	11	0	2,196	3.19
3	चाईबासा	1,062	2.53	848	0	214	2.53
4	चिरकुंडा	529	0.86	289	0	240	0.86
5	देवघर	2,410	4.52	323	0.16	2,087	4.35
6	धनबाद नागरीय	1,719	1.68	48	0	1,671	1.68
7	झरिया	727	0.87	0	0	727	0.87
8	राँची पूर्वी	1,283	1.39	38	0.002	1,245	1.39
9	सिंहभूम	1,295	1.25	154	0.10	1141	1.15
10	तेनुघाट	936	1.40	119	0	817	1.40
कुल		**14,047**	**21.34**	**2,066**	**0.26**	**11,981**	**21.08**

परिशिष्ट- IX

(कंडिका 3.2.8.4 (प्रथम बुलेट तालिका सं. 3.15) में संदर्भित; पृष्ठ 146)

जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच चुकाई गई कर देयता का बेमेल होना

(राशि ₹ में)

क्र.स.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	अवधि	आर.1 और आर.9 के बीच अधिकतम देयता	किया गया कर भुगतान	चुकाई नहीं गई कर देयता
1	आदित्यपुर	20AAACI5950L1ZO	आई.टी.सी. लिमिटेड	2018-19	3,22,65,35,816.00	3,22,64,02,311.00	1,33,505.00
2	आदित्यपुर	20AAACI5950L1ZO	आई.टी.सी. लिमिटेड	2020-21	2,91,01,50,039.00	2,90,38,94,380.00	62,55,659.00
3	आदित्यपुर	20AALFS8001L1Z9	सिंहभूम रिफ्रैक्टरी	2019-20	1,24,90,005.86	1,24,67,173.00	22,832.86
4	आदित्यपुर	20AALFS8001L1Z9	सिंहभूम रिफ्रैक्टरी	2020-21	1,36,11,409.50	1,36,05,887.50	5,522.00
5	जमशेदपुर	20AABCT0596J1ZG	टिमकेन इंडिया लिमिटेड	2018-19	1,58,82,77,120.00	1,55,46,23,996.00	3,36,53,124.00
6	जमशेदपुर	20AABCT0596J1ZG	टिमकेन इंडिया लिमिटेड	2019-20	1,70,69,96,100.00	1,70,60,61,312.00	9,34,788.00
7	जमशेदपुर	20AABCT0596J1ZG	टिमकेन इंडिया लिमिटेड	2020-21	1,14,34,65,090.00	1,14,30,07,944.00	4,57,146.00
8	जमशेदपुर	20AABCL5967D1ZS	एल.एंड.टी. हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड	2020-21	1,21,77,78,235.00	1,21,77,78,114.00	121.00
9	जमशेदपुर	20AAACT6353L1ZE	टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	7,68,51,36,900.00	7,67,00,21,352.00	1,51,15,548.00
10	जमशेदपुर	20AACCK2667G1ZV	के. के. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	5,17,19,560.00	5,15,45,440.20	1,74,119.800
11	जमशेदपुर	20AABCA2392K1ZZ	जॉनसन कंट्रोल्स-हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड	2018-19	6,56,81,668.00	6,56,32,709.00	48,959.00
12	जमशेदपुर	20AAACL0140P2ZW	लार्सन एंड टुब्रो-इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल	2019-20	1,58,12,98,050.00	1,55,30,15,908.00	2,82,82,142.000
13	जमशेदपुर नागरीय	20AAECV9657M1ZT	लार्सन एंड टुब्रो-इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल	2020-21	5,09,91,592.00	5,01,17,502.00	8,74,090.00
14	जमशेदपुर नागरीय	20AAACR9627B1ZU	रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	10,72,89,712.00	10,72,05,232.00	84,480.00
15	जमशेदपुर नागरीय	20AAACR9627B1ZU	रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	19,90,89,088.0000	19,55,46,074.0000	35,43,014.00
16	जमशेदपुर नागरीय	20AABCT9406B1ZY	कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	6,00,05,248.00	5,99,13,815.00	91,433.00
17	जमशेदपुर नागरीय	20AABCT9406B1ZY	कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	6,12,81,412.000	5,49,03,034.000	63,78,378.00
18	जमशेदपुर नागरीय	20AABCT9406B1ZY	कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	5,65,19,576.00	5,04,99,788.00	60,19,788.00
19	जमशेदपुर नागरीय	20AABFD4967A1Z2	डी डी ट्रांसपोर्ट	2020-21	78,59,948.50	78,58,959.00	989.50
20	जमशेदपुर नागरीय	20AAACG8040K1ZX	गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड.	2019-20	14,59,20,703.00	14,22,91,816.00	36,28,887.00
21	जमशेदपुर नागरीय	20AABCR6747B1ZU	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2019-20	10,18,10,448.00	10,16,70,538.50	1,39,909.50

परिशिष्ट- IX

(कंडिका 3.2.8.4 (प्रथम बुलेट तालिका सं. 3.15) में संदर्भित; पृष्ठ 146)

जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच चुकाई गई कर देयता का बेमेल होना

(राशि ₹ में)

क्र.स.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	अवधि	आर.1 और आर.9 के बीच अधिकतम देयता	किया गया कर भुगतान	चुकाई नहीं गई कर देयता
22	जमशेदपुर नागरीय	20AAACV2809D1Z0	वोल्टास लिमिटेड	2018-19	50,87,07,616.00	50,86,84,969.00	22,647.00
23	राँची पूर्वी	20AAACH8025R1ZH	हर्बालाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	6,63,25,617.58	6,63,21,616.00	4,001.58
24	राँची पूर्वी	20AADCB0147R1ZT	भारती टेलीमीडिया लिमिटेड	2019-20	12,19,88,592.00	12,16,89,966.00	2,98,626.00
25	राँची दक्षिणी	20AADCJ3112A1ZP	झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2019-20	28,33,51,376.00	15,05,91,808.00	13,27,59,568.00
26	राँची दक्षिणी	20AADCJ3112A1ZP	झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2020-21	14,69,16,636.00	50,99,942.00	14,18,16,694.00
27	राँची दक्षिणी	20AAACJ0866E1Z5	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	4,95,10,640.00	4,95,10,488.06	151.94
28	राँची दक्षिणी	20AAACI6515M1ZR	इंडो नवीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2018-19	6,33,02,920.00	3,50,60,408.00	2,82,42,512.00
29	राँची दक्षिणी	20AAACI6515M1ZR	इंडो नवीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2019-20	2,16,80,444.00	59,534.00	2,16,20,910.00
30	राँची दक्षिणी	20AAACA6412D1ZM	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	2018-19	10,89,53,568.00	10,76,64,912.00	12,88,656.00
31	राँची दक्षिणी	20AAACA6412D1ZM	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	2019-20	9,86,13,540.80	9,84,55,092.00	1,58,448.80
32	राँची दक्षिणी	20AAHCS4281K1ZB	शिव प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	4,01,24,008.00	3,56,65,678.00	44,58,330.00
33	राँची दक्षिणी	20AAACM9786A1ZP	एम.जी. कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	40,80,45,184.00	38,29,08,104.00	2,51,37,080.00
34	राँची दक्षिणी	20AACCG1395F1Z2	जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2018-19	4,90,15,400.00	3,48,60,750.00	1,41,54,650.00
35	राँची दक्षिणी	20AACCG1395F1Z2	जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2019-20	8,22,61,376.00	5,41,15,418.00	2,81,45,958.00
36	राँची दक्षिणी	20AACCG1395F1Z2	जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2020-21	3,27,32,772.00	3,27,30,036.00	2,736.00
37	राँची दक्षिणी	20AAECP2697K1Z9	पेस डिजिटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	7,74,45,288.00	1,84,22,050.00	5,90,23,238.00
38	राँची दक्षिणी	20AABCI2726B1ZG	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2018-19	12,71,39,096.00	12,71,24,098.00	14,998.00
39	राँची दक्षिणी	20AABCI2726B1ZG	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2019-20	13,48,22,592.00	13,46,51,423.00	1,71,169.00
40	राँची दक्षिणी	20AABCI2726B1ZG	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2020-21	9,56,00,896.00	9,54,60,173.00	1,40,723.00
41	राँची दक्षिणी	20AABCC5460A2ZI	आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड	2018-19	21,10,67,592.00	9,91,87,574.00	11,18,80,018.00
42	राँची दक्षिणी	20AABCC5460A2ZI	आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड	2020-21	3,26,65,076.00	3,25,98,628.00	66,448.00

परिशिष्ट- IX

(कंडिका 3.2.8.4 (प्रथम बुलेट तालिका सं. 3.15) में संदर्भित; पृष्ठ 146)

जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच चुकाई गई कर देयता का बेमेल होना

(राशि ₹ में)

क्र.स.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	अवधि	आर.1 और आर.9 के बीच अधिकतम देयता	किया गया कर भुगतान	चुकाई नहीं गई कर देयता
43	राँची दक्षिणी	20AADCJ3148A1ZD	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	17,57,472.00	15,60,674.00	1,96,798.00
44	राँची दक्षिणी	20AAAAG0251C1ZT	गिन्नी इंडस्ट्रीज	2018-19	7,77,27,846.50	7,77,15,093.50	12,753.00
45	राँची दक्षिणी	20AACCS2475A1Z1	शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	3,88,45,028.00	3,88,30,748.00	14,280.00
46	राँची दक्षिणी	20AADCK0785C1Z3	केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2018-19	4,34,16,958.00	3,79,93,279.00	54,23,679.00
47	राँची दक्षिणी	20AADCK0785C1Z3	केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2019-20	11,30,23,586.00	10,32,98,071.00	97,25,515.00
48	राँची दक्षिणी	20AADCK0785C1Z3	केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2020-21	7,85,75,236.00	7,85,15,304.00	59,932.00
49	राँची विशेष	20ELMPS2227C1ZF	महावीर स्टील इंडस्ट्रीज	2020-21	3,48,51,036.00	1,28,48,526.00	2,20,02,510.00
50	राँची विशेष	20AAACS8577K1Z3	भारतीय स्टेट बैंक नोनीहाट	2019-20	58,77,50,530.00	54,55,87,904.00	4,21,62,626.00
51	राँची विशेष	20AAACS8577K1Z3	भारतीय स्टेट बैंक नोनीहाट	2020-21	57,84,14,210.00	57,46,45,356.00	37,68,854.00
52	राँची विशेष	20AADCR4945F1ZO	रामा ऑटो डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	25,56,89,520.00	25,46,12,328.00	10,77,192.00
53	राँची विशेष	20AAACA6990Q1ZC	अपोलो टायर्स लिमिटेड	2018-19	1,90,84,82,022.00	1,90,84,69,788.00	12,234.00
54	राँची विशेष	20AAACA6990Q1ZC	अपोलो टायर्स लिमिटेड	2019-20	1,34,39,38,690.00	1,34,39,38,553.00	137.00
55	राँची विशेष	20AAACA6990Q1ZC	अपोलो टायर्स लिमिटेड	2020-21	1,35,73,83,170.00	1,35,73,83,063.00	107.00
56	राँची विशेष	20AADCH9938G1ZL	एचएमडी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	3,57,94,806.66	3,57,88,331.00	6,475.66
57	राँची पश्चिमी	20AAACC7476RHZT	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड.	2019-20	35,02,90,94,000.00	34,75,12,31,960.00	27,78,62,040.00
58	राँची पश्चिमी	20AAACC7476RHZT	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड.	2020-21	33,17,13,10,600.00	33,10,10,61,390.00	7,02,49,210.00
59	राँची पश्चिमी	20AAFCA2578R1ZD	अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	89,97,05,600.00	88,65,41,463.80	1,31,64,136.20
60	राँची पश्चिमी	20AAFCA2578R1ZD	अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,10,13,34,530.00	1,01,08,79,041.00	9,04,55,489.00
61	राँची पश्चिमी	20AAFCA2578R1ZD	अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,06,03,98,270.00	1,05,16,92,217.00	87,06,053.00
62	राँची पश्चिमी	20BDRPS1310Q2ZA	अंतर्राष्ट्रीय हाउसकीपिंग और रखरखाव सेवा	2018-19	3,75,89,368.00	1,74,59,746.00	2,01,29,622.00
63	राँची पश्चिमी	20BDRPS1310Q2ZA	अंतर्राष्ट्रीय हाउसकीपिंग और रखरखाव सेवा	2019-20	2,92,75,317.500	44,00,857.000	2,48,74,460.50

परिशिष्ट- IX

(कंडिका 3.2.8.4 (प्रथम बुलेट तालिका सं. 3.15) में संदर्भित; पृष्ठ 146)

जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच चुकाई गई कर देयता का बेमेल होना

(राशि ₹ में)

क्र.स.	अंचल का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	अवधि	आर.1 और आर.9 के बीच अधिकतम देयता	किया गया कर भुगतान	चुकाई नहीं गई कर देयता
64	राँची पश्चिमी	20BDRPS1310Q2ZA	अंतर्राष्ट्रीय हाउसकीपिंग और रखरखाव सेवा	2020-21	2,34,70,939.30	2,00,70,333.00	34,00,606.30
65	राँची पश्चिमी	20AFWPS9603J1ZX	सिद्धि विनायक	2020-21	89,89,979.000	86,40,015.180	3,49,963.82
66	राँची पश्चिमी	20AAACT0627R3ZB	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2018-19	12,23,65,528.00	12,23,48,833.00	16,695.00
67	राँची पश्चिमी	20AAACT0627R3ZB	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2020-21	8,69,28,424.00	8,66,31,205.00	2,97,219.00
68	राँची पश्चिमी	20AABCD7169H1ZU	रिलायंस कॉर्पोरेट आईटी पार्क लिमिटेड	2019-20	86,79,51,230.000	83,64,99,587.000	3,14,51,643.00
69	राँची पश्चिमी	20AABCR1718E1Z3	रिलायंस रिटेल लिमिटेड	2018-19	2,03,70,70,963.00	2,03,70,68,540.00	2,423.00
70	राँची पश्चिमी	20AABCR1718E1Z3	रिलायंस रिटेल लिमिटेड	2019-20	3,60,67,01,820.00	3,60,58,69,820.00	8,32,000.00
71	राँची पश्चिमी	20AAACU5552C1ZX	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2018-19	12,67,91,120.00	12,67,40,041.00	51,079.00
72	राँची पश्चिमी	20AAACU5552C1ZX	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2020-21	12,41,73,308.00	12,41,06,394.00	66,914.00
73	राँची पश्चिमी	20AAGCA8588G1ZL	अवध एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	78,86,476.000	67,68,150.000	11,18,326.00
74	राँची पश्चिमी	20AAGCA8588G1ZL	अवध एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	61,50,630.00	56,40,572.00	5,10,058.00
75	सिंहभूम	20AAACL4159L1ZM	नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	5,25,04,32,000.00	5,25,04,29,028.00	2,972.00
76	सिंहभूम	20AAACL4159L1ZM	नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	4,55,44,17,612.00	4,55,44,17,352.00	260.00
कुल					**1,19,36,18,65,777.20**	**1,18,05,86,09,515.74**	**1,30,32,56,261.46**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi